भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

(सिविल)

31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

(प्रतिवेदन संख्या : 2)

उत्तर प्रदेश सरकार

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

(सिविल)

31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

(प्रतिवेदन संख्या : 2)

उत्तर प्रदेश सरकार

fo"k; lwph

foj.k	lUnHkZ	
	iLrj l[;k	i"B l[;k
izkDdFku	–	vii
v/;k; 1		
iLrkouk		
इस प्रतिवेदन के सम्बंध में	1.1	1
लेखापरीक्षित इकाइयों की रूपरेखा	1.2	1
लेखापरीक्षा का प्राधिकार	1.3	2
प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उत्तर प्रदेश के कार्यालय के संगठन की संरचना	1.4	2
लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन	1.5	2
दक्षता एवं निष्पादन लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ	1.6	3
अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान आये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा बिन्दु	1.7	5
निष्पादन समीक्षाओं और लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर विभाग का प्रत्युत्तर	1.8	8
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के बाद की कार्यवाही	1.9	9
v/;k; 2		
fu"iknu ys[kkijh{kk		
xzkE; fodkl foHkkx		
विधान मण्डल क्षेत्रीय विकास निधि का क्रियान्वयन	2.1	11
fpfdRlk ,oa LokLF; foHkkx		
नगरीय स्वास्थ्य सेवाएं	2.2	26
Ykksd fuekZ.k foHkkx		
राज्य सड़क निधि योजना का क्रियान्वयन	2.3	34
Lkwpuk rduhdh ,oa bySDVªkfuDl foHkkx		
उत्तर प्रदेश राज्य में ई–गवर्नेन्स की तैयारियों पर सूचना–प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा	2.4	51

v/;k; 3		
yunuk dh y[kkijh{kk		
fu;eu ,o fu;eks dk vuikyu u fd;k tkuk	3.1	71
flpkbZ foHkkx		
सामग्री का अग्रिम क्रय कर धनराशि अवरुद्ध किया जाना।	3.1.1	71
मार्ग के चौड़ीकरण पर परिहार्य व्यय	3.1.2	72
अपूर्ण मार्गो पर अलाभकारी व्यय	3.1.3	73
ykd fuekZ.k foHkkx		
बिटुमिन का दुर्विनियोग	3.1.4	74
ठेकेदारों को अनुचित लाभ	3.1.5	75
ढुलाई पर अधिक भुगतान	3.1.6	77
मानक का अनुपालन न किये जाने के कारण परिहार्य अतिरिक्त व्यय	3.1.7	78
xkeh.k vfHk;=.k lok		
सीमेंट, कंक्रीट, सड़कों एवं नालियों पर अतिरिक्त व्यय	3.1.8	79
vkfpR; y[kkijh{kk vkj fcuk mfpr leFku d 0;;k dk idj.k	3.2	81
ou foHkkx		
वृक्षारोपण अभियान पर अनियमित व्यय	3.2.1	81
flpkbZ foHkkx		
डिक्रीटल धनराशि के बिलम्ब से भुगतान के कारण अतिरिक्त परिहार्य भुगतान	3.2.2	82
ty i'kklu vkj l/kkj foHkkx		
मध्यम सुरक्षा कारागार पर निरर्थक व्यय	3.2.3	83
y?k flpkbZ foHkkx		
रोटरी रिंग पर निष्क्रिय व्यय	3.2.4	85
uxj fodkl foHkkx		
आवासों के निर्माण पर अलाभकारी व्यय	3.2.5	86
vlko/kkuh@fu;=.k dh deh	3.3	87

df"k foHkkx		
रिवाल्विंग निधि संबंधित नियमों का अनुमोदन न होने से निधि का क्रियान्वयन न होना	3.3.1	87
m|ku foHkkx		
परियोजना को बीच में ही निरस्त किए जाने के कारण निरर्थक व्यय	3.3.2	88
flapkbZ foHkkx		
एफलक्स बांध पर अलाभकारी व्यय	3.3.3	89
वियर के निर्माण पर निष्फल व्यय	3.3.4	90
tsy iz'kklu ,oa lq/kkj foHkkx		
स्थल चयन में एकरूपता न होने के परिणामस्वरूप अलाभकारी व्यय	3.3.5	91
xzkE; fodkl foHkkx **lekt dY;k.k foHkkx**		
बुन्देलखण्ड क्षेत्र जल संरक्षण योजनाओं का अपर्याप्त क्रियान्वयन	3.3.6	92
efgyk dY;k.k ,oa cky fodkl foHkkx		
अपूर्ण भवनों पर अलाभकारी व्यय	3.3.7	93
;qok dY;k.k foHkkx		
निर्मित स्टेडियम एवं क्रीड़ा सामग्रियों पर अलाभकारी व्यय	3.3.8	94
वार्डन/सहायक वार्डन की तैनाती न होने से अलाभकारी व्यय	3.3.9	95
lrr vkSj O;kid vfu;ferrk,¡	3.4	96
flapkbZ foHkkx		
धनराशियों का आहरण कर शासकीय लेखे से बाहर रखना	3.4.1	96
v/;k; 4		
foHkkx dh foHkkx&dsfUnzr ys[kkijh{kk		
i'kqikyu foHkkx dh foHkkx&dsfUnzr ys[kk ijh{kk	4.1	99

ifjf'k"V

ifjf'k"V la[;k	fooj.k	i"B la[;k
2.1.1	प्राप्ति शीर्ष में जमा धनराशियां	123
2.1.2	कार्य के प्रस्तावों को प्रस्तुत करनें में विलम्ब	124
2.1.3	विधायकगणों द्वारा स्कूल भवनों के लिये 40 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक स्वीकृत धनराशि	125
2.1.4	विधायकगणों द्वारा स्कूल भवनों के लिये 71 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक स्वीकृत धनराशि	127
2.1.5	कार्यों की स्वीकृति में विलम्ब	128
2.1.6	2005–10 के मध्य निधि के अन्तर्गत अमान्य कार्यों का चयन	129
2.1.7	अनाधिकृत कार्यदायी संस्थाओं के चयन से कार्यों का अपूर्ण रहना	131
2.1.8	मॉडल प्राक्कलन के आधार पर न कराये गये निर्माण कार्यों का विवरण	132
2.1.9	कार्यों का प्रयोक्ता अभिकरणों को हस्तान्तरित न किया जाना	133
2.1.10	हाई मास्ट/सेमी हाई मास्ट लाइटों का विवरण	134
2.3.1	नवीनीकरण हेतु वांछित मार्ग की लम्बाई	135
2.3.2	मार्गों के नवीनीकरण में कमी प्रदर्शित करने वाला विवरण	136
2.3.3	कार्यों की तकनीकी स्वीकृति से पूर्व व्यय प्रदर्शित करने वाला विवरण	137
2.3.4	कार्य के लिए निर्गत अल्पकालीन निविदा सूचना को दर्शाने वाला विवरण	140
2.4.1	ई–जिलों में सक्रिय सेवाएँ	141
2.4.2	लंबित शिकायतों का विवरण	142
2.4.3	लंबित शिकायत मामलों का आयुवार विश्लेषण	143
2.4.4	हल मामलों का आयुवार विश्लेषण	144
3.1	निर्माण खण्ड (आगरा ताज ट्रेपेजियम) द्वारा निर्मित मार्गों की प्राशसनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति का विवरण	145
3.2	ठेकेदारों के साथ गठित अनुबंधों का विवरण	146
3.3	ठेकेदारों को अनुचित लाभ का विवरण	147
3.4	ठेकेदारों को अनुचित लाभ का विवरण	148
3.5	अ) आगणन में लिये गये टिपर से ढुलाई का विवरण ब) 25 कि.मी. के स्थान पर 50 कि.मी. दूरी के कारण टिपर से ढुलाई में प्रति घनमीटर अधिक लागत का विवरण स) निष्पादित कार्य पर ठेकेदार को अनुचित लाभ का विवरण	149

3.6	अ) आगणन में लिये गये टिपर से ढुलाई का विवरण तथा टिपर से अनुमन्य ढुलाई ब) हाट मिक्स प्लाण्ट से कार्य स्थल की वास्तविक दूरी 45 किमी के स्थान पर 90 कि.मी. (45 x 2) लेने के कारण प्रति घनमीटर पर अधिक व्यय एवं ठेकेदार को अनुचित लाभ का विवरण	150
3.7	लखनऊ–मांझीघाट राज्य राजमार्ग के चैनेज किमी 205 से किमी 240 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण पर प्रथम सतह लेपन पर किये गये अधिक व्यय का विस्तृत विवरण	151
3.8	लखनऊ–मांझीघाट के चैनेज किमी 241 से किमी 254 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण पर बिटुमिन की लागत सहित प्रथम सतह लेपन पर किये गये अधिक व्यय का विवरण	152
3.9	नालियों के निर्माण पर लीन कंक्रीट (एल.सी.) का अतिरिक्त व्यय	153
3.10	नाली में पीसीसी कार्य में अतिरिक्त व्यय	155
3.11	पडंजा (समतल ईंट) कार्य पर अतिरिक्त व्यय होना	156
3.12	लीन कंक्रीट की मंहगे विशिष्टियों का उपयोग करके अतिरिक्त व्यय	157
3.13	आरसीसी कार्य पर अतिरिक्त व्यय	159
3.14	आरसीसी कार्य पर अतिरिक्त व्यय	162
3.15	परिवहन व्यय, इत्यादि का भुगतान	163
3.16	भू–प्रतिकर के भुगतान हेतु कोषागारों से आहरित धनराशि	164
3.17	परिहार्य ब्याज के भार की गणना	165
4.1	पशुगणना 2003 तथा 2007 के अनुसार पशुधन की संख्या	166
4.2	संयुक्त निरीक्षण का विवरण	167
4.3	दवाओं की अनुपलब्धता	168
4.4	एच.एस. का टीकाकरण	169
4.5	एफ.एम.डी.–सी.पी. का टीकाकरण	171
4.6	एस्कैड के अर्न्तगत एफ.एम.डी. टीकाकरण	172
4.7	स्वयं सहायता समूह (सूअर)	174
4.8	स्वयं सहायता समूह (बकरी)	175
4.9	बैकयार्ड पॉल्ट्री स्कीम का संयुक्त निरीक्षण	177

ikDdFku

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के **v/;k; 1** में लेखापरीक्षित इकाइयों की रूप–रेखा, लेखापरीक्षा का प्राधिकार, लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन, प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) के कार्यालय संगठन की संरचना एवं ड्राफ्ट प्रस्तरों पर विभागों द्वारा दिये गये उत्तर उद्धृत हैं। इस अध्याय में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के मुख्य बिन्दु भी उल्लिखित हैं।

प्रतिवेदन के **v/;k; 2** में दक्षता लेखापरीक्षा तथा **v/;k; 3** में विभिन्न विभागों के लेन–देनों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष समाहित हैं। **v/;k; 4** में राज्य सरकार के एक विभाग के क्रियाकलापों पर टिप्पणी की गयी है।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2009–10 की अवधि के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा में आये प्रकरणों के साथ पूर्ववर्ती वर्षों के लेखापरीक्षा में आये परन्तु विगत प्रतिवेदनों में सम्मिलित न हो सके प्रकरणों तथा वर्ष 2009–10 की अवधि के पश्चात के प्रकरणों को भी आवश्यकतानुरूप सम्मिलित किया गया है।

v/;k; 1
i:Lrkouk

v/;k; 1

iLrkouk

1.1 bl ifronu d lEc/k e

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन, उत्तर प्रदेश सरकार के सिविल एवं निर्माण विभागों के लेन–देनों के अनुपालन लेखापरीक्षा में उठाये गये प्रकरणों, केन्द्र सरकार द्वारा पुरोनिधानित और राज्य सरकार की आयोजनागत परियोजनाओं और राज्य के निकायों की लेखापरीक्षा, जिसमें चयनित योजनाओं और विभागों का निष्पादन लेखापरीक्षा भी सम्मिलित है, से सम्बंधित है।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा परिणामों को राज्य विधायिका के संज्ञान में लाना है। लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार यह आवश्यक है कि रिपोर्टिंग का स्तर भौतिक रूप से समानुपातिक भार और लेन–देनों के परिणाम की प्रगति पर आधारित हो। यह अपेक्षा की जाती है कि लेखापरीक्षा परिणाम कार्यपालिका द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही, संस्थाओं के वित्तीय प्रबन्धन में सुधार हेतु नीति निर्धारण एवं दिशा–निर्देशों में सहायक होंगे जोकि एक अच्छे शासन व्यवस्था में सहयोग करती है।

अनुपालन लेखापरीक्षा के अंतर्गत लेखापरीक्षित इकाई के लेन–देनों, प्राप्तियों, परिसम्पत्तियों और दायित्वों की जाँच की जाती है जिसमें यह निश्चित किया जाता है कि भारत के संविधान के प्रावधानों, विधियों, नियमों और विनियमों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये विभिन्न आदेशों और दिशा–निर्देशों का पालन किया गया है।

निष्पादन लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र अनुमान अथवा जाँच है जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि किस सीमा तक मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावकारिता के साथ संस्थाओं, कार्यक्रमों एवं योजनाओं का संचालन किया गया है।

bl v/;k; में लेखापरीक्षित इकाइयों की रूप–रेखा, लेखापरीक्षा की सीमा तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन का उल्लेख किया गया है जबकि **v/;k; 2** में निष्पादन लेखापरीक्षा तथा **v/;k; 3** में शासन के विभिन्न विभागों और स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामों का उल्लेख किया गया है। **v/;k; 4** में पशुपालन विभाग की विभाग–केन्द्रित लेखापरीक्षा के परिणाम दिये गये हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2009–10 की अवधि में किये गये नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये प्रकरणों के साथ–साथ ऐसे प्रकरण भी लिये गये हैं जो पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा की अवधि में प्रकाश में आये थे परन्तु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हो सके थे। वर्ष 2009–10 की अवधि के पश्चात के प्रकरणों को भी आवश्यकतानुरूप सम्मिलित किया गया है।

1.2 y[kkijhf{kr bdkb;k dh :i&j[kk

उत्तर प्रदेश सरकार के सचिवालय स्तर पर 72 विभाग हैं जो कि मुख्य सचिव/प्रमुख सचिवों/सचिवों के अधीन हैं एवं इनकी सहायता हेतु विशेष सचिव, उप सचिव और निदेशक तथा अधीनस्थ अधिकारी कार्यरत हैं। प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की लेखापरीक्षा परिधि में राज्य सरकार के अधीन समस्त विभाग तथा 23 स्वायत्त निकाय हैं।

राज्य सरकार के वर्ष 2009–10 की अवधि के व्यय के साथ–साथ विगत दो वर्षों के व्ययों की तुलनात्मक स्थिति निम्न **lkj.kh** में सारांशीकृत है।

(₹ djksM+ esa)

fooj.k	2007-08			2008-09			2009-10		
	vk;kstukxr	vk;kstuksRrj	;ksx	vk;kstukxr	vk;kstuksRrj	;ksx	vk;kstukxr	vk;kstuksRrj	;ksx
					jktLo O;;				
सामान्य सेवाएं	92.85	26,457.90	26,550.75	211.94	29,557.38	29,769.32	824.29	39,817.01	40,641.30
सामाजिक सेवाएं	8,213.70	14,871.87	23,085.57	11,584.22	16,961.79	28,546.01	10,998.49	21,065.79	32,064.28
आर्थिक सेवाएं	3,437.34	8,600.06	12,037.40	5495.18	8654.17	14,149.35	3,878.40	9,429.60	13,308.00
सहायक अनुदान	0.03	3549.46	3549.49	-	3,504.21	3504.21	-	3,360.03	3,360.03
;ksx (1)	**11,743.92**	**53,479.29**	**65,223.21**	**17,291.34**	**58,677.55**	**75,968.89**	**15,701.18**	**73,672.43**	**89,373.61**
					iwathxr O;;				
पूंजीगत परिव्यय **(2)**	13,719.84	3,230.54	16,950.38	18,087.49	4,258.23	22,345.72	19,224.48	5,866.75	25,091.23
ऋण एवं अग्रिम भुगतान **(3)**	367.44	374.52	741.96	390.33	416.68	807.01	209.23	732.62	941.85
ykssd _.kksa dk Hkqxrku (4)	---	**5,368.87**	**5,368.87**	---	**6,776.49**	**6,776.49**	-	**7,668.59**	**7,668.59**
lefdr fuf/k ls fd;k x;k dqy Hkqxrku (1+2+3+4)	**25,831.20**	**62,453.22**	**88,284.42**	**35,769.16**	**70,128.95**	**1,05,898.11**	**19,433.71**	**14,267.96**	**33,701.67**
vkdfLedrk fuf/k	---	**116.72**	**116.72**	---	---	---	-	-	-
yksd ys[kk lforj.k	---	**68,560.32**	**68,560.32**	---	**1,00,026.64**	**1,00,026.64**	-	**1,01,780.30**	**1,01,780.30**
;ksx	**25,831.20**	**1,31,130.26**	**1,56,961.46**	**35,769.16**	**1,70,155.59**	**2,05,924.75**	**19,433.71**	**1,16,048.26**	**1,35,481.97**

1.3 ys[kkijh{kk dk izkf/kdkj

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 में लेखापरीक्षा का प्राधिकार निहित है। प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उत्तर प्रदेश द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13, 14, 15, 19 और 20 के अंतर्गत सिविल और निर्माण विभागों एवं स्वायत्त निकायों के व्ययों की लेखापरीक्षा की गयी। अनुपालन लेखापरीक्षा के सिद्धान्त और क्रियाविधि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत मैनुअलों में वर्णित है।

1.4 iz/kku egkys[kkdkj ¼flfoy vkfMV½] mRrj izns'k ds dk;kZy; ds laxBu dh lajpuk

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के दिशा–निर्देशों के अंतर्गत प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य सरकार के सिविल एवं निर्माण विभागों (प्रत्येक के लिए दो ग्रुपों के माध्यम से) तथा स्वायत्त निकायों एवं वन विभाग (प्रत्येक के लिए एक ग्रुप के माध्यम से) की लेखापरीक्षा सम्पन्न की जाती है। वर्ष 2009–10 की अवधि में 71 लेखापरीक्षा दलों द्वारा राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सिविल और निर्माण विभागों, स्वायत्त निकायों एवं वाहय सहायतित परियोजनाओं, आदि की चयनित इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा सम्पन्न की गयी।

1.5 ys[kkijh{kk dh ;kstuk ,oa lapkyu

लेखापरीक्षा की प्रक्रिया राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/संस्थाओं/स्वायत्त निकायों/योजनाओं/परियोजनाओ आदि में निहित जोखिम–अनुमानों से प्रारम्भ होती है जोकि

उनके व्ययों, कियाकलाप की जटिलताओं, वित्तीय अधिकारों की सीमा, आन्तरिक–नियंत्रण प्रणाली तथा स्टेक–होल्डर्स की प्राथमिकताओं पर आधारित होती है। इस प्रक्रिया में पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा के परिणामों पर भी विचार किया जाता है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति पर निरीक्षण प्रतिवेदन जिसमें लेखापरीक्षा के परिणाम निहित रहते हैं, लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुखों को इस आग्रह के साथ प्रेषित किया जाता है कि लेखापरीक्षा के परिणामों का उत्तर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्राप्ति के एक माह के अंदर प्रेषित करें। उत्तर की प्राप्ति पर या तो लेखापरीक्षा परिणाम निस्तारित कर दिये जाते है अथवा पुनः अनुपालन की कार्यवाही का सुझाव दिया जाता है। निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित लेखापरीक्षा के मुख्य बिन्दुओं को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रक्रिया अपनायी जाती है।

वर्ष 2009–10 की अवधि में विभिन्न विभागों/संस्थाओं की 6,931 इकाइयों में से 2,357 ईकाइयों की लेखापरीक्षा हेतु 15,800 दल–दिवसों का उपयोग किया गया तथा आडिट प्लान में उन इकाइयों का आच्छादन किया गया जोकि जोखिम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी।

1.6 n{krk ,o fu"iknu ys[kkijh{kk dh egRoi.k fVIif.k;k

दक्षता एवं निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि क्या राज्य सरकार की योजनाओं के वांछित उद्‌देश्य न्यूनतम मूल्य पर प्राप्त कर लिये गये हैं तथा इच्छित लाभ जनसामान्य तक पहुंच गये है। विगत कुछ वर्षों में दक्षता एवं निष्पादन लेखापरीक्षा में विभिन्न योजनाओं/क्रिया कलापों के क्रियान्वयन में कुछ महत्वपूर्ण कमियों के साथ–साथ चयनित विभागों की आन्तरिक–लेखा परीक्षा की गुणवत्ता पर भी टिप्पणी की गयी है जिसका प्रभाव विभागों की कार्यविधि एवं उनके द्वारा संचालित योजनाओं की सफलता पर पड़ता है।

इस प्रतिवेदन में विधान मण्डल क्षेत्रीय विकास निधि, नगरीय स्वास्थ्य सेवाएं, राज्य सड़क निधि योजना का कियान्वयन और सूचना तकनीकी तथा इलैक्ट्रानिक्स विभाग में ई–गवर्नेन्स की दक्षता लेखापरीक्षा के परिणाम दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, पशुपालन विभाग की विभाग–केन्द्रित लेखापरीक्षा के भी परिणाम दिये गये हैं। विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं की लेखापरीक्षा तथा यथोचित संस्तुतियों पर विशेष जोर दिया गया जिससे कि यह लोगों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं में सुधार तथा त्रुटि– निवारण हेतु कार्यकारी अधिकारियों की मददगार हो सके। निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रमुख बिन्दु निम्नवत हैः

1.6.1 fo/kku e.My {ks=h; fodkl fuf/k dk fØ;kUo;u

विधायकगणों को उनके विधानसभा क्षेत्र में जनसामान्य की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा विधान मण्डल क्षेत्रीय विकास निधि को प्रारम्भ किया गया था। विधान मण्डल क्षेत्रीय विकास निधि की निष्पादन लेखापरीक्षा (2005–10 की अवधि आच्छादित), में विदित हुआ कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में व्यय न की गई बहुत अधिक धनराशि वैयक्तिक लेखा खाते में पड़ी थी। लेखों में अन्तर असमाधानित थे। बहुत बड़ी संख्या में कार्य स्थानीय आवश्यकता से सम्बन्धित नहीं

थे। अमान्य/अनियमित और अस्थाई प्रकृति की परियोजनायें दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुये कार्यान्वित की गई थीं। साथ ही, न केवल पर्याप्त संख्या में कार्य अधूरे पड़े थे, बल्कि बहुत अधिक संख्या में परियोजनायें नियत समय के बाद भी प्रगति में थीं।

¼izLrj ½ 2-1½

1.6.2 uxjh; LokLF; lsok,

जनसामान्य को उच्च गुणवत्तायुक्त विशिष्ट चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा ग्यारहवीं योजना अवधि (2007–12) में नगरीय क्षेत्रों में चिकित्सालयों एवं ट्रामा सेंटरों की स्थापना द्वारा चिकित्सा सेवाओं को उन्नत करने का निर्णय लिया गया था। 2007–10 की अवधि की निष्पादन लेखापरीक्षा में उद्घाटित हुआ कि बजट तैयार करते समय कोडल प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। उपकरणों के क्रय के लिये कार्ययोजना को अंतिम रुप न दिये जाने (2007–12) के कारण उन्नत चिकित्सा उपकरणों के क्रय में विलम्ब हुआ। मेडिकल/पैरा मेडिकल कर्मियों की भारी कमी के कारण जनसामान्य की चिकित्सीय देखरेख के प्रबन्ध करने की विभागीय क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 100 शैय्यायुक्त सात एवं 300 शैय्यायुक्त दो चिकित्सालयों में से किसी का भी निर्माण निर्धारित तिथि तक पूर्ण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, लखनऊ में एक बाल चिकित्सालय एवं गोरखपुर में क्षयरोग–सह–सामान्य चिकित्सालय का निर्माण भूमि की अनुपलब्धता के कारण प्रारंभ नहीं किया गया था।

¼izLrj 2-2½

1.6.3 jkT; lMd fuf/k ;kstuk dk fØ;kUo;u

राज्य की समस्त सड़कों को निरन्तर सुधार एवं मरम्मत द्वारा गड्ढ़ा एवं पैच मुक्त रखने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्य सड़क निधि की स्थापना वर्ष 1998 की गयी जिसमें डीजल एवं पेट्रोल पर लगाये गये अतिरिक्त कर को जमा किया जाना था। 2005–10 की अवधि की निष्पादन लेखापरीक्षा में विदित हुआ कि लोक निर्माण विभाग, जोकि नोडल विभाग था, ने अपने नियंत्रण के अधीन सड़कों का सुधार किया एवं अन्य विभागों/निकायों के अधीन सड़कों के सुधार एवं मरम्मत पर विचार नहीं किया। प्रासांगिक आंकड़ों के बिना सड़कों के नवीनीकरण एवं अनुरक्षण हेतु चिन्हीकरण उनके चयन में पारदर्शिता के अभाव को दर्शाता है। निष्पादन लेखापरीक्षा में ली गई अवधि में 52 से 59 प्रतिशत सड़कों का अनुरक्षण नहीं किया गया था। धनराशियों के समर्पण एवं पी0एल0ए0 में धनराशियों को अवरूद्व रखने के भी प्रकरण थे।

¼izLrj 2-3½

1.6.4 mRrj izns'k esa bZ&xousZUl

सभी शासकीय एवं बुनियादी सेवाओं को उपयुक्त दरों पर सामान्य सेवा वितरण केन्द्रों के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध कराने एवं सेवा की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स कार्यक्रम का क्रियान्वयन (मई 2006) राज्य सरकार द्वारा किया गया। योजना के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे यथा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट डाटा सेन्टर और सामान्य सेवा केन्द्रों को स्थापित किया जाना था। कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा (आच्छादित अवधि 2006–10) में पाया गया कि चार वर्षों के उपरान्त भी सूचना एवं तकनीक का बुनियादी ढांचा स्थापित नहीं किया जा सका था। नागरिकों के लिए

(जी 2 सी) सेवा उपलब्ध न रहने के कारण राज्य स्टेट डाटा सेन्टर का उपयोग पूर्णतया नहीं किया जा सका जबकि राज्य स्टेट डाटा सेंटर परियोजना अभी भी प्रारम्भिक अवस्था में थी। विभिन्न विभागों के लिए डिजिटाइज्ड डाटा का न तो उपयोग हो सका और न ही उसको अद्यतन किया गया था। सूचनाओं को साझा करने और सेवाओं को प्रदान करने हेतु विभिन्न विभागों के मध्य अंतर्संयोजन भी राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट को पूर्ण न किए जाने कारण प्राप्त न किया जा सका।

¼IkLrj 2-4½

1.6.5 i'k|ikyu foHkkx dh foHkkx&dfUnr y[kk ijh{kk

पशुपालन विभाग का उद्देश्य पशुधन की उत्पादन क्षमता में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार तथा बीमारियों पर नियंत्रण करना है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग के विस्तृत उद्देश्यों में से अधिकांश की पूर्ति नहीं हो सकी क्योंकि पशुओं की बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण तथा कृत्रिम गर्भाधान के लक्ष्यों की पूर्ति अपर्याप्त जनशक्ति, वित्तीय स्रोतों तथा आधारभूत संरचनाओं में कमी के कारण नहीं की गयी थी। औषधियों/रसायनों हेतु अपर्याप्त धन तथा वैक्सिनों के विभागीय उत्पादन के वैध लाइसेंस न होने कारण पशुओं के इलाज हेतु इनकी पर्याप्त मात्रा पशु चिकित्सालयों में उपलब्ध नहीं थी। स्वरोजगार सृजन तथा गावों से पलायन रोकने हेतु स्वयं–सहायता समूह के गठन की योजना का उचित रूप से क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण नहीं किया गया था। उचित नियोजन के अभाव में अनुसूचित जातियों के गरीब वर्ग के जीवन सुधार हेतु बैकयार्ड योजना भी सफल नहीं हो पायी थी।

¼IkLrj 4-1½

1.7 vuqikyu y[kkijh{kk d nkjku vk; egRoiw.kZ y[kkijh{kk fcUnq

लेखापरीक्षा द्वारा जटिल क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कमियाँ पायी गयी जोकि राज्य सरकार की प्रभावकारिता पर असर डालती है। अनुपालन लेखापरीक्षा के अन्तर्गत 23 महत्वपूर्ण प्रस्तरों को प्रतिवेदित किया गया है जोकि निम्न से सम्बंधित है;

- नियमों और नियमन का अनुपालन न किया जाना;
- औचित्य लेखापरीक्षा और पर्याप्त औचित्य के बिना व्यय के प्रकरण;
- असावधानी/नियंत्रण की कमी; एवं
- सतत् और व्यापक अनियमितताएं।

1.7.1 fu;eu vkSj fu;eksa dk vuqikyu u fd;k tkuk

उचित वित्तीय प्रशासन और नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय के लिए वित्तीय नियम, नियमन और आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये जाए जोकि वित्तीय अनुशासन बनाये रखने में सहायक होता है और अनियमितता, दुर्विनियोग और धोखाधड़ी को रोकता है। इस खण्ड में नियमों और नियमन का अनुपालन न किये जाने से ₹ 28.22 करोड़ के प्रकरणों को इंगित किया गया है जिनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया जा गया है:

मुख्य अभियन्ता (मध्यगंगा), सिंचाई विभाग, द्वारा आवश्यकता से अधिक सीमेंट कम्प्रेस्ड टाइलों के अग्रिम क्रय के फलस्वरूप ₹ 5.15 करोड़ दो वर्ष तक अवरुद्ध रहा।

(प्रस्तर 3.1.1)

आई.आर.सी. विशिष्टियों का उल्लंघन करते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग के चौड़ीकरण में बेस कोर्स के ऊपर महगें बिटुमिनस मैकाडम के बिछाये जाने के फलस्वरूप ₹ 3.68 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

(प्रस्तर 3.1.2)

वित्तीय नियमों का अनुसरण न करने के कारण कुंवरपुर एवं पांडेयपुर रजबाहों के अपूर्ण मेटल्ड रोड पर सिंचाई विभाग द्वारा किया गया ₹ 1.69 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

(प्रस्तर 3.1.3)

अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सुनिश्चित करने में की गयी शिथिलता के फलस्वरूप ₹ 1.75 करोड़ के बिटुमिन का दुर्विनियोग हुआ।

(प्रस्तर 3.1.4)

अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा माडल बिड डाक्युमेन्ट का अनुपालन न किये जाने के कारण ठेकेदारों को ₹ 1.51 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

(प्रस्तर 3.1.5)

1.7.2 औचित्य लेखापरीक्षा और पर्याप्त औचित्य के बिना किये गये व्ययों के प्रकरण

लोक निधि से प्राधिकृत व्यय, औचित्य और लोक व्यय की प्रभावकारिता के सिद्धान्तों से निर्देशित होते हैं। व्यय हेतु प्राधिकृत प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह धन का व्यय उतनी ही सतर्कता के साथ करें जितना कि एक सामान्य व्यक्ति अपने धन के व्यय किये जाने में करता है। लेखापरीक्षा जाँच में ₹ 47.56 करोड़ के अनुचित और अधिक व्यय के प्रकरण प्रकाश में आये जिनमें से कुछ नीचे दिये गये हैं:

वन विभाग द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बिना उपयुक्त कार्ययोजना के विशेष वृक्षारोपण अभियान के क्रियान्वयन के कारण ₹ 40.10 करोड़ का अनियमित व्यय किया गया।

(प्रस्तर 3.2.1)

सिंचाई विभाग द्वारा डिक्रीटल धनराशि के विलम्ब से भुगतान किये जाने के फलस्वरूप निर्माण कंपनी को ₹ 1.87 करोड़ के ब्याज का अतिरिक्त परिहार्य भुगतान किया गया ।

(प्रस्तर 3.2.2)

नियोजन की कमी के परिणामस्वरूप लखनऊ जनपद में मध्यम सुरक्षा कारागार के अधूरे निर्माण पर जेल प्रशासन एवं सुधार विभाग द्वारा ₹ चार करोड का निरर्थक व्यय किया गया।

(प्रस्तर 3.2.3)

मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग द्वारा जनवरी 2009 में ₹ 1.03 करोड़ की लागत से क्रय की गयी डायरेक्ट सरकुलेटरी रोटरी रिंग मशीन एवं सहायक उपकरण, परिचालन कर्मियों के अभाव में निष्क्रिय पड़ी रही।

(iLrj 3.2.4)

मलिन बस्ती वासियों का चिन्हीकरण न किये जाने के कारण वैम्बे योजना के अन्तर्गत 274 आवासों के निर्माण पर ₹ 54.80 लाख का किया गया व्यय अलाभकारी रहा।

(iLrj 3.2.5)

1.7.3 vlko/kkuh@fu;=.k dh deh

राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अवस्थापनाओं का विकास और उच्चीकरण, लोक सेवा इत्यादि क्षेत्रों में जनसामान्य के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करे। लेखापरीक्षा के संज्ञान में ऐसे प्रकरण आये जिसमें राज्य सरकार द्वारा लोक सम्पत्तियों को बनाने हेतु दी गयी धनराशियों का उपभोग नही किया गया था अथवा अवरूद्ध रखा गया या फिर अलाभकारी/अनुत्पादक व्यय प्रशासनिक नियंत्रण की कमी और असावधानी, ढुलमुल रहने तथा ठोस निर्णयों का विभिन्न स्तरों पर अभाव रहने के कारण हुआ था। लेखापरीक्षा जाँच में असावधानी/नियंत्रण की कमी के ₹ 58.43 करोड़ रूपये के प्रकरण प्रकाश में आये थे जिनमें से कुछ नीचे दिये गये है :

शासन द्वारा नियमावली का अनुमोदन न किये जाने के कारण उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा रिवाल्विंग निधि का उपयोग कृषि शोध एवं सांख्यिकी डाटा बेस को सुदृढ़ करने, आदि में नहीं किया जा सका।

(iLrj 3.3.1)

उद्यान विभाग द्वारा संशोधित प्राक्कलन को अनुमोदित न किये जाने एवं कार्य को बीच में ही छोड़ देने के निर्णय के कारण जनपद मैनपुरी में पार्क के विकास कार्यों पर किया गया ₹ 2.76 करोड का व्यय निरर्थक था।

(iLrj 3.3.2)

मुख्य अभियन्ता,सरयू परियोजना–I, फैजाबाद, सिंचाई विभाग द्वारा एफलक्स बांध को सरयू नदी के बायीं ओर निर्मित किए जाने के दोषपूर्ण नियोजन के कारण ₹ 2.43 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

(iLrj 3.3.3)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की के तकनीकी निर्देशो का पालन न करने के फलस्वरूप महाराजगंज जनपद में रोहिन वियर के निर्माण पर ₹ 2.24 करोड का व्यय निष्फल रहा।

(iLrj 3.3.4)

अम्बेडकरनगर में कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग द्वारा जेल के लिए स्थल चयन में एकरूपता न होने के फलस्वरूप ₹ 10 करोड का अलाभकारी व्यय होने के अतिरिक्त कारागार के निर्माण में विलम्ब हुआ।

(iLrj 3.3.5)

समन्वय एवं अनुरक्षण की कमी के कारण महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग द्वारा 125 भवनों पर किया गया ₹ 1.12 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा। इसके अतिरिक्त 227 भवनों का निर्माण कार्य स्वीकृत के तीन वर्षों के उपरान्त भी प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

(iLrj 3.3.7)

विभाग को स्टेडियम के हस्तान्तरण में विलम्ब एवं प्रशिक्षकों की तैनाती न किये जाने से 50 स्टेडियम एवं क्रीडा सामग्रियों के क्रय पर किया गया ₹ 18.31 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

(iLrj 3.3.8)

1.7.4 lrr vkj 0;kid vfu;ferrk,

यदि अनियमितताएं वर्ष प्रतिवर्ष होती हैं तो वह व्यापक अनियमितताएं हैं। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर भी बार–बार अनियमितताओं का होना यह प्रदर्शित करता है कि कार्यपालिका द्वारा ढिलाई बरती गयी तथा प्रभावी अनुश्रवण की कमी थी। यह संकलित रूप से नियमों/नियमन के पालन में इच्छापूर्वक विचलन को बढ़ावा देती है। परिणामस्वरूप, प्रशासनिक ढांचे को कमजोर करती है। लेखापरीक्षा में सतत् और व्यापक अनियमितताओं के ₹ 3.79 करोड़ रूपये के प्रकरण को नीचे दिया गया है:

सिंचाई विभाग के अधिशाषी अभियन्ता द्वारा ₹ 3.79 करोड़ की धनराशि ट्रेजरी से अनियमित रूप से आहरित कर शासकीय लेखो से इतर रखने के परिणामस्वरूप शासन को ₹ 32 लाख का परिहार्य ब्याज भार वहन करना पड़ा ।

(iLrj 3.4.1)

1.8 fu"iknu leh{kkvk vkj y[kkijh{kk iLrjk ij iR;Rrj

निष्पादन लेखापरीक्षा का ड्राफ्ट और लेखापरीक्षा प्रस्तरों को सम्बधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों के संज्ञान में लाने के लिए इस आशय के साथ प्रेषित किया जाता है कि वह उन पर अपनी प्रतिक्रिया छः सप्ताह के अंदर भेजे। यह उनके व्यक्तिगत संज्ञान में लाया जाता है कि निष्पादन लेखा परीक्षा का ड्राफ्ट एवं प्रस्तरों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित कर उत्तर प्रदेश विधायिका के सम्मुख रखा

जायेगा तथा इस सम्बंध में वांछित है कि वे प्रधान महालेखाकार से निष्पादन लेखा परीक्षा के ड्राफ्ट/ड्राफ्ट प्रस्तरों पर टिप्पणी भेजें जिन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु अनुमोदित किया गया है। उन्हें यह भी सुझाव दिया जाता है कि प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु निष्पादन लेखा परीक्षा एवं ड्राफ्ट प्रस्तरों पर प्रधान महालेखाकार से परिचर्चा करें। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने हेतु लेखा परीक्षा के ड्राफ्ट/ड्राफ्ट प्रस्तर प्रमुख सचिवों/सचिवों को प्रेषित किये गये थे तथा उनका उत्तर एवं वार्ता के परिणाम प्रतिवेदन में समुचित स्थानों पर सम्मिलित कर लिए गये है।

1.9 y[kkijh{kk ifronu d ckn dh dk;okgh

मार्च 2010 के अंत में 1,023 प्रस्तर/निष्पादन लेखा परीक्षा लोक लेखा समिति के समक्ष चर्चा हेतु लंबित थे। यह प्रस्तर जोकि वर्ष 1983–84 से वर्ष 2007–08 (वर्ष 1997–98 एवं वर्ष 2002–03 छोड़कर) से संबंधित थी। वर्ष 2004–05, 2005–06 और 2006–07 के प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा प्रगति पर थी। वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 के प्रतिवेदनों को चर्चा हेतु लिया जाना शेष था।

v/;k; 2

fu"iknu ys[kkijh{kk

- fo/kku e.My {ks=h; fodkl fuf/k dk fdz;kUo;u
- 'kgjh LokLF; lsok;sa
- jkT; lM+d fuf/k ;kstuk dk fdz;kUo;u
- mRrj izns'k jkT; esa b&xousZUl

v/;k; 2

fu"iknu y{[kkijh{kk

इस अध्याय में विधान मण्डल क्षेत्रीय विकास निधि का क्रियान्वयन, नगरीय स्वास्थ्य सेवायें, राज्य सड़क निधि योजना का क्रियान्वयन और सूचना एवं तकनीकी विभाग में ई–गवर्नेन्स पर निष्पादन लेखा परीक्षा के परिणामों को सम्मिलित किया गया है।

xzkE; fodkl foHkkx

2-1 fo/kku e.My {ks=h; fodkl fuf/k dk fØ;kUo;u

dk;Zdkjh lkj

राज्य सरकार द्वारा विधायकगणों को अपने विधानसभा क्षेत्र के जनसामान्य की स्थानीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु, सक्षम बनाने के उद्देश्य से विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (निधि) का प्रारम्भ (1998–99) किया गया। प्रत्येक माननीय विधायक के लिये वार्षिक अनुदान ₹ 1.25 करोड़ का था (₹ एक करोड़ 2006–07 तक)। विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की निष्पादन लेखापरीक्षा, जिसमें 2005–10 की अवधि आच्छादित थी तथा इस अवधि में ₹ 2,716.99 करोड़ का व्यय किया गया था, में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये।

- विधायकगणों द्वारा विलम्ब से प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में अत्यधिक धनराशि वैयक्तिक लेखा खाते में अप्रयुक्त पड़ी रही। मार्च 2010 के अन्त में इस प्रकार ₹ 385.58 करोड़ का कुल अवशेष था तथा ₹ 11.36 करोड़ राज्य सरकार के राजस्व खाते मे जमा (2008–10) भी किया गया था।
- आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों द्वारा रखे गये लेखों में विसंगति थी क्योंकि अवशेषों को या तो कम या अधिक अग्रेषित किया गया था जिससे ₹ 29.31 करोड़ का कम लेखांकन किया गया।
- विशेष रूप से कार्यों की स्वीकृति स्थानीय जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी। ₹ 815.56 करोड़ में से ₹ 669.02 करोड़ (82 प्रतिशत) सड़कों एवं स्कूल भवनों पर व्यय किये गये थे। सात विधानसभा क्षेत्रों में शत प्रतिशत धनराशि स्कूल भवनों के निर्माण पर व्यय की गयी थी।
- विधायकगणों द्वारा परियोजनाओं की संस्तुति एवं जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों द्वारा उनकी स्वीकृति तथा कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्यान्वयन में किये गये विलम्ब के फलस्वरूप पर्याप्त संख्या में परियोजनायें समय से पूर्ण नहीं हो सकीं।
- दिशानिर्देशों में निर्धारित मानको के विपरीत ₹ 11.78 करोड़ लागत की 334 अमान्य/अनियमित एवं अस्थाई प्रकृति की परियोजनायें स्वीकृत एवं क्रियान्वित की गयी थी।
- अयोग्य कार्यदायी संस्थाओं के चयन के कारण ₹ 10.98 करोड़ की 575 परियोजनायें अपूर्ण थी।
- ₹ 461.71 करोड़ लागत की 15,346 परियोजनायें पूर्ण की गयी लेकिन अनुरक्षण एवं रख–रखाव हेतु स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित नही की गयी थी।

2-1-1 iLrkouk

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1998–99 में विधान मण्डल क्षेत्रीय विकास निधि (निधि) प्रारम्भ की गयी जिसका उद्देश्य राज्य के 504 विधायकगणों को उनके विधानसभा क्षेत्र के जन सामान्य की स्थानीय आवश्कताओं जैसे कि सड़कों, विद्यालय भवनों के निर्माण आदि[1] की पूर्ति हेतु सक्षम बनाना था।

अपनाई गई क्रिया विधि के अनुसार शासन द्वारा प्रत्येक विधायक के लिये ₹ 1.25 करोड़ (₹ एक करोड 2006–07 तक) का अनुदान दो किश्तों में स्वीकृत किया गया था और धनराशि जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों के निवर्तन पर रखी गई थी, जिससे विधायकगणों द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में निष्पादन हेतु कार्यों की संस्तुति की जाती थी।

2-1-2 laxBukRed <kpk

आयुक्त, ग्राम विकास के सहयोग से प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग इस निधि के क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी थे। जनपद स्तर पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों (डी0आर0डी0ए0) के परियोजना निदेशक, धनराशियों की प्राप्ति एवं अवमुक्ति और उनके लेखों के रख–रखाव के लिये उत्तरदायी थे, जबकि मुख्य विकास अधिकारी इस निधि के मुख्य प्रभारी थे। पंचायती राज संस्थायें, ग्रामीण अभियंत्रण सेवायें, लोक निर्माण विभाग, आदि कार्यदायी संस्थायें थीं।

2-1-3 y[kkijh{kk dk mÌs';

लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह परीक्षण करना था कि क्या :

- वित्तीय प्रबन्धन के परिणामस्वरूप संसाधनों का मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावी उपभोग हुआ;
- स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यों को नियोजित, स्वीकृत और आवश्यक अनुमोदनों के उपरान्त क्रियान्वित किया गया; तथा
- आन्तरिक नियंत्रण और अनुश्रवण प्रभावी था।

2-1-4 y[kkijh{kk dk dk;{k= ,o fØ;kfof/k

लेखापरीक्षा द्वारा निधि के क्रियान्वयन से सम्बन्धित, कार्यालय आयुक्त ग्राम्य विकास, लखनऊ के अवधि 2005–10 के अभिलेखों तथा प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्सनेट टू साईज विद रिप्लेसमेंट विधि से सांख्यकीय नमूने के आधार पर चयनित 71 में से 18 डी0आर0डी0ए0[2] के अभिलेखों की जाँच की गयी।

प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग के साथ परिचयात्मक बैठक मई 2010 में सम्पन्न हुयी। इस बैठक में लेखा परीक्षा के उद्देश्यों, मापदण्ड और कार्यक्षेत्र पर विचार–विमर्श हुआ था।

---

[1] छोटे पुलों, पीने के पानी की सुविधा, नालियां, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, सांस्कृतिक एवं खेलकूद गतिविधियों, स्कूल एवं कालेजों के लिये फर्नीचर, पुस्तकों एवं कम्प्यूटरों का क्रय इत्यादि।

[2] आगरा, इलाहाबाद, बरेली, बुलन्दशहर, चन्दौली, एटा, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, मथुरा, मऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, सोनभद्र, श्रावस्ती, उन्नाव एवं वाराणसी।

सचिव, ग्राम्य विकास विभाग के साथ समापन बैठक अक्टूबर 2010 में सम्पन्न हुयी। बैठक में निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों पर विचार–विमर्श किया गया था और लेखा परीक्षा की संस्तुतियाँ स्वीकार की गई थी।

y[kkijh{kk fu"d"k

2-1-5 foÙkh; izcU/ku

शासन द्वारा प्रत्येक माननीय विधायक के लिये प्रतिवर्ष लोक लेखा के वैयक्तिक लेखा खाता[3] (पी0एल0ए0) में अन्तरण हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया। पी0एल0ए0 के अन्तरण को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद द्वारा रखे गये लेखे में पूंजीगत व्यय के रूप में अंकित किया गया था।

2-1-5-1 l lk/kuk dk vkoVu ,o miHkkx

आयुक्त, ग्राम विकास द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर धनराशि का वर्षवार आवंटन एवं उसके विरुद्ध व्यय का विवरण **lkj.kh 1** में दिया गया है–

lkj.kh 1 % o"kokj vkoVu ,o 0;;

(djkM+ ₹ e)

o"k	ikjfEHkd vo'k"k	vkoVu ,o ih0,y0,0 e tek dh xbZ /kujkf'k	dqy miyC/k /kujkf'k	0;; dh xbZ /kujkf'k@ (dqy miyC/k /kujkf'k dk izfr'kr)	vfre vo'k"k	ikjfEHkd ,o vfre vo'k"k dk vUrj
2005-06	235.13	504.00	739.13	526.81 (71)	212.32	
2006-07	215.26	504.00	719.26	521.92 (73)	197.34	(+)2.94
2007-08	196.72	628.75	825.47	470.42 (57)	355.05	(-)0.62
2008-09	345.36	630.00	975.36	624.41 (64)	350.95	(-)9.69
2009-10	329.01	630.00	959.01	573.43 (60)	385.58	(-)21.94
;kx		**2,896.75**		**2,716.99**		**(-) 29.31**

(lzksr % vk;qDr] xzkE; fodkl)

पी0एल0ए0 में जमा किये गये ₹ 2,896.75 करोड़ में से ₹ 2,716.99 करोड़ व्यय किया गया और मार्च 2010 के अन्त में ₹ 385.58 करोड़ व्यय हेतु अवशेष थे। लेखा परीक्षा जाँच में निम्न तथ्य प्रकाश में आये:

2-1-5-2 0;; dh /kheh ixfr ,o vR;f/kd vi;Dr /kujkf'k dk vo'k"k

fo/kk;dx.kk dk okf"kd vkoVu e vUkkfpR; i.k of)

शासन द्वारा मुख्य विकास अधिकारियों को माननीय विधायकों से सम्पर्क स्थापित कर प्रस्तावों को शीघ्र प्रस्तुत करवाने हेतु दिये गये निर्देश (अक्टूबर 2000) के बावजूद, विधायकगणों द्वारा विलम्ब से प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने से व्यय की प्रगति अत्यधिक धीमी थी। परिणामस्वरूप, परियोजनायें चिन्हित नहीं की जा सकी तथा वर्ष 2009–10 के अन्त में ₹ 385.58 करोड़ का भारी अवशेष एकत्रित हो गया।

इसके अतिरिक्त, नमूना जाँच के 18 जनपदों में से 12 जनपदों में वित्त विभाग के आदेश (अगस्त 2008 और जून 2009) के अन्तर्गत 2008–10 ***¼ifjf'k"V&2-1-1½*** के मध्य

[3] वैयक्तिक लेखा खाता : कोषागार में खोला गया एक बैंक खाता।

₹ 11.36 करोड़ शासन के राजस्व लेखे में जमा कर दिये गये। इसमें व्यय न की गई ₹ 5.99 करोड़ की धनराशि अपूर्ण कार्यों से सम्बधित थी और ₹ 5.37 करोड़ लागत के कार्यों के प्रस्ताव माननीय विधायकों द्वारा नहीं दिये गये थे।

समीक्षा की सम्पूर्ण अवधि में व्यय की धीमी प्रगति को देखते हुए वर्ष 2007–08 से प्रत्येक माननीय विधायक के वार्षिक आवंटन में ₹ 25 लाख की वृद्धि अनौचित्यपूर्ण थी।

2-1-5-3 ys[kk esa folaxfr

ikjfEHkd ,oa vfre vo'ks"k esa folaxfr

आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा रखे गये पी0एल0ए0 के अभिलेखों से यह विदित हुआ कि अवशेषों को कम अथवा अधिक अग्रेषित किया गया था। 2006–09 की अवधि में ₹ 32.25 करोड़ कम, जबकि वर्ष 2005–06 के अन्त में ₹ 2.94 करोड़ अधिक अग्रेषित किया गया था, जिससे कुल ₹ 29.31 करोड़ कम लेखांकित हुआ। नमूना जाँच हेतु लिए गये 18 जनपदों में से आठ जनपदों के अभिलेखों से यह स्पष्ट हुआ कि डी0आर0डी0ए0 द्वारा अवशेषों की त्रुटिपूर्ण प्रगति आख्या प्रेषित करने के फलस्वरूप धनराशियाँ, कम/अधिक अग्रेषित की गई थी जैसा कि नीचे वर्णित किया गया हैः

- पाँच जनपदों[4] के डी0आर0डी0ए0 द्वारा त्रुटिपूर्ण आख्या प्रेषित किये जाने के कारण आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा रखे गये लेखे में ₹ 1.53 करोड़ अधिक एवं ₹ 3.22 करोड़ कम लेखांकित किया गया था। तीन अन्य जनपदों[5] में शासकीय लेखे में जमा किये गये ₹ 3.69 करोड़ लेखांकित नहीं किये गये थे क्योंकि वित्तीय प्रगति के प्रेषण हेतु अनुमोदित प्रारूप–पत्र में सम्बन्धित कॉलम न होने के कारण शासकीय लेखे में जमा की गई धनराशियाँ सम्बन्धित डी0आर0डी0ए0 द्वारा सूचित नहीं की गईं थी।

- जनपद आगरा में ₹ 63.49 लाख अन्य जनपदों को स्थानान्तरित[6] किया गया था परन्तु आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा ₹ 69.49 लाख लेखांकित किया गया था। इसी प्रकार, जनपद मथुरा में डी0आर0डी0ए0 द्वारा ₹ 45.21 लाख अन्य जनपदों से प्राप्त किये गये थे, जिसे आयुक्त, ग्राम विकास द्वारा अपने लेखों में अंकित नहीं किया गया था। इसी प्रकार, जनपद सोनभद्र में डी0आर0डी0ए0 द्वारा ₹ 1.18 करोड़ अन्य जनपदों से प्राप्त किये गये थे और ₹ 2.13 करोड़ उन्हें अवमुक्त किये गये थे। आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा इन धनराशियों का लेखांकन नहीं किया गया था।

समीक्षा अवधि के दौरान त्रुटिपूर्ण सूचना प्रेषण और लेखे में विसंगतियाँ इस तथ्य का सूचक था कि आन्तरिक नियंत्रण में कमी थी और प्रबन्धन कमजोर था।

विभाग के सचिव ने विचार–विमर्श (अक्टूबर 2010) के दौरान यह बताया कि लेखे का समाशोधन किया जायेगा। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि आयुक्त, ग्राम्य विकास जो प्रभारी संस्था के रूप में वित्तीय प्रगति के त्रुटिहीन एवं सही संकलन के प्रति उत्तरदायी थे, द्वारा समीक्षा की सम्पूर्ण अवधि के दौरान लेखों का समाशोधन नहीं किया गया था।

---

4 आगराः कम ₹ 40 लाख (2006–07) एवं अधिक ₹ 92 लाख (2007–08), एटाः कम ₹ 2.42 करोड़ (2009–10), झांसीः अधिक ₹ 0.28 करोड़ (2008–09), मेरठः कम ₹ 40 लाख (2006–07), सोनभद्रः अधिक ₹ 33 लाख (2008–09)।

5 इलाहाबादः ₹ 222.23 लाख 2008–09 के दौरान, बुलन्दशहरः ₹ 139.23 लाख 2007–08 के दौरान एवं मेरठः ₹ 7.98 लाख 2008–09 के दौरान।

6 निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार यदि एक विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जनपद के अन्तर्गत आता है तो सम्बन्धित विधायक की अनुशंसा पर धनराशि का अंश डी0आर0डी0ए0 को स्थानान्तरित किया जायेगा।

2-1-5-4 vU; vfu;ferrk;s

- ***'kkldh; [kkrs esa C;kt u tek fd;k tkuk***

दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बैंकों में जमा की गई धनराशि पर प्राप्त ब्याज को शासकीय लेखे में जमा करने हेतु डी0आर0डी0ए0 को वापस किया जाना था। फिर भी, दो डी0आर0डी0ए0[7] ने ₹ 30.69 लाख शासकीय लेखे में जमा न कर इसे अपने पास रखा था। शासन ने विचार–विमर्श (अक्टूबर 2010) के दौरान आश्वस्त किया कि अर्जित ब्याज की धनराशि कोषागार में जमा कर दी जायेगी।

- ***lsok iHkkj dk vkjksi.k***

योजना के दिशानिर्देशों के अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं को उनके द्वारा दी गई सेवाओं के लिये प्रशासनिक/सेंटेज प्रभार का भुगतान प्रतिबंधित है।

नमूना जाँच में लिए गए पाँच जनपदों द्वारा 38 लैपटाप के क्रय पर (लागत ₹ 42.56 लाख) उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन, लखनऊ को ₹ 2.78 लाख[8] सेवा–प्रभार के रूप में भुगतान किया गया। विभाग के सचिव ने विचार–विमर्श (अक्टूबर 2010) के दौरान आश्वस्त किया कि भुगतान किये गये सेवा–प्रभार की वसूली की जायेगी।

2-1-6 ;kstuk

उच्च गुणवत्ता की सेवायें प्रदान करने में मितव्ययिता, दक्षता, प्रभावकारिता और उत्तरदायित्व के दृष्टिगत बनाई गई योजना प्राथमिकताओं की निश्चित परिभाषा व्यक्त करती है।

लेखा परीक्षा से स्पष्ट हुआ कि विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में संतुलित विकास हेतु स्थानीय रूप से महसूस की गई आवश्कताओं के अनुरूप परियोजनाओं की संस्तुति के लिये योजना मे ऐसी कोई क्रियाविधि वर्णित नहीं की गई है जिसे अपनाकर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न लोगों, जैसे वहाँ के निवासियों के सक्रिय संगठन, स्थानीय निकाय, स्वयं–सेवी संगठन, आदि की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

2-1-6-1 fo/kk;dx.kksa }kjk foyEc ls izLrko izLrqr fd;k tkuk

नमूना जाँच के अन्तर्गत लिए गये 18 जनपदों में विधायकों द्वारा 2005–10 के दौरान 46,906 परियोजनायें क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत की गई थी। नौ जनपदों, जहाँ 20,688 परियोजनायें प्रस्तावित की गई थी, 9,545 प्रस्ताव (46 प्रतिशत, लागतः ₹ 220.25 करोड़) द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास में तथा 2,680 प्रस्ताव (13 प्रतिशत, लागतः ₹ 49.29) अंतिम त्रैमास में और 346 (लागतः ₹ 7.66 करोड़) वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद प्रस्तुत किये गये थे **¼ifjf'k"V&2-1-2½**। शेष जनपदों में माननीय विधायकों द्वारा प्रस्तुत 26,218 परियोजनाओं का दिनांक उपलब्ध नहीं था। विभाग के सचिव ने विचार–विमर्श (अक्टूबर 2010) के दौरान यह बताया कि परियोजनाओं के सम्पादन को गति प्रदान करने हेतु निर्देश पूर्व में ही दिये जा चुके हैं।

---

7 डी0आर0डी0ए0, सहारनपुरः ₹ 0.06 लाख एवं डी0आर0डी0ए0, वाराणसी ₹ 30.63 लाख।

8 बरेली (₹ 0.46 लाख), गोरखपुर (₹ 0.89 लाख), मेरठ (₹ 0.36 लाख), सहारनपुर (₹ 0.50 लाख) एवं वाराणसी (₹ 0.57 लाख)

विधायकगणों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति में विलम्ब से परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ।

2-1-6-2 LFkkuh; vko';drk dk eY;kadu fd;s fcuk dk;ksZ dh Lohd`fr

LokLF;] ihus gsrq ikuh ,oa LoPNrk dks njfdukj djrs gq;s lM+d ,oa Ldwy gsrq 82 izfr'kr /kujkf'k Lohd`r dh x;hA

संतुलित विकास हेतु स्थानीय रूप से महसूस की गई आवश्यकताओं के अनुरूप परियोजनाओं का क्रियान्वयन निधि का प्राथमिक उद्देश्य था। स्थाई सम्पत्तियों के सृजन पर बल देते हुये दिशानिर्देशों में क्रियान्वित किये जाने वाले 27 श्रेणियों के कार्यों की एक सूची दी गई है।

नमूना जाँच में लिये गये 18 जनपदों से संकलित आँकड़ों को सात मुख्य श्रेणियों में सूचीबद्ध कर नीचे चार्ट में दिया गया है:

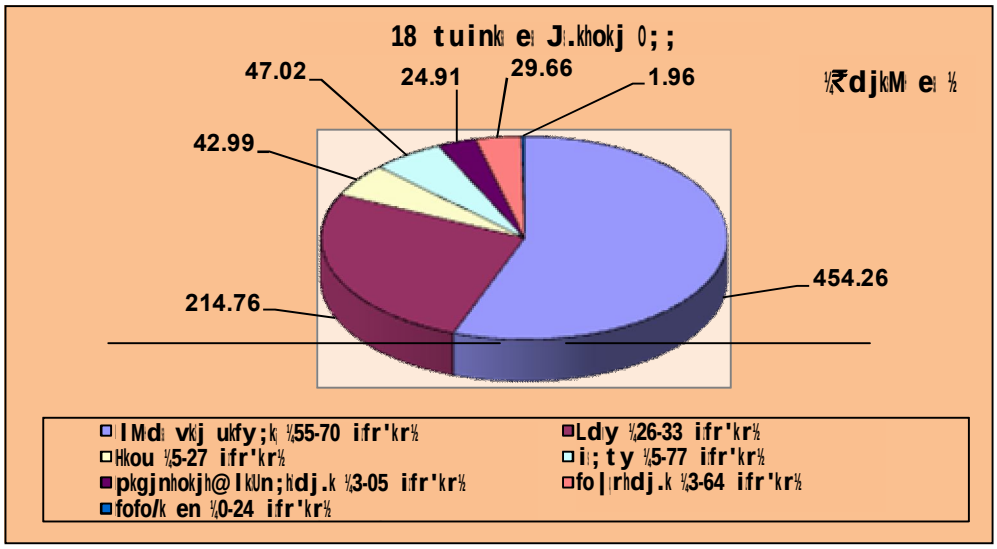

चार्ट से यह स्पष्ट है कि अन्य सेक्टरों जैसे स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता आदि को बहुत कम अथवा बिल्कुल भी ध्यान न देते हुए 82.03 प्रतिशत धनराशि मात्र सड़कों और स्कूलों हेतु स्वीकृत की गई थी।

ग्यारह जनपदों[9] के 48 विधानसभा क्षेत्रों ***¼ifjf'k"V&2-1-3½*** में वार्षिक आवंटन का 40 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक और आठ जनपदों[10] की 25 विधानसभा क्षेत्रों ***¼ifjf'k"V&2-1-4½*** में 71 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक धनराशि स्कूल भवनों के निर्माण पर व्यय की गई थी। इसमें चार जनपदों[11] में सात विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहाँ शत प्रतिशत आवंटित धनराशि इस कार्य पर व्यय की गई थी। स्थानीय आवश्यकताओं से सम्बन्धित कार्यों को स्वीकृत न किये जाने से विशेष रूप से योजना का प्राथमिक उद्देश्य अपूर्ण रहा।

[9] आगरा, इलाहाबाद, बरेली, बुलन्दशहर, एटा, गोरखपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, उन्नाव एवं वाराणसी।
[10] आगरा, इलाहाबाद, बरेली, एटा, गोरखपुर, मथुरा, मऊ एवं उन्नाव
[11] आगरा, इलाहाबाद, एटा एवं उन्नाव

इसके अतिरिक्त, 10 जनपदों में 51 निजी/सहायता प्राप्त संस्थानों को ₹ 27.19 करोड़ की धनराशि दी गयी थी तथा प्रत्येक द्वारा ₹ 30 लाख से ₹ 2.36 करोड़ तक की धनराशि प्राप्त की गयी थी जैसा कि **lkj.kh 2** में दिया गया है।

lkj.kh 2 % tuinokj laLFkkuks }kjk izkIr dh xbZ /kujkf'k

Øe0 la0	tuin	f'k{k.k laLFkkuksa dh la[;k	Lohd`r dk;ksZa dh la[;k	Lohd`r /kujkf'k (djksM+ ₹ esa)
1	आगरा	09	38	3.70
2	बुलन्दशहर	02	09	0.88
3	एटा	07	31	3.00
4	गोरखपुर	11	75	6.22
5	झांसी	03	25	2.04
6	लखनऊ	06	55	5.50
7	मऊ	04	21	1.76
8	सोनभद्र	03	19	1.36
9	उन्नाव	04	14	2.03
10	वाराणसी	02	7	0.70
;ksx		51	294	27.19

(lzksr % Mh0vkj0Mh0,0 ds vfHkys[kksa ls ladfyr)

सचिव द्वारा विचार–विमर्श (अक्टूबर 2010) के दौरान यह बताया गया कि विधायकों के प्रस्ताव के अनुसार ही कार्यों को क्रियान्वित किया गया था और सांसद निधि[12] के सदृश एक वित्तीय सीमा लागू किये जाने का प्रस्ताव विचाारधीन था। फिर भी तथ्य यही था कि स्वास्थ्य, पेयजल, स्वचछता, आदि, जैसे सेक्टरों पर बहुत कम ध्यान दिया गया था।

2-1-6-3 ifj;kstukvksa dh Lohd`fr esa foyEc

Mh0vkj0Mh0,0 ,oa dk;Znk;h laLFkkvksa ds e/; vkilh leUo; dh deh ds lkFk gh rduhdh LVkQ dh deh dk iHkko ifj;kstukvksa dh le; ls Lohd`fr ij iM+k

विधायकगणों द्वारा प्रस्तावित परियोजनायें, प्रस्तावित कार्य स्थल के भौतिक निरीक्षण तथा प्राक्कलनों की जाँच के उपरान्त, अन्यथा स्वीकार्य होने पर, डी0आर0डी0ए0 द्वारा 45 दिनों के अन्दर स्वीकृत कर दी जानी थी।

जाँचोपरान्त यह पाया गया कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा डी0आर0डी0ए0 को विस्तृत आगणन प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब के फलस्वरूप स्वाभाविक रूप से परियोजनाओं की स्वीकृति में विलम्ब हुआ, जबकि इसके लिये शासन के निर्देशानुसार (अक्टूबर 2000) मुख्य विकास अधिकारियों को कार्यदायी संस्थाओं के साथ मासिक बैठक आयोजित करनी थी। नमूना जाँच में लिये गये 18 में से नौ जनपदों में 3,387 कार्य (लागतः ₹ 84.84 करोड़) एक से 90 दिनों के विलम्ब से और 1,142 कार्य (लागतः ₹ 32.29 करोड़) 90 दिनों से भी अधिक विलम्ब से स्वीकृत किये गये थे **¼ifjf'k"V&2-1-5½**।

परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, बरेली द्वारा यह बताया गया (जून 2010) कि कार्य का बोझ बढ़ जाने से एक सहायक अभियन्ता और दो अवर अभियन्ता प्राक्कलनों की जाँच और प्रस्तावित कार्यस्थल का निरीक्षण सम्पन्न करने में सक्षम नहीं थे।

---

12 सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संचालित माननीय संसद सदस्यों हेतु एक योजना है जिसके अन्तर्गत एक संस्था द्वारा अधिकतम ₹ 25 लाख ही प्राप्त किया जा सकता है

इस प्रकार, डी0आर0डी0ए0 और कार्यदायी संस्थाओं के मध्य सामन्जस्य के अभाव एवं तकनीकी कर्मचारियों की कमी के फलस्वरूप परियोजनाओं की समय से स्वीकृति प्रभावित हुई।

2-1-6-4 rduhdh foHkkxksa dh lfefr xfBr u gksuk

rduhdh foHkkxksa dh lfefr;ksa dk xBu u fd;k tkuk

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार जनपद स्तर पर तकनीकी विभागों की एक समिति गठित किया जाना था। इस समिति का उत्तरदायित्व कार्यों के प्राक्कलनों की जाँच करना और कार्य स्थल का सत्यापन करना था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि नमूना जाँच हेतु लिए गये किसी भी जनपद (सहारनपुर के अतिरिक्त) में तकनीकी विभागों की समितियों का गठन नहीं किया गया था (2005–10)। सहारनपुर, में जहाँ तकनीकी विभागों की समिति का गठन तो किया गया था परन्तु 2005–10 के मध्य समिति द्वारा प्राक्कलनों की जाँच और कार्य स्थल का सत्यापन नहीं किया गया था।

सचिव द्वारा विचार–विमर्श (अक्टूबर 2010) के दौरान बताया गया कि समितियों के गठन हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे। वस्तुस्थिति यही थी कि योजना का क्रियान्वयन, परियोजनाओं की समुचित पहचान एवं निष्पादन की दृष्टि से प्रभावी नहीं था।

2-1-7 ifj;kstukvksa dk fØ;kUo;u

योजना के अन्तर्गत 2005–10 की अवधि में कराये गये कार्यों की सम्पूर्ण वस्तुस्थिति **lkj.kh 3** में दी गई है:

lkj.kh 3 % dqy HkkSfrd izxfr

o"kZ	o"kZ esa Lohd`r dk;Z	o"kZ esa iw.kZ gq;s dk;Z	o"kZ esa izxfr ij py jgs dk;Z	o"kZ esa vukjEHk dk;Z
2005-06	43,211	26,475	12,426	4,310
2006-07	43,836	25,670	15,166	3,000
2007-08	37,430	20,245	13,065	4,120
2008-09	31,861	15,758	13,408	2,695
2009-10	22,742	11,051	9,911	1,780
;ksx	**1,79,080**	**99,199**		

(lzksr % vk;qDr xzkE; fodkl)

स्वीकृत एवं पूर्ण हुये कार्यो की संख्या 2005–10 की अवधि में उत्तरोत्तर कम हुई। वर्ष के अन्त में प्रगति में रहे कार्यों की संख्या (2005–10 के मध्य) 9,911 और 15,166 के बीच थे जिन्हे योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार स्पिल–ओवर नहीं किया जाना चाहिये था।

नमूना जाँच के अन्तर्गत लिए गये जनपदों में 60.92 प्रतिशत कार्य उनके स्वीकृति के वर्ष में ही पूर्ण किये गये थे जबकि 22.65 प्रतिशत दूसरे वर्ष में पूर्ण हुये थे और 14.43 प्रतिशत दो वर्षों के बाद भी आगे ले जाये गये थे। 14.43 प्रतिशत परियोजनायें अधूरी पड़ी थी अथवा विभिन्न कारणों से, जैसे– उपयोग न होने से धनराशि फ्रीज किये जाने (शासन द्वारा) एवं कार्यदायी संस्थाओं का त्रुटिपूर्ण चयन किये जाने

(डी0आर0डी0ए0 द्वारा), प्रगति में थी। नमूना जाँच में लिये गये 18 जनपदों में 2005–10 के मध्य स्वीकृत एवं पूर्ण की गई परियोजनाओं की भौतिक प्रगति की वर्षवार स्थिति **lkj.kh 4** में दी गयी है:

lkj.kh 4 % ueuk tkp gsrq p;fur tuinks esa ifj;kstukvks dh Hkkfrd izxfr

o"kZ	Lohd`r dk;ksZa dh la[;k	o"kZ esa iw.kZ gq, dk;ksZa dh la[;k	vxys o"kZ esa iw.kZ gq, dk;ksZa dh la[;k	nks o"kksZa ds i'pkr~ Hkh izxfr esa jgs dk;ksZa dh la[;k
2005-06	10,784	6,902	2,762	1,120
2006-07	11,435	7,354	2,542	1,539
2007-08	10,344	6,322	2,202	1,820
2008-09	8,707	5,390	1,842	1,475
2009-10	5,636	2,606		
;ksx ¼izfr'kr½	**46,906**	**28,574 (60.92)**	**9,348 (22.65)**	**5,954 (14.43)**

(lzksr % Mh0vkj0Mh0,0)

आगे जाँच में पाया गया कि नमूना जाँच में लिए गये 18 में से नौ डी0आर0डी0ए0 में 1,115 परियोजनायें स्वीकृत (1998–2008) की गई थी और कार्यदायी संस्थाओं को प्रथम किश्त की ₹ 17.97 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई थी। चूँकि, कार्यों की धीमी प्रगति के कारण धनराशि का उपभोग नहीं की किया गया था, डी0आर0डी0ए0 द्वारा इसकी द्वितीय किश्त (₹ 5.99 करोड़) अवमुक्त नहीं की गयी जो कि पी0एल0ए0 में अप्रयुक्त पड़ी हुयी थी। इसी बीच, राज्य सरकार ने पी0एल0ए0 के अवशेषों को समेकित निधि में अन्तरित करने का आदेश (अगस्त 2008 और जून 2009) जारी कर दिया। तद्नुसार, सम्बन्धित डी0आर0डी0ए0 द्वारा धनराशि अन्तरित कर दी गई और ₹ 17.97 करोड़[13] व्यय होने के उपरान्त भी अधिकांश कार्य दो से 12 वर्षों तक अपूर्ण ही रहा।

सचिव द्वारा विचार–विमर्श (अक्टूबर 2010) के दौरान उचित परीक्षण के उपरान्त उनको पूर्ण कराने का आश्वासन दिया गया।

2-1-7-1 vekU;] vfu;fer vkSj vLFkkbZ izd`fr ds dk;ksZa dk fØ;kUo;u

₹5-20 djksM+ dh ykxr ls vekU;] vfu;fer ,oa vLFkkbZ izd`fr ds dk;Z djk;s x;s

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार समस्त कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु मुख्य विकास अधिकारी सक्षम है। संदर्भ हेतु अनुमन्य एवं अमान्य कार्यों की एक सूची भी दिशानिर्देशों के साथ संलग्न की गई है। इसके विपरीत, अमान्य, अनियमित और अस्थाई प्रकृति के कार्य निष्पादित कराये गये थे, जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है:

vekU; dk;Z

योजना के अन्तर्गत राजस्व प्रकृति की परियोजनाओं पर व्यय अनुमन्य नहीं है। दिशानिर्देशों में क्रेन्द्र/राज्य सरकार के आवासीय/अनावासीय भवनों और स्मारकों आदि के निर्माण को भी प्रतिबन्धित किया गया है।

नमूना जाँच में लिए गये जनपदों के अभिलेखों से स्पष्ट हुआ कि 159 कार्य (लागत: ₹ 5.20 करोड़) जो दिशानिर्देशों के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं थे स्वीकृत किये गये थे (2005–10), जैसा कि **lkj.kh 5** में इसका सार–संक्षेप[14] दिया गया है।

---

[13] नमूना जाँच में चयनित जनपदवार विवरण ***ifjf'k"V 2-1-1*** में दिया है

[14] जनपदवार विवरण ***ifjf'k"V 2-1-6*** में दिया है

lkj.kh 5 % fuf/k d vUrxr djk;s x;s vekU; dk;k dk fooj.k

fo0l0{k0fo0fu0 d vUrxr ifrcfU/kr dk;k dh idfr	ek0lnL;k dh laLrfr;k ij Mh0vkj0Mh0,0 }kjk djk;s x;s dk;k dk idkj	djk;s x;s ifrcfU/kr dk;k dk fooj.k		
		tuinka dh la[;k	dk;k dh la[;k	dk;k dh ykxr ¼djkM+ ₹ e½
केन्द्र / राज्य सरकार के कार्यालय एवं आवासीय भवनों के कार्य	सरकारी कार्यालयों हेतु भवनों का निर्माण, उनकी मरम्मत, पुस्तकालयों एवं टिन शेड का निर्माण।	15	61	2.11
सहकारी, निजी एवं वाणिज्यिक संगठनों हेतु कार्यालय एवं आवासीय भवनों के कार्य	क्लब, सहकारी / निजी संस्थानों / संगठनों से सम्बन्धित पुस्तकालयों, आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण, इन्टरनेट कैफे हेतु कम्प्यूटरों का क्रय एवं अन्य कार्य।	8	16	0.61
धार्मिक प्रयोजनों हेतु कार्य एवं धार्मिक परिसरों के अन्तर्गत कार्य	मंदिरों, आश्रम, मजार इत्यादि धार्मिक परिसरों के अन्तर्गत निर्माण कार्य।	7	16	0.46
नवीनीकरण, मरम्मत एवं अनुरक्षण का कार्य	पुलों / पुलिया इत्यादि के नवीनीकरण, मरम्मत एवं अनुरक्षण का कार्य।	3	8	0.28
प्रतिबन्धित चल सम्पत्तियों का क्रय	एक जनपद हेतु प्रावधान से अधिक एम्बुलेंस का क्रय।	3	5	0.31
योजना के अन्तर्गत प्रतिबन्धित विविध कार्य	प्रतिबन्धित कार्य जैसे प्रतिमाओं के शेड का निर्माण, पार्क में कक्ष, तालाब का अनुरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण, प्रतिमाओं की चाहरदीवारी का निर्माण एवं अस्थाई प्रकृति की परिसम्पत्तियों का निर्माण	7	53	1.43
;kx			**159**	**5.20**

(lksr % Mh0vkj0Mh0,0)

vfu;fer dk;l

शासकीय निर्देशों (अप्रैल 2005) में उन पक्के कार्यों को छोड़कर जिनके अंतर्गत कच्चे कार्यों की लागत कुल लागत के 25 प्रतिशत से अधिक न हो, कच्चे कार्यों का क्रियान्वयन प्रतिबंधित है। जनपद मऊ में 17 परियोजनायें (लागतः ₹ 3.52 करोड़) छोटी सरयू नहर के 33.01 किमी के आन्तरिक भाग को ठीक करने हेतु क्रियान्वित (2007–10) की गयी थी, जिसमें मात्र कच्चा कार्य[15] ही सम्मिलित था। इसी प्रकार जनपद एटा में 17 कच्ची सड़कों (लम्बाई 30.20 कि0मी0) का क्रियान्वयन (2005–07, लागतः ₹ 36.87 लाख) किया गया था। इसी जनपद में नाले की सफाई (नूह 0–12.80, फिलखातरा 0–22 किमी और सीतापुर रजवाहा 0–13 किमी, लागतः ₹ 28.60 लाख) भी क्रियान्वित कराई गई थी, जिसमें मात्र मिट्टी का कार्य था।

Hk&LokfeRo u gksu ij Hkh lfefr;k dk dk;k dh Lohdfr

विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु पंजीकृत समितियों के पास भूमि का स्वामित्व होना एक पूर्व आवश्यक शर्त है। फिर भी, जाँच में यह स्पष्ट हुआ कि जनपद झांसी और एटा में

15

o"k	ifj;kstukvk dh la[;k	yEckbZ	/kujkf'k (djkM+ ₹ e)
2007-08	5	प्रत्येक 2 किमी	1.03
2008-09	5	प्रत्येक 2 किमी	1.13
	1	प्रत्येक 1.01 किमी	0.12
2009-10	6	प्रत्येक 2 किमी	1.24
;kx	**17**		**3.52**

2003–10 के मध्य विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु सात[16] समितियों को ₹ 1.28 करोड़ स्वीकृत किए, जिनके पास भवनों हेतु भूमि का स्वामित्व नहीं था।

ejEer dk;ks ij vfu;fer Lohd`fr

दिशानिर्देशों में सड़कों की मरम्मत सम्बन्धी परियोजनाओं, जैसे– गढ्ढे भरना, पर वार्षिक आवंटन का अधिकतम 20 प्रतिशत व्यय किया जाना निर्धारित किया गया है। फिर भी, जाँच में यह स्पष्ट हुआ कि जनपद वाराणसी में सड़कों की मरम्मत सम्बन्धी परियोजनाओं की स्वीकृति इस सीमा से अधिक की गई थी, जैसा कि विवरण **lkj.kh 6** दिया गया है:

lkfj.kh 6 % ejEer dk;ksa ij vfu;fer Lohd`fr

(yk[k ₹ esa)

o"kZ	dqy Lohd`r dk;Z vkSj Lohd`r /kujkf'k		ejEer gsrq dqy Lohd`r /kujkf'k		20 izfr'kr ls vf/kd Lohd`r /kujkf'k
	dk;ksZa dh la[;k	ykxr	dk;ksZa dh la[;k	ykxr	
2005-10	**194**	**550.66**	**131**	**214.93**	**111.62**

(lzksr % Mh0vkj0Mh0,0 ds vfHkys[kksa ls ladfyr)

अमान्य, अनियमित, अस्थाई प्रकृति आदि की परियोजनाओं का क्रियान्वयन दिशानिर्देशों के निर्धारित मानदण्डों के विपरीत था।

सचिव द्वारा विचार–विमर्श (अक्टूबर 2010) के दौरान इनके परीक्षण के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया।

2-1-7-2 dk;Znk;h laLFkkvksa ds =qfViw.kZ p;u ds dkj.k ifj;kstukvksa dk vi.kZ jgukA

दिशानिर्देशों और उसके उपरान्त के शासकीय निर्देशों (जुलाई 2001) के अनुसार कार्यदायी संस्थाओं के चयन का पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य विकास अधिकारियों का था जो तकनीकी समिति के परामर्श से किसी संस्था का चयन कर सकते थे। चूँकि समिति गठित नहीं की गई थी, अतः मुख्य विकास अधिकारी तकनीकी सलाह से वंचित रहे जो कि कार्यदायी संस्थाओं के त्रुटिपूर्ण चयन के रूप में परिणत हुआ। यह व्यवस्था की असफलता को इंगित करता है।

नमूना जाँच में लिए गये आठ जनपदों के अभिलेखों के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि 1,158 परियोजनायें (लागतः ₹ 35.33 करोड़) क्रियान्वयन हेतु छः संस्थाओं[17] को आवंटित (2007–10) की गई थीं और ₹ 28.77 करोड़ उनको अवमुक्त (2007–10) कर दिया

16

o"kZ	tuin	Ldwy dk uke	Lohd`r /kujkf'k
2003-10	झांसी	डा0 बी0आर0 अम्बेडकर जूनियर हाई स्कूल, पुनावलीकला	₹ 97.54 लाख
2009-10		डा0 आर0पी0 रिछारिया डिग्री कालेज, बरुआ सागर	₹ 3.50 लाख
2005-09	एटा	आर0एस0 पब्लिक स्कूल, रूपा देवी प्राइमरी स्कूल, जय राम सिंह शिक्षा संस्थान, एस0एस0डी0 जूनियर हाई स्कूल, इन्दिरा मेमोरियल हायर सेकेन्डरी सकूल।	₹ 27.45 लाख
;ksx			**₹ 128-49 yk[k**

17 उत्तर प्रदेश सहकारी निर्माण एवं विकास लिमिटेड;
उत्तर प्रदेश अभियन्त्रण श्रम सहकारी संघ लिमिटेड;
उत्तर प्रदेश सहकारी निर्माण एवं विकास संघ लिमिटेड;
भारतीय कोआपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लखनऊ;
उत्तर प्रदेश सहकारी निर्माण एवं संघ लिमिटेड; और
उत्तर प्रदेश श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड।

गया था। इन 1,158 परियोजनाओं में से 560 कार्य पूर्ण हो गये थे (₹ 15.99 करोड़)[18] और 575 कार्य ₹ 10.98 करोड़ व्यय करने के उपरान्त भी अधूरे पड़े थे। शेष 23 कार्य (₹ 0.68 करोड़) शुरू नहीं किये गये थे क्योंकि राज्य सरकार द्वारा परियोजनाओं को रोकने का निर्देश (सितम्बर 2009) इस आधार पर दिया गया कि चयनित कार्यदायी संस्थायें कार्य सम्पादन हेतु अर्ह नहीं थीं ***¼ifjf'k"V&2-1-7½***। अनर्ह कार्यदायी संस्थाओं का चयन करने पर उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

इस प्रकार, कार्यदायी संस्थाओं के त्रुटिपूर्ण चयन के फलस्वरूप ₹ 10.98 करोड़ अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध था तथा साथ ही जनसामान्य को मिलने वाला वांछित लाभ भी अप्राप्य था।

ckckdVh ds ikl viw.kZ izrh{kky;] JkoLrh

सचिव द्वारा विचार–विमर्श (अक्टूबर 2010) के दौरान यह बताया गया कि अनुमन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा परियोजनाओं को पूर्ण कराने हेतु मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं।

2-1-7-3 ckjkr ?kj] jSu clsjk vkfn dk fuekZ.k

fcuk ekWMy MªkbZax ds ckjkr ?kj ,oa jSu clsjk dk fuekZ.k djk;k x;kA

परियोजनाओं की प्रगति तथा गुणात्मक एवं मात्रात्मक उन्नयन हेतु शासन द्वारा जारी निर्देश (जुलाई 2001) के अनुसार परियोजनायें जैसे, बारात घर, रैन बसेरा, आदि के लिये एक मॉडल ड्राइंग बनाकर उसका अनुकरण किया जाना चाहिए। नमूना जाँच से स्पष्ट हुआ कि 10 जनपदों[19] में इस प्रकार के भवनों के लिये मॉडल ड्राइंग नहीं बनाये गये थे। तथापि, 2005–10 के मध्य 359 बारात घर, रैन बसेरा और यात्री शेड ₹ 9.90 करोड़ की लागत से निर्मित कराये गये थे। परिणामस्वरूप, प्रत्येक श्रेणी की परियोजनाओं के मानचित्र और लागत में (2005–10 की अवधि में) निर्मित बारात घर के संदर्भ में ₹ 0.50 लाख और ₹ 24.97 लाख तक, रैन बसेरा के संदर्भ में ₹ 0.63 लाख और ₹ 9.89 लाख और यात्री रोड के संदर्भ में ₹ 0.35 लाख और ₹ 5.15 लाख तक का अन्तर था। वर्षवार/जनपदवार विवरण ***ifjf'k"V&2-1-8*** में दिया गया है।

[18] लेखा परीक्षा में गणना की गई

[19] आगरा, बुलन्दशहर, एटा, गोरखपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सोनभद्र, श्रावस्ती, वाराणसी एवं उन्नाव।

सचिव द्वारा विचार–विमर्श (अक्टूबर 2010) के दौरान आश्वासन दिया गया कि परियोजनाओं का कार्यान्वयन मानक मॉडल के अनुसार कराया जायेगा। उत्तर सन्तोषजनक नहीं था क्योंकि शासकीय निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया और वह पूर्णरूपेण निष्प्रभावी रहा।

2-1-8 vkUrfjd fu;a=.k vkSj vuqJo.k

नमूना जाँच में लिये गये 18 जनपदों के अभिलेखों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि अनुश्रवण और आन्तरिक नियंत्रण में कमियां थी जैसा कि नीचे विवरण दिया गया हैः

- ***dk;Z&ifjtdkvksa dk j[k&j[kko u fd;k tkuk***

परियोजनाओं के अनुश्रवण में गुणात्मक सुधार के लिये शासन द्वारा आदेश (अक्टूबर 2000) निर्गत किया गया था जिसके अनुसार प्रत्येक माननीय विधायक के लिये एक अलग पृष्ठ आबंटित करते हुये एक पंजिका का रख–रखाव किया जाना था, जिसमें परियोजना का नाम, प्रस्ताव का दिनांक, स्वीकृति का दिनांक, परियोजना की प्राक्कलित लागत, पूर्ण किये जाने की संभावित तिथि, प्रथम किश्त की अवमुक्ति का दिनांक, कार्य प्रारम्भ होने की तिथि और निरीक्षण की तिथि प्रदर्शित करनी थी।

नमूना जाँच में लिए गये 18 जनपदों के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि सहारनपुर, श्रावस्ती एवं सोनभद्र के अतिरिक्त अन्य जनपदों द्वारा निर्दिष्ट पंजिका का रख–रखाव नही किया गया था। इस पंजिका के अभाव में परियोजनाओं के कार्यान्वयन का अनुश्रवण नहीं किया जा सका था।

सचिव द्वारा विचार–विमर्श (अक्टूबर 2010) के दौरान यह आश्वासन दिया गया कि निर्दिष्ट पंजिका का रख–रखाव किया जायेगा।

- ***dk;ksZa dk fujh{k.k***

परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान न्यूनतम 10 प्रतिशत परियोजनाओं का निरीक्षण मुख्य विकास आधिकारियों द्वारा किया जाना अपेक्षित था। निरीक्षण का निर्धारित कार्यक्रम, उस पर कृत कार्यवाही आदि अभिलेखों का रख–रखाव नमूना जाँच में लिए गये 18 जनपदों में से किसी भी जनपद में नहीं किया गया था, जिससे लेखा परीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि परियोजनाओं का निरीक्षण किया गया था तथा ऐसे निरीक्षणों का क्या परिणाम था और उसका क्या अनुपालन हुआ।

सचिव द्वारा विचार–विमर्श (अक्टूबर 2010) के दौरान आश्वस्त किया गया कि इस प्रकार के निरीक्षणों हेतु आवश्यक व्यवस्था की जायेगी और उनके प्रतिवेदनों का रख–रखाव किया जायेगा।

2-1-9 ifjlEifRr;ksa dk vuqj{k.k

निधि के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों को अनुरक्षण/रखरखाव हेतु, उपयोग करने वाली संस्थाओं[20] को हस्तान्तरित किया जाना था।

[20] जैसे शहरी एवं ग्रमीण स्थानीय निकाय

fufeZr ifjlEifÙk;ksa dk vuqj{k.k gLr LFkkuh; fudk;ksa dks gLrkUrfjr ugha fd;k x;k Fkk

नमूना जाँच में लिए गये 18 जनपदों के अभिलेखों की जाँच से स्पष्ट हुआ कि मात्र हैन्डपम्प एवं सोलर लाइट ही स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित किये गये थे, जबकि अन्य परिसम्पत्तियाँ[21] हस्तान्तरित नहीं की गयी थी। नमूना जाँच में लिए गये 18 जनपदों के आँकड़ों का संकलन एवं उसके विश्लेषण में यह पाया गया कि 2005–10 के मध्य स्वीकृत 46,906 परियोजनाओं में से 15,346 कार्यों (लागतः ₹ 461.71 करोड़) को पूर्ण किया गया, परन्तु स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित नहीं किया गया था, जैसा कि ***ifjf'k"V&2-1-9*** में विवरण दिया गया है।

जाँच में, आगे यह पाया गया कि तीन जनपदों[22] में 795 हाई मास्ट लाइट (2005–10 के मध्य) ₹ 9.21 करोड़ की लागत से स्थापित की गयी थी ***¼ifjf'k"V&2-1-10½***। ये हाई मास्ट लाइट पिछले दो से चार वर्षों से विद्युत संयोजन के अभाव में कार्यरत नहीं थी तथा इन्हें स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित नहीं किया गया था, जो विद्युत संयोजन और अनुरक्षण हेतु एक पूर्व आवश्यकता थी। ये लाइट उचित अनुरक्षण के अभाव में अच्छी स्थिति में भी नहीं थीं, जैसा कि एक जनपद[23] में लेखापरीक्षा और डी0आर0डी0ए0 के अवर अभियन्ता द्वारा संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया।

इस प्रकार स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित न करने से सृजित परिसम्पत्तियों के वांछित लाभ से भी जनता वंचित थी, साथ ही हाई मास्ट लाइटों की स्थापना पर किया गया व्यय ₹ 9.21 करोड़ अनुपयोगी सिद्ध हुआ।

सचिव द्वारा विचार–विमर्श (अक्टूबर 2010) के दौरान यह कहा गया कि परिसम्पत्तियों के शीघ्र हस्तान्तरण हेतु कार्यवाही की जायेगी। उन्होने यह भी कहा कि इन हाई मास्ट लाइट के विद्युत संयोजन और अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिये स्थानीय निकायों को इनके शीघ्र हस्तान्तरण हेतु मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किये जायेंगे।

वस्तुस्थिति यही थी कि वर्तमान प्रणाली में धनराशियाँ, उसके प्रभावी उपयोग और तदुपरांत रख–रखाव हेतु क्रमबद्ध व्यवस्थाओं का अनुपालन किये बिना ही निवेशित की गई थी। फलस्वरूप, परिसम्पत्तियाँ बिना देख–रेख के पड़ी थीं और सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा निधि की धनराशि के प्रभावी उपयोग को सुदृढ़ करने हेतु उनके रख–रखाव को सुनिश्चित नहीं किया गया।

2-1-10 fu"d"k

विधायकगणों द्वारा परियोजनाओं की अनुशंसा करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ था। परिणामस्वरूप धनराशियों के उपयोग की गति धीमी थी, जिससे वित्तीय वर्ष के अन्त में वैयक्तिक लेखा खातों में अत्यधिक धनराशि एकत्रित हो गई। स्थानीय आवश्यकता पर आधारित परियोजनाओं के आकलन/चिन्हीकरण हेतु प्रणाली का अभाव था जिसके परिणाम स्वरूप संतुलित विकास का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। निधि के एक बहुत बड़े अंश को विद्यालय भवनों और सड़कों के निर्माण पर ही व्यय किया गया जबकि अन्य क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, आदि उपेक्षित थे। इसके अतिरिक्त अमान्य, अनियमित और अस्थाई प्रकृति की परियोजनाओं के प्रकरण भी थे। शैक्षिक संस्थाओं को धनराशियाँ बिना किसी सीमा के अवमुक्त की गई थीं और कुछ प्रकरणों में बहुत अधिक धनराशि दी गई थी साथ ही अनुरक्षण हेतु परिसम्पत्तियाँ हस्तान्तरित नहीं की गई थीं।

---

21 सड़क, पुल, बारात घर (जनपद मथुरा को छोड़कर), बाउन्ड्रीवॉल, सामुदायिक केन्द्र, शमशान घाट, प्रसाधन, यात्री शेड्स, नालीय, रैन बसेरा, हाई मास्ट/सोडियम लाईट, प्रतिक्षालय, रिटेनिंग वॉल एवं समरसेबुल इत्यादि

22 बरेली, गोरखपुर एवं श्रावस्ती

23 बरेली

2-1-11 laLrqfr;k

- राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिये कि परियोजनायें समयानुसार स्वीकृत और कार्यान्वित हों। निर्धारित अवधि के उपरान्त भी अपूर्ण रही परियोजनाओं की समीक्षा के उपरान्त पूर्ण करने का उपाय किया जाना चाहिये।
- राज्य सरकार द्वारा निधि के अन्तर्गत कार्यान्वयन हेतु परियोजनाओं के उचित चिन्हीकरण के लिये विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न निवासियों, स्थानीय निकायों, अशासकीय संस्थाओं, आदि की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिये।
- सांसद निधि के सदृश एक विद्यालय भवन अथवा एक परियोजना के लिये वित्तीय सीमा का प्रावधान विचारोपरान्त सम्मिलित किया जाना चाहिये।
- राज्य सरकार को सृजित परिसम्पत्तियों के उचित अनुरक्षण हेतु स्थानीय निकायों को हस्तान्तरण सुनिश्चित करना चाहिये।

fpfdRlk ,oa LokLF; foHkkx

2-2 uxjh; LokLF; lsok,a

dk;Zdkjh lkj

ग्यारहवीं योजना अवधि वर्ष 2007–12 में नगरीय क्षेत्रों में जनसामान्य को विशिष्ट चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की द्रष्टि से राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत करने का निर्णय लिया गया था। 2007–10 की अवधि में ₹ 4,312 करोड़ व्यय किया गया था। नगरीय स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करने संबंधी क्रियाकलापों की निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य प्रकाशित हुए %

- बजट तैयार करने के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। साथ ही साथ उपकरणों एवं फिक्सर के क्रय एवं वृहद निर्माण कार्यों की कार्ययोजना को अंतिम रुप नहीं दिया गया। फलस्वरुप 2007–10 की अवधि में ₹1,243.63 करोड़ की बचत हुयी।
- वर्ष 2007–08 में उन्नत चिकित्सा उपकरणों जैसे सी0टी0 स्कैन, सी0 आर्म इमेज इन्टेन्सिफायर, रीजेन्ट्स, एक्स–रे फिल्म आदि का क्रय नहीं किया गया था। परिणामस्वरुप, वैयक्तिक लेजर खाते की अप्रयुक्त ₹ 147.27 करोड़ की धनराशि शासन द्वारा अवरुद्ध (फ्रीज) कर समेकित निधि में राजस्व के रुप में जमा करा दी गयी।
- विभिन्न चिकित्सा संवर्गों में 11 प्रतिशत से 77 प्रतिशत तक कर्मियों की कमी थी जिससे जनसामान्य की चिकित्सीय देखरेख के प्रबन्ध करने की विभागीय क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
- राज्य सरकार द्वारा लगभग पूर्ण अनुमानित लागत अवमुक्त किये जाने के बावजूद, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, लखनऊ द्वारा अनुश्रवण में कमी के कारण 100 शैय्यायुक्त सात चिकित्सालयों एवं 300 शैय्यायुक्त दो चिकित्सालयों में से किसी का भी निर्माण कार्य निर्धारित तिथि तक पूर्ण नहीं था। इसी प्रकार, तीन चीरघरों के निर्माण अपूर्ण थे तथा अन्य तीन चीरघरों का निर्माण कार्य भूमि विवाद के कारण प्रारंभ नहीं किया जा सका था।
- यद्यपि बाल चिकित्सालय, लखनऊ एवं क्षयरोग–सह–सामान्य चिकित्सालय गोरखपुर के निर्माण के लिये भूमि उपलब्ध नहीं थी। फिर भी, कार्यदायी संस्थाओं को ₹ 17 करोड़ स्थानान्तरित किये गये।
- असंगत नियोजन एवं निष्प्रभावी अनुश्रवण के कारण तीन ट्रामा सेंटरों के निर्माण कार्य अपूर्ण रहे तथा चिकित्साकर्मी तैनात न किये जाने के कारण दो पूर्ण सेंटरों को क्रियाशील नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 2.57 करोड़ के उपकरण क्रय किये गये जिसकी तत्काल आवश्यकता नहीं थी।
- विभाग द्वारा एण्टी रेबीज़ वैक्सीन के क्रय पर ₹ 3.60 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया गया था।

2-2-1 izLrkouk

नगरीय क्षेत्र में जनसामान्य को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये शासन द्वारा जिला चिकित्सालयों एवं सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालयों का एक नेटवर्क संचालित है। इस वर्तमान नेटवर्क की अपर्याप्तता को दूर करने की आवश्यकता के दृष्टिगत राज्य सरकार

द्वारा नगरीय क्षेत्रों की चिकित्सा सुविधाओं को उन्नत करने का निर्णय ग्यारहवीं योजना अवधि (2007–12) में लिया गया जिससे कि विशिष्ट चिकित्सा सेवा उपलब्ध करायी जा सके।

राज्य सरकार स्तर पर प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा विभाग स्तर पर महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, लखनऊ तथा उनको सहयोग देने के लिये मण्डल स्तर पर अपर निदेशक तथा जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक शासन के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिये उत्तरदायी हैं।

महानिदेशक के कार्यालय में शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करने, जैसा कि ग्यारहवीं योजना में दिया गया है, से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच मार्च 2010 से सितम्बर 2010 के मध्य की गयी। लेखापरीक्षा के लिये परिचयात्मक गोष्ठी जून 2010 एवं समापन गोष्ठी दिसम्बर 2010 में विभाग के सचिव के साथ की गयी थी। समापन गोष्ठी में लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर विचार–विमर्श किया गया था तथा उनका उत्तर, जहां आवश्यक था, सम्मलित कर लिया गया हैं।

2-2-2 foRrh; fu"iknu

राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को संचालित करने के लिये महानिदेशक के प्रस्तावों के आधार पर, शासन द्वारा बजट में प्रावधान एवं धनाबंटन किया गया।

2-2-2-1 ctV izko/kku ,oa O;;

नगरीय स्वास्थ्य सेवाओं के लिये 2007–10 के दौरान राजस्व एवं पूंजीगत शीर्षों के अन्तर्गत वर्षवार बजट आवंटन एवं इसके सापेक्ष किये गये व्यय का विवरण **lkj.kh 1** में दिया गया है।

lkj.kh 1 % jktLo ,oa iwathxr 'kh"kksZ ds vUrxZr o"kZokj ctV vkoaVu ,oa O;;

(₹ करोड़ में)

o"kZ	ctV izko/kku	O;;	cpr
	jktLo		
2007–08	1,012.73	866.49	146.24
2008–09	1,351.93	1,016.15	335.78
2009–10	1,752.86	1,287.44	465.42
;ksx	**4]117-52**	**3]170-08**	**947-44**
	iwathxr		
2007–08	202.72	185.92	16.80
2008–09	647.04	519.16	127.88
2009–10	588.45	436.94	151.51
;ksx	**1]438-21**	**1]142-02**	**296-19**
Ekgk;ksx	**5]555-73**	**4]312-10**	**1]243-63**

¼lzksr% egkfuns'kky;] fpfdRlk ,oa LokLF; lsok,½

fuf/k;ksa dk vf/kd izko/kku ,oa dk;Zjr;ksa tuksa dk vfre #i u fn;s tkus ds dkj.k o"kZ 2007&10 ds nkSjku ₹ 1]243-63 djksM+ dh cpr gqbZ

बजट मैनुअल[1] के अनुसार बजट में वेतन एवं भत्तों के लिये प्रावधान कार्यरत वास्तविक कर्मचारियों की संख्या के आधार पर किया जाना चाहिए न कि स्वीकृत पदों के अनुसार। बजट के प्रस्तावों को तैयार करते समय महानिदेशक इसको सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी थे।

[1] उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल का प्रस्तर 32

अभिलेखों से उद्‌घटित हुआ कि वेतन एवं भत्तों के लिये प्रावधान वास्तविक कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के स्थान पर स्वीकृत पदों की संख्या के आधार पर किया गया था। चूँकि, मेडिकल एवं पैरा–मेडिकल स्टाफ की स्वीकृत पदों के सापेक्ष कमी थी, अतः राजस्व मद में वर्ष 2007–10 के दौरान ₹ 947.44 करोड की बचत हुयी।

इसके अतिरिक्त, महानिदेशक द्वारा उपकरणों एवं फिक्सर के क्रय (₹ 63.76 करोड़) एवं वृहद निर्माण कार्यों (₹ 38.37 करोंड़) के निष्पादन की कार्ययोजना को अन्तिम रुप न दिये जाने के कारण उसी अवधि में पूंजीगत मद में ₹ 296.19 करोड़ की बचत हुयी।

विभाग के सचिव द्वारा बताया (दिसम्बर 2010) गया कि स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की प्रत्याशा में बजट में प्रावधान किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि बजट प्रस्ताव को बजट मैनुअल के प्रावधानों के अनुरुप तैयार नहीं किया गया था।

पूंजीगत मद में बचत के संबंध में सचिव द्वारा स्वीकार किया गया कि कार्ययोजना को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत नहीं की गयी थी।

2-2-2-2 midj.kk dk Ø; u fd;k tkuk

क्रय प्रक्रिया में उपकरणों की विशिष्टियों को अन्तिम रूप दिया जाना, निविदा आमंत्रित करना एवं सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

lh0Vh0 Ldu] lh0 vke be t bUVfU lQk;j] jh t UV l] ,D l&j fQYe vkfn Ø; ugh fd;k x;k

उन्नत चिकित्सा उपकरणों जैसे सी0टी0 स्कैन, सी–आर्म इमेज इन्टेन्सिफायर, रीजेन्ट्स, एक्स–रे फिल्मों आदि के क्रय के लिये शासन द्वारा रु0 147.27 करोड़ स्वीकृत (2007–08) किया गया था। क्रय प्रक्रिया के लम्बित रहने तक महानिदेशक द्वारा धनराशि को, अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में आहरित करने को द्वष्टिगत रखकर, छत्रपति शाहूजी महराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के वैयक्तिक लेखा खाते में जमा किया गया। फिर भी, इससे पहले कि क्रय प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके और धनराशि आहरित हो, शासन द्वारा वैयक्तिक लेखा खाते की अप्रयुक्त धनराशि ₹ 147.27 करोड़ को अवरुद्ध (अगस्त 2008) कर दिया गया। तदनुसार, महानिदेशक द्वारा धनराशि को राज्य की समेकित निधि में स्थानान्तरित (2008–09) किया गया।

अतः क्रय प्रक्रिया को अन्तिम रुप न दिये जाने के कारण वैयक्तिक लेखा खाते की अप्रयुक्त धनराशि ₹ 147.27 करोड़ समेकित निधि में जमा किये जाने से न केवल वर्ष 2007–08 के व्यय में वृद्धि परिलक्षित हुई बल्कि वर्ष 2008–09 में उतनी ही धनराशि से विभागीय प्राप्तियों में भी वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उन्नत चिकित्सा उपकरणों के क्रय संबंधी विभिन्न क्रियाकलाप भी प्रभावित हुए।

विभाग के सचिव ने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2010) कि उपकरणों की विशिष्टियां तैयार कर निविदा आमंत्रित की गयी थी तथा उनका अनुमोदन केन्द्रीय क्रय समिति एवं उच्च स्तरीय क्रय समिति से लम्बित था। यह भी बताया गया कि इसी मध्य शासन द्वारा वैयक्तिक लेखा खाते की अप्रयुक्त धनराशि को अवरुद्ध (फ्रीज) कर दिया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि महानिदेशक द्वारा पुनः धन की मांग नहीं की गयी जैसा कि धनराशि फ्रीज किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश में उल्लिखित था।

2-2-3 efMdy ,o i jk&efMdy dfe ;k dh deh

चिकित्सक, नर्सिंग एवं पैरा–मेडिकल संवर्गों में स्वीकृत पदों (नवम्बर 2010) के सापेक्ष 11 प्रतिशत और 77 प्रतिशत के मध्य कमी थी, जैसा कि **lkj.kh 2** में वर्णित है।

lkj.kh 2 % jkT; esa Lohd`r inksa dh la[;k ds lkis{k dk;Zjr dfeZ;ksa dh fLFkfr

laoxZ dk uke	Lohd`r inksa dh la[;k	rSukr dkfeZ;ksa dh la[;k	deh	deh ¼izfr'kr½
चिकित्सक (पुरुष)	11,981	8,045	3,936	33
चिकित्सक (महिला)	1,786	1,298	488	27
चिकित्सक (संयुक्त)	22	5	17	77
नर्सिंग	5,215	4,648	567	11
पैरा–मेडिकल	9,808	8,341	1,467	15
;ksx	**28]812**	**22]337**	**6]475**	**23**

¼lzksr½ egkfuns'kky;] fpfdRlk ,oa LokLF; lsok,a½

इस कमी को दूर करने के लिये ग्यारहवीं योजना में चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिये चयन बोर्ड गठित किये जाने का प्रस्ताव था। तथापि, नवम्बर 2010 तक बोर्ड का गठन नहीं किया गया था क्योंकि शासन के प्रस्ताव (फरवरी 2009) को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। यद्यपि, अनुमति न देने के संबंध में कोई कारण नहीं बताया गया था।

परिणामस्वरुप, मण्डलीय स्तर के जिला चिकित्सालयों का वर्तमान नेटवर्क यूरो सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, नेफ्रोलाजिस्ट एवं न्यूरोसर्जन की कमी के साथ तथा जिला स्तर पर कार्डियोलाजिस्ट, चर्मरोग/नाक, कान एवं गला के चिकित्सा अधिकारी, रेडियोलाजिस्ट, पैथालाजिस्ट एवं बाल चिकित्सक आदि के अभाव में चल रहे थे।

नगरीय क्षेत्र के लोगों की चिकित्सीय देखरेख के प्रबन्ध की विभागीय क्षमता पर, चिकित्साकर्मियों की कमी से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

2-2-4 dk;ZØe fØ;kUo;u

शासन द्वारा ग्यारहवीं योजना अवधि की प्राथमिकताओं में शहरी स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करने के लिये चिन्हित किया गया तथा शहरी स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित आधारभूत सुविधाओं जैसे कि 100 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय, 100 शैय्यायुक्त बाल चिकित्सालय, 300 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय आदि को स्थापित करने का निर्णय लिया गया था।

2-2-4-1 fpfdRlky;ksa ,oa phj?kjksa dk fuekZ.k iw.kZ fd;s tkus esa foyEc

vuqJo.k dh deh ds dkj.k fuekZ.k dk;ksZa dk iw.kZ fd;s tkus esa foyEc gqvk

चिकित्सीय देखरेख सुविधायें उपलब्ध कराने की द्वष्टि से शासन द्वारा सभी सात नवसृजित जिलों[2] में ₹ 91.92 करोड़ अनुमानित लागत से 100 शैय्यायुक्त सात संयुक्त चिकित्सालयों का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया तथा इन कार्यों को दिसम्बर 2007 एवं अक्टूबर 2009 के मध्य पूर्ण करने के लिये कार्यदायी संस्था को ₹ 88.55 करोड़[3] अवमुक्त (2006–11) किया गया जिसे बाद में दिसम्बर 2010 तक बढ़ा दिया गया। तथापि उनमें से कोई चिकित्सालय निर्धारित तिथि तक पूर्ण नहीं किया गया था। नवम्बर 2010 तक 15 प्रतिशत से 65 प्रतिशत तक कार्य अपूर्ण थे तथा उनपर ₹ 53.25 करोड़ व्यय किया गया था।

2 औरैया, बागपत, बलरामपुर, कौशाम्बी, सन्त कबीरनगर, सन्त रविदासनगर एवं श्रावस्ती।

3 दो चिकित्सालय दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में स्वीकृत हुये थे।

ग्यारहवीं योजना में मण्डल मुख्यालय पर 300 शैय्यायुक्त पांच संयुक्त चिकित्सालयों का निर्माण भी प्रस्तावित था। इसके बजाय, वित्तीय बाध्यताओं के कारण शासन द्वारा ₹ 45.85 लाख के अनुमानित लागत से फैजाबाद और मिर्जापुर स्थित वर्तमान चिकित्सालयों को उन्नत करने की स्वीकृति (मार्च 2008) दी गयी तथा फैजाबाद का निर्माण कार्य जून 2009 एवं मिर्जापुर का निर्माण कार्य जुलाई 2009 तक पूर्ण करने के लिये सम्पूर्ण धनराशि[4] एक कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी। यद्यपि सम्पूर्ण धनराशि अप्रैल 2009 तक अवमुक्त कर दी गयी थी फिर भी कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि से 15 माह बीत जाने के बाद भी मिर्जापुर का कार्य 40 प्रतिशत तथा फैजाबाद का कार्य 44 प्रतिशत अपूर्ण था। अपूर्ण कार्य पर सितम्बर 2010 तक ₹ 38.01 करोड़[5] व्यय किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा सात जिलों[6] में चीरघरों के निर्माण के लिये ₹ 1.03 करोड़[7] की स्वीकृति पूर्ण करने की तिथि निर्धारित किये बिना ही प्रदान की गयी (अक्टूबर 2007)। सितम्बर 2010 तक केवल जनपद महोबा में चीरघर क्रियाशील था जबकि जनपद सोनभद्र, कौशाम्बी एवं श्रावस्ती में निर्माण कार्य 30 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक अपूर्ण था। अपूर्ण चीरघरों के निर्माण पर ₹19.15 लाख व्यय किया गया था। शेष जनपदों औरैया, कुशीनगर एवं संत कबीरनगर में भूमि विवाद के कारण निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया था (सितम्बर 2010)।

इस प्रकार, प्रशासनिक कमी के कारण कार्य पूर्ण होने में विलम्ब हुआ। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र की जनता को चिकित्सीय सुविधा आदि उपलब्ध कराने का उद्देश्य जैसा कि ग्यारहवीं योजना में वर्णित था, प्राप्त नहीं किया गया था।

महानिदेशक द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण होने में विलम्ब का कारण अभियन्त्रण स्टाफ में कमी[8] बताया गया जिसके कारण अन्ततः कार्यों का अनुश्रवण नहीं किया जा सका।

विभाग के सचिव द्वारा उत्तर में बताया गया (दिसम्बर 2010) कि कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराने की कार्यवाही की जा रही थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुमानित लागत का 96 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक धनराशि, कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किये जाने के बावजूद कार्य की प्रगति का अनुश्रवण करने में विफलता के कारण कार्य अपूर्ण थे तथा एक प्रकरण में तो कार्य को पूर्ण करने की तिथि निर्धारित किये बिना ही धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कर दी गई थी।

2-2-4-2 cky ,oa {ks=h; fpfdRlky;ksa dk fuekZ.k dk;Z u fd;k tkuk

dk;Znk;h lLFkkvksa ds ikl ₹ 17 djksM+ vo#) jgk

बच्चों को उन्नत उपचार/निदान की सुविधाएं प्रदान करने के लिये ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में राज्य में 17 बाल चिकित्सालयों की स्थापना की जानी थी। तथापि, चिकित्साधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण, शासन द्वारा लखनऊ में ₹ 37.86 करोड़[9] की लागत से 100 शैय्यायुक्त केवल एक बाल चिकित्सालय स्थापित करने का निर्णय

---

4 ₹ 20 करोड़ (मार्च 2008), ₹ 10 करोड़ (अप्रैल 2008) एवं ₹15.85 करोड़ (अप्रैल 2009)

5 83 प्रतिशत

6 औरैया, कौशाम्बी, कुशीनगर, महोबा, सन्त कबीरनगर, श्रावस्ती एवं सोनभद्र।

7 ₹ 14.73 लाख प्रति जनपद की दर से।

8

in dk uke	Lohd`r inksa dh la[;k	rSukr dfeZ;ksa dh la[;k
अधीक्षण अभियंता	01	शून्य
अधिशाषी अभियंता	01	01 (सितम्बर 2009 में तैनाती)
सहायक अभियंता	15	09
अवर अभियंता	61	53

9 भूमिः ₹ 23.80 करोड़, सिविल कार्यः ₹ 14.06 करोड़।

(मार्च 2008) लिया गया । बिना भूमि चिन्हित किये एवं उसको पूर्ण करने के लिये बिना समय–सीमा निर्धारित किये ही मार्च 2008 एवं अप्रैल 2008 में ₹ 12 करोड़ की धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य के लिये अवमुक्त की गयी। चिकित्सालय के लिये भूमि का अधिग्रहण दिसम्बर 2010 तक नहीं किया गया था और ₹ 12 करोड़ कार्यदायी संस्था के वैयक्तिक लेखा खाते में दो वर्ष छः माह से अधिक समय से अवरुद्ध रहा।

इसी तरह, राज्य सरकार द्वारा गोरखपुर में ₹ 14.12 करोड़ की लागत से क्षयरोग सह–सामान्य चिकित्सालय स्थापित करने का निर्णय (जून 2008) लिया गया तथा इसे जुलाई 2009 तक पूर्ण करने के लिये ₹ पांच करोड़ कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया गया। निर्माण कार्य के लिये भूमि चिन्हित करने के पश्चात धनराशि अवमुक्त की गयी परन्तु बाद में गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा चिन्हित भूमि को नो–कान्सट्रक्शन जोन घोषित (अक्टूबर 2008) किये जाने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। ₹ पांच करोड़ दो वर्ष से अधिक समय तक कार्यदायी संस्था के वैयक्तिक लेखा खाते में अप्रयुक्त पड़ा रहा।

इस प्रकार लखनऊ एवं गोरखपुर के चिकित्सालयों के निर्माण के लिये अनुपयुक्त भूमि चिन्हित करने के कारण इन चिकित्सालयों का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 17 करोड़ कार्यदायी संस्था के पास अवरुद्ध रहा। इस प्रकार बच्चों को उन्नत उपचार/निदान सुविधाएं प्रदान करने तथा क्षयरोगियों को अन्तःचिकित्सा उपचार देने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया।

विभाग के सचिव द्वारा बताया गया (दिसम्बर 2010) कि लखनऊ बाल चिकित्सालय से सम्बन्धित भूमि चिन्हित कर ली गयी है तथा उसके अधिग्रहण की कार्यवाही चल रही थी। क्षयरोग सह–सामान्य चिकित्सालय गोरखपुर से सम्बन्धित भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव सितम्बर 2009 से उनके स्तर पर विचाराधीन था। यह तथ्य यथावत रहा कि शासन द्वारा लखनऊ जनपद में बाल चिकित्सालय के निर्माण के लिये भूमि चिन्हित किये बिना ही धनराशि अवमुक्त की गयी तथा गोरखपुर में विभाग द्वारा धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व, भूमि के संबंध में गोरखपुर विकास प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त नहीं की गयी थी।

2-2-4-3 vi.k Vkek lsUVj d fy; midj.kk dk Ø;

Vkek lsVjk d fLfoy dk;Z vi.k gkus d ckot n midj.k Ø; fd;s x;s

वित्तीय अनुशासन एवं प्रबन्धन के सिद्धान्तों के अनुसार राज्य को व्यय की गयी धनराशि का पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहिये तथा शासकीय धन व्यय करते समय नियंत्रण अधिकारी द्वारा इन सिद्धान्तों का पालन किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार द्वारा ₹ 20.17 करोड[10] की अनुमानित लागत से पांच ट्रामा सेंटर[11] स्थापित करने का निर्णय (2007–08) लिया गया जिसमें सिविल कार्य, उपकरणों की स्थापना और वाहनों का नेटवर्क बनाना सम्मिलित था तथा वर्ष 2007–08 में सिविल कार्य के लिये ₹ 3.17 करोड़, उपकरण के लिये ₹ 3.95 करोड़ तथा वाहनों के लिये ₹ 6.90 करोड़ स्वीकृत किया गया। कार्यदायी संस्था को ₹ 3.17 करोड़ सिविल कार्य पूर्ण किये जाने की तिथि निर्धारित किये बिना, संबंधित जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को ₹ 3.95 करोड़ उपकरणों के क्रय के लिये तथा महानिदेशक को ₹ 6.90 करोड वाहनों के क्रय के लिये, शासन द्वारा मार्च 2008 में अवमुक्त किया गया।

अभिलेखों से उद्घटित हुआ कि केवल दो ट्रामा सेंटरों (सहारनपुर एवं लखनऊ) के सिविल कार्य अगस्त 2010 तक पूर्ण (लागतः ₹ 1.27 करोड़) किये गये। शेष तीन सेंटरों (गाजियाबाद, कानपुर एवं वाराणसी) के कार्य महानिदेशक द्वारा अनुश्रवण न किये जाने के

---

10 सिविल कार्यः ₹ 3.17 करोड़, उपकरणः ₹ 10.10 करोड़ एवं वाहनः ₹ 6.90 करोड़।

11 गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, सहारनपुर एवं वाराणसी।

कारण अपूर्ण (30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत) थे। इन पर ₹ 1.25 करोड़ व्यय किया गया था (अगस्त 2010)।

यद्यपि भवन बन कर तैयार नहीं हुये थे तब भी गाजियाबाद, कानपुर एवं वाराणसी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा सहारनपुर जनपद (जहाँ भवन निर्माण कार्य पूर्ण था) के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा ₹ 2.57 करोड़[12] के चिकित्सा उपकरण क्रय किये गये तथा शेष ₹ 8.28 करोड[13] सितम्बर 2008 में समर्पित कर दिया गया था। इस प्रकार तीनों ट्रामा सेंटर के सिविल कार्य अपूर्ण थे तथा सहारनपुर के निर्मित सेंटर पर चिकित्सा कर्मी तैनात न किये जाने के कारण चिकित्सा उपकरण नवम्बर 2010 तक निष्क्रिय पड़े थे।

इस प्रकार, असंगत नियोजन एवं महानिदेशक द्वारा परियोजना के निष्प्रभावी अनुश्रवण के कारण, धनराशि अवमुक्त किये जाने के तीस माह बाद भी तीनों सेंटर के सिविल कार्य अपूर्ण रहे तथा चिकित्साकर्मी तैनात न किये जाने के कारण शेष दो सेंटर को क्रियाशील नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, वित्तीय अनुशासन के सिद्धान्तों का पालन करने में नियंत्रण अधिकारी असफल रहे तथा ₹ 2.57 करोड़ के ऐसे उपकरण क्रय किये गये जिसकी तुरंत आवश्यकता नहीं थी।

विभाग के सचिव द्वारा बताया गया (दिसम्बर 2010) कि 2007–08 में स्वीकृत धनराशि को व्यपगत होने से बचाने के लिये उपकरण क्रय किये गये थे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि चिकित्सा उपकरणों का क्रय अविवेकी, अविवेकपूर्ण तथा वित्तीय नियमों के विपरीत था। इसके अतिरिक्त तीनों ट्रामा सेंटर के सिविल कार्य अपूर्ण थे तथा शेष दो पर चिकित्साकर्मी तैनात नहीं किये गये थे।

2-2-5 ,.Vh jsch t oSDlhu dk Ø;

राज्य सरकार की क्रय नीति (अप्रैल 2004) के अनुसार जिन औषधियों के लिये दर अनुबंध विद्यमान हो महानिदेशक द्वारा उसे मात्रा अनुबंध के अन्तर्गत क्रय किया जाना वर्जित था।

Ø; uhfr ds ikyu esa foQyrk ds dkj.k ₹ 3-60 djksM+ dk vfrfjDr Hkqxrku gqvk

अभिलेखों में पाया गया कि महानिदेशक, लखनऊ द्वारा क्रय नीति का पालन नहीं किया गया। कर्मचारी राज्य बीमा का मेसर्स एवेन्टिस फार्मा और रैनबैक्सी के साथ एण्टी रैबीज वैक्सीन[14] आपूर्ति का ₹ 207.41 पैसा प्रति वायल की दर से दर अनुबंध था जो कि सितम्बर 2005 से अगस्त 2007 तक प्रभावी था। इसके बावजूद महानिदेशक द्वारा जनवरी 2007 में निविदा आमंत्रित की गयी तथा उन फर्मों को ₹ 247.38 पैसा प्रति वायल की दर से नौ लाख वायल की आपूर्ति हेतु आदेश निर्गत किया गया। क्रय नीति का पालन न करने के फलस्वरुप ₹ 3.60 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त भुगतान हुआ जैसा **lkj.kh 3** में दिया गया है।

lkj.kh 3 % oSDlhu ds Ø; esa vfrfjDr Hkqxrku

o"kZ[15]	QeZ dk uke	Ø; ok;yksa dh la[;k	dePkkjh jkT; chek nj vuqca/k (₹ esa)	Ø; dh nj (₹ esa)	vkf/kD; (₹ esa)	vf/kd Hkqxrku (₹ djksM+ esa)
2007–08	एवेन्टिस फार्मा	6 लाख	207.41 प्रति वायल	247.38 प्रति वायल	39.97 प्रति वायल	2.40
	रैनबैक्सी	3 लाख	207.41 प्रति वायल	247.38 प्रति वायल	39.97 प्रति वायल	1.20
;ksx						3-60

¼lzksr% egkfuns'kky;] fpfdRlk ,oa LokLF; lsok,½

12 गाजियाबादः ₹ 66 लाख (2007–08), कानुपरः ₹ 57 लाख (2007–08) एवं वाराणसीः ₹ 66 लाख (2007–08)
13 उपकरणः ₹ 1.38 करोड़ एवं वाहनः ₹ 6.90 करोड़
14 एण्टी रैबीज वैक्सीन का प्रयोग कुत्ता काटने के उपचार में किया जाता है
15 जिस वर्ष के लिये क्रय किया गया

राज्य सरकार द्वारा उत्तर में बताया गया (दिसम्बर 2010) कि कर्मचारी राज्य बीमा की दर अनुबंध पर वैक्सीन आपूर्ति करने से फर्मों द्वारा मना कर दिया गया था क्योंकि दरें वर्ष 2004 में दी गयी थीं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दर अनुबंध अगस्त 2007 तक प्रभावी था तथा फर्में वैक्सीन आपूर्ति के लिये बाध्य थीं।

2-2-6 fu"d"k

ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत करने के लिये आरंभ की गयी परियोजनाएं या तो आरंभ ही नहीं की गयीं अथवा अपूर्ण रहीं। इस तथ्य के बावजूद कि निर्माण के लिये भूमि तक उपलब्ध नहीं थी तथा निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिये कोई समयसीमा निर्धारित किये बिना ही कार्यदायी संस्था को धनराशि स्थानान्तरित की गयी। चिकित्सा उपकरण क्रय कर लिये गये जबकि सिविल कार्य अपूर्ण थे। विभाग का आंतरिक नियंत्रण भी कमजोर था।

2-2-7 lLrqfr;k

- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में नियोजित किये गये कार्यों को पूर्ण करने के लिये शासन को ध्यान केन्द्रित करना चाहिये जिससे नगरीय क्षेत्रों के चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत किया जा सके।
- मेडिकल एवं पैरा–मेडिकल कर्मियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाना चाहिये।
- शासन द्वारा विभाग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

ykd fuekZ.k foHkkx

2.3. jkT; lM+d fuf/k ;kstuk dk fdz;kUo;u

dk;Zdkjh lkj

राज्य के समस्त मार्गो को निरन्तर सुधार एवं मरम्मत द्वारा गड्ढ़ा एवं पैच मुक्त रखने के उद्‌देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्य सड़क निधि की स्थापना (1998) की गयी थी और डीजल एवं पेट्रोल पर लगाया गया अतिरिक्त बिक्री कर, इस निधि की प्राप्तियां थी। लोक निर्माण विभाग, जो कि नोडल विभाग है, द्वारा राज्य सड़क निधि योजना के अन्तर्गत केवल अपने नियंत्रण के अधीन मार्गो का सुधार किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा में, राज्य सड़क निधि योजना के 2005–10 की अवधि का आच्छादन किया गया था। लेखा परीक्षा में योजना के उददेश्यों में कार्यकलापों की मित्तव्ययिता, कार्यकुशलता एवं प्रभावकारिता को ध्यान में रखते हुए जाँच की गयी थी। मुख्य लेखापरीक्षा परिणाम निम्नवत हैः

- *योजना के उद्‌देश्यों को मुख्यतः अपर्याप्त नियोजन, कमजोर वित्तीय प्रबंधन एवं आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में शिथिलता के कारण पूर्णतया प्राप्त नहीं किया गया।*

- *नवीनीकरण एवं अनुरक्षण कार्य हेतु मार्गो का चिन्हीकरण पर्याप्त आंकड़ों के बिना किया गया एवं इसमें पारदर्शिता का अभाव था। नवीनीकरण हेतु वांछित 52 से 59 प्रतिशत मार्गो के अनुरक्षण पर विचार नहीं किया गया था।*

- *लोक निर्माण विभाग ने अन्य विभागो/निकायो से संबंधित मार्गों के अनुरक्षण पर विचार नहीं किया यद्यपि योजना में राज्य के समस्त मार्गो को सम्मिलित किया जाना था।*

- *वसूले गये अतिरिक्त कर ₹ 1003 करोड़ तथा अप्रैल 2005 से निष्प्रयोज्य पड़े हुए ₹ 998.41 करोड़ का मार्गों के सुधार हेतु उपयोग नहीं किया गया ।*

- *दोहरी स्वीकृति, कार्यों के गलत चयन एवं बजट को व्यपगत होने से बचाने हेतु धनराशियों को पी0एल0ए0 में रखने के प्रकरण सम्मिलित थे।*

2.3.1 iLrkouk

उत्तर प्रदेश राज्य में मार्च 2010 तक विभिन्न श्रेणियों की 3.37 लाख किमी लंबी सड़कें थीं जिसमें से 1.63 लाख किमी[1] सड़के लोक निर्माण विभाग तथा शेष अन्य विभागों के क्षेत्राधिकार में थीं।

अपेक्षित अंतराल में सड़कों की समुचित मरम्मत तथा अनुरक्षण को उचित प्राथमिकता प्रदान करने के राज्य सड़क नीति, 1998 के उद्देश्यों को पूर्ण करने के दृष्टिकोण से राज्य सड़क निधि की स्थापना (जनवरी 2000) की गई थी। इस प्रयोजन के लिये पेट्रोल पर बिक्री कर 14 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तथा डीजल पर 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत यथामूल्य किया गया तथा इस अतिरिक्त धनराशि को राज्य सड़क निधि में सरकार द्वारा नियत सीमा तक रखा जाना था। सरकार द्वारा निधि के लिए नियमावली जनवरी 2000 में बनायी गयी थी तथा राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत प्रस्तावित मदों एवं

1 राज्य मार्ग : 7,922 कि0मी0; मुख्य जिला मार्ग : 7,071 कि0मी0; अन्य जिला मार्ग : 31238 कि0मी0; ग्रामीण मार्ग : 1,17,199 कि0मी0

मानदण्डों के अनुमोदन के लिए एक राज्य सड़क निधि प्रबन्ध समिति मई 2002 में गठित[2] की गई थी।

2.3.2 lxBukRed <kpk

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग तथा विभागीय स्तर पर प्रमुख अभियंता, विकास द्वारा 12 क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को सम्मिलित करते हुये 22 मुख्य अभियंताओं तथा 31 अधीक्षण अभियंताओं की सहायता से योजना को संचालित किया गया था। 71 जनपदों के 165 खण्डों में अधिशासी अभियंताओं द्वारा कार्य का क्रियान्वयन किया गया था।

2.3.3 y[kkijh{kk mnn';

निष्पादन लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या :

- राज्य सड़क निधि योजना का संचालन राज्य सड़क निधि नियमावली, 2000 के अनुरूप था ;
- कार्यों का चिन्हीकरण तथा चयन विश्वसनीय एवं विशुद्ध मार्ग आंकड़ों के आधार पर तथा नियमों के अनुरूप किया गया था;
- कार्यों का निष्पादन प्रभावशाली, मितव्ययिता एवं दक्षता से किया गया था; तथा
- अनुश्रवण प्रणाली पर्याप्त थी तथा वांछित उद्देश्यों को दक्षतापूर्वक प्राप्त किया गया था।

2.3.4 dk;{k= ,o y[kkijh{kk dh fd;kfof/k

राज्य सड़क निधि के क्रियान्वयन से सम्बंधित 2005–10 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच सचिवालय, लोक निर्माण विभाग, प्रमुख अभियंता के कार्यालय, 12 क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं के सापेक्ष 3 मुख्य अभियंताओं[3] तथा 31 अधीक्षण अभियंताओं के सापेक्ष 03 अधीक्षण अभियंताओं,[4] 71 जनपदों के सापेक्ष 14 जनपदों[5] में मार्च 2010 से जुलाई 2010 के मध्य की गई थी। इसके अतिरिक्त, राज्य सड़क निधि से सम्बन्धित सूचनाएं वित्त विभाग से एकत्र की गई थी। जनपदों का चयन सांख्यिकीय सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी प्रपोर्शनल टू साइज विदाउट रिप्लेसमेंट प्रणाली के अन्तर्गत किया गया था।

प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग के साथ एक परिचयात्मक गोष्ठी (मई 2010) में लेखापरीक्षा उद्देश्यों पर विचार विमर्श किया गया था।

समापन गोष्ठी में (अक्टूबर 2010) प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर वार्ता की गई थी।

---

2 मंत्री, लोक निर्माण विभाग–अध्यक्ष, राज्य मंत्री, लोक निर्माण विभाग–उपाध्यक्ष, कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग,स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विकास विभाग, यातायात विभाग, पर्यटन एवं वित्त विभाग, राज्य स्तर ट्रक मोटर एसोसिएशन के दो प्रतिनिधि, राज्य सरकार द्वारा नामित दो सांसद एवं दो पंचायत अध्यक्ष

3 आगरा, झांसी, लखनऊ

4 आगरा, बांदा, लखनऊ

5 आगरा, अलीगढ, इलाहाबाद, औरैया, बदायूं, बॉदा, बुलंदशहर, इटावा, गोरखपुर, हरदोई, कानपुर, कौशाम्बी, मुजफ्फरनगर. एवं सहारनपुर

निष्पादन समीक्षा में शासन से प्राप्त (अक्टूबर 2010) उत्तरों को उपयुक्त स्थानों पर सम्मिलित कर लिया गया है।

ys[kk ijh{kk ifj.kke

2-3-5 foRrh; icU/ku

2-3-5-1 jkT; lMd fuf/k dk lapkyu u gksuk

jk0 l0fu0 dk lapkyu u gksus ds dkj.k ₹ 998-41 djksM+ vizSy 2005 ls vi;qDr iMk jgkA

राज्य सड़क निधि नियमावली, 2000 में प्रावधान है कि पेट्रोल एवं डीजल की प्रथम बिक्री पर लगाया तथा वसूला गया अतिरिक्त कर लोक लेखो के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि खाता में उस सीमा तक जमा किया जायेगा जिस सीमा तक सरकार उचित समझे। निधि के उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग के वार्षिक बजट में अनुदान संख्या[6] 58 के अन्तर्गत प्रावधान किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत प्रावधानित बजट के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि को राज्य सड़क निधि को डेबिट एवं अनुदान संख्या 58 को क्रेडिट होना था। राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2005 से राज्य सड़क निधि का संचालन नहीं किया गया था एवं ₹ 998.41 करोड़ की धनराशि खाते में अप्रयुक्त पड़ी थी। मार्च 2009 में सरकार द्वारा निधि को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। निधि का संचालन न किया जाना राज्य सड़क निधि योजना के क्रियान्वयन की अपारदर्शिता प्रस्तुत करता है जिसे नीचे दिया गया है:

पेट्रोल एवं डीजल की प्रथम बिक्री पर अतिरिक्त कर एक निश्चित उद्देश्य के लिए लगाया गया था तथा कर प्राप्तियों को केवल उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयोग किया जाना था। प्राप्तियों को राज्य द्वारा निर्धारित सीमा तक विशेष रूप से स्थापित राज्य सड़क निधि में रखा जाना था और उस निधि का उपयोग केवल मार्गो की मरम्मत, अनुरक्षण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु किया जाना था। 2005–10 की अवधि में अतिरिक्त आय के सापेक्ष कोई धनराशि निधि में क्रेडिट नहीं की गयी थी। वसूल किये गये अतिरिक्त कर एवं उपयोग की गयी धनराशि को ज्ञात नहीं किया जा सकता था, फिर भी वसूला गया अतिरिक्त कर लेखापरीक्षा की गणना के अनुसार ₹ 4,603.18 करोड़ है जैसाकि **lkj.kh 1** में दर्शाया गया है:

lkj.kh 1 ¼ 2005&10 dh vof/k esa olwy fd;s x;s vfrfjDr dj dh ladfyr /kujkf'k

(₹ djksM+ esa)

Øekd	o"kZ	iSVªksy ,oa Mhty ij 0;kikj dj dh dqy /kujkf'k			iSVªksy ,oa Mhty dh iFke fcØh ij c<k;h x;h njl dh /kujkf'k ftldk vUrj.k jkT; lMd fuf/k esa gkuk Fkk		
		iSVªksy	Mhty	;ksx	iSVªksy (6/20)	Mhty (4/20)	;ksx
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)[7]	(7)[8]	(8)
1.	2005-06	-	-	3,335.11	-	-	771.08
2.	2006-07	-	-	3,636.59	-	-	840.78
3.	2007-08	1,132.96	2,837.86	3,970.82	339.89	567.57	907.46
4.	2008-09	1,331.78	2,895.64	4,227.42	399.53	579.13	978.66
5.	2009-10	1,573.22	3,166.14	4,739.36	471.97	633.23	1,105.20
	;ksx			**19,909.30**			**4,603.18**

¼L=ksr½ dfe'uj] 0;kikj dj ,oa iæq[k vfHk;Urk] yks.d fuekZ.k foHkkx½

नोटः– 2005–07 की अवधि में अतिरिक्त कर का पृथक विवरण उपलब्ध नहीं था। अतिरिक्त कर की गणना औसत दर 23.12 प्रतिशत के आधार पर की गयी है।

---

6 लोक निर्माण विभाग–संचार–सड़कें

7 कालम–3*(6/20)

8 कालम–4 *(4/20)

2005–10 की अवधि में वसूले गये ₹ 4,603.18 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष राज्य सड़क निधि योजना में मात्र ₹ 3,600.57 करोड[9] का उपयोग किया गया। शासन ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2010) कि संकलित अतिरिक्त कर को उस सीमा तक निधि में अन्तरित किया जाना था जिस सीमा तक सरकार उचित समझे, न कि अतिरिक्त कर की सम्पूर्ण धनराशि।

शासन का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि वसूला गया अतिरिक्त कर राज्य के मार्गों के अनुरक्षण एवं मरम्मत/सुदृढ़ीकरण के विशिष्ट उद्देश्य के लिए था। पारदर्शिता के साथ निधि के क्रियान्वयन के लिए वसूली गयी धनराशि का उपयोग निर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाना था।

2.3.5.2 vkoVu ,o O;;

राज्य सरकार द्वारा सामान्य बजटीय कियाविधि की तरह लेखाशीर्ष 'राज्य सड़क निधि' के अंतर्गत योजना के लिए बजट का प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त बारहवें वित्त आयोग द्वारा भी 2006–10 की अवधि में प्रत्येक वर्ष ₹ 600.79 करोड़ मार्गों की मरम्मत हेतु निर्गत किया गया। वर्ष 2005–06 से वर्ष 2009–10 की अवधि में वर्षवार आवंटन एवं व्यय **lkj.kh 2** में प्रदर्शित है।

lkj.kh 2 : vkoVu ,o O;;

(₹ djkM+ e)

o"kZ	3054-vuqj{k.k				5054-iwathxr			
	ctV izko/kku[10]	lefiZr	ih,y,	O;;	ctV izko/kku	lefiZr	ih,y,	O;;
2005-06	742.40	7.76	0.00	734.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2006-07	1000.00	39.21	96.40	960.79	458.00	5.87	16.09	452.13
2007-08	1000.00	18.44	0.00	981.56	329.93	1.41	32.26	328.52
2008-09	1000.00	29.35	0.00	970.65	275.45	0.01	0.00	275.44
2009-10	1000.00	0.00	0.00	1000.00	300.00	0.00	0.00	300.00
	4742.40	**94.76**	**96.40**	**4647.64**	**1363.38**	**7.29**	**48.35**	**1356.09**

(L=ksr: iepk.k vfHk;ark] yksd fuekZ.k foHkkx)

लोक निर्माण विभाग द्वारा 2005-09 की अवधि में ₹ 102.05 करोड़ मुख्यतः स्वीकृत कार्यों के निरस्तीकरण एवं दोषपूर्ण प्रस्ताव के कारण समर्पित किया गया था। बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए 2006-08 की अवधि में आहरित ₹ 144.75 करोड़ पी0एल0ए0 में रखने के परिणामस्वरूप व्यय की धनराशि गलत सूचित की गयी ।

शासन द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकार किया गया (अक्टूबर 2010)।

2.3.5.3 vfu;fer O;;

vkoklh; ,o xSj vkoklh; ifjljksa ds ekxksZa ij vfu;fer O;;

vkoklh;@xSj vkoklh; Hkouksa dh ejEer ij ₹ 9.27 djksM+ dk vfu;fer O;;

राज्य सरकार के आवासीय/गैर आवासीय भवनों के परिसर के मार्गो के अनुरक्षण एवं मरम्मत पर व्यय मुख्य लेखा शीर्ष "2059" अथवा "2216" से किया जाना चाहिए क्योंकि मार्ग की किसी भी श्रेणी[11] के अन्तर्गत ये वर्गीकृत नहीं हैं।

---

9 (₹ 6003.73 करोड़– ₹ 2403.16 करोड)

10 बजट प्रावधान में बारहवें वित्त आयोग से वर्ष 2006–07 से 2009–10 तक प्राप्त ₹ 2403.16 करोड़ सम्मिलित हैं

अधीक्षण अभियंता, लखनऊ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ एवं अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,लखनऊ के अभिलेखों की जॉच (मई से अगस्त 2010) में पाया गया कि ₹ 9.27 करोड़ लागत के 45 मार्ग कार्य 2005–10 की अवधि में राज्य सड़क निधि योजना को डेविट करके कराये गए थे, जो कि अनियमित थे।

शासन द्वारा बताया गया (अक्टूबर 2010) कि आवासीय / गैर आवासीय भवनों के परिसर के मार्गों का अनुरक्षण राज्य सड़क निधि के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मार्गों की किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत ये मार्ग वर्गीकृत नहीं है और लेखा शीर्ष "2059" या "2216" के अन्तर्गत ऐसे मार्गो के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु निधि का प्रावधान शासन द्वारा किया जाता है।

Lohdfr dk n:i;kx

शासन द्वारा प्रत्येक कार्य के लिए निर्गत की जाने वाली वित्तीय स्वीकृति में निर्धारित उद्देश्य के लिए निधि के उपयोग हेतु बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त–पुस्तिका के प्रावधानों एवं निर्धारित शर्तों का स्पष्ट उल्लेख रहता है।

14 नमूना जाँच खण्डों के सापेक्ष आठ के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि ₹ 11.15 करोड की धनराशि का व्यय 101 राज्य सड़क निधि कार्यो पर डेविट किया गया था जो वास्तव में इन कार्यो पर नहीं किया गया था ।

Lohdfr;k d v/khu u vku oky enk ij ₹ 11-15 djkM dk 0;; fd;k x;kA

खण्डवार कार्यों की संख्या एवं 2005–10 के दौरान व्यय की गयी धनराशि **lkj.kh&3** में दर्शायी गयी है।

lkj.kh 3 ¼ Lohdfr d n:i;kx dk [k.Mokj fooj.k

(₹ djkM e)

d0l0	[k.M dk uke	dk;k dh l[;k	/kujkf'k
1	प्रान्तीय खण्ड, बाँदा	2	2.16
2	निर्माण खण्ड–1, गोरखपुर	85	2.67
3	प्रान्तीय खण्ड, औरैया	1	0.42
4	निर्माण खण्ड–2, बाँदा	1	0.04
5	प्रान्तीय खण्ड, इटावा	3	1.91
6	प्रान्तीय खण्ड, इलाहाबाद	1	0.42
7	प्रान्तीय खण्ड, आगरा	3	0.20
8	प्रान्तीय खण्ड, कानपुर	5	3.33
;kx		**101**	**11.15**

(L=kr%: ykd fuek.k foHkkx d [k.Mk d ckmpj)

इस प्रकार, इन कार्यो पर व्यय की गयी ₹ 11.15 करोड़ की धनराशि, निर्गत स्वीकृति के विरूद्व व्यय की गयी थी। यह विभाग में अपर्याप्त अनुश्रवण एवं नियंत्रण प्रणाली में अभाव को प्रदर्शित करता है।

शासन द्वारा उत्तर में (अक्टूबर 2010) बताया गया कि संबंधित मुख्य अभियंताओं को प्रकरण की जाँच हेतु निर्देश दिया गया है तथा उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

vkoVu l vf/kd 0;;

चौदह नमूना जाँच खण्डों के सापेक्ष दो[12] खण्डों में राज्य सड़क निधि योजना के अन्तर्गत

[11] राज्य मार्ग, मुख्य जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्ग

[12] आगरा और बुलन्दशहर

स्वीकृत कार्यो के सम्बन्ध में किये गये आबंटन की जाँच में पाया गया कि 2005–10 की अवधि में 93 कार्यो में प्रमुख अभियंता द्वारा आवंटित धनराशि से ₹ 2.61 करोड़ अधिक व्यय किया गया। वर्षवार विवरण **lkj.kh 4** में दिया गया है।

lkj.kh 4 : vkcaVu ls vf/kd O;;

(₹ djksM+ esa)

o"kZ	dk;ksZa dh la[;k	vkoaVu	O;;	O;;kf/kD;
2005-06	1	1.70	1.84	0.14
2006-07	17	4.07	5.01	0.94
2007-08	30	2.24	2.68	0.44
2008-09	28	3.22	3.64	0.42
2009-10	17	1.41	2.08	0.67
;ksx	**93**	**12.64**	**15.25**	**2.61**

(L=ksr%: yksd fuekZ.k foHkkx ds [k.Mksa ds ekfld ys[ks)

इस आधिक्य व्यय में अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, आगरा द्वारा 13 कार्यो पर किया गया ₹ 27 लाख का व्यय भी सम्मिलित था जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई धनाबंटन नहीं किया गया था। धन आवंटन के बिना किया गया व्यय उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रावधानों के विरूद्व था जोकि प्रमुख अभियंता के आबंटन प्रकिया पर अनुश्रवण के अभाव को भी दर्शाता है। शासन ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2010) कि संबंधित मुख्य अभियंताओं को प्रकरण की जॉच हेतु निर्देशित किया गया है।

jkT; lM+d fuf/k ;kstuk dk fdz;kUo;u

2-3-6 ;kstuk ,oa vuqJo.k

jkT; lM+d fuf/k ds vUrxZr dk;Z dk vuqeksnu

राज्य सड़क निधि नियमावली, 2000 के अनुसार, निधि का उपयोग राज्य के समस्त मार्गो के अनुरक्षण तथा मरम्मत/सुदृढ़ीकरण हेतु किया जाना था। राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति, निधि के उपयोग हेतु मदों एवं मापदण्डों को निश्चित करने में सक्षम थी। राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा मार्गो के अनुरक्षण, मरम्मत/सुदृढ़ीकरण के चयन हेतु कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किया गया था। राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत मार्गो के चिन्हीकरण एवं चयन हेतु अपनायी गयी प्रकिया की लेखापरीक्षा जाँच में निम्न बिन्दु पाये गये :–

2-3-6-1 ekxksZa ds fpUghdj.k ,oa p;u esa ikjnf'krk dk vHkko

dEI;wVjkbTM MkVk cSad rFkk izcU/ku lwpuk iz.kkyh ds vHkko esa ekxksZa dk p;u lansgkLin cuk jgkA

राज्य सरकार ने राज्य के श्रोतों के बेहतर उपयोग के लिए रोड नेटवर्क की मरम्मत एवं अनुरक्षण के संबंध में उत्तर प्रदेश मार्ग विकास नीति, 1998 बनायी थी। नीति के प्रस्तर 12.1 के अनुसार निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यों को योजनाबद्व तरीके से करने हेतु एक कम्प्यूटराइज्ड डाटाबैंक बनाया जाना था जिसमें प्रत्येक मार्ग का विवरण, चौड़ाई, क्रस्ट की मोटाई, क्रस्ट की संरचना, सब ग्रेड में मिट्‌टी की अभियांत्रिक गुणवत्ता, पुलियों का विवरण, पुल एवं स्थायी भूमि, मार्ग का इतिहास, इत्यादि हो। इसके साथ ही, व्यवसायिक वाहनों एवं पैसेन्जर कार इकाई के संदर्भ में यातायात घनत्व प्रति दिन एवं मार्ग पर दुर्घटनाओं का विवरण भी कम्प्यूटराइज्ड डाटाबैंक में रखा जाना था। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटराइज्ड प्रबन्ध सूचना प्रणाली (एम0आई0एस0) को खण्डीय, वृत्तीय, क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं, प्रमुख अभियंता एवं शासन स्तर पर विकसित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा न तो सभी मार्गो का कम्प्यूटराइज्ड डाटाबैंक एवं न ही अनुरक्षण, मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण हेतु मार्गो के

चिन्हीकरण एवं पारदर्शी चयन के लिए कोई प्रबंध सूचना प्रणाली तैयार की गयी थी। मार्गों के अनुरक्षण एवं मरम्मत/सुदृढ़ीकरण को प्रस्तावित करने के संबंध में लोक निर्माण विभाग नोडल प्राधिकारी है तथा इन प्रस्तावों की जॉच विभागीय स्तर पर की जाती है। कार्य की प्रकृति के आधार पर विभाग ने वर्गवार धनराशि को विभाजित किया है। ये वर्गवार प्रस्ताव राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति को अनुमोदन हेतु भेजे जाते थे। इस प्रकार मार्गो के चिन्हीकरण एवं चयन की प्रणाली संदेहास्पद बनी रही।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (अक्टूबर 2010) कि चूँकि कम्प्यूटराइज्ड डाटा बैंक तैयार किया जा रहा था, राज्य सड़क निधि योजना के अंतर्गत मार्गों का चयन खण्ड द्वारा दी गई सूचना के आधार पर किया गया था। इस प्रकार तथ्य वही था कि अपेक्षित डाटाबैंक के अभाव में खण्डों के प्रस्ताव बिना क्रास चेकिंग के चिन्हीकृत एवं चयनित किये गये थे।

2.3.6.2 nk"ki.k Lohdfr;k

=fVi.k iLrko] nkgjh Lohdfr;k vkfn d dkj.k dk;k dk fujLrhdj.k vkfn d dkj.k ifj.kke Lo:i fuf/k dk lei.k fd;k x;k

मार्गों के अनुरक्षण, मरम्मत/सुदृढ़ीकरण एवं चौडीकरण के लिए प्रमुख अभियंता के परिपत्र (जुलाई 2005) में प्राविधानित है कि मार्गों के अनुरक्षण के प्रस्ताव पूर्ण औचित्य के साथ वास्तविक सर्वेक्षण तथा इसकी आवश्यकता के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। प्रमुख अभियंता के अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि 172 कार्य 2005–10 की अवधि में स्वीकृत किये गये थे। बाद में उन्हें विभिन्न कारणों से जिसमें त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव, दोहरी स्वीकृतियां, कार्यदायी एजेंसियों के मध्य आपसी सामंजस्य के अभाव तथा दूसरी योजनाओं में कार्य की स्वीकृतियां सम्मिलित थी, निरस्त कर दिये गये थे। दोषपूर्ण प्रस्ताव जलभराव की समस्या, मार्गो की लम्बाई वास्तव में कम होना, मार्गो के भाग का वास्तविक रूप से विद्यमान/निर्मित न होना, अत्यधिक खराब, कार्य की आवश्यकता न होना, कम क्रस्ट इत्यादि कारणों के फलस्वरूप थे। निरस्त कार्यों का विवरण **lkj.kh 5** में दिया गया है।

lkj.kh 5 : dk;k d fujLrhdj.k d fofHkUu dkj.k

(₹ djkM e)

fujLrhdj.k dk dkj.k	dk;k dh l[;k	lefir /kujkf'k
दूसरी योजनाओं में स्वीकृत कार्य	42	3.86
दूसरे विभाग द्वारा निष्पादित कार्य	08	0.72
निरस्त चैनेज में कार्य की आवश्यकता न होना	16	0.85
दोषपूर्ण प्रस्ताव	77	3.44
दोहरी स्वीकृतियां	29	3.07
;kx	**172**	**11.94**

(L=kr%: ie[k vfHk;rk] ykd fuek.k foHkkx)

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि कार्यों के प्रस्ताव पूर्ण औचित्य के साथ मार्गों के वास्तविक सर्वे के आधार पर तैयार नहीं किये गये थे। ये कमियां सर्वांग कमियों की ओर इंगित करती हैं। निरस्तीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 11.94 करोड़ संबंधित वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित किये गये थे। शासन ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया (अक्टूबर 2010)।

2.3.6.3 pkMhdj.k ,o lnl<hdj.k gr ekxk d p;u e ikIfxd fof'kf"V;k ,o vkn'kk dh mi{kk

मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण वास्तविक यातायात गणना पर निर्भर करता है। मार्ग के क्रस्ट मोटाई की संरचना वर्तमान यातायात गणना तथा आगामी 10 वर्षो में अनुमानित वृद्दि पर आधारित होना चाहिए जैसा कि प्रमुख अभियंता के परिपत्र (जुलाई 2005 और सितम्बर 2008) में प्रावधानित है। निर्माण कार्य की अवधि को सम्मिलित करते हुये न्यूनतम 10 वर्ष की डिजाइन लाइफ को मार्ग के पुनः सुदृढ़ीकरण में लेना चाहिए।

अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, आगरा, औरैया और बांदा के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि पांच सड़कों पर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण पाँच वर्षों की अवधि के अन्तर्गत दो से अधिक बार किया गया था, जैसा कि **lkj.kh 6** में है।

lkj.kh 6 : ikp o"kksZa ds vUnj p;fur lM+dksa dk pkSM+hdj.k ,oa lqn`<+hdj.k

dz0 l0	lM+dks dk uke	2005-06	2007-08	2008-09	2009-10
1.	बांदा बबेरू कमासिन राजमार्ग सं0–92 (बांदा)	चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (0-36 किमी) ₹ 8.77 करोड़ **jkT; lsDVj**	सुदृढ़ीकरण कार्य (2-38 किमी) ₹ 12.04 करोड़ **jkT; lM+d fuf/k**		चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (2-36 किमी) ₹ 18.03 करोड़ **jkT; lM+d fuf/k**
2.	अतर्रा चौसड ओरन (बांदा)	सुदृढ़ीकरण (1-19 किमी) ₹ 2.14 करोड़ **cqUns y[k.M iSdst**			सुदृढ़ीकरण (1-17 किमी) ₹ 10.92 करोड़ **jkT; lM+d fuf/k**
3.	बिलरायाँ पनवारी मार्ग (औरेया)	किमी 276-290 एवं 294-313 में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण ₹ 11.74 करोड़ **jkT; lM+d fuf/k**			किमी 280-290 में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण ₹ 8.33 करोड़ **jkT; {k=**
4.	किरावली–कागारोल–खैरागढ़–सैंया (आगरा)	किमी 17 - 37 (21 किमी) में चौड़ीकरण ₹ 1.57 करोड़ **jkT; lM+d fuf/k**		किमी 0 - 37 (37 किमी) में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण ₹ 25.61 करोड़ **jkT; {k=**	
5.	सैंया–इरादतनगर–शमशाबाद–फतेहाबाद (आगरा)		किमी 1 – 21 में चौड़ीकरण एवं किमी 1 – 40 में सुदृढ़ीकरण ₹ 14.39 करोड़ **jkT; lM+d fuf/k**		किमी 1 to 21(600) योग 20.600 किमी में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण ₹ 5.74 करोड़ **jkT; lM+d fuf/k**

(L=ksr%: yksd fuekZ.k foHkkx [k.Mksa dh ueuk tkWp)

fcuk iw.kZ vkfpR; ds ekxksZa dk pkSM+hdj.k ,oa lqn`<+hdj.k fd;s tkus ds ifj.kkeLo:i ₹ 68-63 djksM+ dk ifjgk;Z 0;;

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (मार्च 2010 / जून 2010) सम्बंधित खण्ड ने उत्तर दिया कि (मई 2010 / जुलाई 2010) व्यावसायिक वाहनों एवं पैसेंजर कारों की यातायात वृद्धि के कारण उपरोक्त मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण स्वीकृत किये गये थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पूर्व में मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के क्रियान्वयन के समय आगामी 10 वर्षों में यातायात की अपेक्षित वृद्धि को ध्यान में रखना आवश्यक था। संबंधित खण्ड यातायात में अत्यधिक वृद्धि की ओर इंगित करने वाले विस्तृत यातायात गणना समर्थित रिकार्डों को भी प्रस्तुत करने में असफल रहे, जो पूर्व अवधारणा के आधार की पुष्टि करता हो। इस प्रकार, इन मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए दूसरी बार ₹ 68.63 करोड़[13] स्वीकृत किया जाना वर्तमान निर्देशों के प्रतिकूल तथा परिहार्य थे। राज्य सरकार द्वारा उत्तर में बताया गया (अक्टूबर 2010) मामले की जाँच के लिए सम्बंधित मुख्य अभियंताओं को आदेश निर्गत किये गये है।

ekxksZa dk uohuhdj.k viuh uohuhdj.k vko`fRr ls iwoZ djk;s tkus ds ifj.kkeLo:i 6-32 djksM+ dk ifjgk;Z 0;;

2.3.6.4 ekxksZa dk le; iwoZ uohuhdj.k

राज्य सरकार द्वारा राज्य मार्गों एवं प्रमुख जिला मार्गो के लिए चार वर्ष, अन्य जिला मार्गों के लिए पाँच वर्ष तथा ग्रामीण मार्गों के लिए आठ वर्ष का नवीनीकरण आवृत्ति का मानक इस प्रतिबंध के साथ निर्धारित (दिसम्बर 2003) किया गया था कि यदि मॉडिफाइड बिटुमिन से लेपित किया गया है तो नवीनीकरण आवृत्ति एक वर्ष के लिए और बढ़ जायेगी।

13 ₹ 68.63 करोड़ = ₹ 18.03 करोड़ + ₹ 10.92 करोड़ + ₹ 8.33 करोड़ + ₹ 25.61 करोड़ + ₹ 5.74 करोड़

नमूना जाँच में पाया गया कि तीन मार्गों के नवीनीकरण का कार्य निर्धारित समय सीमा से पूर्व किया गया था जैसा कि **lkj.kh 7** में दिया गया है।

lkj.kh 7 : le; iwoZ ekxksZa dk uohuhdj.k

(₹ yk[k esa)

dk;Z dk uke	**[k.M dk uke**	**ekxZ dh Js.kh ,oa dk;Z dh izd`fr**	**vkof/kr vof/k o"kZ esa**	**pqu t**	**O;;**	**pqu t**	**O;;**
गुलावटी सयाना बुगरसी	प्रा0ख0, बुलंदशहर	एमडीआर / चौ0सु0	4	**o"kZ 2008&09**		**o"kZ 2009&10**	
				0.00 से 29.0	937.51	...	...
		नवीनीकरण				1, 2, 7, 9, 10, 13 से 16, 31	81.34
कोठा पार्चा से एग्रीकल्चर मार्ग वाया पुराना यमुना ब्रिज	प्रा0ख0, इलाहाबाद	ओडीआर / नवीनीकरण	5	**o"kZ 2006&07**		**o"kZ 2008&09**	
				3, 4 किमी एवं 5 किमी का 785मी0	46.68	3, 4 किमी एवं 5 किमी का 785 मी0	43.43
पुरकाजी लक्सर मार्ग	प्रा0ख0, मुजफफर नगर	एमडीआर / नवीनीकरण	4	**o"kZ 2006&07**		**o"kZ 2008&09**	
				1 से 15	383.06	1 से 15	506.84
योग							631.61

(L=ksr: [k.M ,eihvkj)

इस प्रकार, निर्धारित नवीनीकरण चक्र का अतिक्रमण कर ₹ 6.32 करोड़[14] का व्यय अपेक्षित समय के पूर्व नवीनीकरण पर किया गया था। राज्य सरकार द्वारा उत्तर में बताया गया (अक्टूबर 2010) कि प्रकरणों की जाँच हेतु सम्बंधित मुख्य अभियंताओं को निर्देश दिये गये है तथा उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

2.3.6.5 jkT; lM+d fuf/k ds dk;Z{ks= ds ckgj ds dk;ksZa dh Lohd`fr

pkSjkgksa ds lkSan;hZdj.k] ekxksZa ds izdk'k bR;kfn ij O;;

dk;ksZ ij ₹70-31 djksM+ dk O;; fd;k x;k ftlds vkPNknu jkT; lM+d fuf/k ;kstuk ds vUrxZr ugha Fkk

राज्य सड़क निधि नियमावली, 2000 के अनुसार निधि का उपयोग राज्य के मार्गों के अनुरक्षण एवं मरम्मत/सुदृढ़ीकरण हेतु किया जाना था। फिर भी, ₹ 70.31 करोड़ दूसरे विभिन्न कार्य जैसे चौराहों का सौन्दर्यीकरण, मार्गों की प्रकाश व्यवस्था एवं विद्युतीकरण, रेलवे पुल की रिगर्डरिंग, मूल्य ह्रास संचय निधि में हस्तांतरण आदि हेतु स्वीकृत की गई जो राज्य सड़क निधि के कार्यक्षेत्र के बाहर थे, जैसा कि **lkj.kh 8** में दिया गया है।

lkj.kh 8 : jkT; lM+d fuf/k dk;Z{ks= ds ckgj ds dk;ksZa dh Lohd`fr

(₹ djksM+ esa)

dk;Z dk uke	**2005-06**	**2007-08**	**2008-09**	**2009-10**	**;ksx**
लखनऊ, वाराणसी, मेरठ और कानपुर जिलो में चौराहों का सौन्दर्यीकरण	-	-	9.11	17.80	26.91
लखनऊ में प्रकाश व्यवस्था एवं विद्युतीकरण	3.53	-	17.69	2.54	23.76
विभागीय योजनाओं का विज्ञापन	-	-	-	1.96	1.96
आगरा में यमुना नदी पर रेलवे पुल की रिगर्डरिंग	-	-	1.87	2.81	4.68
मूल्य ह्रास संचय निधि	-	13.00	-	-	13.00
;ksx	3.53	13.00	28.67	25.11	70.31

(L=ksr: izeq[k vfHk;ark] yksd fuek.k foHkkx)

[14] ₹ 81.34 + ₹ 43.43+ ₹ 506.84 = ₹ 631.61 लाख अर्थात् ₹ 6.32 करोड़

राज्य सरकार द्वारा उत्तर में बताया गया (अक्टूबर 2010) कि राज्य सड़क निधि प्रबन्धन समिति के अनुमोदन के पश्चात राज्य सड़क निधि के अंतर्गत धन के उपभोग के लिये मदों तथा मापदण्डों पर विचार किया गया था। ये कार्य लोक निर्माण विभाग मंत्री की अध्यक्षता में राज्य सड़क निधि प्रबन्धन समिति द्वारा स्वीकृत थे।

राज्य सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रस्तर 3 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर मान्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त कार्यों पर किया गया ₹ 70.31 करोड़ का व्यय राज्य सड़क निधि के कार्यक्षेत्र के बाहर था।

jk"Vh; jktekxkZ ij O;;

jk"Vh; jktekxkZ d vuj{k.k ij ₹ 97-07 djkM dk vfu;fer O;;

यद्यपि राष्ट्रीय राजमार्गों पर व्यय किया जाना, राज्य सड़क निधि के कार्यक्षेत्र से इतर था। फिर भी, 2005–10 की अवधि में राज्य सड़क निधि के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के मरम्मत, सुदृढ़ीकरण तथा सौन्दर्यीकरण के कार्य स्वीकृत किये गये थे। ऐसे कार्यों पर वर्षवार की गई स्वीकृति तथा व्यय का विवरण **lkj.kh 9** में दिया गया है :–

lkj.kh 9 : jk"Vh; jktekxkZ dh lkUn;hZdj.k rFkk ejEer ij Lohd`r /kujkf'k dk fooj.k

(₹ djkM esa)

o"kZ	e[[; 'kh"kZ 3054	e[[; 'kh"kZ 5054	;kx
2005-06	--	6.73	**6.73**
2006-07	--	32.55	**32.55**
2007-08	6.26	12.45	**18.71**
2008-09	9.69	19.70	**29.39**
2009-10	3.80	5.89	**9.69**
;kx	**19.75**	**77.32**	**97.07**

(L=kr: e[[; vfHk;ark] jk"Vh; ekxZ ,o ykd fuek.k foHkkx)

राज्य सरकार द्वारा उत्तर में बताया गया (अक्टूबर 2010) कि राष्ट्रीय मार्गों के मरम्मत की स्वीकृति, विशेष परिस्थितियों में राज्य सड़क निधि के अंतर्गत राज्य सड़क निधि प्रबन्धन समिति के अनुमोदन से निर्गत की गई थी।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मार्गों की मरम्मत/रखरखाव के लिए अलग से राज्य के लोक निर्माण विभाग को धनराशि (₹ 284.14 करोड़[15]) निर्गत की गई थी। इस प्रकार, राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत तथा सौन्दर्यीकरण पर राज्य सड़क निधि से ₹ 97.07 करोड़ का व्यय किया जाना अनियमित था।

2-3-6-6 jkT; ekxkZ dk vuj{k.k u fd;k tkuk

fofHkUu foHkkxk] fudk;k d e/; lM+dk u gksu d dkj.k 1-74 yk[k fdeh0 ekxZ vuj{k.k grq ugh fy;k x;k

मार्च 2010 तक राज्य में विभिन्न श्रेणी की 3.37 लाख किमी लंबी सडकें थी जिसमें से 1. 63 लाख किमी लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में और शेष 1.74 किमी अन्य विभागों/निकायों जैसे–मंडी परिषद, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, जिला परिषद एवं गन्ना विकास विभाग के क्षेत्राधिकार में थीं।

यद्यपि राज्य सड़क निधि की स्थापना राज्य की समस्त सड़कों के अनुरक्षण के लिए की गयी थी, परन्तु राज्य सरकार लोक निर्माण विभाग के अलावा अन्य विभागों/निकायों की 1.74 लाख किमी सड़कों का अनुरक्षण करने में असफल रही क्योंकि केवल लोक निर्माण विभाग की सड़कों का ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं उन पर राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा सहमति (2005–10) प्रदान की गई। लोक निर्माण विभाग ने अन्य विभागों से सड़कों के अनुरक्षण एवं मरम्मत के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए समन्वय स्थापित नही किया था।

---

[15] 2005–06 : ₹ 50.99 करोड़; 2006–07 : ₹ 55.19 करोड़; 2007–08 : ₹ 56.74 करोड़; 2008–09 : ₹ 55.22 करोड़ एवं 2009–10 : ₹ 66.00 करोड़

राज्य सरकार द्वारा उत्तर में बताया गया (अक्टूबर 2010) कि राज्य सड़क निधि योजना के अन्तर्गत अनुरक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग की सड़कों को लिया गया था। यद्यपि, लोक निर्माण विभाग के सड़कों के अनुरक्षण हेतु धनराशि पर्याप्त नहीं थी, फिर भी, अन्य विभागों की सड़कों पर भी राज्य सड़क निधि योजना के अन्तर्गत अनुरक्षण हेतु विचार किया गया था। शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत अनुरक्षण हेतु विचार किये गये ऐसी एक भी सड़क का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था।

2-3-6-7 vuJo.k

राज्य सड़क निधि अधिनियम 2000 के प्रस्तर 6 (2) के अनुसार प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राज्य सड़क निधि के अंतर्गत सड़कों के समुचित अनुरक्षण तथा मरम्मत, योजना के अनुश्रवण तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में शासन को प्रगति आख्या भेजने के लिये उत्तरदायी थे। प्रमुख अभियंता द्वारा राज्य सड़क निधि योजना के अंतर्गत व्यय के विस्तृत विवरण का पृथक रखरखाव रखना तथा शासन को भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की मासिक प्रगति आख्या प्रेषित करना भी, अपेक्षित था।

वित्तीय एवं भौतिक प्रगति पर प्रभावी अनुश्रवण एवं नियंत्रण के लिए प्रमुख अभियंता ने निर्देशित किया (जून 2007)। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–6 में प्रावधानित अभिलेखों/पंजिकाओं एवं लेजर का रखरखाव होना चाहिए। 14 नमूना जाँच खण्डों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कार्यसार पंजिका[16], कार्य पंजिका[17], ठेकेदारों का लेजर[18], मार्ग निरीक्षण पंजिका एवं मार्ग वापसी पंजिका, जिसमें ठेकेदार को कार्य के लिए दिये गये अग्रिमों तथा सामग्रियों पर नियंत्रण, एक कार्य विशेष पर किये गये व्यय, अवर अभियंताओं द्वारा प्राप्त की गयी सामग्री के खपत तथा मार्गो के पूर्ण इतिहास पर नियंत्रण रखते हैं, को नहीं बनाया गया था । यह अधिशासी अभियंताओं द्वारा कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के प्रति अप्रभावी अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा रिपोर्टिंग को दर्शाता है। राज्य सरकार द्वारा उत्तर में बताया गया (अक्टूबर 2010) कि खण्डीय स्तर पर अभिलेखों के समुचित रख–रखाव के लिये क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को निर्देशित कर दिया गया है।

dk;Z dk fu"iknu

2-3-7 y{; ,o mi yfC/k

2-3-7-1 ekxk dk vi;kIr uohuhdj.k

राज्य सरकार द्वारा (दिसम्बर 2003) प्रत्येक प्रकार/श्रेणी के मार्गों के नवीनीकरण के लिए चक्र निर्धारित किया गया था। राज्य मार्गों तथा मुख्य जिला मार्गों की लम्बाई का 1/4, अन्य जिला मार्गों का 1/5 तथा ग्रामीण मार्गों का 1/8 प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत किया जाना था। 2005–10 की अवधि में लोक निर्माण विभाग के अधीन प्रत्येक श्रेणी के मार्गों की कुल लम्बाई का विवरण तथा नवीनीकरण हेतु अपेक्षित मार्गों की लम्बाई का विवरण ***ifjf'k"V&2-3-1*** में दिया गया है। विभाग द्वारा 2005–10 की अवधि में मार्गों के नवीनीकरण का लक्ष्य कम निर्धारित किया गया था फिर भी यह प्राप्त नही किया जा सका जैसाकि **lkj.kh 10** में दिया गया है।

[16] एक माह में कार्य से सम्बन्धित समस्त संव्यवहारों का लेखा होता है

[17] वर्ष में प्रत्येक कार्य पर खण्ड द्वारा किये गये व्यय का स्थायी तथा एकीकृत अभिलेख

[18] प्रत्येक ठेकेदार को दी गयी सामग्री तथा अग्रिम का विवरण रहता है

lkj.kh 10 % ekxksZa ds uohuhdj.k esa deh

o"kZ	ekxZ dh yEckbZ	pd ds vuqlkj uohuhdj.k gsrq ekxZ dh vifs{kr yEckbZ	uohuhdj.k gsrq yf{kr ekxksZa dh yEckbZ	uohuhdj.k gsrq vifs{kr ekxksZa dh yEckbZ ds lkis{k fu/kkZfjr y{; esa deh		fu/kkZfjr y{; ds lkis{k uohuhd`r ekxksZa dh yEckbZ		pd ds vuqlkj uohuhdj.k gsrq vifs{kr ekxksZa dh yEckbZ ds lkis{k y{; ikfIr esa deh
	fdeh	fdeh	fdeh	fdeh	ifr'kr esa	fdeh	ifr'kr esa	ifr'kr esa
1	2	3	4	5(d)	5([k)	6(d)	6([k)	7
2005-06	1,21,538	19,368	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2006-07	1,28,176	20,256	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2007-08	1,42,908	22,149	14,842	7,307	33	9,003	61	**59**
2008-09	1,55,291	23,735	14,724	9,011	38	10,970	75	**54**
2009-10	1,63,430	24,647	14,800	9,847	40	11,903	80	**52**
						31,876[19]		

(L=ksr% iseq[k vfHk;Urk] yksd fuekZ.k foHkkx] y[kuÅ)

foHkkx de fd;s x;s y{; dks Hkh ikIr ugha dj ldk Fkk

वर्ष 2007–08 से 2009–10 की अवधि में, मार्गों के नवीनीकरण हेतु लक्ष्य 33 से 40 प्रतिशत कम निर्धारित किये गये थे। विभाग इस कम किये गये लक्ष्य को भी नहीं प्राप्त कर सका तथा लक्ष्य प्राप्ति में 20 से 39 प्रतिशत तक की कमी थी। नवीनीकरण के लिए अपेक्षित मार्ग के सापेक्ष मात्र 41 से 48 प्रतिशत का नवीनीकरण किया जा सका था। वर्ष 2005–06 में कोई भी मार्ग नवीनीकृत नही किया गया था तथा वर्ष 2006–07 के आंकड़े अलग से नहीं बनाये थे।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर में बताया गया (अक्टूबर 2010) कि मार्गों के नवीनीकरण तथा मरम्मत के लक्ष्य, मार्गों की स्थिति के साथ–साथ धन की उपलब्धता को दृष्टिकोण में रखते हुए सुनिश्चित किये गये थे। शासन का उत्तर मान्य नही है क्योंकि 2007–10 की अवधि में 41,310 किमी मार्ग के नवीनीकरण हेतु बजट प्रावधान में प्राप्त ₹ 1,228.00 करोड़ के सापेक्ष राज्य सड़क निधि के अंतर्गत केवल 20,742 किमी मार्ग का नवीनीकरण किया गया था जैसाकि ***ifjf'k"V 2-3-2*** में दिया गया है।

2.3.7.2 ifjgk;Z 0;;

rhu ekxksZa ij ifjgk;Z vfrfjDr 0;;

de dLV ij egaxh fof'kf"V;ksa dk mi;ksx fd;s tkus ds ifj.kkeLo:i ₹ 4-35 djksM+ dk vf/kd 0;;

मार्ग सुदृढ़ीकरण के मूल सिद्धान्त के अनुसार बिटुमिनस मैकडम (बी एम) को नान बिटुमिनस बेस के ऊपर तभी डाला जाना चाहिए जबकि मार्ग की क्रस्ट थिकनेस यातायात भार को सहन करने लिए पर्याप्त हो। कम क्रस्ट के ऊपर डाला गया बी0 एम0 अधिक समय तक टिकाऊ नही होता। इण्डियन रोड कांग्रेस (आई.आर.सी.) की गाइडलाइन के अनुसार बी एम तभी डाला जाना चाहिए जब नान बिटुमिन्स क्रस्ट की मोटाई 37.5 सेमी से कम न हो यहां तक कि यदि मार्ग पर यातायात घनत्व न्यूनतम तथा सब ग्रेड के मिट्टी की गुणवत्ता उच्च हो। बिटुमिन एवं एस0डी0बी0सी0 के स्थान पर वीयरिंग कोर्स के लिए प्रथम कोट पेंटिंग (पी–1) के बाद द्वितीय कोट पेंटिंग (पी–2) अथवा प्रीमिक्स कारपेट (पी सी) के साथ सील कोट का प्रावधान होना चाहिए।

नमूना जाँच में लिए गए जिलों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि राज्य सड़क निधि के अधीन स्वीकृत कार्यों से सम्बंधित जनपद हरदोई तथा मुजफफरनगर के तीन मार्ग कार्यों में पी सी एवं सील कोट के बजाय बीएम तथा एसडीबीसी का प्रावधान किया गया था जबकि इन मार्गों के नान बिटुमिनस क्रस्ट की मोटाई 23 से 34 सेमी के मध्य

[19] 20742 किमी0 रा0स0नि0 के अन्तर्गत एवं शेष अन्य योजनाओं के अन्तर्गत नवीनीकृत

थी। आई आर सी गाइडलाइन की अवहेलना करते हुए *₹ 4.35 करोड़ का* व्यय इन मार्गो पर हुआ था।

आई आर सी के स्थाई आदेशों का अनुपालन कर ₹ 4.35 करोड़ के अधिक व्यय को बचाया जा सकता था जैसा कि **lkj.kh 11** में दिया गया है।

lkj.kh 11 : egaxh fof'kf"V;ksa dks viukus ds dkj.k vR;f/kd O;;

(₹ djksM+ esa½

[k.M dk uke	ekxZ dk uke	Lohd`fr dk ekg	Lohd`r ykxr	uku fcVqfeul csl dksV dh eksVkbZ (lseh)	O;;		
					ch ,e ,oa ,lMhchlh ij	ih lh ,oa lhy dksV ij	vf/kd O;;
1	2	3	4	5	6	7	8
नि0ख0–1, हरदोई	बिलरायॉ पनवारी मार्ग	दिसंबर 2004	4.89	34	1.76	0.81	0.95
प्रा0ख0, मुजफफरनगर	पुर्काजी लक्सर मार्ग	जून 2009	5.07	32	4.22	1.88	2.34
नि0ख0–1, मुजफफरनगर	पानीपत खटीमा से दिल्ली यमनोत्री मार्ग वाया बाबर कैदी	जनवरी 2010	1.88	23	1.82	0.76	1.06
;ksx					**7.80**	**3.45**	**4.35**

(L=ksr%: yksd fuekZ.k foHkkx ds [k.Mksa dh ueuk tkap)

राज्य सरकार द्वारा उत्तर में बताया गया (अक्टूबर 2010) कि प्रकरण की जाँच हेतु सम्बंधित मुख्य अभियंताओं को निर्देशित कर दिया गया है। करायी गई जॉच का परिणाम, यदि कोई है, प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2011)।

2.3.7.3 rduhdh Lohd`fr ds iwoZ dk;ksZa ij O;; fd;k tkuk

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–VI के प्रस्तर–375 मे प्रावधानित है कि कोई निर्माण कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि कार्य के विस्तृत आगणन पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न कर लिया जाय। प्रमुख अभियंता, के परिपत्र (जनवरी 2003) के अनुसार अधिशाषी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता तथा मुख्य अभियन्ता के लिए स्वीकृत कार्य के विस्तृत आगणन पर तकनीकी स्वीकृति दिए जाने की समय सीमा क्रमशः 15, 30 एवं 45 दिन निर्धारित थी। प्रत्येक कार्य के लिए निर्गत स्वीकृति आदेश में भी यह उल्लिखित रहता है कि कार्य के विस्तृत आगणन पर तकनीकी स्वीकृति दिये जाने के पूर्व कोई व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

राज्य सड़क निधि योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि पांच खण्डों[20] के 21 कार्यों पर उनकी वित्तीय स्वीकृति से 10 से 23 माह बाद भी तकनीकी स्वीकृति नही प्रदान की गयी थी तथा इन कार्यों पर मार्च 2010 तक ₹ 3.52 करोड़ का व्यय किया गया था। दूसरे 34 कार्यों के प्रकरण में, 6 से 23 माह के विलम्ब से तकनीकी स्वीकृति दी गयी थी तथा तकनीकी स्वीकृति के पूर्व ₹ 21.47 करोड़ का व्यय किया गया था जैसा कि **ifjf'k"V 2.3.3** में हैं। तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के पूर्व व्यय किया जाना, वित्तीय नियमों की अवहेलना के साथ तकनीकी स्वीकृति की शुचिता को भी दोषपूर्ण कर देता है। राज्य सरकार द्वारा उत्तर में बताया गया (अक्टूबर 2010) कि प्रकरण की जाँच हेतु सम्बंधित मुख्य अभियंताओं को निर्देश निर्गत किये गये है।

---

[20] प्रा0ख0,नि0.ख0–2,बॉदा, प्रा0.ख0,इटावा, नि0ख0–1 गोरखपुर एवं प्रा0ख0मुजफ्फरनगर।

2.3.8 vuqca/k izcU/ku

2.3.8.1 iz'kkldh; Lohd`fr ds iwoZ fufonk lwpuk fuxZr djuk

rhu dk;ksZa dh fufonk lwpuk fcuk "kkldh; vuqeksnu ds tkjh dh x;h FkhA

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग 6 के प्रस्तर 316 (1) में यह उल्लिखित है कि प्रत्येक कार्य के लिये (छोटे कार्यों तथा मरम्मतों को छोड़कर) प्रशासनिक विभाग के सक्षम अधिकारी की प्रथम दृष्टया सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।

जाँच में पाया गया कि तीन मामलों में प्रशासनिक अनुमोदन तथा वित्तीय स्वीकृति के पूर्व ही निविदा सूचना निर्गत की गयी जैसा कि **lkj.kh 12** में दर्शाया गया है।

lkj.kh 12 : dk;ksZa dk fooj.k] ftu ij iz'kkldh; vuqeksnu rFkk foRrh; Lohd`fr ds iwoZ fufonk lwpuk fuxZr dh xbZ Fkh

(₹ yk[k esa)

de la0.	[k.M dk uke	dk;Z dk uke	Lohd`r /kujkf'k	Lohd`fr dk fnukad	fufonk lwpuk dk fnukad	vuqca/k dh /kujkf'k	vuqca/k la[;k ,oa fnukad	ekpZ 2010 dh fLFkfr
1	प्रा0ख0, आगरा	एसआईएसएफ मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	574.49	22-02-10	22-04-08	336.15	19/एस ई दि0 23.03.10	निर्माणाधीन
2	प्रा0ख0, इटावा	इटावा शहर के राष्ट्रीय मार्ग 2 का चौड़ीकरण	443.18	10-02-06	28-06-05	92.23	12/एस ई दि0 25.08.05	पूर्ण
3	नि0ख0, बदायूं	पीलीभीत-बरेली-मथुरा-भरतपुर मार्ग	246.62	28-04-08	26-03-08	262.82	02/एस ई दि0 25.04.08	पूर्ण

(L=ksr% ueuk&tkap dk;Z)

प्रथम मामले में, निविदा सूचना के 23 माह बाद आगणित लागत से 31.85 प्रतिशत अधिक पर, एकल निविदा के आधार पर कार्य का अनुबंध गठित किया गया था। अन्य दो मामलों में, प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति के निर्गत होने के पूर्व ही अनुबंध का गठन कर लिया गया था। राज्य सरकार द्वारा उत्तर में बताया गया (अक्टूबर 2010) कि सम्बंधित मुख्य अभियंताओं को मामले की जाँच हेतु निर्देश दे दिये गये है।

vYi dkfyd fufonk lwpuk vkeaf=r djuk

79 नमूना जाँच कार्यो के सापेक्ष छः में, ₹ 7.02 करोड़ मूल्य की अल्प कालिक निविदा सूचना **¼ifjf'k"V&2-3-4½** निर्गत की गयी थी और उनके खुलने के तीन से चार माह बाद अनुबंधों का गठन किया गया था। अल्प कालीन निविदा आमंत्रित किये जाने का औचित्य भी अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। यह शासन के निर्देशों (दिसम्बर 2000) के प्रतिकूल था क्योंकि व्यापक प्रचार प्रसार हेतु पर्याप्त समय नहीं दिया गया जिसके कारण अधिक प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका। उत्तर में, राज्य सरकार द्वारा बताया गया (अक्टूबर 2010) कि संबंधित मुख्य अभियंताओं को प्रकरण की जॉच हेतु निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।

2.3.8.2 mi;ksx ds lk{; ds fcuk Bsdsnkj dks vfxze fn;k tkuk

fcuk vkSfpR; ds Bsdsnkjksa dks ₹ 2-29 djksM+ dk e'khujh vfxze fn;k tkukA

अनुबंध के प्रस्तर 45.2 के अनुसार, ठेकेदार को मोबलाइजेशन एवं मशीनरी अग्रिम, विशेष रूप से कार्य के लिये आवश्यक उपकरणों एवं मशीनरी के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। तथापि, ठेकेदार को, विशेष उद्देश्य से कार्य स्थल पर लायी गई नई मशीनरी के प्रमाण के सम्बन्ध में, ऐसे उपकरणों/मशीनों की इनवाइस/बिल की प्रति लोक निर्माण विभाग को प्रस्तुत करना आवश्यक था। राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो के अभिलेखों की जॉच (मार्च/जून 2010) में पाया गया कि ठेकेदार को ₹ 2.29 करोड़ मशीनरी अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया था जैसा कि **lkj.kh 13** में प्रदर्शित है।

lkj.kh 13 : vfxzeksa dk fooj.k

(₹ djksM+ esa)

Øe l0	[k.M dk uke	vuqcU/k la[;k	vuqcU/k dh ykxr	e'khujh vfxze dh /kujkf'k	vfxze dk ekg
1	नि0ख0–2, बांदा	11/एस ई/09-10 दि0 04.01.2010	19.07	0.95	जनवरी 2010
2	प्रा0ख0, आगरा	19/एस ई/09-10 दि0 23.03.2010	3.36	0.34	मार्च 2010
		20/एस ई/09-10 दि0 23.03.2010	21.93	1.00	मार्च 2010
;ksx				**2.29**	

(L=ksr%: ueuk& tkap dk;Z)

इन प्रकरणों में, यह सिद्व करने के लिये कि नई मशीनरी वास्तव में क्रय की गयी एवं कार्य स्थल पर लाई गयी थी, कोई (बीजक)/बिल नहीं प्राप्त किया गया था ।

शासन ने प्रकरण की जाँच हेतु सम्बंधित मुख्य अभियंताओं को निर्देश निर्गत (अक्टूबर 2010) किए थे।

2.3.8.3 lh-vkj-lh-[21] dh ewy izfr izkIr fd, fcuk fcVqfeu dk;ksZa dk Hkqxrku

अनुबंध की शर्त भाग 2–अनुबंध की विशेष शर्त के भाग–4 के अनुसार, ठेकेदार भारतीय तेल निगम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम से बिटुमिन या मोडिफाइड बिटुमिन प्राप्त करेगा तथा बिटुमिन या माडिफाइड बिटुमिन के भुगतान मांगने के समय देयकों के साथ कम्पनी से निर्गत मूल सी.आर.सी. प्रस्तुत करेगा। प्रमुख अभियंता द्वारा निर्गत (जनवरी 2006) गाइड लाइन में भी यह वर्णित है कि ठेकेदार द्वारा बिटुमिनस कार्य से सम्बन्धित भुगतान देयकों के साथ बिना मूल सी0आर0सी0 के प्रस्तुत किए जाने की दशा में ठेकेदारों को कोई भुगतान न किया जाय।

नमूना जाँच कार्यों, जिनके लिए ठेकेदारों को बिटुमिन की व्यवस्था स्वयं करनी थी, के वाऊचरों की जाँच (मई/जून 2010) में पाया गया कि बिना मूल सी0आर0सी0 प्राप्त किए बिटुमिनस कार्यों हेतु ठेकेदारों को भुगतान किया गया था जैसाकि **lkj.kh 14** में दिया गया है।

lkj.kh 14 : fcuk ewy lh vkj lh izkIr fd, Bsdsnkjksa dks Hkqxrku dk fooj.k

[k.M dk uke	dk;Z dk uke/ Lohd`fr o"kZ	en	enksa dh ek=k ?ku eh0 / fcVqfeu dk xzsM	fcVqfeu [kir dh ek=k/ eh0Vu	fcVqfeu dh nj	/kujkf'k ₹ yk[k esa
अधि0अभि0, प्रा0ख0, बुलंदशहर	बुलंदशहर सैदपुर मार्ग (नवंबर 2006)	बी0एम0	6728.819/60-70	516.97	21530	111.30
		एस0डी0बी0सी0	3352.8/सीआरएमबी	386.86	24485	94.72
अधि0अभि0, नि0ख0, बदायूं	पीलीभीत–बरेली–मथुरा– भरतपुर (मई 2008)	बी0एम0	211.18/60-70	15.29	31872	4.87
		एस0डी0बी0सी0	3174.85/60-70	329.69	31872	105.08
	मेरठ बदायूं मार्ग (मई 2010)	बी0एम0	57.28/60-70	4.20	32994	1.39
		एस0डी0बी0सी0	1185.04/ सीआरएमबी	136.74	36523	49.94
अधि0अभि0, नि0ख0–1, हरदोई	पालिया लखनऊ राज्य मार्ग (मार्च 2006)	बी0एम0	15187.20/60-70	1167.00	18500	215.89
		एस0डी0बी0सी0	7610.80/ सीआरएमबी	878.00	18500	162.43
;ksx						**745.62**

(L=ksr%: ueuk& tkap dk;Z)

[21] प्रेषण पावती प्रमाण पत्र

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (जून 2010), खण्ड ने उत्तर में बताया (जून 2010) कि मूल सी0आर0सी0 ठेकेदार के पास थी और इसे भुगतान के समय सत्यापित किया गया था। उत्तर मान्य नही है क्योंकि मूल सी0आर0सी0 खण्ड को समर्पित करनी थी और दुरूपयोग एवं गबन को रोकने की दृष्टि से यह अभिलेख का भाग होना चाहिए। उत्तर ने राज्य सरकार द्वारा उत्तर में बताया गया (अक्टूबर 2010) कि सम्बंधित मुख्य अभियंता को मामले की जाँच के लिए निर्देश निर्गत किये गये है।

2.3.9 viHkko'kkyh x|.koRrk fu;=.k

dk;k ij i;kx dh xb lkexh dh tkp fu/kkfjr ekud lhek rd ugh dh x;h

विभाग के अनुसंधान एवं गुणवत्ता प्रोन्नति प्रकोष्ठ की स्थापना कार्य की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु निर्माण सामग्री की जाँच के लिए की गई थी। शासनादेश (अगस्त 1996) के अनुसार, लोक निर्माण विभाग के खण्डों के लिये अनिवार्य था कि कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का कुल 25 प्रतिशत इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान एवं गुणवत्ता प्रोन्नति प्रकोष्ठ को भेजे। सामग्री का प्रयोग ऐसे नमूनों के जाँच परिणाम प्राप्त होने के बाद किया जाना था।

चौदह नमूना जाँच खण्डों में से छह[22] में, गुणवत्ता सम्बन्धी परीक्षण हेतु अनुसंधान एवं गुणवत्ता प्रोन्नति प्रकोष्ठ को नमूना सामग्री भेजने से सम्बंधित किसी भी अभिलेख का रख–रखाव खण्डों द्वारा नहीं किया गया था। अनुसंधान एवं गुणवत्ता प्रोन्नति प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सामग्रियों की जाँच से सम्बंधित सूचना (जुलाई 2010) के अनुसार 2005–10 की अवधि में मात्र 7 खण्डों द्वारा 17 कार्यों से संबंधित 133 नमूने भेजे गये थे। विवरण **lkj.kh 15** में दिया गया है।

lkj.kh 15 : x|.koRRkk tkp dh fy, vu|lU/kku ,o x|.koRrk iklUufr idk"B dks Hkstk x;s ueuks dk fooj.k

o"k	[k.M dk uke	lMdks dh l[;k	ueuks dh l[;k	vlQy ueus
2005-06	प्रा0ख0,लखनऊ	3	13	शून्य
	प्रा0ख0, बांदा	1	2	शून्य
2006-07	नि0ख0–1, गोरखपुर	2	2	शून्य
	नि0ख0–1, हरदोई	2	53	50
	प्रा0ख0,औरेया	1	4	शून्य
2007-08	प्रा0ख0,लखनऊ	3	13	5
2008-09	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2009-10	प्रा0ख0,बांदा	4	12	शून्य
	प्रा0ख0,कौशाम्बी	1	34	शून्य
	योग	17	133	55

(L=ksr: vu|lU/kku ,o x|.koRrk iklUufr idk"B, y[kuÅ)

वर्ष 2008–09 में, 14 नमूना जाँच खण्डों में किसी से कोई भी नमूना अनुसंधान एवं गुणवत्ता प्रोन्नति प्रकोष्ठ को प्राप्त नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त, दो खण्डों[23] से संबंधित प्राप्त किये गये 66 नमूनों के सापेक्ष 55 (80 प्रतिशत) परीक्षण असफल रहे।

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ एवं निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरदोई के अभिलेखों की जाँच में पाया गया (अगस्त 2010) कि दोनों खण्डों द्वारा

---

22 प्रान्तीय खण्ड औरैया, निर्माण खण्ड बदायूं, प्रान्तीय खण्ड बुलन्द शहर, निर्माण खण्ड–1 गोरखपुर, प्रान्तीय खण्ड कौशाम्बी,, तथा प्रान्तीय खण्ड मुजफ्फर नगर।

23 नि0ख0–1, हरदोई एवं प्रा0ख0,लखनऊ

निर्माण कार्यों में अधोमानक सामग्रियों का प्रयोग किया गया था। कार्य में अधोमानक सामग्रियों के लिए, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सम्बंधित ठेकेदार पर ₹ 1.90 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया गया जिसकी वसूली कर ली गई थी। निर्माण खण्ड प्रथम, लोक निर्माण विभाग, हरदोई द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही नही की गई थी।

उपरोक्त तथ्य विभाग में अप्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण का द्योतक है। राज्य सरकार द्वारा उत्तर में (अक्टूबर–2010) तथ्यों को स्वीकार किया गया तथा शासकीय आदेश का कड़ाई से अनुपालन के लिए समस्त मुख्य अभियन्ताओं को निर्देशित किया।

2.3.10 fu"d"k

सभी मार्गो के डाटा की अनुपलब्धता के कारण नवीनीकरण हेतु मार्गो का चयन पारदर्शी नहीं था। इनमें अनुपयुक्त कार्यो का चयन, मार्गो का समय पूर्व नवीनीकरण, आई0आर0सी0 की संस्तुतियों के प्रतिकूल मंहगी विशिष्टियों को अपनाना, बिना तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये कार्य प्रारम्भ करना तथा त्रुटिपूर्ण अनुबंध प्रबंधन के प्रकरण थे। आन्तरिक नियंत्रण भी शिथिल था क्योंकि अधोमानक सामग्री के प्रयोग को रोकने के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण मानकों का पालन नहीं किया गया था । इस प्रकार राज्य के समस्त मार्गो के, निरन्तर सुधार एवं मरम्मत द्वारा गड्ढ़ा एवं पैच मुक्त रखने के उद्देश्य को अपेक्षित सीमा तक नहीं प्राप्त किया गया था।

2.3.11 lLrfr;k

- पात्र मार्गों के चयन हेतु एक व्यापक एवं कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस बनाया जाना चाहिए तथा उसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए। प्रत्येक मार्ग को एक यूनीक कोड दिया जाना चाहिए ताकि त्रुटिपूर्ण कार्यो का चयन, दोहरी स्वीकृतियों का निर्गत किया जाना, कार्यों का दो बार होना, अन्य योजनाओं के अन्तर्गत कार्य का होना, आदि को रोका जा सके;

- समस्त श्रेणियों के मार्गों के अनुरक्षण के सम्बंध में वार्षिक चयन पर विचार हेतु प्राथमिकता सूची तैयार करने के लिये जनपद/क्षेत्रीय स्तर पर समन्वय समितियों का गठन किया जाना चाहिए;

- गुणवत्ता प्रबन्धन तथा अनुबंध प्रबंधन के लिए आन्तरिक नियंत्रण को सुदृढ़ किया जाना चाहिए; एवं

- लेखापरीक्षा परिणामों के फलस्वरूप गठित जाँचों को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए तथा उस पर सुधारात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।

lpuk ik|kfxdh ,o byDVkfuDl foHkkx

2.4 mÙkj in'k jkT; e bZ&xouUl dh r;kfj;k ij lpuk ik|kfxdh y[kkijh{kk

ई–गवर्नेन्स में, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग सरकारी संरचना और संचालन में परिवर्तन करके नागरिकों और व्यवसायों के लिए कुशल, सुविधाजनक और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाना, निहित था।

dk;dkjh lkj

सभी शासकीय सेवाओं को उपयुक्त दरों पर जनसामान्य को उनके क्षेत्रों में सामान्य सेवा वितरण केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराने एवं सेवा की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ई–गवर्नेस कार्यक्रम मई 2006 में प्रारम्भ किया गया था। कार्यक्रम के अन्तर्गत उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के बुनियादी ढाँचा यथा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट डाटा सेंटर, सामान्य सेवा केन्द्र की आवश्यकता थी जिससे राज्य सरकार द्वारा चिन्हित 17 मिशन मोड प्रोजेक्ट (एम एम पी) क्षेत्रों में नागरिक केंद्रित सेवाएं जन सामान्य को उपलब्ध कराई जा सके।

उत्तर प्रदेश राज्य में ई–गवर्नेन्स की तैयारियों की निष्पादन लेखा परीक्षा में पाया गया कि कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित 17 एम0एम0पी0 के कार्यान्वयन में राज्य अभी तक पूर्ण होने के संतोषजनक स्तर से काफी पीछे था। निष्पादन लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ प्रकाश में लायी गयी :

- परियोजनाओं का कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं था क्योंकि न तो आई0टी0 का बुनियादी ढांचा स्थापित हो सका था न ही उसका परिचालन योजना के अनुरूप हो रहा था।
- एन0आई0सी और बी0एस0एन0एल0 के साथ अनुबन्ध न होने के कारण 50 पी0ओ0पी0 साइटों का परिचालन नहीं किया जा सका था। ओ0 एफ0 सी0 कनेक्टिविटी, जो ब्लाक स्तर तक सुनिश्चित की जानी थी, मात्र जिला मुख्यालय पर ही उपलब्ध थी।
- राज्य में 17,909 सेवा केन्द्र स्थापित करने के लक्ष्य (अप्रैल 2009) के सापेक्ष मात्र 4,909 सामान्य सेवा केन्द्र ही स्थापित (जुलाई 2010) हो सके थे क्योंकि केन्द्र शासकीय सेवाए नागरिको के लिए (जी 2 सी) संचालित करने में विफल रहे।
- सेवा प्रदाता की नियुक्ति की प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण राज्य स्टेट डाटा सेंटर का संचालन दो वर्षों के उपरान्त भी नहीं हो सका।
- किसी भी समय किसी भी जगह नागरिक केन्द्रित शासकीय सेवाओं का संचालन नहीं हो सका क्योंकि न तो राज्य सेवा वितरण गेटवे की स्थापना की जा सकी थी और न ही एम0एम0पी0 के डी0पी0आर0 अनुमोदित किए गये थे।
- योजनाओं का संचालन धीमा होने के कारण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल प्राप्त धनराशि ₹ 126.35 करोड़ के सापेक्ष मात्र ₹. 56.29 करोड़ ही व्यय किया गया था।
- जिला मुख्यालय एल0ए0एन0 और तहसील एवं ब्लाक स्तरों पर एल0ए0बी0 की स्थापना ई–गवर्नेन्स योजना के अर्न्तगत प्रारम्भ न हो सकी ।
- 34 प्रतिशत हार्डवेयर की शिकायतों का निस्तारण निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं किया जा सका जोकि 180 दिनों से अधिक समय तक अनिस्तारित रहा।
- ई–डिस्ट्रिक्ट योजना के अंतर्गत चयनित 10 सेवाएं/32 उप सेवाएं में से मात्र 18 ही चयनित जिलों मे क्रियाशील की जा सकी तथा मात्र 14 सेवाएं ही संचालित थीं।

विभिन्न विभागों के लिए डिजिटाइजड डाटा का न तो उपयोग हो सका था एवं न ही उनको अद्यतन किया गया था।

- इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया प्रवाह में मैनुअल हस्तक्षेप था क्योंकि आवेदन अग्रेषित करने की इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया में एकरूपता नहीं थी। आवेदनों का निस्तारण निर्धारित सेवा अवधि में न हो पाने पर भी उच्चतर अधिकारियों को संदर्भित नहीं किया गया था।
- चयनित जिलों की जाँच में बैंडविथ का उपयोग शून्य से 4.5 प्रतिशत के बीच रहना यह प्रदर्शित करता है कि इलेक्ट्रानिक डेटा प्रवाह बहुत कम था।
- सामान्य सेवा केन्द्र स्थापना की जाँच और उनका निरीक्षण न होना परिलक्षित करता है कि निगरानी का अभाव था।

2-4-1 ifjp;

नागरिक सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता, कार्यकुशलता और प्रभावशीलता में वृद्धि करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ई–गर्वनेन्स योजना (एन0ई0जी0पी0) 27 मिशन मोड परियोजना[1] और आठ घटक के साथ 18 मई 2006 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थीं। एन0ई0जी0पी0 का विज़न *सभी शासकीय सेवाओं को आम नागरिकों की पहुंच में लाना उनके ही इलाके में सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से एवं सेवाओं में दक्षता पारदर्शिता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना था जिससे कि आम नागरिक को बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हो सके*। एन0ई0जी0पी0 के तहत राज्य डाटा केन्द्र (एस0डी0सी0) का निर्माण सेवाओं, आवेदनों तथा बुनियादी ढांचे को समेकित करने के लिए प्रस्तावित किया गया था जिससे कि सरकार से सरकार (जी 2 जी), सरकार से नागरिक (जी 2 सी), और सरकार से व्यवसाय (जी 2 बी) सेवाओं को प्रभावी इलेक्ट्रानिक प्रभाव के मााघ्यम से सेवाएं उपलब्ध करायी जा सके। इन सेवाओं को सामान्य सेवा प्लेटफार्म द्वारा दिया जाना था जोकि कोर कनेक्टीविटी ढँाचा यथा एस0डब्लू0ए0एन0 और सामान्य सेवा केन्द्रों (सी0एस0सी0) द्वारा समर्थित तथा ग्राम स्तर तक विस्तारित हो सके। सरकार द्वारा बेब आधारित चिन्हित सेवाओं को किसी समय कही भी पहुच के लिए और उनकी सेवाओं की प्रक्रिया बदलने के लिए कोर और समर्थित बुनियादी ढांचा बनाया जाना था। एन0ई0जी0 पी0 के तहत 27 एम0एम0पी0 में से राज्य द्वारा 17[2] एम0एम0पी0 चिन्हित की गयी थी।

ई–जिला एम0एम0पी0 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा इलेक्टानिक माध्यम से दस सेवाएं चिन्हित की गयी थी जिसमें प्रमाण पत्र निर्गमन पेंशन (समाज कल्याण पेंशन) राजस्व न्यायालय, सरकारी बकाया और वसूली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन कार्ड से सम्बन्धित), आर0टी0आई0 सेवाएं, चुनाव, लाइसेंस, उपयोगिता से सम्बन्धित सम्मिलित 32 उप सेवाऐं (***ifjf'k"V 2-4-1***) थी जिनमें मात्र 22 सेवायें सक्रिय की जा सकी थी।

2-4-2 jkT; bl&xouZsUl fotu

fotu ** *सूचनाओं को पहुँच में ला कर बेहतर सेवा उपलब्धता, सरकारी प्रक्रिया में बदलाव और जनता को सशक्त बनाने हेतु राज्य के आर्थिक विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग एक वाहन के रूप में किया जाना था।*

एन0ई0जी0पी0 के उद्देश्यों एव राज्य के विजन को प्राप्त करने हेतु मे० प्राइस वाटर हाउस कूपर द्वारा राज्य के ई–गवर्नेन्स और राज्य के 55 विभागों (18 गहन अध्ययन और 37 व्यापक अध्ययन) का रोडमैप बनाया (नवम्बर 2007) गया था (फरवरी 2007)।

---

1 एम0एम0पी0: का तात्पर्य परियोजनाओं के अच्छी तरह से परिभाषित उददेश्यों, कार्य क्षेत्र, सेवा स्तर के माइलस्टोन और कार्यान्वयन के लिए समय सीमाएं होता है।

2 राज्य एम0एम0पी0 (विभागों) :राजस्व, टैक्स और पंजीकरण, परिवहन, कृषि, गृह, वित्त, शहरी विकास, पंचायती राज, श्रम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, समाज कल्याण, महिला कल्याण और बाल विकास, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, माध्यमिक शिक्षा और विकलांग विभाग.

विभागीय अध्ययन का उद्देश्य विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी स्तर एवं उपयोग तथा स्थिति मूल्यांकन करना और पांच वर्षों का ई–गवर्नेन्स का रोड मैप बनाना था। विभागीय ई–गवर्नेन्स के रोड मैप का डिजाइन निम्न को सुनिश्चित करने हेतु किया गया था:

- बेहतर गवर्नेन्स द्वारा आवश्यकता आधारित नागरिक केन्द्रित सेवाओं को उपलब्ध कराना;
- सामान्य बुनियादी ढाँचे के उपयोग तथा विकास के माध्यम से लागत अर्थवत्ता एवं सामान्य नीतियों का अनुवर्तन सुनिश्चित करना
- बिजनेस प्रोसेस री–इन्जीनियरिंग (बी0पी0आर0)और प्रशासनिक सुधार;
- क्षमता में संवर्धन द्वारा प्रबन्धन में बदलाव;
- परियोजनाओं (मिशन मोड) का त्वरित कार्यान्वयन;
- सभी विभागीय परियोजना के दृष्टिकोण और डिजाइन का मानकीकरण।

2-4-3 bZ&xousZUl ls ukxfjdksa dh vis{kk,a

राज्य के ई–गर्वनेन्स रोड मैप के अनुसार ई–गवर्नेन्स से नागरिको की अपेक्षाऐं संक्षेप में निम्नवत हैं :

- शासन और उसकी सेवाओं संबंधी सूचनाओं तक त्वरित और आसान पहुँच;
- शासकीय सेवाएं प्राप्त करने मे लचीलापन एवं 'जहाँ और जब माँग हो' सेवाओं की उपलब्धता;
- सेवाओं की सामग्री और गुणवत्ता के बारे में प्रतिक्रिया के लिए जवाबदेही;
- सरकार से एकीकृत रूप में सेवाएं प्राप्त करने में नागरिक सक्षम हो।

2-4-4 laxBukRed <kapk

राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्न है :

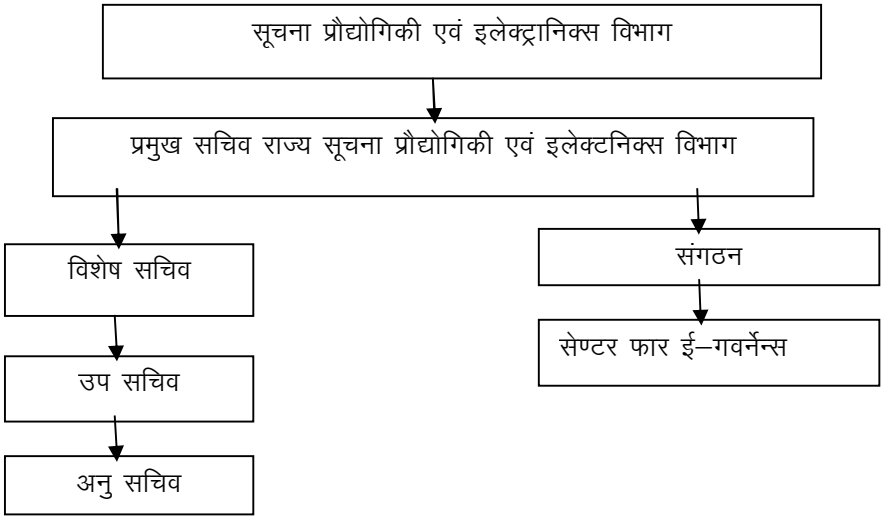

प्रमुख सचिव, राज्य सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रनिक्स विभाग के प्रमुख थे जिनकी सहायता हेतु विशेष सचिव, उप सचिव एवं अनुसचिव थे। विभाग एन0ई0जी0पी0 हेतु सूचना प्रौद्योगिकी नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी था। राज्य में एन0ई0जी0पी0 के अनुरक्षण एवं क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा गठित स्वायत्त और स्वतंत्र

निकाय सेण्टर फार ई–गर्वनेन्स[3] (सी0ई0जी0) थी, जिसको सरकार के सहयोग एवं सहायता हेतु और राज्य में पूर्णकालिक आन्तरिक सलाहकार निकाय तथा सचिवालय के रूप में राज्य में ई–गर्वनेन्स योजना की जिम्मेदारी थी। राज्य सरकार के बुनियादी ढॉचा और औद्योगिक विकास आयुक्त सी0ई0जी0 के पदेन अध्यक्ष तथा प्रमुख सचिव आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स पदेन उपाध्यक्ष के रूप में नामित थे।

2-4-5 y[kkijh{kk dk;Z {k=

राज्य द्वारा क्रियान्वित की गयी एन0ई0जी0पी0 योजना के मूल्यांकन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा अप्रैल 2010 से जुलाई 2010 तक की गयी थी। लेखापरीक्षा के आच्छादन की अवधि योजना के प्रारम्भ होने के वर्ष 2006–07 से मार्च 2010 तक थी। लेखापरीक्षा में निम्न अभिलेखों की जाँच की गयी :

- सेण्टर फार ई–गर्वनेन्स, लखनऊ;
- छः[4] में से तीन ई–जिला (सीतापुर, रायबरेली और गोरखपुर);
- राज्य द्वारा चिन्हित 117 में से चार[5] एम0एम0पी0;
- 22 सक्रिय ई–जिला की सेवाओं में से छः[6] सेवाएं और

चयन की प्रक्रिया बिना परिवर्तित किए सरल रेण्डम नमूना पद्धति पर आधारित थी। एन0आई0सी0 द्वारा बनाये गये ई–जिला डाटाबेस 17 जून 2010 तक का विश्लेषण किया गया था। इसके अतिरिक्त, चयनित जिलों के मुख्यालय में स्थापित जन सुविधा केन्द्रों, दो तहसीलों और एक ब्लाक का भी निरीक्षण किया गया था।

2-4-6 y[kk ijh{kk d mÌ';

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि

- योजना के क्रियान्वयन और संचालन हेतु नियेाजन प्रक्रिया प्रभावी थी;
- परियोजना निदर्शिका के उद्देश्यों के अनुसार सूचना प्रणाली की ग्राह्यता एवं स्थापना में मितव्ययता, दक्षता एवं प्रभावकारिता परिकल्पित थी;
- सूचना प्रौद्योगिकी वितरण और समर्थन तंत्र प्रभावी और क्रियाशील था;
- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तंत्र प्रभावी थे;

2-4-7 y[kk ijh{kk ifj.kke

2-4-7-1 uhfr fu/kkj.k d vHkko e ifj;kstuk dk viHkkoh fØ;kUo;u ,o lpkyu

आम नागरिकों के लिए शासकीय सेवाओं को उनके क्षेत्र में सुलभ कराने के उद्देश्य हेतु एन0ई0जी0पी0 के निम्न तीन आधार स्तम्भ थे:

- कनेक्टीविटी की स्थापना हेतु एस0डब्लू0ए0एन0
- केन्द्रीय डाटा भण्डारण/पुनर्प्राप्ति हेतु एस0डी0सी0

3 सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में दर्ज की गई.

4 गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, रायबरेली, सीतापुर, और सुल्तानपुर

5 कृषि विभाग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, पंचायती राज विभाग, और महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग

6 जाति प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, राशन कार्ड, और शिकायत दाखिल

- वेब आधारित सेवाओं और सूचना को कहीं भी कभी भी उपलब्ध कराने तथा उनके पहुँच हेतु सामान्य सेवा केन्द्र, एम0एम0पी0 के अन्तर्गत चयनित विभागों द्वारा विभागीय सेवाएं उपलब्ध करायी जानी थी। जो सेवाएं एम0एम0पी0 के अन्तर्गत नहीं आती थी उन्हें राज्य के छः[7] पायलट जिलों में ई–जिला एम0एम0पी0 क्रियान्वित योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी जानी थी। प्रभावी सेवा वितरण प्रणाली को प्राप्त करने के लिए प्रमुख बुनियादी ढाँचा और नागरिक केन्द्रित शासकीय सेवाओं की उपलब्धता का समकालिक होना आवश्यक था।

फिर भी, लेखापरीक्षा में पाया गया कि परियोजना कार्यान्वयन की प्रगति का स्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि न तो सूचना प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे की स्थापना योजनाबद्ध तरीके से की गयी थी और न ही परियोजना के अप्रभावी संचालन के कारण नागरिको को सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकी जैसा कि आगामी प्रस्तरों में दिया गया है :

2-4-7-2 ,l0MCyw0,0,u0 dh lsok Lrj gsrq vuqcU/k xfBr u fd;k tkuk

एस0डब्लू0ए0एन0 का उद्देश्य शासन के लिए एक सुरक्षित उपयोगकर्ता समूह की स्थापना या जिससे कि राज्य मुख्यालय को जिला मुख्यालय, तहसील और ब्लाक मुख्यालय से 2 एम0बी0पी0एस0 बैंडविथ कनेक्टीविटी के साथ जी 2 जी और जी 2 सी सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से जोडा जा सके। एस0डब्लू0ए0एन0 निर्देशिका (अक्टूबर 2004) के अनुसार इसकी स्थापना, संचालन और अनुरक्षण के लिए तथा ब्लाक स्तर तक कम से कम 2 एम0बी0पी0एस0 कनेक्टीविटी उपलब्ध कराने के लिए कार्यदायी एजेन्सी के साथ अनुबन्धों को गठित किया जाना था।

विभाग द्वारा प्राथमिक क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में एन0आई0सी0 (अक्टूबर 2004) और बी0एस0एन0एल0 (नवम्बर 2006) का चयन बैंडविथ सेवा प्रदाता के लिए किया गया था। एन0आई0सी0 885 एस0डब्लू0ए0एन0 प्वाइन्ट आफ प्रेसेन्स राजधानी (01) सम्बन्धित जिलों (70) तहसीलों (240) तथा ब्लाकों (574) में स्थापना और क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी था।

हालांकि, निर्देशिका के प्रावधानों के विपरीत वी0एस0एन0एल0 और एन0 आई0सी0 के साथ अनुबन्ध नहीं किया गया (जुलाई 2010) था। अनुबन्ध के अभाव में मुख्य सेवा स्तर संकेतक जिसको कार्यान्वयन ऐजेन्सी और बैंडविथ संचालक द्वारा अनुपालन किया जाना था, सूचको के स्थापित न किये जाने से उसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं हुआ। परिणामस्वरूप :

- एन0 आई0 सी0 द्वारा स्थापित 885 पी0ओ0पी0 में से पचास जुलाई 2010 तक संचालित नहीं किए जा सके। पी0ओ0पी0 और बी0 एस0 एन0 एल0 एक्सचेन्ज के मध्य 5 किमी से अधिक दूरी होने के कारण बी0 एस0 एन0 एल0 द्वारा 40 पी0ओ0पी0 में 2 एम0 बी0 पी0 एस0 लीज लाइन कनेक्टीविटी उपलब्ध नहीं करायी जा सकी। तकनीकी कारणों (मोडम/लाइन समस्या) से 10 पी0ओ0पी0 चालू नहीं किए जा सके। इस समस्या के निराकरण हेतु अतिरिक्त उपकरणों की स्थापना के लिए बी0 एस0 एन0 एल0 द्वारा ₹ 80 लाख की मांग की गयी थी। प्रकरणों को विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार को संदर्भित किया गया। प्रबन्धन इकाई के निर्देशों (मई 2009) पर भारत सरकार ने इस आधार पर धनराशि निर्गत करने से मना कर दिया कि बी0 एस0 एन0 एल0 द्वारा

7 गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, रायबरेली, सीतापुर, और सुल्तानपुर.

2 एम0 बी0 पी0 एस0 कनेक्टीविटी ब्लाक पी0ओ0पी0 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना था तथा इसके लिए भारत सरकार को मात्र किराया शुल्क का भुगतान किया जाना था। न तो बी0 एस0 एन0 एल0 द्वारा पी0ओ0पी0 के संचालन हेतु किसी उपकरण को स्थापित किया गया था और न ही विभाग द्वारा कोई पेनाल्टी आरोपित की गयी।

- बी0 एस0 एन0 एल0 एक्सचेन्ज से कनेक्टीविटी सुनिश्चित किए बगैर एन0 आई0 सी0 द्वारा 40 पी0ओ0पी0 पर नेटवर्क हार्डवेयर स्थापित कर दिया गया, जोकि स्थापना के वर्ष (2008–09) से प्रयोग में नहीं लाये जा सके। यह एन0 आई0 सी0 और बी0 एस0 एन0 एल0 में सामंजस्य के अभाव को प्रदर्शित करता है।
- ब्लाक मुख्यालय तक 2 एम0 बी0 पी0 एस0 आप्टिकल फाइबर कनेक्टीविटी (ओ0 एफ0 सी0) को बी0 एस0 एन0 एल0 द्वारा सुनिश्चित किया जाना था। नमूना जाँच में लिए गए जनपद गोरखपुर में 21 पी0ओ0पी0 की स्थापना और ओ0 एफ0 सी0 कनेक्टीविटी मात्र जिला मुख्यालय पर उपलब्ध करायी गयी, मैनेज्ड लीज लाइन नेटवर्क (एम0 एल0 एल0 एन0) कनेक्टीविटी एक तहसील, दो ब्लाक मुख्यालय को उपलब्ध कराया गया तथा शेष 17 पी0ओ0पी0 को एम0 एल0 एल0 एन0 कनेक्टीविटी उपलब्ध नहीं था। ओ0 एफ0 सी0 के अभाव में न सिर्फ नेटवर्क की रफ्तार कम हुयी बल्कि एम0 एल0 एल0 एन0 कनेक्टीविटी के साथ एक मोडम की स्थापना और 2 मोडम बिना एम0 एल0 एल0 एन0 संयोजन के स्थापित थे।
- एस0 एल0 ए0 के अभाव में विभाग द्वारा न तो कोई कार्यवाही शुरू की गयी एवं न ही कोई जुर्माना लगाया गया था, जो कि यह प्रदर्शित करता था कि उच्च स्तर पर नियोजन की कमी है।

शासन ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2010) कि बी0 एस0 एन0 एल0 के साथ अनुबन्ध (नवम्बर 2010) किया गया था और एन0 आई0 सी0 के साथ अनुबन्ध प्रक्रियान्तर्गत था।

2-4-7-3 lkekU; lok dUnk dk lpkyu u fd;k tkuk

एन0 ई0 जी0 पी0 के अन्तर्गत ग्रामीण नागरिकों के लिए फ्रन्ट एण्ड इन्टरफेस के रुप में सी0 एस0 सी0 द्वारा शासकीय सेवाओं के साथ अन्य मूल्य वर्धित सेवाएं ग्रामीण नागरिकों को उपलब्ध करायी जानी थी। सी0 एस0 सी0 की अनुमोदित निर्देशिका (सितम्बर 2006) के अनुसार राज्य मनोनीत ऐजेन्सी (एस0 डी0 ए0) सेण्टर फार ई–गर्वनेन्स योजना के पूर्ण रूप से प्रबन्धन और अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी थी। एस0 डी0 ए0 को बोली–प्रक्रिया द्वारा निजी क्षेत्र से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप माडल के आधार पर पांच वर्षो की अवधि (एक वर्ष रोल आउट एवं चार वर्ष संचालन) हेतु सर्विस सेण्टर एजेन्सी (एस0 सी0 ए0) का चयन किया जाना था। बोली–प्रक्रिया हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर0 एफ0 पी0) का अन्तिमीकरण सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा नियुक्त सलाहकार इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेन्सियल सर्विसेज (आई0 एल0 एण्ड0 एफ0 एस0) की सलाह से किया जाना था। परियोजना की संकल्पनात्मक अवधारणा एवं पूर्ण संचालन और क्रियान्वयन हेतु एन0 एल0 एस0 ए0, उत्तरदायी था। छः राजस्व ग्रामों के समूह में से एक ग्राम में केन्द्रों की स्थापना एस0 सी0 ए0 द्वारा नियुक्त विलेज लेवल इन्टरप्रन्योर द्वारा की जानी थी।

एन0 एल0 एस0 ए0 द्वारा अन्तिमीकृत की गयी आर0 एफ0 पी0 के अनुसार सी0 एस0 सी0 द्वारा 75 प्रतिशत राजस्व विजनेस से नागरिक सेवाओं (बी 2 सी) और 25 प्रतिशत राजस्व, सरकार से नागरिक सेवाओं (जी 2 सी) द्वारा अर्जित किया जाना था। मास्टर

सर्विस अनुबन्ध (एम0 एस0 ए0) के अनुसार जी 2 सी सेवा सी0 एस0 सी0 पर ही उपलब्ध करायी जायेगी, जब वह उपलब्ध होगी।

राज्य द्वारा चार निजी क्षेत्र की कम्पनियों का एस0 सी0 ए0 के रूप मे चयन करके राज्य के सात जोन (आगरा, बरेली, फैजाबाद, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद तथा वाराणसी) में 17,909 सी0 एस0 सी0 की स्थापना के लिए सात एम0 एस0 ए0 हस्ताक्षरित किए गये (अप्रैल 2008)। शासनादेश (मई 2008) के अनुसार 25 प्रतिशत लक्षित सी0 एस0 सी0 की स्थापना चार फेस में की जानी थी जैसा कि ***lkj.kh 1*** में विवरण दिया गया है:–

lkj.kh 1 % lh0,l0lh0 dh LFkkiuk gsrq y{;

pj.k	Lkh0,Lk0Lkh0 ftls LFkkfir fd;k tkuk Fkk	iw.kZ djus dh frfFk
प्रथम	4,477	08/09/2008
द्वितीय	4,477	08/10/2008
तृतीय	4,477	09/01/2009
चतुर्थ	4,478	08/04/2009
;ksx	**17,909**	

¼lzksr&lsaVj QkWj bZ&xousZUl½

फिर भी मात्र 4909 सी0एस0सी0 चार जोन (कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद और वाराणसी) में स्थापित की जा सकी थी तथा एस0 सी0 ए0 द्वारा लक्ष्य के अनुसार तीन जोन (आगरा, बरेली और फैजाबाद) में सी0एस0सी0 की स्थापना में खराब निष्पादन के कारण विभाग द्वारा अनुबन्ध निरस्त कर दिया गया था। मार्च 2010 को चार एस0 सी0 ए0 की स्थिति ***lkj.kh 2*** में अंकित है–

lkj.kh 2 : Lkh0,Lk0Lkh0 dk y{; vkSj jksy vkmV

dekad	LkfoZLk LksVj ,tsLkh	yf{kr Lkh,LkLkh	jksy vkmV Lkh,LkLkh (29-03-10 rd½
1.	एस0 आर0 ई0 आई0 इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड	8118	3612
2.	सीएमएस कम्प्यूटर लिमिटेड	3382	1297
	dqy	**11500**	**4909**
3.	3 आई इन्फोटेक लिमिटेड	1688	अनुबंध समाप्त किया
4.	कोमेट टेक्नोलॉजी लिमिटेड	4721	
	dqy ;ksx	**17909**	**4909**

(स्रोत– सेण्टर फार ई–गर्वनेन्स)

जी 2 सी सेवाओं के अभाव के कारण सी0 एस0 सी0 अव्यवहारिकता से ग्रामीण क्षेत्रों में सी0एस0सी0 स्थापित न हो सके थे। एस0 सी0 ए0 के अनुसार जी 2 सी सेवाएं सी0 एस0 सी0 परियोजना की मुख्य घटक थी एवं बिना रोलिग आउट सेवा के सी0 एस0 सी0 आत्मनिर्भर नहीं रह सकता था तथा गाँव के उद्यमियों और बैंकरों को यह परियोजना, निवेश हेतु आकर्षित नहीं कर सकती थी।

प्रमुख सचिव, आई0 टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स की अध्यक्षता में हुई (जुलाई 2009) बैठक के कार्यवृत अंशो में जी 2 सी सेवाओं के अभाव मे सी0 एस0 सी0 की व्यवहारिता के प्रकरण को लाया गया था जिसमें सलाहकार को निर्देशित किया गया था कि सी0 एस0 सी0 को राजस्व सर्मथन हेतु री–स्टडी कर आंकड़े उपलब्ध कराये जाए। तथ्य से यह स्पष्ट था कि आई0एल0 एण्ड एफ0सी0 की यह अवधारणाा कि, सी0एस0सी0 बी02सी सेवाओं पर जीवित रहेगा, सतही स्थितियों पर आधारित नहीं थी।

जिन छः ई–जिलों में जी 2 सी सेवाऐं उपलब्ध थी, वहाँ सी0 एस0 सी0 की स्थापना एव संचालन लक्ष्य से कम था जैसा ***lkj.kh 3*** में दिया गया है।

lkj.kh 3 : bZ&ftyk esa lh ,l lh dh fLFkfr

tuin	yf{kr Lkh,LkLkh	[kqyh Xk;h	bZ ftyk Lkokvksa dk miyC/k djkus okYkh ifjpkfyr Lkh,LkLkh dh Lka[;k
सीतापुर	394	126	27
रायबरेली			40
जीबी नगर	62	एस0सी0ए0 के खराब निष्पादन के कारण विभाग द्वारा अनुबन्ध निरस्त कर दिया गया	
गाजियाबाद	95		
सुल्तानपुर	426		
गोरखपुर	555	147	61
;ksx	**1829**	**366**	**128**

¼lzksr& lh.Vj Qkj bZ&xousZUl½

गोरखपुर एवं रायबरेली जिलों के लिए एस0 सी0 ए0 (एस0 आर0 ई0 आई0 शाह लिमिटेड) के पत्र (अक्टूबर 2009) जो कि प्रमुख सचिव, आई0 टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स को सम्बोधित था, में बताया गया कि गोरखपुर जिले के सरकारी अधिकारियों से उचित सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा था। रायबरेली जिले के सात तहसीलों में से मात्र दों तहसीलों (रायबरेली सदर और लालगंज) में जी 2 सी सेवाएं उपलब्ध थी। जो यह प्रदर्शित करती है कि सी0 एस0 सी0 संचालकों को जिला स्तर पर प्रभावी समर्थन, उपलब्ध नहीं था।

इस प्रकार, शासकीय एवं प्राइवेट सेवाएं, नागरिकों को जिला/तहसील/ब्लाक कार्यालयों में जाए बिना क्षेत्रों में ही प्राप्त हो सके, जो कि सी0 एस0 सी0 योजना का मूल उद्देश्य था, की पूर्ति नहीं हो सकी क्योंकि जी 2 सी सेवाओं के अभाव में लक्षित सी0 एस0 सी0 का संचालन नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार, ग्रामीण नागरिक आसान और त्वरित सूचनाओं के उपभोग से वंचित रहे।

उत्तर में सरकार ने बताया (नवम्बर 2010) कि एस सी0 ए0 द्वारा प्रतिबद्धता की गयी थी कि 11,500 लक्षित सी0 एस0 सी0 में से अवशेष सी0एस0सी0 की स्थापना मार्च 2011 तक कर दी जाएगी। तीन जोन हेतु नये एस0 सी0 ए0 के चयन के लिए निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है और अवशेष 6,409 सी0 एस0 सी0 की स्थापना दिसम्बर 2011 तक कर दी जाएगी।

2-4-7-4 jkT; MkVk lsUVj LFkkfir u fd;k tkuk

राज्य डाटा सेण्टर (एस0 डी0 सी0), एन0 ई0 जी0 पी0 के अन्तर्गत ई–गवर्नेन्स का एक महत्वपूर्ण बुनियादी अवयव था। इसे जी 2 सी, और जी 2 बी इलेक्ट्रानिक सेवाओं की प्रभावी उपलब्धता तथा सेवाओं के अनुप्रयोग तथा ढांचे को समेकित करना था। एस0 डी0 सी0 द्वारा राज्य की केन्द्रीय भण्डार सुरक्षित डाटा संग्रहण सेवाओं की आन लाइन उपलब्धता नागरिक सूचनाएं एवं सेवाएं पोर्टल, राज्य इन्ट्रानेट पोंटल, आपदा रिकवरी, रिमोट प्रबन्धन, सेवा एकीकरण आदि के रूप में मुख्य कार्य प्रणालियाँ उपलब्ध करायी जानी थी। एस0 डी0 सी0 को बेहतर संचालन प्रबन्धन नियंत्रण और डाटा प्रबन्धन की कुल लागत कम करना, आई0 टी0 संसाधन प्रबन्धन तैनाती और अन्य लागत को भी उपलब्ध कराना था।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2008 में राज्य एस0 डी0 सी0 परियोजना स्वीकृत कर ₹ 4.20 करोड़ अवमुक्त किया (मार्च 2000) गया। राज्य को डाटा सेण्टर की डी0 पी0 आर0 तैयार करने, पूर्ण निविदा प्रक्रिया प्रबन्धन तथा उसके स्थापना में सहायता हेतु सलाहकार की नियुक्ति की जानी थी। प्रारम्भ के पांच वर्षो हेतु सेवा प्रदाता (डाटा सेंटर संचालक) का चयन किया जाना था। फिर भी, एक वर्ष के उपरान्त विप्रो लिमिटेड के साथ सलाह हेतु दो वर्षो के लिए अनुबन्ध किया गया (फरवरी 2009) और जुलाई 2010 तक सेवा प्रदाता का चयन प्रक्रियान्तर्गत था। इस प्रकार धन की प्राप्ति के दो वर्ष उपरान्त भी सेवा प्रदाता की चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी थी।

एस0डी0सी0 के अभाव में एन0आई0सी0 सर्वर का उपयोग ई–जिला के डाटा संग्रहण एवं ई–सेवाओं को प्रदान करने हेतु किया जा रहा था। जिलाधिकारी, सीतापुर ने बताया (जुलाई 2009) कि एन0आई0सी0 को ई–सेवा प्रदान करने में कठिनाई आ रही थी, क्योंकि प्रतिक्रिया करने का समय धीमा था।

उत्तर में शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2010) कि निविदा प्रक्रिया प्रबन्धन पूर्ण कर लिया गया है एवं सूचना केन्द्र संचालक का चयन कर लिया गया है (सितम्बर 2010)। भारत सरकार द्वारा बोली मूल्यांकन फर्म के चयन में बदलाव, चयन प्रक्रिया में विभिन्न माप दण्डों एवं नये सलाहकार द्वारा आर0एफ0पी0 दस्तावेजों को समझने में समय लगने को देरी का कारण बताया गया।

2-4-7-5 jkT; lsok forj.k xsVos

परियोजना का उद्देश्य राज्य गेटवे स्थापित करना था जोकि राज्य डाटा सेण्टर का हिस्सा था एवं जिसे विभिन्न विभागीय अनुप्रयोगो के मध्य पीछे से सामंजस्य स्थापित करना तथा सी0एस0सी0 और अन्य वितरण प्रणालियों को आगे से जोड़कर केन्द्रीकृत आन लाइन सेवाएं, नागरिकों को प्रदान करना था। कार्यकारिणी इकाई के चयन हेतु प्रस्ताव का अनुरोध (आर0एफ0पी0) अगस्त 2010 तक प्रक्रियान्तर्गत था। इस गेटवे के अभाव में 'किसी समय कही भी सूचनाओं एवं सेवाओं तक की पहुँच' के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सका।

उत्तर में शासन ने बताया (नवम्बर 2010) कि गेटवे पर कार्य शुरू कर दिया गया है और एन0आई0सी0 कार्यान्वयन ऐजेन्सी के रूप मे नामित की गयी है।

2-4-7-6 {kerk fuekZ.k

एन0ई0जी0पी0 के अन्तर्गत तैयार किया गया राज्य की क्षमता निर्माण रोडमैप राज्य के ई–गवर्नेन्स रोडमैप को कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने की आवश्यकता पूरी करता है। क्षमता के नीतिगत, संचालनगत एवं तकनीकी क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा नामित चार ऐजेसियों की व्यवसायिक निविदा दिसम्बर 2008 में प्राप्त हुई थी। जिसमें से मार्च 2009 में मे० विप्रो का चयन परियोजना/कार्यक्रम प्रबन्धन, चेन्ज प्रबन्धन, तकनीकी एवं वित्तीय प्रबन्धन क्षेत्रों के सात विशेषज्ञों की सेवाएं देने हेतु किया गया लेकिन इस कार्य हेतु अनुबन्ध अक्टूबर 2009 में गठित किया गया। फिर भी, मे० विप्रो लिमिटेड विशेषज्ञों को उपलब्ध कराने में असफल रहा जिसके फलस्वरूप करार अनुबन्ध निरस्त करना पड़ा (जनवरी 2010) तथा नई निविदाएं (फरवरी 2010) में आमंत्रित की गयी जिसे अगस्त 2010 तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया था।

इस प्रकार, राज्य में ई–गवर्नेन्स के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सलाहकार उपलब्ध कराने वाले ऐजेन्सियों के चयन को अन्तिम रूप देने में देरी के कारण क्षमता निर्माण कार्यक्रम क्रियान्वयन में अनावश्यक विलम्ब हुआ।

उत्तर में शासन ने बताया (नवम्बर 2010), कि मे0 विप्रो लिमिटेड की परफारमेन्स बैंक गारण्टी जब्त कर ली गयी है और क्षमता निर्माण हेतु अन्य कदम उठाये जा रहे हैं।

2-4-7-7 jkT; fe'ku eksM izkstsDV

एन0ई0जी0पी0 के अन्तर्गत मिशन मोड में 27 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना था। मिशन मोड क्रियान्वयन इस तथ्य का द्योतक है कि परियोजना के उद्देश्य एवं क्षेत्र परिणाम के साथ अच्छी तरह परिभाषित है तथा क्रियान्वयन हेतु लक्ष्य एवं समय सीमा निर्धारित है। राज्य एम0एम0पी0 के लिए, नोडल केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों नीतिनिर्देशिका तथा परियोजना को सुलभ बनाने का कार्य किया जाना था, जबकि वास्तविक क्रियान्वयन राज्य स्तर पर किया जाना था। अन्तिम रूप से इसका स्वामित्व राज्य के पास ही रहना था।

विभाग द्वारा 17 एम0एम0पी0 चिन्हित किए गये थे यथा राजस्व कर और निबन्धन, यातायात, कृषि, गृह, वित्त, शहरी विकास, पंचायती राज, श्रम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, समाज कल्याण, महिला कल्याण एवं बाल विकास, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, माध्यमिक शिक्षा और विकलांग इत्यादि सेवाओं सहित सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग और कम्प्यूटरीकरण के स्तर पर ए0 एस0 आई0 एस0 स्टडी मेसर्स प्राइस वाटर हाउसकूपर्स द्वारा वर्ष 2006–07 के दौरान की गयी थी तथा विभागों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर सम्बन्धित नोडल मंत्रालय / विभाग भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाना था। फिर भी, समस्त एम0एम0पी0 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रक्रियान्तर्गत थी तथा उसे भारत सरकार को अनुमोदन हेतु अगस्त 2010 तक अग्रसारित नहीं किया गया था।

इस प्रकार ए0 एस0 आई0 एस0 स्टडी के तीन वर्षो के उपरान्त भी विभाग विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहा, जिससे न केवल योजना के त्वरित क्रियान्वयन का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका जैसा कि राज्य ई–गवर्नेन्स के उद्देश्यों में निहित था, नागरिक शासकीय सेवाओं की आसान पहुंच से भी वंचित रहे।

उत्तर में शासन ने बताया (नवम्बर 2010) कि व्यापार कर विभाग की डी0पी0आर0 भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है तथा शेष डी0पी0आर0 प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन हेतु भारत सरकार को भेजा जा रहा है।

2-4-7-8 /kujkf'k;ksa dk mi;ksx u fd;k tkuk

एन0ई0जी0पी0 परियोजना के समस्त घटक भारत सरकार द्वार शत–प्रतिशत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अथवा अनुदान के रूप में वित्त पोषित थे। केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार के बजट के माध्यम से जबकि अनुदान राज्य नामित एजेन्सी सेण्टल फार ई–गर्वनेन्स को सीधे भारत सरकार द्वारा हस्तान्तरित की जाती है। प्रारम्भ से मार्च 2010 तक धनराशियों का विवरण ***lkj.kh 4*** में दिया गया है।

lkj.kh 4 : foÙkh; fLFkfr

(₹djksM+ esa)

dzekad	ifj;¨tuk	lgk;rk ds :i esa Áklr	jkT; fuf/k ;¨tuk Lkks ,Lkh, ds :i esa Áklr	iwjEHk Lks LFkkiuk rd dqy ÁkfIr;k	dqy 0;; (2010 ekpZ rd½	vo'ks"k
1.	एस0डब्लू0ए0एन0	0.00	40.79	40.79	40.62	0.17
2.	राज्य डाटा केन्द्र	4.20	7.04	11.24	0.20	11.04
3.	सामान्य सेवा केन्द्र	35.50	10.00	45.50	0.21	45.29
4.	ई जिला	15.32	0.00	15.32	14.60	0.72
5.	क्षमता निर्माण	2.18	3.83	6.01	0.66	5.35
6.	राज्य सेवा वितरण गेटवे	7.49	0.00	7.49	0.0	7.49
	;ksx	**64.69**	**61.66**	**126.35**	**56.29**	**70.06**

¼lzksr& lsaVj QkWj bZ&xoZusUl½

कुल प्राप्त **₹**. 126.35 करोड़ के सापेक्ष अधिकतम **₹** 56.29 करोड़ का उपयोग एस0डब्लू0ए0एन0 और ई–जिला योजना की स्थापना एवं क्रियान्वयन पर किया गया था। धन की उपलब्धता के बावजूद उसका प्रभावी उपयोग, योजना प्रक्रिया में विलम्ब के कारण परियोजना के संचालन एवं क्रियान्वयन में नहीं किया जा सका।

2-4-8- lapuk izk|kfxdh lajpuk dk vf/kxg.k vkj fØ;kUo;u

2-4-8-1 fcuk ikfIr jlhn ds LFkkiuk vkj Lohdkj fd;k tkuk

एन0आई0सी0एस0आई0 के माध्यम से एन0आई0सी0 को हार्डवेयर उपलब्ध कराने थे और सभी आपूर्तिकर्ता/विक्रेताओं से समन्वय स्थापित करके हार्डवेयर और साफ्टवेयर का क्रय और उनकी स्थापना समय से की जानी थी। सम्प्रेक्षा में पाया गया कि एन0आई0सी0आई0 द्वारा हार्डवेयर का केन्द्रीय क्रय दिल्ली स्थित मुख्यालय से करके सीधे सम्बन्धित इकाइयों को उपलब्ध कराया गया। नमूना जाँच में लिये गये जिले में पाया गया कि डिलीवरी चालान और स्थापना नोट को समुचित रूप से प्रलेखित नहीं किया गया था तथा उन्हें सही अनुक्रम में नहीं पाया गया। जिला रायबरेली में डिलीवरी चालान एवं स्थापना नोट की जाँच में पाया गया कि स्थापना नोट न तो हस्ताक्षरित थे एवं न ही दिनांकित थे। इसी प्रकार, सामग्री प्राप्तकर्ता के डिलीवरी चालान में भी हस्ताक्षर दिनांक तथा मोहर अंकित नहीं था।

2-4-8-2 gkMZos;j dh Lohd`fr dk ijh{k.k u fd;k tkuk

एस0डब्लू0ए0एन0 परियोजना के तकनीकी सलाहकार मे० टी0सी0आई0एल0 लिमिटेड द्वारा पी0ओ0पी0 पर स्थापित हार्डवेयर की स्वीकृति का परीक्षण किया जाना था। फिर भी, राज्य एवं जिला स्तर पर कोई भी स्वीकृति परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। प्रमुख सचिव आई0टी0एवं इलेक्ट्रानिक की बैठक (जून 2009) के मिनट आफ मीटिंग में एन0आई0सी0 को निर्देशित किया था कि एस0डब्लू0ए0एन0 योजनान्तर्गत सामग्रियों के सभी स्वीकृत बिल, स्थापित हार्डवेयरों का विवरण और हार्डवेयर के परीक्षण रिपोर्ट मै0 टी0सी0आई0एल0 को सत्यापन हेतु उपलब्ध कराये। उपरोक्त के अभाव से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि अनुबन्ध के अनुरूप प्रस्तावित विशिष्टियों एवं संरूप के अनुसार हार्डवेयर क्रय किया गया था।

शासन ने उत्तर में (नवम्बर 2010) बताया कि थर्ड पार्टी आडिट की चयन प्रक्रिया में है और स्वीकृति परीक्षण का कार्य एन0आई0 सी0टी0सी0 आई0एल0और चयनित थर्ड पार्टी आडिट द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

2-4-8-3 ,l0MCY;w0,0,u0 ds vuqj{k.k gsrq /ku dh vuqyC/krk

एस0डब्लू0ए0एन0 दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार को पांच वर्षो तक शत–प्रतिशत लागत अनुदान के आधार पर एस0डब्लू0ए0एन0 की स्थापना क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण में सहयोग करना था। अनुरक्षण निधियों का प्रयोग, संरचना का रख–रखाव तथा अनुरक्षण और डीजल हेतु पर्याप्त प्रबन्ध करना था जिससे कि नेटवर्क चालू रखने का वांछित स्तर सुनिश्चित किया जा सके। पी0ओ0पी0 के अनुरक्षण हेतु एन0 आई0 सी0 उत्तरदायी था और एन0आई0सी0 के अनुमान के अनुसार ₹ 10 करोड़ की आवश्यकता राज्य में डीजल के उपयोग पर थी। राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अनुरोध (अगस्त 2009) पर भारत सरकार द्वारा एस0डब्लू0ए0एन0 योजना के अन्तर्गत ₹ 6.50 करोड़ के बजट का उपयोग डीजल पर (मार्च 2010 तक) व्यय हेतु अनुमति प्रदान की गयी। फिर भी, नमूना जाँच जिलों में पाया गया कि न तो डीजल हेतु कोई व्यवस्था की गयी थी और न ही अनुरक्षण धनराशियों की व्यवस्था थी। कार्यालय समयावधि मे प्रणाली को निरन्तर संचालित करने में जिला प्राधिकारियों की मुख्य अड़चन विद्युत आपूर्ति न होना था। हालांकि, एस0डब्लू0ए0एन0 योजनान्तर्गत स्टेबलाइजर्स, यू0पी0एस0 और जनरेटर वर्ष 2009–10 में उपलब्ध कराये गये थे। विद्युत आपूर्ति एवं पर्याप्त डीजल के अभाव में उपरोक्त का उपयोग पूर्ण क्षमता से नहीं किया जा सका, जिससे सम्पूर्ण इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया बाधित रही।

सरकार ने उत्तर में (नवम्बर 2010) यह बताया कि अनुरक्षण के कुछ घटक मूल परियोजना में छूट गये थे जिनको अतिरिक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

2-4-8-4 gkMZos;j dk mi;ksx u gksuk

दोहरी सुरक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए सेवाओं को प्रदान करने वाले स्वीकृति अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में ई–जिला योजनान्तर्गत 30 बायोमैट्रिक मशीनें क्रय की गयी थी। फिर भी, कोई भी मशीन नमूना जाँच जिलों में स्थापित नहीं की गयी थी, क्योंकि उसके प्रयोग का विचार बाद में छोड़ दिया गया जो यह परिलक्षित करता है कि क्रय एवं व्यवसायिक प्रक्रिया में सामजंस्य स्थापित करने के नीतिगत स्तर पर कमियाँ थी।

छः ई.–जिलों में स्कैनर उपलब्ध कराये गये थे, जिससे कि नागरिकों के आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों को स्कैन करके प्राधिकारियों को त्वरित निरस्तारण हेतु आनलाइन प्रेषित किया जा सके। फिर भी, जन सुविधा केन्द्र, सीतापुर में पाया गया कि स्कैनर का उपयोग नहीं किया जा रहा था तथा आवेदन पत्रों को मैनुअली प्राधिकारियों को प्रेषित किया गया था। इस प्रकार, स्कैनरों का जिस उद्देश्य के लिए क्रय किया गया था, उसमें उपयोग नहीं किया जा सका।

उत्तर में सरकार ने बताया (नवम्बर 2010) कि बायोमैट्रिक्स उपकरणों को दोहरी सुरक्षा के अन्तर्गत वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है तथा भविष्य में इसका उपयोग किया जायेगा।

2-4-8-5 ftyk Cykd vkSj rglhy ij ,y0,0,u0 ,oa ,y0,0ch0 LFkkfir u fd;k tkuk

ई–जिला योजनान्तर्गत जिला/तहसील और ब्लाक पर एल0ए0एन0 की स्थापना हेतु और तहसील मुख्यालयों पर एल0ए0बी0 (सिविल संरचना) हेतु धनराशि (रायबरेली ₹ 14.30 लाख, सीतापुर ₹ 12.60 लाख तथा गोरखपुर ₹13.90 लाख) उपलब्ध (नवम्बर 2009) करायी गयी थी, फिर भी, यह पाया गया कि तीन नमूना जॉच जिलों में जुलाई 2010 तक एल0ए0बी0 की स्थापना नहीं की गयी थी। परिणामस्वरूप, जिला/तहसील/ब्लाक स्तर तक आपसी विभागीय सम्पर्क स्थापित न होने से सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर प्रभाव पड़ा। एल0ए0बी0 स्थापित न होने के कारण हार्डवेयर उपकरण तहसील मुख्यालयों पर बिना विद्युत वायरिंग के एवं धूल से बचाव रहित, मैली स्थिति में पड़े थे। शासन ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2010) एल0ए0बी0 का प्रावधान क्रियान्वयन अधीन था।

2-4-8-6 vi;kZIr lwpuk izkS|ksfxdh mik;

नमूना जाँच जिलों में सूचना प्रौद्योगिकी की सुरक्षा उपायो की जाँच में निम्न पाया गया :

- जिला जन सूचना केन्द्र, रायबरेली में ई–जिला अनुप्रयोग साफ्टवेयर का प्रयोग करने वाले निजी संचालकों को इण्टरनेट ब्राउसिंग सुविधा उपलब्ध थी। चूँकि निजी संचालको को अनुप्रयोग साफ्टवेयर का ही प्रयोग करने हेतु कार्य में लगाया गया था, कम्प्यूटर प्रणाली को वायरस से और बैडविथ कनेक्टिबिटी पर अनावश्यक भार से बचाने हेतु इण्टरनेट सर्फिंग सुविधा को समाप्त करना चाहिए था।
- जिला/तहसील/ब्लाक स्तर पर स्थापित कम्प्यूटर उपकरणों में माइक्रोसाफ्ट विस्टा आपरेटिंग सिस्टम पूर्व में स्थापित थे, जबकि एन0आई0सी0 द्वारा विस्टा ओ0एस0 को विन्डो एक्स0पी0 (सर्विस पैक–2) द्वारा बदल दिया गया था क्योंकि विस्टा ओ0एस0 की कार्य प्रणाली अन्य हार्डवेयर उपकरणों के साथ ताल–मेल अच्छा नही था। यह स्पष्ट है कि सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के क्रय के पूर्व सबसे ताल–मेल विन्यास की नीति का निर्धारण नहीं किया गया था।

- तीनो नमूना जाँच जिलो[8] में अभिलेखित पासवर्ड नीति के अभाव में प्रयोगकर्ता द्वारा पूर्व निर्धारित पासवर्ड का उपयोग किया जा रहा था। सीतापुर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित बैठक की मिनट्स आफ मीटिंग (10 फरवरी 2010) के अनुसार पाया गया कि यूज़र आई0डी0 और पास–वर्ड जो उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और लेखापालों को दिया गया था उसे जन सुविधा केन्द्रों के साथ साझा किया गया था। इस प्रकार पासवर्ड बनाने का उद्देश्य निरर्थक था।

2-4-8-7 xEHkhj Lrjks dk ikyu u fd;k tkuk

एस0डब्लू0ए0एन0 निर्देशिका के अनुसार नेटवर्क संचालन प्रबन्धन के अन्तर्गत गम्भीर तथा स्तर पर प्रारम्भिक प्रतिक्रिया समय तथा समाधान समय का विवरण ***lkj.kh 5*** में दिया गया है।

Lkkj.kh 5 : xÒhjrk dk Lrj

xÒhjrk Lrj	ÁkjfÒd ÁfrfØ;k Lke;	eklk Lkek/kku Lke;
1 एस0एल0	15 मिनट	1 घंटे
2 एस0एल0	30 मिनट	2 घंटे
एस0एल0 3	60 मिनट	8 घंटे

%lzr& ,l0MCyw0,0,u0 funsf'kdk %

राज्य एन0आई0सी0 इकाई से प्राप्त 4517 रिकार्ड (17 जून 2010) की जाँच में पाया गया कि एस0डब्लू0ए0एन0 अन्तर्गत राज्य से प्राप्त 4517 शिकायतों में 3946 प्रकरणों का समाधान किया गया, जबकि 571 प्रकरण समाधान हेतु लम्बित थे (***ifjf'k"V 2.4.2***)। आयुवार लम्बित शिकायतों के विश्लेषण (***ifjf'k"V 2.4.3***) में पाया गया कि 34 प्रतिशत शिकायती प्रकरणों में 180 दिवसों से अधिक समय से लम्बित थे जोकि यह दर्शाता है कि मुद्दा समाधान समय का पालन नहीं किया गया था।

इसी प्रकार लम्बित प्रकरणों के आयुवार विश्लेषण में पाया गया कि 16 प्रतिशत शिकायतें उसी दिन समाधानित की गयी थी, जबकि 135 प्रकरणों को 180 दिन के उपरान्त (***ifjf'k"V 2.4.4***) समाधानित किया गया था। यह दर्शाता है कि गलतियों के त्वरित सुधार हेतु प्रभावी अनुश्रवण तथा अनुवर्ती कार्यवाही शुरु नहीं की गयी थी।

उत्तर में शासन ने भविष्य में इसका अनुपालन करना स्वीकार किया।

2-4-9- lsokvks dk inku djuk

2-4-9-1 b&ftyk }kjk lsok,a inku djuk

मिशन मोड परियोजनान्तर्गत ई–जिला योजना चयनित कर जुलाई 2006 में अनुमोदित की गयी। परियोजना की अवधि 18 माह थी जिसे मार्च 2010 तक बढ़ाया गया था। ई–जिला नागरिक केन्द्रित सेवाओं को ई–प्रदान सेवाओं पर केन्द्रित थीं जोकि जिला प्रशासन द्वारा चलायी जा रही थी। परियोजना का कार्यक्षेत्र जिले के विभिन्न विभागों को एकीकृत करके नागरिकों को निर्बाध सेवाएं उपलब्ध कराना था। ई–जिला योजना के उद्देश्यों में बैकेन्ड कम्प्यूटीकरण शासकीय सेवाओं का तत्परता से प्रसार करना तथा वर्तमान गतिविधियों और विकासात्मक गतिविधियों को नियोजित कर शासकीय सेवाओं को प्रभावी रूप से वितरित करना था। प्रथम चरण में (सितम्बर 2007 और अगस्त 2008) छः पायलट जिलों (सुलतानपुर, गोरखपुर, सीतापुर, रायबरेली, गौतमबुद्ध नगर तथा

[8] रायबरेली (97) तथा गोरखपुर (754) और सीतापुर (01)

गाजियाबाद) में संचालित करना था तथा द्वितीय चरण को (दो वर्ष बाद) पूरे प्रदेश में संचालित करना था। योजनान्तर्गत नागरिकों को सुविधा प्रदान करने हेतु जिला/ब्लाक/ तहसीलों पर सुविधा काउण्टरों को जनसुविधा केन्द्र नाम से निर्मित किया जाना था।

ई–जिला योजना की निर्देशिका के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर छः सेवाएं चिन्हित थी, जिनको राज्य में संचालित किया जाना था। राज्य द्वारा चार अतिरिक्त नागरिक केन्द्रीय सेवाओं को क्रिन्यान्वित किया जा सकता था। राज्य द्वारा ई–जिला योजनान्तर्गत 10 सेवाओं/32 उप सेवाओं को नागरिक केन्द्रीय सेवाओं के रूप में चिन्हित किया गया था। फिर भी, मात्र 22 सेवाएं ही राज्य द्वारा अगस्त 2010 तक शुरू की जा सकी।

तीन ई–जिलों की जॉच में पाया गया कि 22 प्रारम्भ की गयी सेवाओं में से मात्र 18 सेवाएं जिला सीतापुर और रायबरेली में और मात्र 15 सेवाएं जिला गोरखपुर में उपलब्ध थी। नमूना जॉच जिलों की ई–सेवाओं की स्थिति से ज्ञात हुआ कि कुल चिन्हित सेवाओं में से मात्र आधी सेवाऐं ही सक्रिय थी ***¼ifjf'k"V&2.4.1½***। जैसा कि विवरण ***lkj.kh 6*** में दिया गया है।

lkj.kh 6 % bZ&ftyk esa izkjEHk lsok,a

tuin	bZ ftyk ds vUrxZr p;fur Lkokvksa	LkfØ; Lkok	Lkokvksa dh Lk[;k ftLkds fy, vkonu i= Áklr gq, Fks	Lkokvksa ds fy, Áklr vkonuksa dh Lk[;k ftudh Lk[;k 500 Lks de FkhA	Lkokvksa ds fy, Áklr vkonuksa dh Lk[;k ftudh Lk[;k 50 Lks de FkhA
सीतापुर	32	18	14	8	4
रायबरेली	32	18	13	6	2
गोरखपुर	32	15	11	6	3

¼lzksr& ,u-vkbZ-lh MkVkcsl½

उपरोक्त आंकड़ो से स्पष्ट था कि कुल सक्रिय सेवाओं में से मात्र तीन प्रमाण पत्र सेवाओं (जाति, अधिवास तथा आय) में संतोषजनक आवेदन प्राप्त थे, जो सीधे जिला प्रशासन के नियंत्रण में थे जबकि अन्य विभागों से सम्बन्धित सेवाओं (रोजगार, विकलांग प्रमाण पत्र विकलांग पेशन, नया राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन) के लिए 500 से कम आवेदन प्राप्त थे।

lkj.kh 7 % ¼bZ& ftys esa p;fur N% lsokvksa dh fLFkfr½

tuin	vkonu feys	Lohd`r	vLohd`r	yfcr
जाति				
सीतापुर	112427	99945	4878	7604
रायबरेली	51478	46272	2100	3106
गोरखपुर	16499	14215	1547	737
	180404	**160432**		**11447**
अधिवास				
सीतापुर	68128	60417	4587	3124
रायबरेली	32552	29284	2474	794
गोरखपुर	19460	18062	785	613
	120140	**107763**	**7846**	**4531**
विधवा पेंशन				
सीतापुर	419		294	112
रायबरेली	374	01	248	125
गोरखपुर	120		97	23
	913		**639**	**260**
बुढ़ापा				
सीतापुर	314			61
रायबरेली	276			35
गोरखपुर	101			19
	691			**115**

राशन कार्ड (कार्ड की तैयारी और कार्ड सौंपने मैन्युअली रूप से किया)				
सीतापुर	01		01	
रायबरेली	2870	358	2397	115
गोरखपुर	-	-	-	-
	2871	358	2398	115
शिकायत				
	· तीनो जाँच जिलो में कोई आवेदन प्राप्त नही हुआ था ।			

¼lr& ,u-vkbZ- lh MkVkcsl ½

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि जाति और अधिवास सेवाओं के अतिरिक्त प्रार्थना पत्रों की प्राप्ति का प्रतिशत बहुत कम था। सुविधा केन्द्रों से आवेदनों पत्रों का स्वीकृत न होना, कम प्रार्थनापत्रों के प्राप्त होने का कारण था। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिलापूर्ति अधिकारी गोरखपुर के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि आनलाइन कनेक्टीविटी के अभाव में आवेदन पत्रों का प्रसंस्करण मैनुअली किया जा रहा था । जिला रायबरेली में भी राशन कार्डो का प्रसंस्करण आंशिक रूप से मैनुअली किया गया था क्योंकि राशन कार्ड के मुद्रण का परिचालन प्रारम्भ नही हुआ था।

शासन ने तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकार किया (सितम्बर 2010)।

2-4-9-2 vi Hkkoh lok inkrk ifØ;k

इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया प्रवाह द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए अपनायी गयी व्यवसायिक प्रक्रिया समस्त ई–जिलों के लिए समान थी, जिसे नीचे दिया जा रहा है:

- नागरिको द्वारा ई–आवेदन पत्र जमा करने के लिए एक प्रार्थना पत्र सेवा केन्द्रों पर दिया जाना था और आवेदन प्राप्ति के रूप से एक यूनिक प्राप्ति नम्बर दिया जाना था। आवेदक की फोटो को वेब कैमरे द्वारा लिया जाना था और उस विशेष सेवा के लिए वांछित संलग्न दस्तावेजों को स्कैन कर सेवा प्रसंस्करण अधिकारी को प्रेषण किया जाना था।
- अनुमोदन करने वाले अधिकारी को आनलाइन आवेदन पत्र इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्राप्त करके ई–डिस्ट्रिक्ट डिजिटाइजड डाटाबेस से तथ्यों को सत्यापित करके अनुमोदनकर्ता अधिकारी द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर से अनुमोदित किया जाना था। यदि डाटाबेस में विवरण उपलब्ध न हो, तो मैनुअली सत्यापन कराया जाना था।
- अनुमोदित प्रार्थना पत्र को सेवा केन्द्रों पर इलेक्ट्रानिक रूप से वापस किया जाना था। प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने की स्थिति में प्रसंस्करण अधिकारी द्वारा अस्वीकार किए जाने का कारण अपने डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अंकित करना था।
- नागरिको को निर्धारित तिथि पर सेवा वितरण केन्द्रों के माध्यम से डिजिटली हस्ताक्षर सहित दस्तावेज दिया जाना था।
- प्राप्त दस्तावेज पर अंकित यूनिक आई0डी0 व वेब पते से उसकी प्रमाणिकता सत्यापित की जा सकती है।

नमूना जॉच जिलों में पाई गई कमियाँ निम्न प्रस्तरों में दी गयी है:

2-4-9-3 vkonu i=k d vx"k.k dh vleku ifØ;k

सीतापुर जिले में पाया गया कि केवल आवेदक का फोटोग्राफ लेकर इलेक्ट्रानिक फार्म में चस्पा किया जा रहा था। आवेदन पत्रों का संलग्न दस्तावेजों सहित उनके सत्यापन एवं

निस्तारण, मैनुअली प्रसंस्करण अधिकारी को दैनिक अग्रेषित किया था। गोरखपुर जिले में सभी आवेदन पत्रों को स्कैन करके प्रसंस्करण अधिकारी को निस्तारण हेतु भेजा जा रहा था। वेब कैमरे का फोटो लेने हेतु उपयोग नही किया जा रहा था। इस प्रकार त्वरित निस्तारण हेतु इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया का प्रयोग समान रूप से नहीं अपनाया गया था और मैनुअल हस्तक्षेप वर्तमान में जिला सीतापुर में विद्यमान था जिससे ई–गवर्नेन्स का उद्देश्य विफल रहा।

शासन ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2010) कि समान प्रक्रिया का पालन राज्य में अन्तिम रूप से लागू होने के समय किया जाएगा।

2-4-9-4 ,Ldylu efVDl dk u viuk;k tkuk

शासनादेश जून 2008 के अनुसार एस्केलेसन मैटिक्स का प्रावधान (सेवा स्तर की अवधि के समाप्त होने के बाद अगले उच्चतर प्राधिकारी को आवेदन का अग्रेषण) अनुप्रयोग साफ्टवेयर में सम्मिलित किया जाना था।

फिर भी, एस्केलेशन मैट्रिक्स का प्रावधान अनुप्रयोग साफ्टवेयर में सम्मिलित नहीं किया गया जिसके कारण सेवा स्तर की अवधि पूर्ण होने बाद भी बड़ी संख्या में आवेदन पत्रों का प्रसंस्करण किया गया था। तीन नमूना जॉच जिलों में पाया गया कि 33 से 50 प्रतिशत आवेदन पत्रों का निस्तारण सेवा स्तर अवधि के उपरान्त किया गया था जैसा कि विवरण **lkj.kh 8** मे दिया गया है:

lkj.kh 8 ¼ lok Lrj vof/k d ckn lokvk dk miyC/k djkuk

vkonu fuiVk;k vuÁ;¨x ¼LohÑr@ vLohÑr½	Lkok	ifjÒkf"kr Lkok vof/k	,l ,y ,d ckn vkonu fuiVkjk	foyc vk;l ,d Lklrkg mijkUr	foyc ,d ekg mijkUr	njh 90 fnu"rd	90 fnuk Lk Åij foyc ¼vf/kdre½
168957	जाति	सात दिन काम	85,571 (50 प्रतिशत)	40783	37107	6921	760 (373 दिन)
120140	अधिवास	–तदैव–	50,845 (42 प्रतिशत)	26239	18468	4298	1840 (412 दिन)
691	वृद्धावस्था पेंशन	–तदैव–	229 (33 प्रतिशत)	29	67	101	32 (137 दिन)
913	विधवा पेंशन	–तदैव–	440 (48 प्रतिशत)	62	151	173	54
	राशन कार्ड	राशन कार्ड के इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण डाटाबेस मे आँकड़े ग्रहीत नही हुयें।					

¼lr& ,u-vkb- lh MkVkcl½

इस प्रकार नागरिको की त्वरित एवं आसान जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा पूरी नहीं हो सकी। शासन ने उत्तर (नवम्बर 2010) में बताया कि एस्केलेसन मैट्रिक्स का प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

2-4-9-5 fMftVkbtM MkVkcl dk i;kx u fd;k tkuk

- सभी तीनों नमूना जॉच जिलों में पाया गया कि प्रसंस्करण अधिकारी द्वारा प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु बनाया गया ई–जिला डाटाबेस को संदर्भित नहीं किया जा रहा था। इसके विपरीत, आवेदन पत्र लेखपालों को सत्यापन हेतु अग्रेषित किया जा रहा था। प्रसंस्करण अधिकारी द्वारा स्थलीय सत्यापन से प्राप्त जानकारियों को भी ई–जिला डाटाबेस में अद्यतन नहीं किया जा रहा था जिसे मासिक आधार पर किया जाना था। डाटा डिजिटाइजेशन पर रायबरेली (₹ 42 लाख) सीतापुर (₹ 43.24 लाख) गोरखपुर (₹ 30 लाख) कुल ₹ 115.24 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी। इस प्रकार डाटाबेस

को अद्यतन न करने से न केवल डाटाबेस की प्रमाणिकता कम हुई वरन् त्वरित निस्तारण के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी।

- एन0आई0सी0 द्वारा अवगत कराया गया कि डिजिटाइज्ड डाटाबेस को संदर्भित न करने का कारण डाटा की गुणवत्ता खराब होना था और जिसका पुनर्सत्यापन किया जाना आवश्यक था। हालांकि डाटा डिजिटाइजेशन हेतु फर्मो से गठित अनुबन्ध के अनुसार डाटा की 98 प्रतिशत शुद्धता सुनिश्चित करनी थी। शुद्धता 95 प्रतिशत से कम और 90 से अधिक होने पर 30 प्रतिशत पेनाल्टी और 90 प्रतिशत से कम शुद्धता होने पर अनुबन्ध की अवहेलना प्रावधानित थी। नमूना जॉच जिलों में पाया गया कि आंकड़ों की सत्यता, सम्बन्धित विभागों द्वारा सत्यापित की गई परन्तु पेनाल्टी नहीं लगाई गयी थी । तथ्यों से स्पष्ट है कि डिजिटाइजड डाटा को बिना सुनिश्चित जॉच के प्रमाणित किया गया था। राजस्व कोर्ट केस का डाटा (काज लिस्ट जनरेशन, अन्तिम आदेश प्रति) डिजिटाइज्ड कर सिस्टम पर चढ़ाया गया था। फिर भी, सभी तीनों नमूना जाँच जिले में उनको अद्यतन नहीं किया गया था। इसके अभाव में, नागरिको को कोर्ट केसों के अद्यतन स्थिति की सूचना उपलब्ध नहीं थी।

शासन द्वारा भविष्य मे अनुपालन हेतु तथ्यों की पुष्टि की गयी।

2-4-9-6 MkVkcsl dk nkgjhdj.k

ई–जिला योजनान्तर्गत विभिन्न विभागों से सम्बन्धित मैनुअल अभिलेख (परिवार रजिस्टर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पेशन प्रमाण पत्र इत्यादि) को डिजिटाइज्ड किया गया था। फिर भी, नमूना जाँच ई–जिलों में विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन प्रदान करने वाले विभागों द्वारा सत्यापन हेतु ई–जिला डाटाबेस के स्थान पर अपने विभागीय डाटाबेस का उपयोग किया जा रहा था। इस प्रकार सामंजस्य और नीति के अभाव में दो अलग–अलग डाटाबेस विद्यमान थे।

2-4-9-7 fofunsZ'k vko';drk fof'kf"V;ka ¼,l0vkj0,l0½ dk iys[ku u fd;k tkuk

एस0आर0एस0 प्रलेख इनपुट प्रक्रिया हेतु बहाव, प्रोसेसिंग और आउटपुट जैसी प्रणाली की आवश्यकताओं को दर्शाने हेतु आवश्यक है। सिस्टम डिजाडन दस्तावेज (एस0डी0डी0) और अनुप्रयोग साफ्टवेयर का निर्माण एस0आर0एस0 की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप किया जाता है। एन0आई0सी0 द्वारा ई–जिला हेतु नियुक्त सलाहकार की सलाह पर एस0आर0एस0 बनाया जाना था। हालांकि, अनुप्रयोग साफ्टवेयर बनाने हेतु उत्तरदायी एन0आई0सी0 के पास एस0आर0एस0 अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। एस0आर0एस0 के अभाव में अनुप्रयोग साफ्टवेयर की कार्य प्रणाली की जाँच नहीं की जा सकी। फिर भी ई–जिला के डाटाबेस विश्लेषण में निम्न कमियाँ प्रकाश में आई :

- प्रार्थना पत्रों की सेवाओं का निस्तारण समय सात कार्य दिवस निर्धारित था जिसका निर्धारण, प्रणाली पर आधारित था। फिर भी, जाति डाटाबेस (जाति प्रमाण–पत्र) के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि कुल 1,80,404 आवेदन पत्रों में से 6,437 में निर्धारित तिथि 10 दिवसों से (तीन दिन अवकाश छोड़कर) ज्यादा थी जोकि 11 से 342 दिनों के मध्य था। यह प्रदर्शित करता है कि या तो तिथियाँ संशोधित की गयी थी अथवा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर तार्किक रूप से गलत था ।

- जाति प्रमाण पत्रों से सम्बन्धित डाटाबेस के विश्लेषण में पाया गया कि प्राप्त 1,80,404 आवेदन पत्रों में से 3,767 प्रकरणों में निर्धारित तिथि गृहीत नहीं

थी, जो यह दर्शाता है कि आवेदन पत्र तो प्राप्त हुए थे परन्तु उन्हें प्रसंस्करण अधिकारी को अग्रेषित नहीं किया गया गया था। तीनों नमूना जाँच जिलों की वर्षवार स्थिति **lkj.kh 9** मे दी गयी है।

lkj.kh 9 % vkosnu vxzsf"kr u fd;s tkus dk o"kZokj fooj.k

tuin	vkosnuksa dh la[;k	2008	2009	2010
सीतापुर	3,205	18	1,376	1,811
रायबरेली	428	-	159	269
गोरखपुर	134	-	38	96

¼lzksr& ,u-vkbZ- lh MkVkcsl ½

- लेखपालों के राजस्व ग्रामों का कार्य क्षेत्र विर्निदिष्ट नहीं था, जिससे प्रसंस्करण प्राधिकारी आवेदन पत्रों को मैनुअल लिस्ट के आधार पर आदेशित कर रहे थे, जिसके कारण आवेदन पत्रों के अग्रेषण में अनावश्यक विलम्ब हो रहा था। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्रों के त्रुटिपूर्ण अग्रेषण की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
- प्रणाली द्वारा बनायी गयी एम0आई0एस0 रिपोर्ट गलत पायी गयी जो यह दर्शाता है कि अनुप्रयोग की स्थापना बिना जाँच के की गयी थी।

सरकार ने तथ्यों को भविष्य में अनुपालन हेतु स्वीकार किया।

2-4-10 vuqJo.k ,oa eY;kadu

2-4-10-01 cSMfoFk mi;ksx esa deh

पी0ओ0पी0 (उपलब्धता) के चालन अवधि के अनुश्रवण गैर एस0डब्लू0ए0एन0 अन्तर्गत बैंडविथ उपयोगिता (डाटा संचरण) हेतु एन0आइ0सी0 उत्तरदायी था। एस0डब्लू0ए0एन0 की निर्देशिका के अनुसार 97 प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना था। नमूना जाँच जिलों में पाया गया कि जिला स्तर पर उपलब्धता वाले 88.36 से 93.86 प्रतिशत और जिला/तहसील/ब्लाक के मध्य 13.08 से 83.67 प्रतिशत थी, जैसा कि विवरण **lkj.kh 10** में दिया गया है। यद्यपि बैंडविथ की उपयोगिता जिला स्तर पर 10.52 से 34.73 और जिला/तहसील/ब्लाक स्तर पर मात्र शून्य से 4.50 प्रतिशत के मध्य थी। इस प्रकार पी0ओ0पी0 की उपलब्धता के बावजूद, बैंडविथ की उपयोगिता बहुत कम थी जो यह प्रदर्शित करता है कि उच्च स्तर पर इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया के बहाव हेतु प्रभावी उपाय नहीं किए गये थे–

lkj.kh 10 % cSMfoFk mi;ksfxrk dk fooj.k

ftyk	miyC/krk dk Lrj ¼ftyk@rglhy@Cykd½ ¼izfr'kr esa½	ftyk Lrj	cSMfoFk ds mi;ksx dk Lrj ¼izfr'kr esa½	ftyk Lrj
सीतापुर	22.37 से 80.06	88.36	0 से 3.97	34.73
रायबरेली	22.99 से 83.41	93.57	0.02 से 4.50	22.98
गोरखपुर	13.08 से 83.67	93.86	0 से 3.90	10.52

¼lzksr& ,u-vkbZ- lh MkVkcsl½

शासन ने उत्तर में तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (नवम्बर 2010) कि जब एस0एस0डी0जी0 और ई–जिला योजना क्रियान्वित होगी तो बैंडविथ उपयोगिता में वृद्धि होगी।

2-4-10-2 LFkkfir lh0,l0lh0 dk vuqJo.k u djuk

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार (नवम्बर 2009) रोल आउट केन्द्रों (सी0एस0सी0) की स्थापना के लिए या तो केन्द्र, सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा

सत्यापित हो अथवा केन्द्रों पर आनलाइन अनुश्रवण यंत्र स्थापित हो। फिर भी, मात्र दो एस0सी0ए0 के लिए 2830 अनुश्रवण यंत्र आई0डी0 में 1668 सी0एस0सी0 आनलाइन अनुश्रवण यंत्र से पंजीकृत (नवम्बर 2009) थे। कोई भी सी0एस0सी0 खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं थी। उक्त के अभाव में राज्य में स्थापित सी0एस0सी0 की वास्तविक संख्या सत्यापित नही की जा सकी। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि एस0सी0ए0 द्वारा स्थापित सी एस सी की प्रमाणिकता के सत्यापन के सम्बन्ध में राज्य द्वारा कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी थी।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2010) और सभी जिलाधिकारियों को सी0एस0सी0 सत्यापन हेतु नवीन शासनादेश जारी किया।

2-4-11 fu"d"k

एन0ई0जी0पी0 परियोजना के प्रारम्भ होने के चार वर्ष उपरान्त भी योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण संरचनाओं और उनके क्रियान्वयन की सफल स्थापना से सम्बन्धित राज्य सरकार की तैयारियाँ पूर्ण नहीं थी। जीसी सेवाओं की अनुपलब्धता, ग्रामीण क्षेत्रों में सी0एस0सी0 को पूर्णतः स्थापित न किए जाने से एस0डब्लू0ए0एन0 नेटवर्क का पूर्णतया उपयोग नहीं किया जा सका। राज्य की ई–गवर्नेन्स योजना क्रियान्वयन में क्षमता निर्माण योजनान्तर्गत तकनीकी सलाहकारों का उपयोग करने में विभाग असफल रहा। राज्य एम0एम0पी0 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अन्तिमीकरण के अभाव में विभिन्न विभागों को सूचना आदान–प्रदान तथा सेवाएं प्रदान करने के लिए परस्पर जोड़ा नहीं जा सका।

डिजिटाइजड डाटाबेस के उपयोग न होने और डाटाबेस के दोहरीकरण होने से ई–गवर्नेन्स योजना और केन्द्रीकृत एस0डी0सी0 के संचालन का उद्देश्य विफल हो गया। नागरिक केन्द्रित सेवाओं के चयन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका क्योंकि नमूना ई–जिलों गोरखपुर, सीतापुर एवं रायबरेली–में 50 से भी कम ई–आवेदन, दो से चार सेवाओं में ही प्राप्त थे। स्पष्ट है कि ई–गवर्नेन्स में सेवाओं का चयन नागरिकों की आवश्कता पर आधारित नहीं था। अनुप्रयोग साफ्टवेयर में एस्केलेशन मैट्रिक्स को दृष्टिगत न करने से उच्चाधिकारियों द्वारा अनुश्रवण विफल रहा। सी0एस0सी0 की वास्तविक स्थापना एवं उनके संचालन का निरीक्षण एवं सत्यापन न होना उच्चाधिकारियों द्वारा अनुश्रवण की कमी के फलस्वरूप था।

इस प्रकार एन0ई0जी0पी0 निर्देशिका के उद्देश्य 'परिकल्पित अन्तिम उपयोगकर्ता तक शासकीय सेवाओं की पहुंच कही भी किसी भी समय उपलब्धता' को परियोजना के अप्रभावी क्रियान्वयन और अनुश्रवण के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका।

प्रकरण, शासन को संदर्भित किया गया (अगस्त 2010) था; उत्तर प्राप्त हुआ (नवम्बर 2010)। शासन द्वारा संस्तुतियों को स्वीकार लिया गया (नवम्बर 2010)।

2-4-12 lLrfr;k

विभाग द्वारा :

- एन0आई0सी0 एवं बी0एस0एन0एल0 के साथ सेवा स्तर अनुबन्ध गठित करके एस0डब्लू0ए0एन0 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु अनुरक्षण निधि सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाना चाहिए।
- ई–जिला परियोजनान्तर्गत चिन्हित सभी सेवाओं को चालू करने हेतु प्रभावशाली कदम उठाना चाहिए और योजनान्तर्गत डिजिटाइज डाटा के उपयोग का अपडेटिंग सुनिश्चित करना चाहिए।

- अनुपयोग साफ्टवेयर मे सामान्य नियंत्रण प्रणाली का प्रावधान किया जाना चाहिए, जिससे डाटा की विश्वसनीयता सुनिश्चित हो तथा साथ ही निर्णायक डाटा का रख रखाव एवं पुनः प्राप्ति का समुचित प्रावधान हो।
- डाटा इन्ट्री कार्य का अनुश्रवण किया जाना चाहिए जिससे अधिकतम गलतियाँ डाटा इन्ट्री स्तर पर ही उजागर हो जाए ।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कम्प्यूटीकरण परियोजना हेतु कार्य में लगाये गये स्टाफ पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो।

v/;k; 3

- fu;eu ,oa fu;eksa dk vuqikyu u fd;k tkuk
- vkSfpR; ys[kkijh{kk vkSj fcuk mfpr leFkZu ds 0;;ksa ds izdj.k
- vlko/kkuh@fu;a=.k dh deh
- lrr vkSj 0;kid vfu;ferrk,a

v/;k; 3

yu&nuk dh y[kkijh{kk

राज्य सरकार के विभागों एवं उनके संरचना घटकों तथा साथ ही साथ स्वायत्त निकायों के लेन–देनों की लेखापरीक्षा में ऐसे बहुत से प्रकरण, जिनमें संसाधनों के प्रबन्धन में कमी, आर्थिक एवं औचित्य के मापदण्डों के मानकों का पालन न किया जाना, प्रकाश में आये है। इन प्रकरणों को व्यापक उद्देश्यों के शीर्षकों के अंतर्गत उत्तरोत्तर प्रस्तरों में, प्रस्तुत किया गया है।

3.1 fu;eu ,oa fu;eksa dk vuqikyu u fd;k tkuk

उचित वित्तीय प्रशासन और नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्ययों हेतु वित्तीय नियम, नियमन और आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाये जोकि वित्तीय अनुशासन को बनाये रखने में सहायक है और अनियमितता, दुर्विनियोग और धोखा–धड़ी को रोकती है। लेखापरीक्षा के कुछ निष्कर्षों को जिनमें नियम, नियमन के अनुपालन में कमी पायी गयी, नीचे दिया जा रहा है।

flpkbZ foHkkx

3-1-1 lkexzh dk vfxze Ø; dj /kujkf'k dk vo#) fd;k tkuk

vfxze :i ls ,oa vko';drk ls vf/kd lheasV dEçsLM VkbYl dk Ø; fd;s tkus ds QyLo:i ₹ 5-15 djksM+ nks o"kksZa rd vo#) jgkA

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय नियम[1] के अनुसार भंडार सामग्रियों को अग्रिम एवं आवश्यकता से अधिक मात्रा में क्रय नही किया जाना चाहिए।

शासन द्वारा स्वीकृत (जुलाई 2007) मध्य गंगा नहर निर्माण परियोजना (द्वितीय चरण) की संपादन योजना के अनुसार, कार्यों को निम्न कार्यक्रमानुसार संपादित किया जाना था–

- I. प्रथम वर्ष में आवश्यक भूमि का अधिग्रहण/क्रय
- II. द्वितीय से चतुर्थ वर्ष में नहर के निर्माण में मिट्टी के कार्य, इत्यादि।
- III. प्रथम एवं द्वितीय चरण कार्य के पश्चात स्लोप में कम्प्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट टाइल्स एवं बेड में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग का बिछाया जाना।

अधिशासी अभियंता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड–6, मेरठ एवं अधिशासी अभियंता, मध्य गंगा नहर निर्माण खंड–15, मुरादाबाद के अभिलेखों की जाँच (फरवरी 2009 एवं नवम्बर 2009) में ज्ञात हुआ कि मुख्य अभियंता मध्य गंगा, अलीगढ़ द्वारा मुख्य नहर द्वितीय चरण हेतु 15 लाख सीमेंट टाइल्स के निर्माण का एक प्राक्कलन[2] ₹ 3.21 करोड़ की लागत से जनवरी 2008 में स्वीकृत किया गया तथा अधीक्षण अभियंता, बैराज निर्माण मंडल, आगरा (मध्य गंगा नहर निर्माण मंडल, मुरादाबाद के नाम से पुनर्नामित) द्वारा बुलन्दशहर स्थित एक फर्म से अल्पकालीन निविदा के आधार पर फरवरी 2008 में एक अनुबंध[3] गठित किया गया।

---

1 वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड– VI के पैराग्राफ 179

2 आकार 300×300×40 मिलीमीटर

3 सं. 02/एस0ई0/2007–08, ₹ 3.12 करोड़

प्रारम्भ में किमी 49.940 से 52.040 किमी तक के नहर निर्माण कार्य मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड–6, मेरठ को प्रदान किया गया था जिसके द्वारा 15 लाख टाईलों के निर्माण पर फर्म को ₹ 3.08 करोड़ का भुगतान अप्रैल 2008 में किया गया। मुख्य अभियंता द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति से पूर्व ही इसी परियोजना में 10 लाख अतिरिक्त टाइल के निर्माण की स्वीकृति जुलाई 2008 में प्रदान की गई। 10 लाख अतिरिक्त टाइल का निर्माण उसी अनुबंध से किये जाने हेतु प्राक्कलन ₹ 3.21 करोड़ से अगस्त 2008 में पुनरीक्षित कर ₹ 5.39 करोड़ किया गया।

फर्म द्वारा नवम्बर 2008 में 10 लाख अतिरिक्त टाइलों का निर्माण भी पूर्ण कर लिया गया। फर्म को 25 लाख टाइलों के निर्माण हेतु ₹ 5.15 करोड़ का भुगतान मार्च 2009 में किया गया। जबकि माह मई 2010 तक उक्त रीच पर भूमि अधिग्रहण एवं नहर निर्माण का कार्य नगण्य था, टाइलों की आवश्यकता कार्य के उक्त चरणों के पश्चात ही थी। माह मार्च 2010 तक 135 हेक्टेयर आवश्यक भूमि के सापेक्ष मात्र 9.55 हेक्टेयर भूमि ही अधिग्रहण की गयी थी। इसके अतिरिक्त, मिट्टी का कार्य प्राक्कलित मात्रा के मात्र 0.25 प्रतिशत तक ही किया गया था। इस प्रकार, 25 लाख टाइलों के निर्माण हेतु अल्पकालीन निविदाओं का आमंत्रण वित्तीय नियमों का उल्लंघन था। संपूर्ण टाइल स्थल पर पड़े थे। इस प्रकार, वित्तीय नियमों एवं परियोजना के संपादन के कार्यक्रम का अनुपालन न किये जाने के फलस्वरूप ₹ 5.15 करोड़ धनराशि अवरुद्ध रही।

विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा वार्ता (दिसम्बर 2010) के दौरान प्रेक्षण को स्वीकार किया गया एवं बताया गया कि सीमेंट कंक्रीट टाइलों का निर्माण भविष्य में आवश्यकतानुसार समय से किये जाने हेतु कम दर पर पूर्व में ही कर लिया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि परियोजना के संपादन कार्यक्रम के प्रथम दो चरणों में पूर्ण किये जाने से पूर्व ही अल्पकालीन निविदाओं का आमंत्रित कर अत्यधिक मात्रा में टाइलों का संग्रहण औचित्यपूर्ण नहीं था। न तो आवश्यक भूमि का अधिग्रहण तथा न ही मिट्टी का कार्य पूर्ण किया गया था जिसके फलस्वरूप संग्रहित सामग्री के रूप में धनराशि अवरुद्ध थी।

3-1-2 ekx d pkMhdj.k ij ifjgk;l 0;;

vkb0vkj0lh0 fof'kf"V;k d mYy?ku l ekx d pkMhdj.k e cl dkl ij egx fcVfeul eldMe d fcNk; tku d QyLo:i ₹ 3-68 djkM dk ifjgk;l 0;; gvkA

इंडियन रोड कांग्रेस (आई0आर0सी0) की विशिष्टियों के अनुसार बिटुमिनस मैकडम (बी0एम0) तभी बिछाया जाना चाहिए जबकि नान बिटुमिनस क्रस्ट 37.5 सेमी. से कम न हो।

अधिशासी अभियंता, हेड वर्क्स खण्ड, आगरा नहर, ओखला के अभिलेखों की जाच (फरवरी 2010) में ज्ञात हुआ कि खण्ड द्वारा किमी 0.085 से किमी 7.950 तक हिन्डन कट नहर एवं समानान्तर हिंडन कट नहर के कामन बैंक पर 3.5 मीटर चौड़े मार्ग को 7.5 मीटर चौड़ा किए जाने का कार्य लिया गया था। मुख्य अभियंता (गंगा) मेरठ (किमी 0.085 से किमी 7.50) एवं अधीक्षण अभियंता, तृतीय वृत्त, आगरा (किमी 7.50 से किमी 7.950) द्वारा कार्य की कुल ₹ 8.98 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति (फरवरी 2009/मार्च 2009) प्रदान की गयी थी।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि तकनीकी स्वीकृति वर्ष 2001 की आई0आर0सी0–37 विशिष्टियों के अनुरूप नहीं थी जिसके द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि वाटर बाउंड मैकडम (डब्ल्यू0बी0एम0) के ऊपर बी0 एम0 बिछाने के लिए डब्ल्यू0बी0एम0के क्रस्ट की न्यूनतम मोटाई 37.5 सेमी. होनी चाहिए तथा इससे कम डब्ल्यू0बी0एम0 क्रस्ट की मोटाई वाले मार्गों पर बिटुमिनस कार्य सील कोट के साथ प्रीमिक्स कार्पेट (पी0सी0) द्वारा किया जाना चाहिए। तकनीकी स्वीकृति में आई0आर0सी0 का उल्लंघन करते हुए 31.5 सेमी. डब्ल्यू0बी0एम0 क्रस्ट की मोटाई पर बी0एम0 तथा बिटुमिनस कंक्रीट (बी0सी0) का प्रावधान किया गया था। तद्नुसार, वर्तमान प्रकरण में बिटुमिनस कार्य सील कोट के साथ पी0सी0 द्वारा कराया जाना चाहिए था न कि बी0एम0 एवं बी0सी0 द्वारा। अभिलेखों से यह भी ज्ञात हुआ कि 0.59 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल के डब्ल्यू0बी0एम0 सतह के ऊपर बी0एम0 एवं बी0सी0 कार्य ₹ 4.99 करोड़ की लागत से किया गया था जो सील कोट के साथ पी0सी0 द्वारा ₹ 1.31 करोड़[4] में ही कराया जा सकता था। इस प्रकार, मार्ग के निर्माण पर ₹ 3.68 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

तथ्यों को इंगित किये जाने पर प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग द्वारा यह बताया गया (जून 2010) कि 10 प्रतिशत कैलेफोर्निया बियरिंग रेशियो (सी0बी0आर0) एवं चार मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल (एम0एस0ए0) के यातायात घनत्व वाले मार्ग के लिए पेवमेंट की मोटाई 405 मि.मी. होनी चाहिए जिसे 50 मि.मी. बी0एम0 तथा 40 मि.मी. बी0सी0 बिछा कर प्राप्त किया गया था। उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योंकि उपरोक्त आई0आर0सी0 की विशिष्टियों में यह स्पष्ट नियत/निर्दिष्ट है कि नौ प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत सी0बी0आर0 के लिए बिटुमिन्स सतह का प्रावधान तभी किया जाना है जबकि बेस कोर्स (डब्ल्यू0बी0एम0) के क्रस्ट की मोटाई न्यूनतम 37.5 सेमी हो। 37.5 सेमी से कम बेस कोर्स की मोटाई के लिए केवल सील कोट के साथ पी0सी0 का प्रावधान किया जाना है।

इस प्रकार आई0आर0सी0 की विशिष्टियों का उल्लंघन कर सील कोट के साथ पी0सी0 के स्थान पर मंहगे बी0एम0 तथा बी0सी0 बिछाये जाने से ₹ 3.68 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त पेवमेंट की मोटाई कम होने के कारण दीर्घकाल में मार्ग का स्थिर बने रहना भी संदिग्ध है।

वार्ता के दौरान (दिसम्बर 2010) विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा बेस कोर्स की कम मोटाई के ऊपर बी0एम0 तथा बी0सी0 बिछाये जाने के लिए कोई न्यायोचित उत्तर दिये बिना लेखापरीक्षा के तथ्यों को स्वीकार किया गया।

3-1-3 vi.kZ ekxZ ij vykHkdkjh 0;;

foÙkh; fu;eksa dk vuqlj.k u djus ds dkj.k dqojiqj ,oa ikaM;iqj jtckgk ds vi.kZ eVYM jksM ij ₹ 1-69 djksM+ dk fd;k x;k 0;; vykHkdkjh jgkA

वित्तीय नियमानुसार[5] कोई भी कार्य सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक अनुमोदन, वित्तीय स्वीकृति एवं धनराशि के आबंटन के बिना प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए।

[4] 27.00 लाख : 5,8987.5 वर्गमीटर टैक कोट @ ₹ 45.95 प्रति वर्गमीटर, ₹ 69 लाख : 58987.5 वर्गमीटर पी0सी0 @ ₹ 116.51 प्रति वर्गमीटर, 35 लाख : ₹ 58,987.5 वर्गमीटर सील कोट @ ₹ 59.76 प्रति वर्गमीटर

[5] वित्तीय हस्त पुस्किा खंड VI के प्रस्तर 375

कुंवरपुर एवं पांडेयपुर रजवाहों[6] के सेवा मार्गों को निकट के ग्रामीणों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। चूंकि, वर्षा काल में मार्ग की स्थिति खराब हो जाती है, मानसून के पूर्व मार्ग के रखरखाव का कार्य आवश्यक हो जाता है। मुख्य अभियंता (अधीक्षण अभियन्ता) शारदा सहायक, लखनऊ एवं अधीक्षण अभियंता (एस0ई0), 18वां वृत्त, सिंचाई कार्य, इलाहाबाद द्वारा उक्त राजवाहों के मेटल्ड सेवा मार्गों के निर्माण हेतु क्रमशः ₹ 3.13 करोड़ एवं ₹ 66.73 लाख (मार्च 2006) के प्राक्कलन स्वीकृत किये गये थे। मुख्य अभियंता द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति के अभाव में दोनों कार्यों के प्राक्कलनों के विरुद्ध ₹ 1.80 करोड़ (मार्च 2006) अवमुक्त किया गया।

अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, जौनपुर के अभिलेखों से ज्ञात हुआ (अप्रैल 2008) कि कुंवरपुर एवं पांडेयपुर राजवाहों के मेटल्ड मार्गों की लंबाई क्रमशः 23 किमी एवं 5 किमी थी। कार्य को उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने के लिए मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता ने 28 चेनेज प्रत्येक एक किमी (कुंवरपुर के लिए 23 एवं पांडेयपुर के लिए 5) में कार्य कराये जाने की संस्तुति प्रदान की। इन कार्यों के लिए अधिशासी अभियंता द्वारा मेटल्ड मार्गों के निर्माण मई 2006 तक पूर्ण किये जाने हेतु, अल्पकालिक निविदा सूचना पर, 28 अनुबंध गठित (फरवरी 2006) किये गये। मिट्टी के कार्य एवं सामग्री के संग्रहण के लिए ठेकेदारों को ₹ 1.73 करोड़ की धनराशि का भुगतान (मार्च 2006) किया गया। ठेकेदारों द्वारा आपूर्तित सामग्रियां विभिन्न कार्यस्थलों पर अनुपयोगी पड़ी थीं तथा कार्य मार्च 2006 से रुका हुआ था। प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान न किये जाने के कारण कार्य के लिए आगे कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी। लेखापरीक्षा के प्रश्न के उत्तर में अधिशासी अभियंता द्वारा स्वीकार किया गया (जुलाई 2010) कि चार वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के कारण मिट्टी का कार्य पुनः कराने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त कार्यस्थल पर पड़ी ₹ 1.56 करोड़ मूल्य की सामग्रियों के दुरुपयोग को भी नकारा नहीं जा सकता।

प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति के अभाव में इन सेवा मार्गों के कार्यों को प्रारम्भ किये जाने के कारण उनके बीच में बंद किए जाने से किया गया व्यय अलाभकारी रहा।

वार्ता के दौरान (दिसम्बर 2010) विभाग के प्रमुख सचिव ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। यह भी बताया गया कि प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दी जाएगी

Ykkd fuek.k foHkkx

3-1-4 fcVfeu dk nfofu;kx

vkUrfjd fu;=.k i.kkyh dk lfuf'pr dju e gbl f'kfFkyrk d QyLo:Ik ₹ 1-75 djkM d fcVfeu dk nfofu;kxA

बिटुमिन भारतीय तेल रिफाइनरियों से अग्रिम भुगतान के सापेक्ष, प्राप्त किया जाता है। वित्तीय नियमों के अनुसार,[7] आपूर्ति सहित सभी लेनदेनों को उनकी प्राप्तियों के तुरन्त बाद दैनिक लेन–देन पंजिका (फार्म–8) में लेन–देनों के क्रम से दर्ज करना आवश्यक है तथा प्रत्येक माह प्रारम्भिक अवशेष, माह के दौरान प्राप्तियों एवं निर्गमनों एवं अन्तिम

[6] जौनपुर जनपद में क्रमशः 0 किमी से 23 किमी तथा 0 किमी से 5 किमी

[7] वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–6 (प्रस्तर–195 से 208)

अवशेष को भण्डार प्रभारी अवर अभियन्ता के पर्यवेक्षण में अभिलेखित करने के बाद लेखा बन्दी करना था। निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन के क्रम में, इन लेखाओं की सत्यता को सुनिश्चित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व खण्डीय अधिकारी का है। अग्रेतर, बिटुमिन की खरीद में अनियमितताओं पर अंकुश लगाने की दृष्टि से प्रमुख अभियन्ता, उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग ने प्राप्तकर्ता पक्ष के कार्य एवं उत्तर दायित्व के निर्धारण हेतु निर्देश जारी किये थे (जनवरी 2006) जिसमें यह भी प्रावधानित किया गया था कि संबंधित खण्ड के सहायक अभियन्ता प्राप्ति रसीद पर रसीदी टिकट लगाकर अपने नाम एवं पदनाम की मोहर अंकित करने, दिनांक सहित हस्ताक्षर तथा टैंकर के सील की जाँच करने के पश्चात बिटुमिन की डिलीवरी प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगे। इसके अतिरिक्त, खण्डीय अधिकारी परिवहन के दौरान किसी प्रकार के दुर्विनियोग/कमी का पता लगाने के संबंध में आपूर्तिकर्ता फर्म (तेल रिफायनरी) से वास्तविक प्राप्तियों के प्रत्येक माह मिलान को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगे तथा इस प्रकार के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर उच्चाधिकारियों एवं आपूर्ति कर्ता फर्म को सूचित करेगा।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, जौनपुर के अभिलेखों से ज्ञात हुआ (मार्च 2010–अप्रैल 2010) कि इण्डियन आयल कारपोरेशन (आई0ओ0सी0) मथुरा ने 728 इनवायसों द्वारा खण्ड को 10,688.350 मीट्रिक टन बिटुमिन (मूल्य ₹ 33.09 करोड़) की आपूर्ति अप्रैल 2006 से नवम्बर 2009 की अवधि में की। इसमें से ₹ 1.75 करोड़ मूल्य (43 इनवायस) के 627.920 मीट्रिक टन बिटुमिन को खंडीय भंडार के लेखाओं में दर्ज नहीं किया गया था। अभिलेखों से अग्रेतर ज्ञात हुआ कि अवर अभियंताओं ने ₹ 1.41 करोड़ मूल्य के 515.340 मीट्रिक टन बिटुमिन (35 इनवायस) को, जो उनके द्वारा प्राप्त किया गया था, इन्हें भंडार लेखाओं में दर्ज नहीं किया था। बिटुमिन की शेष मात्रा 112.580 मीट्रिक टन (मूल्य ₹ 0.34 करोड़) खण्ड में प्राप्त नहीं हुई थी और स्पष्टतया इसका दुर्विनियोग किया गया था। विभागीय निर्देशों के विपरीत खण्डीय अधिकारी ने भी इस अवधि में वास्तविक आपूर्ति की स्थिति, कमी, इत्यादि को सुनिश्चित करने के लिए खण्डीय भण्डार लेखा में बिटुमिन की माहवार प्राप्तियों का मिलान इण्डियन आयल कारपोरेशन से नहीं किया। अतः, उत्तरदायित्व के सभी स्तरों पर शिथिलता के फलस्वरूप ₹ 1.75 करोड़ के बिटुमिन का दुर्विनियोग हुआ।

विभाग के सचिव ने चर्चा (नवम्बर 2010) के दौरान तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि दोषी अधिकारियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन थी।

3-1-5 Bdnkjk dk vufpr ykHkA

v/kh{k.k vfHk;Urk }kjk ekMy fcM MkD;eUV dk vuikyu u fd;s tkus d dkj.k Bdnkjk dk ₹ 1-51 djkM dk vufpr ykHk feykA

राज्य सरकार ने निविदा प्रलेखों में पारदर्शिता लाने हेतु माडल बिड डाक्युमेंट का आरम्भ जनवरी 2007 में जारी कर प्रमुख अभियन्ता, जिलाधिकारियों एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को इसे अपनाने हेतु निर्देशित किया। माडल बिड डाक्युमेंट में यह प्रावधानित था कि ठेकेदार भारतीय तेल रिफाइनरियों से बिटुमिन की खरीद करेगा तथा भुगतान का दावा करते समय इन कम्पनियों द्वारा निर्गत मूल कनसाइनी रिसीट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा।

यह पाया गया कि माडल बिड डाक्युमेंट को अपनाने के स्थान पर अधीक्षण अभियन्ता, आगरा एवं फैजाबाद द्वारा अपने स्तर पर अनुबंधों के मानक नियमों एवं शर्तों में बदलाव कर लिया था। माडल बिड डाक्युमेंट को नहीं अपनाने तथा अनुबंध में बिटुमिन की खरीद से संबंधित अस्पष्ट शर्तों को सम्मिलित करने से ठेकेदारों को ₹ 1.51 करोड़ के अनुचित लाभ में सहायता मिली जैसा कि नीचे दिये हुये प्रस्तरों में चर्चा की गई हैः–

- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रथम (ताज ट्रैपोजियम), लोक निर्माण विभाग, आगरा के अभिलेखों की जाँच (सितम्बर 2009) से यह ज्ञात हुआ कि शासन ने एक बाईपास तथा तीन अन्य सड़कों (लम्बाई 78.35 किमी) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु ₹ 60.39 करोड़ स्वीकृत (फरवरी 2008 एंव मार्च 2008) किया। जैसा कि **ifjf'k"V 3-1** में वर्णित है। अधीक्षण अभियन्ता आगरा वृत्त, आगरा ने 9.85 प्रतिशत से 14.50 प्रतिशत के मध्य, आगणित लागत से ऊपर, चार अनुबंध गठित (मार्च 2008) किया जैसा कि विवरण **ifjf'k"V 3-2** में वर्णित है। माडल बिड डाक्युमेंट में वर्णित नियम एवं शर्तों को नहीं अपनाये जाने के अतिरिक्त तथा बिटुमिन की विभागीय आपूर्ति शर्त स्वीकृति करने में, अनुबंध की शर्तों में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि प्रतिशतता की दरें बिटुमिन की लागत को समायोजित करने के उपरान्त अनुमन्य होंगी। कार्य की कुल लागत में बिटुमिन की लागत को सम्मिलित करते हुए किये गये कुल कार्य पर भुगतान स्वीकृत किया गया।

  अतः शासकीय आदेशों की अवहेलना तथा नियम एवं शर्तों को बनाने में विफलता से शासकीय हितों की अनदेखी एवं ठेकेदारों को ₹ 1.31 करोड का अनुचित लाभ दिया गया था जैसा कि **ifjf'kf"V 3-3** में वर्णित है।

- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2 लोक निर्माण विभाग, सुल्तानपुर के अभिलेखों से ज्ञात हुआ (सितम्बर 2009) कि सुल्तानपुर–रायबरेली मार्ग के 21.20 किमी भाग (किमी 50 से किमी 71.20) के सुदृढ़ीकरण हेतु शासन ने ₹ 14.98 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (जून 2008)। अधीक्षण अभियन्ता, फैजाबाद वृत्त, लोक निर्माण विभाग फैजाबाद ने (नवम्बर 2008) आगणित लागत से 5.50 प्रतिशत अधिक दर पर अनुबंध गठित[8] किया था। अनुबंध में एक शर्त यह भी थी कि विभागीय भण्डार में बिटुमिन की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये ठेकेदार को शिड्यूल 'सी'[9] में दिये गये दर पर विभागीय बिटुमिन भी निर्गत किया जा सकता है। इस प्रकार जैसा कि पूर्व प्रस्तर में विचारित किया जा चुका है, न तो नियम एवं शर्तों को स्पष्ट किया गया था और न ही माडल बिड डाक्युमेंट को अपनाया गया था एवं कार्य की कुल लागत पर लाभ सहित भुगतान इस प्रकार किया गया जैसे कि ठेकेदार ने अपने संसाधनों से बिटुमिन का प्रयोग किया हो। अतः ठेकेदार ने विभागीय आपूर्तित बिटुमिन पर ₹ 19.86 लाख का लाभ प्राप्त किया। जैसा कि **ifjf'k"V 3-4** में वर्णित है,

सचिव ने चर्चा के दौरान (नवम्बर 2010) दोनों प्रकरणों में तथ्यों को स्वीकार करते हुये कहा कि भविष्य में किसी पक्ष के लिए अनुचित लाभ को दूर करने हेतु स्पष्ट नियम एवं शर्तों को बनाने के लिए प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को निर्देश दे दिये गये थे।

[8] संख्या : 34 एस0ई0 / एफ0सी0 / 08–09 दिनांक 5 नवम्बर 2008

[9] बल्क बिटुमिन 80 / 100 ग्रेड ₹ 37963 प्रति मि0टन, 60 / 70 ग्रेड ₹ 37963 प्रति मि0टन, सी आर एम बी 55 ग्रेड ₹ 41337 / मि0टन, पैक इमल्सन (एम एस) : ₹ 39361 / मि0टन पैक्ड बिटुमिन (एस एस) / मि0टन

3-1-6 <ykbl ij vf/kd Hkxrku

gkV feDl lyk.V l dk;l LFky rd gkV feDl@oV feDl dh <ykbl d vkx.ku e nkxuh njh dk iko/kku dju vkj rnulkj dk;l fd;s tku d ifj.kkeLo:Ik ₹ 1-92 djkM dk vf/kd Hkxrku gvkA

दर विश्लेषण हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग (मोर्थ) मंत्रालय द्वारा निर्गत स्टैन्डर्ड डाटा बुक के अनुसार प्लाण्ट से कार्य स्थल तक वेट मिक्स/हाट मिक्स सामग्री की ढुलाई की दरों की गणना में आने एवं जाने की यात्रा शामिल होती है। अतः दर की गणना हेतु मात्र एक तरफ की दूरी ली जायेगी। यह पाया गया कि उक्त मानक का पालन नहीं किया गया और क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा निम्नलिखित दो नमूना परीक्षित मामलों में सामग्री की ढुलाई की दूरी (लीड) में दोगुनी दूरी का अनुमोदन किया गया।

- अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, फैजाबाद के अभिलेखों की जाँच (दिसम्बर 2009) मे पाया गया कि शासन द्वारा फैजाबाद जनपद में तीन मार्गों[10] के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु ₹ 44.63 करोड़ स्वीकृत किया गया जिसकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, फैजाबाद क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, फैजाबाद द्वारा दी गई थी (फरवरी 2009)। इन कार्य सम्पादन हेतु अधीक्षण अभियन्ता फैजाबाद वृत्त, लोक निर्माण विभाग ने एक ठेकेदार के साथ तीन अनुबन्ध[11] गठित किये। हाट मिक्स प्लान्ट से कार्य स्थल तक विटुमिनस एवं नान विटुमिनस मिश्रण सामग्री की ढुलाई के लिए औसत दूरी 25 किमी के स्थान पर विस्तृत अगणन में 50 किमी (25 x 2) की वास्तविक दूरी ली गयी। परिणामस्वरूप, 25 किमी अधिक दूरी दिये जाने के कारण ₹ 1.29 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया। (**ifjf'k"V&3-5**)
- अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कानपुर के अभिलेखों की जाँच (फरवरी 2008) में पाया गया कि शासन द्वारा रमईपुर–सारा–जहानाबाद मार्ग के किमी 1 से 30 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए ₹ 20.04 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी जिसकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, कानपुर क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, कानपुर द्वारा (फरवरी 2008) प्रदान की गयी। कार्य के सम्पादन हेतु अधीक्षण अभियन्ता, कानपुर वृत्त, लो0नि0वि0, कानपुर द्वारा ₹ 18.87 करोड़ का अनुबन्ध गठित किया गया (मार्च 2008)। डब्ल्यू0एम0एम0, बी0एम0 एवं एस0डी0बी0सी0 की सतह को बिछाये जाने हेतु मिश्रण की ढुलाई के लिए दरों के आगणन में एक तरफ की दूरी 45 किमी के स्थान पर वास्तविक दूरी का दोगुना (45 x 2) किमी देते हुए ठेकेदार को विभागीय दर से 21 प्रतिशत अधिक पर कार्य दिया गया। ढुलाई (लीड) की दरों की गणना दुगुना करने के कारण ₹ 62.66 लाख का अधिक भुगतान किया गया (**ifjf'k"V 3-6**)।

---

[10] चौदह कोशी परिक्रमा : लम्बाई 27 किमी. एवं स्वीकृत लागत ₹18.58 करोड़, पंचकोशी परिक्रमा : लम्बाई 11.50 किमी एवं स्वीकृत लागत ₹7.09 करोड़, सहादतगंज नया घाट : लम्बाई 12.40 किमी. एवं स्वीकृत लागत ₹18.96 करोड़

[11] चौदह कोशी परिक्रमा : अनुबंध संख्या 46 एस0ई0 दिनांक 27–2–2009 ₹18.43 करोड़, पंचकोशी परिक्रमा मार्ग : अनुबंध संख्या 45 एस0ई0 दिनांक 27–2–2009 ₹7.01 करोड़ एवं सहादतगंज नया घाट मार्ग : अनुबंध संख्या 47 एस0ई0 दिनांक 27–2–2009 ₹18.59 करोड़

विभाग के सचिव ने वार्ता के दौरान (नवम्बर 2010) यह बताया कि आने व जाने दोनों को लेते हुए दो गुनी दूरी दी गयी जो मोर्थ के निर्देशों के अनुसार था। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मोर्थ के स्टैण्डर्ड डाटा बुक के अनुसार लीड में खाली टिपर की वापसी यात्रा की दूरी भी सम्मिलित है।

अतः वर्तमान मानक का पालन करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप शासन के वित्तीय हितों के प्रतिकूल ठेकेदार को ₹ 1.92 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

3-1-7 ekud dk vuikyu u fd;s tku d dkj.k ifjgk;l vfrfjDr 0;;

{k=h; e[; vfHk;Urkvk }kjk vLohdk;l enk dh Lohdfr d QyLo:i nk lMdk d fuek.k ij ₹ 1-19 djkM dk vfrfjDr 0;; fd;k x;kA

प्रमुख अभियन्ता के निर्देशों (अप्रैल 2005) के अनुसार राज्य में विभिन्न श्रेणी की सड़कों के बिटुमिनस रहित सतह पर प्राइमिंग के उपरान्त 20 सेमी प्रीमिक्स कारपेट बिछाया जाना था। प्रमुख अभियन्ता ने यह भी स्पष्ट किया (जून 2007) कि दो लेन (सात मीटर) या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर बिटुमिनस क्रस्ट बिछाने के पूर्व प्रथम सतह लेपन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नीचे दिये गये विवरण के अनुसार मुख्य अभियन्ता, आजमगढ़ एवं फैजाबाद क्षेत्र द्वारा मानकों के विपरीत प्रथम सतह लेपन की तकनीकी स्वीकृति दिए जाने के फलस्वरूप ₹ 1.19 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड एवं निर्माण खण्ड द्वितीय, जौनपुर के अभिलेखों की जाँच (जून 2009) से ज्ञात हुआ कि लखनऊ–मांझीघाट राज्य मार्ग के किमी 205.90 से किमी 255.60 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु सरकार ने ₹ 19.51 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। मुख्य अभियन्ता, आजमगढ़ क्षेत्र ने सील कोट के साथ प्रीमिक्स कारपेट के अतिरिक्त प्राइमर कोट के उपरान्त प्रथम सतह लेपन की तकनीकी स्वीकृति जुलाई 2006 में प्रदान की जिसका कार्य जुलाई 2006 से मार्च 2009 की अवधि में 60 अनुबन्धों के माध्यम से किया गया। इसमें से प्रथम सतह के पश्चात प्रीमिक्स कारपेट एवं सील कोट के कार्य सात अनुबन्धों के माध्यम से किये गये। **ifjf'k"V 3-7** में दिये गये विवरण के अनुसार इन अनुबंधों में प्रावधानित प्रथम सतह लेपन पर ₹ 29.67 लाख के अधिक व्यय से बचा जा सकता था। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड द्वितीय ने सड़क के बचे हुये भाग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 14 अनुबन्ध[12] गठित किये तथा कार्य को जुलाई 2007 एवं जुलाई 2008 के मध्य ₹ 3.55 करोड़ की लागत से पूरा किया। इसमें **ifjf'k"V 3-8** में दिये गये विवरण के अनुसार प्रथम सतह लेपन पर ₹ 70.82 लाख का परिहार्य व्यय शामिल था।

इसी प्रकार, मुख्य अभियन्ता, फैजाबाद क्षेत्र ने केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड द्वितीय, सुल्तानपुर द्वारा अमेठी–ककवा–अठया–परदेशपुर मार्ग के किमी 0.400 से किमी 10.400 पर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के सम्पादन हेतु ₹ 11.22 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति (दिसम्बर 2008) प्रदान की । कार्यों में कैरेजवे को 3.50 मी से 7.00 मी का चौड़ीकरण करना, तदुपरान्त सुदृढ़ीकरण हेतु बिटुमिन रहित क्रस्ट की दो सतहों के बाद प्रथम सतह लेपन, बिटुमिनस मैकडम तथा सेमीडेन्स बिटुमिनस कंक्रीट बिछाना शामिल था। प्रथम सतह लेपन का प्रावधान मुख्य अभियन्ता के

[12] कार्य निष्पादन हेतु ठेकेदारों के साथ अनुबंध

निर्देशों के विपरीत था। खण्ड के अभिलेखों से ज्ञात हुआ (सितम्बर 2009) कि अधीक्षण अभियन्ता, फैजाबाद वृत्त, फैजाबाद ने इस सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु एक अनुबन्ध का गठन किया। ठेकेदार द्वारा सम्पादित कार्य की कुल धनराशि ₹ 3.05 करोड़ में प्रथम सतह लेपन पर किया गया परिहार्य व्यय ₹ 18.62[13] लाख शामिल था।

अतः मुख्य अभियन्ता द्वारा अस्वीकार्य मदों के प्रावधान सहित आगणन के अनुमोदन के फलस्वरूप ₹ 1.19 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

विभागीय सचिव ने चर्चा (नवम्बर 2010) के दौरान यह बताया कि निर्माण खण्ड एवं निर्माण खण्ड द्वितीय जौनपुर में प्राइमर कोट एवं प्रथम सतह लेपन की सर्फेस ड्रेसिंग का प्रावधान प्रमुख अभियन्ता के अप्रैल 2005 के परिपत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार तथा कार्य का सम्पादन भी उसी अनुसार किया गया। निर्माण खण्ड द्वितीय, सुल्तानपुर से सम्बन्धित कार्य के सम्बन्ध में यह कहा गया कि सड़क पर डाइवर्जन की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण प्रथम सतह लेपन आवश्यक था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि प्रमुख अभियन्ता के उक्त परिपत्र के अनुसार प्रीमिक्स कार्पेट के साथ सील कोट की सतह बिछाने के पूर्व प्रथम सतह लेपन का कोई प्रावधान नहीं था। दो लेन की सड़क पर डाइवर्जन उपलब्ध न होने के आधार पर प्रथम सतह लेपन करने का औचित्य भी भ्रमित करने वाला है क्योंकि डाइवर्जन की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब यातायात को एक विशेष बिन्दु पर डाइवर्ट करना हो न कि पूर्ण सड़क पर।

xzkeh.k vfHk;=.k lsok,a

3-1-8 lheV dadhV lMdk ,oa ukfy;ksa ij vfrfjDr O;;

'kkldh; funs'kksa ds foijhr fuekZ.k dk;Z ds fdz;kUo;u ds ifj.kkeLo:i lheSV dadhV lMdksa ,oa ukfy;ksa ds fuekZ.k ij ₹ 11-20 djksM+ dk vfrfjDr O;;

डा0 अम्बेदकर ग्राम सभा विकास योजना 2008–09 के अर्न्तगत सीमेंट कंक्रीट (सी0सी0) सड़कों एवं ढ़की हुई नालियों के निर्माण कार्य के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये (जुलाई 2008)। दिशा–निर्देशों के अर्न्तगत कार्य के क्रियान्वयन हेतु विशिष्टियों के साथ सामग्री की खपत मानक, मानक डिजाइन एवं ड्राइंग को भी सम्मिलित रखना है, किया गया था। आदर्श आगणन मानक डिजाइन एवं ड्राइंग, मानक खपत निर्देश तथा यूनिट मूल्यों पर आधारित था जो राज्य नियोजन संस्थान[14] द्वारा अनुमोदित था। प्रशासनिक विभागों/निष्पादन एजेंसियों को कार्यों के निष्पादन में इसे अपनाया जाना था ।

अधीक्षण अभियंता (एस0ई0), ग्रामीण अभियंत्रण सेवाएं (आर0ई0एस0), लखनऊ के अधीनस्थ पांच खण्डों[15] तथा एस0ई0, आर0ई0एस0, मुरादाबाद के अधीनस्थ तीन अन्य खण्डों[16] के अभिलेखों की जाँच (अक्टूबर 2009 से दिसम्बर 2009) में पाया गया कि योजना के अर्न्तगत अनुमोदित डिजाइन एवं विशिष्टियों को अपनाये जाने के आदेश के

---

13 ₹ 16.40 लाख : ₹ 109.40 प्रति वर्गमीटर की दर से 14993.30 वर्ग मीटर एवं ₹ 2.22 लाख (अनुबंध के अनुसार विभागीय दर से 13.5 प्रतिशत ऊपर)

14 सरकार की योजना विभाग के रूप में कार्यरत

15 अधिशासी अभियंता, आर0ई0एस0 हरदोई, लखीमपुर खीरी रायबरेली, सीतापुर एवं उन्नाव,

16 अधिशासी अभियंता, आर0ई0एस0 बिजनौर रामपुर एवं मुरादाबाद,

बावजूद एस0ई0/ई0ई0 ने सी0सी0 सड़कों एवं ढ़की नालियों को आगणन में उनके डिजाइन तथा खपत मानक में परिवर्तन कर तकनीकी स्वीकृतियॅा प्रदान की। शासन द्वारा अनुमोदित मानक एवं डिजाइन में बदलाव के फलस्वरूप इन कार्यों पर ₹ 11.20 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया जिनकी चर्चा नीचे की गई है

- अनुमोदित डिजाइन और दिशा–निर्देशों के अनुसार ढकी हुई नालियों के निर्माण में 80 से0मी0 की पूरी चौड़ाई में 7.5 से0मी0 मोटाई की लीन कंक्रीट[17] का आधार (बेस) दे कर किया जाना था। चार खण्डों[18] में अनुमोदित डिजाइन के अनुसार 7.5 से0मी0 के स्थान पर 10 से0मी0 मोटी लीन कंक्रीट नालियों में बिछाई गयी। नालियों के आधार में लीन कंक्रीट (2.5 से0मी0) की अतिरिक्त मोटाई के फलस्वरूप ₹ 79.43 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ जिसका विवरण **ifjf'k"V 3-9** में है ।
- अनुमोदित मानकों के अनुसार, नाली भाग में 25 से0मी0 चौड़ाई में 2.5 से0मी0 मोटाई की सीमेंट कंक्रीट (पी0सी0सी0) दी जानी थी। फिर भी दो खण्डों[19] द्वारा अनुमोदित मानक में बदलाव करके 5 से0मी0 मोटाई की पी0सी0सी0 बिछाई गयी। पी0सी0सी0 कार्य की मात्रा बढ़ाकर नाली निर्माण कार्य करने के फलस्वरूप ₹ 46.99 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ जिसे **ifjf'k"V 3-10** में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त आर0ई0एस0, मुरादाबाद खण्ड में पी0सी0सी0 के स्थान पर पड़न्जा ईटों (समतल ईट) का उपयोग किया गया। परिणामस्वरूप, ₹ 55.71 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ जो **ifjf'k"V 3-11** में वर्णित है ।
- अनुमोदित डिजाइन एवं दिशा निर्देशों के अनुसार, सी0सी0 सड़कों के निर्माण में लीन कंक्रीट (एल0सी0) हेतु सीमेण्ट, महीन बालू एवं ब्रिक बैलास्ट का अनुपात 1:6:12 का होना था । इन मानकों के विपरीत तीन खण्डों[20] ने 1:5:10 के अनुपात मे सीमेण्ट, महीन बालू एवं ब्रिक बैलास्ट लीन कंक्रीट बिछाया। कार्य में एल0सी0 के मंहगे विशिष्टियों का उपयोग किये जाने के फलस्वरूप ₹ 2.57 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ जो **ifjf'k"V 3-12** में वर्णित है।
- अनुमोदित डिजाइन एवं ड्राइंग के अनुसार, नालियों को आर0सी0सी0 तथा माइल्ड स्टील (इस्पात) की 5 सेमी मोटाई से ढकना था। आर0सी0सी0 ढक्कन में आर0सी0सी0 की प्रतिघन मीटर मात्रा में एक प्रतिशत[21] माइल्ड स्टील अनुमन्य था। फिर भी आर0ई0एस0 मुरादाबाद के अतिरिक्त सभी खण्डों में अनुमोदित मानकों के विपरीत 7.5 से0मी0 से 10 से0मी0 के मोटाई का आर0सी0सी0 ढक्कन का निर्माण किया गया। नालियों के ढक्कन (कवर) की मोटाई में वृद्धि से अनुमोदित मानक के विपरीत आर0सी0सी0 कार्य की मात्रा में वृद्धि तथा माइल्ड स्टील की ज्यादा खपत हुई। परिणामस्वरूप, ₹ 6.82 करोड़ (माइल्ड स्टील के मूल्य को सम्मिलित करके) अतिरिक्त व्यय हुआ जो **ifjf'k"V 3-13** एवं **3-14** में वर्णित है।

---

[17] सीमेण्ट, महीन बालू तथा ब्रिक बैलास्ट के मिश्रण का अनुपात 1:6:12

[18] अधिशासी अभियंता, आर.ई.यस. हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर एवं उन्नाव

[19] अधिशासी अभियंता, आर.ई.यस. हरदोई, लखीमपुर खीरी एवं उन्नाव

[20] आर0ई0एस0 बिजनौर, मुरादाबाद एवं रामपुर

[21] 1 घन मीटर माइल्ड स्टील : 78.5 कुन्तल

चर्चा के दौरान (नवम्बर 2010) प्रमुख सचिव ने यह बताया कि कार्य स्थल की स्थिति की अनुसार अनुमोदित मानकों में बदलाव करके कार्य कराया गया । उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि नियोजन विभाग द्वारा अनुमोदित एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा जांचे गये माडल ड्राइंग एवं मानक में बदलाव अनुमन्य नहीं था । इसके अतिरिक्त, राज्य सड़क विकास पालिसी 1998 के अर्न्तगत सड़क निर्माण में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये गये मानकों के अनुपालन हेतु ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बाध्य है तथा कार्य स्थल की स्थिति के कारण माडल मानकों में बदलाव को नियोजन विभाग से अनुमोदित कराया जाना आवश्यक था।

3.2 vkfpR; y[kkijh{kk vkj fcuk mfpr leFkZu d 0;;k d izdj.k

लोक निधियों से प्राधिकृत होने वाले व्यय औचित्य और लोक व्ययों की दक्षता के सिद्धान्तों से निर्देशित होते है। व्यय के लिए सक्षम प्राधिकारी से सह आपेक्षित है कि इन सिद्धान्तों का परिपालन उसी तरह करे जैसा कि सामान्य विवेक का व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय में करता है एवं प्रत्येक स्तर पर वित्तीय आदेशों और मितव्ययिता को लागू करे। लेखापरीक्षा में औचित्य से अधिक व्यय के प्रकरण प्रकाश में आए है।

ou foHkkx

3-2-1 o{kkjki.k vfHk;ku ij vfu;fer 0;;A

cUny[k.M {k= e fcuk mi;Dr dk;Z;ktuk o tYnckth e fo'k"k o{kkjki.k vfHk;ku fØ;kUo;u d QyLo:i ₹ 40-10 djkM dk vfu;fer 0;; gvkA

मुख्यमंत्री की उद्घोषणा (जून 2008) के अनुपालन में बुन्देलखण्ड विशेष वृक्षारोपण अभियान 2008, बुन्देलखण्ड के सात जनपदों में प्रारम्भ किया गया (जुलाई 2008), जिसमें 10 करोड़ पौधों के रोपण का प्रावधान था। तद्नुसार, शासन ने सात जिलों के जिलाधिकारियों को आदेश दिया (जुलाई 2008) कि वह तीन दिन के अन्दर आठ विभागों/एजेन्सियों[22] द्वारा उनको निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पौधरोपण सुनिश्चित करें। अनुपालन में शासन द्वारा राज्य के सभी प्रभागीय वनाधिकारियों को दो दिन के अन्दर परिवहन की व्यवस्था करके बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पौध भेजने का आदेश दिया (जुलाई 2008)। बुन्देलखण्ड के सात प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा उक्त परिवहन पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति किया जाना था।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सम्बन्धित प्रभागों के अभिलेखों से यह प्रकाश में आया (जून 2009) कि 57 प्रभागों ने बुन्देलखण्ड के प्रभागों में पौधे भेजे, जिस पर भेजने वाले प्रभागों को सितम्बर 2008 से मार्च 2009 तक ₹ 40.10 करोड की प्रतिपूर्ति की गयी। प्रतिपूर्ति की गयी धनराशि का मदवार विवरण **ifjf'k"V 3-15** में दिया गया है। वानिकी मानदण्डों के अनुसार वृक्षारोपण हेतु पाँच वर्षों की अवधि अपेक्षित है (ढाई वर्ष वृक्षारोपण के पूर्व और ढाई वर्ष अनुरक्षण हेतु)। जुलाई 2008 में वृक्षारोपण पूर्ण करने हेतु कार्यवाही जनवरी 2006 में प्रारम्भ हो जानी चाहिए थी। विशेष वृक्षारोपण अभियान में न तो इन वानिकी

[22] वन विभाग : 4.50 करोड़ पौधे, ग्राम पंचायत : 1.20 करोड़ पौधे, उद्यान विभाग 1.30 करोड़, लोक निर्माण विभाग : 0.50 करोड़, सिंचाईविभाग 0.50 करोड़ पौधे, ऊर्जा विभाग : 0.50 करोड़ पौधे, स्थानीय निकाय विकास एजेन्सी : 0.50 करोड़ पौधे, नागरिकों द्वारा एक करोड़ पौधे की भागीदारी।

मानदण्डों का ध्यान रखा गया एवं न ही कार्ययोजना से इतर कार्य के लिए भारत सरकार से आवश्यक अनुमति ली गयी।

परिवहन कार्य परिवहनकर्ता के साथ बिना किसी अनुबन्ध निष्पादन के जल्दबाजी में किया गया। शासन द्वारा दरों की स्वीकृति ढुलाई कार्य पूर्ण होने के पश्चात् (सितम्बर 2008) दी गयी, जिससे वित्तीय औचित्य का उलंघन हुआ। ट्रकों से पौधों की उतराई में विलम्ब की वजह से परिवहनकर्ताओं को ₹ 1.52 करोड डिटेन्शन चार्ज के भुगतान से दोषपूर्ण नियोजन परिलक्षित हुआ। पुनः, भेजने वाले प्रभागों द्वारा अपने कर्मचारियों को आकस्मिक व्यय हेतु दिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति प्राप्तकर्ता प्रभागों द्वारा बिना वास्तविक व्यय के विवरण प्राप्त किये, कर दिया गया।

प्रकरण शासन एवं प्रमुख वन संरक्षक को सन्दर्भित किया गया (जुलाई 2009)। उत्तर में प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि 10 करोड़ पौध रोपण का अभियान मानसून पूर्व भारी वर्षा के कारण प्रारंभ किया गया था। डिटेन्सन चार्ज का भुगतान, कर्मचारियों को दिये गये अग्रिमों का समायोजित न किया जाना तथा परिवहनकर्ताओं के साथ अनुबन्ध न किये जाने के सम्बन्ध में कोई उत्तर नही दिया।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि वृक्षारोपण अभियान समुचित योजना बनाकर किया जाना चाहिए था, न कि आनन–फानन में और वानिकी मानदण्डों का इस आधार पर उल्लंघन स्वीकार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, कार्ययोजना से विचलन का अनुमोदन भी भारत सरकार से प्राप्त नही किया गया। अतएव वृक्षारोपण अभियान पर किया गया व्यय अनियमित था।

flpkbZ foHkkx

3-2-2 fMØhVy /kujkf'k d foyEc l Hkxrku d dkj.k vfrfjDr ifjgk;Z Hkxrku

fMØhVy /kujkf'k d foyEc l Hkxrku d QyLo:i fuekZ.k dEiuh dk ₹ 1-87 djkM+ d C;kt dk vfrfjDr ifjgk;Z Hkxrku fd;k x;kA

वित्तीय नियमानुसार[23] यह आवश्यक है कि भुगतानों कभी असंदत्त नहीं होना चाहिए। अपरिहार्य अदायगी को स्थगित रखना आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं है तथा प्रारंभिक संभावित तिथि पर सभी वास्तविक बाध्यताओं को अभिनिश्चित करना, परिसमापन करना तथा अभिलिखित करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, लखनऊ के अभिलेखों से ज्ञात हुआ (नवंबर 2009) कि अधीक्षण अभियंता, 12वां वृत्त सिंचाई कार्य, लखनऊ ने, लखनऊ जिले में गोमती नदी पर एक एक्वाडक्ट के निर्माण हेतु में0 हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ अनुबंध[24] गठित किया । कार्य के दौरान (जून 1974 से अप्रैल 1978) मूल्य वृद्धि के कारण, अनुबंध के क्लाज 9.74 के अनुसार कंपनी द्वारा ₹ 1.07 करोड़ के अतिरिक्त भुगतान की मांग मार्च 1978 में की गयी। मुख्य अभियंता ने कंपनी द्वारा मांगे गये अतिरिक्त दावे की जाँच हेतु

[23] पैराग्राफ 161 वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–V भाग 1

[24] सं. 04/एस.ई./73–74 दिनांक 14 जून, 1974

एक समिति का गठन (जुलाई 1980) किया। जिसने कंपनी को ₹ 1.07 करोड़ के भुगतान की अनुशंसा (सितंबर 1982) की। तदनुसार प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग उ. प्र. लखनऊ (विभाग) द्वारा शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया (सितंबर 1982) गया जिस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

₹ 1.07 करोड़ के दावे के भुगतान न पाने के कारण कंपनी द्वारा शासन से प्रकरण आरबिट्रेटरों को संदर्भित किये जाने हेतु अनुरोध मई 1984 में किया गया। आरबिट्रेटरों द्वारा सितम्बर 2002 में कंपनी के पक्ष में ₹ 3.51 करोड़ (लागत सहित) का अवार्ड दिया गया। जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी) लखनऊ के न्यायालय में नवम्बर 2002 में एक वाद दाखिल किया गया। न्यायालय ने कंपनी को ₹ 4.50 करोड़ (ब्याज सहित) भुगतान किये जाने का निर्णय पारित (मई 2007) किया जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा उच्च न्यायालय में एक विशेष अपील जुलाई 2007 में दाखिल की गयी। उच्च न्यायालय ने भी कंपनी के पक्ष में मई 2008 में निर्णय पारित करते हुए विभाग को यह निर्देशित किया कि अवार्ड की धनराशि न्यायालय में तीन माह के अन्दर जमा की जाय। फिर भी, विभाग द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुज्ञा याचिका अप्रैल 2009 में दायर की गयी जिसे न्यायालय द्वारा जुलाई 2009 में निरस्त कर दिया गया। अन्ततोगत्वा विभाग द्वारा, शासन से धनराशि प्रदान किये जाने के पश्चात, विलम्ब से भुगतान के कारण ₹ 1.87 करोड़ के ब्याज सहित कुल ₹ 5.38 करोड़[25] की धनराशि जमा की गयी। (अक्टूबर 2009)

विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा वार्ता के दौरान (दिसंबर 2010) तथ्यों की पुष्टि की गयी एवं बताया गया कि भुगतान अपरिहार्य था तथा राज्य के हित में किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग ने न केवल मुख्य अभियंता द्वारा गठित समिति की संस्तुति को नहीं माना वरन् ब्याज के दायित्व से बचने के लिए आरबिट्रेटरों द्वारा घोषित अवार्ड को न्यायालय में जमा करने में भी असफल रहा।

tsy ç'kklu vkSj lq/kkj foHkkx

3-2-3 e/;e lqj{kk dkjkxkj ij fujFkZd O;;

fu;kstu dh deh ds ifj.kkeLo:i y[kuÅ tuin esa e/;e lqj{kk dkjkxkj ds v/kwjs fuekZ.k ij ₹ pkj djksM+ dk fujFkZd O;; gqvkA blds vfrfjDr] u rks e/;e lqj{kk dkjkxkj vkSj u gh <gk, x, dkjkxkj ifjljksa dks LFkkukUrfjr fd;k x;kA

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1995 से सघन आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित कारागारों को स्थानान्तरित किया जा रहा है। नौ जनपदों[26] के कारागारों को वर्तमान स्थानों से स्थानान्तरित करने की योजना बनायी गयी (सितंबर 2006) थी जिसमें लखनऊ जनपद में

25 आरबिट्रेशन अवार्ड (26 सितंबर 2002) ₹ 338.16 लाख (मूल राशि ₹ 107 लाख, ब्याज ₹ 231.16 लाख) लागत ₹ 12.44 लाख एवं 1700 दिनों का ब्याज (@ 6%) : ₹ 94.50 लाख 22 मई 2007 तक तथा 801 दिनों का ब्याज (@ 12.5%) : ₹ 92.76 लाख

26 आजमगढ, बदायु, बरेली, जौनपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, शाहजहांपुर तथा वाराणसी।

78.94 हेक्टेअर परिसर में स्थित तीन कारागारों एवं कारागार प्रशिक्षण संस्थान[27] को सितंबर 2007 तक स्थानान्तरित करने की कोई योजना नहीं थी।

जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को कैद में रखने की दृष्टि से शासन ने उक्त परिसर में एक मध्यम सुरक्षा कारागार[28] (प्राक्कलित लागतः ₹ 5.60 करोड)[29] के निर्माण का निर्णय लिया (मार्च 2006) तथा उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम (उ0प्र0रा0नि0नि0लि0) को ₹ चार करोड[30] की धनराशि अवमुक्त किया। निर्माण कार्य अक्टूबर 2006 में प्रारंभ किया गया।

महानिदेशक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, लखनऊ (डी0जी0) के अभिलेखों की जाँच में यह प्रकाश में आया (अगस्त 2009) कि मध्यम सुरक्षा कारागार के निर्माण के निर्णय के 18 माह पश्चात, शासन ने परिसर से तीनों कारागार एवं प्रशिक्षण संस्थान को नये स्थान पर लखनऊ जनपद की मोहनलालगंज तहसील में स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया (अक्टूबर 2007)। तद्नुसार मध्यम सुरक्षा कारागार का निर्माण कार्य ₹ चार करोड व्यय करने के पश्चात रोक दिया गया (अक्टूबर 2007)। शासन ने प्रबंध निदेशक, उ0प्र0रा0नि0नि0 की अध्यक्षता में वर्तमान स्थित कारागारों एवं प्रशिक्षण संस्थान का वर्तमान शुद्ध मूल्य (एन0पी0वी0) सुनिश्चित करने के लिए एक समिति का गठन[31] किया (अगस्त 2009)। इस समिति ने वर्तमान शुद्ध मुल्य ₹ 40.07 करोड आकलित (अगस्त 2009) किया तथा परिसर के चारो तरफ ऐतिहासिक स्थलों एवं पार्कों आदि को विकसित किये जाने से उनकी सुरक्षा के मुद्दे उठाते हुये वर्तमान तीनों कारागारों एवं प्रशिक्षण संस्थान को ध्वस्त करने की संस्तुति की (अगस्त 2009)। शासन ने संस्तुति का पालन करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश निर्गत किया (अगस्त 2009) तथा उ0प्र0रा0नि0नि0 ने अपूर्ण मध्यम सुरक्षा कारागार सहित तीनों कारागारों को ध्वस्त कर दिया गया जिस पर ₹ 6.43 करोड की धनराशि व्यय की गयी तथा खाली जमीन आवास विकास के अधीन आवास विकास परिषद को इको पार्क विकसित करने के लिए हस्तान्तरित कर दिया गया। धवस्त किये गये तीनों कारागार नये स्थान पर निर्मित किए गए परन्तु न तो मध्यम सुरक्षा कारागार और न ही प्रशिक्षण संस्थान निर्मित किया (नवंबर 2010) गया था।

अतः मध्यम सुरक्षा कारागार के निर्माण एवं बाद में कारागार के सघन आबादी वाले क्षेत्र में स्थित होने के आधार पर ₹ चार करोड के व्यय के पश्चात धवस्त कर दिया जाना नियोजन में कमी दर्शाता है जिसके परिणामस्वरूप किया गया व्यय निरर्थक रहा।

डी0जी0 ने यह बताया (अगस्त 2010) कि मध्यम सुरक्षा कारागार का निर्माण कार्य अक्टूबर 2006 में प्रारंभ किया गया था एवं उस समय तक उपलब्ध कारागार को हस्तान्तरित करने की कोई योजना नहीं थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि जब शासन सघन आबादी क्षेत्रों में स्थित कारागारों को वर्ष 1995 से हस्तांतरित कर रहा था तब परिसर में मध्यम सुरक्षा कारागार का निर्माण विवेकपूर्ण नहीं था।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित था (जुलाई 2010); उत्तर अप्राप्त था (फरवरी 2010)।

---

[27] आदर्श कारागार, जिला कारागार, नारीबन्दी निकेतन, सम्पूर्णानंद प्रशिक्षण संस्थान।

[28] 30 कैदी क्षमता के चार बैरक, 12 कैदी क्षमता के प्रत्येक पांच बैरकों आदि।

[29] केन्द्रीय वित्तपोषित कारागार आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत।

[30] मार्च 2006 तथा जून 2006 में प्रत्येक ₹ 2 करोड के।

[31] मार्च 2008 में, सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा तैयार किये गये ढाचे का ध्वस्तीकरण तकनीमि समिति की संस्तुति पर शुद्ध वर्तमान मूल्य के आंकलन के पश्चात ही किया जायेगा। ध्वस्तीकरण का निर्णय विशिष्ट स्तर पर ढाचों की उम्र तथा वर्तमान शुद्ध मूल्य पर निर्भर करेगा।

y?kq flapkbZ foHkkx

3-2-4 jkVjh fjx ij fuf"Ø; fuos'k

₹ 1-03 djksM+ dh ykxr ls Ø; dh x;h Mk;jsDV ljdqyVjh jksVjh fjx e'khu ,oa lgk;d midj.k ifjpkyu dfeZ;ksa dh vHkko esa fuf"Ø; iM+s jgsA

राज्य में गहरे बोरिंग योजना का उद्देश्य ऐसे क्षेत्र जहां भूजल के कम हो जाने के कारण सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा सकती थी वहाँ डायरेक्ट सरकुलेटरी रोटरी (डी0सी0आर0) रिग मशीन द्वारा गहरी बोरिंग से भूजल निकाल कर निजी सिंचाई सुविधा कृषकों को उपलब्ध कराना था। वर्ष 2008–09 के दौरान अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खंड, वाराणसी द्वारा वाराणसी खंड में 45 गहरे बोरिंग के लिए एक हैवी डी0सी0आर0रिग मशीन के क्रय का प्रस्ताव (मई 2008) दिया गया। मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग (एम0आई0डी0) उ0प्र0 लखनऊ द्वारा धनराशि ₹ 1.03 करोड़ की लागत से एक डी0सी0आर0 रिंग मशीन की आपूर्ति हेतु महेसाणा स्थित फर्म को आपूर्ति आदेश निर्गत किया (सितंबर, 2008) गया। जनवरी 2009 में खंड द्वारा मशीन की आपूर्ति प्राप्त कर ली गयी थी।

खण्ड के अभिलेखों से विदित हुआ (फरवरी 2010) कि वाराणसी खंड में हैवी रिग मशीनों एवं सहायक उपकरणों के परिचालन हेतु आवश्यक कर्मचारियों के पद मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग द्वारा समाप्त कर दूसरे खंड में पुर्नस्थापित कर दिए गए थे। परिणामस्वरूप, खण्ड में रिग मशीन के प्राप्ति के पश्चात उसका कोई परिचालन नहीं किया जा सका। इस बीच, वर्ष 2009–10 (जनवरी 2010 तक) के दौरान, खंड द्वारा प्राइवेट ठेकेदारों के माध्यम से ₹ 35.50 लाख की लागत से 38 गहरी बोरिंग करायी गयी।

तथ्यों को इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियंता द्वारा यह स्वीकार किया गया कि डी0सी0आर0 रिग मशीन एवं सहायक उपकरणों के परिचालन, आवश्यक परिचालन कर्मियों की अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा सका। यह भी बताया गया कि आवश्यक परिचालन कर्मियों की स्वीकृति हेतु जून 2009 से मार्च 2010 की अवधि के दौरान कई बार मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के समक्ष मांग रखी गयीं थी।

विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा वार्ता (दिसम्बर 2010) के दौरान यह बताया गया कि वर्ष 2009–10 में दो बोरिंग की गयी थी तथा 20 बोरिंग के लक्ष्य को वर्ष 2010–11 में आसपास के खण्डों से कर्मियों को लगाकर प्राप्त कर लिया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि केवल दो एयर कम्प्रेशर कम ट्रक ड्राइवर एवं सहायक कर्मियों से रिंग का परिचालन संभव नहीं था। इसलिए अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई खंड वाराणसी द्वारा मुख्य अभिंयता, लघु सिंचाई विभाग लखनऊ से एक ड्रिलर, रिंग मेकेनिक एवं वेल्डर की नियुक्ति करने का अनुरोध किया गया था (फरवरी 2010)। मशीन दिसम्बर 2010 तक अक्रियाशील थी ।

uxj fodkl foHkkx

3-2-5 vkoklksa ds fuekZ.k ij vykHkdkjh O;;

efyu cLrh okfl;ksa dks fpfUgr u fd;s tkus ds dkj.k oSEcs ;kstuk ds vUrxZr fufeZr 274 vkoklksa ij gq, ₹ 54-80 yk[k dk O;; vykHkdkjh jgk A ,d vU; vkoklh; ;kstuk ftlds vUrxZr vkokl fu%'kqYd miyC/k djk;s tkus Fks] dks izkjEHk fd;s tkus ls mDr vkoklksa ds vkcaVu dh lEHkkouk dkQh de gks x;h FkhA

मलिन बस्तीवासियों के पुर्नवास के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001–02 में वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना (वैम्बे) प्रारम्भ की गयी जिसके अन्तर्गत ₹ 40,000 की लागत से आवास बनाये जाने थे। योजनान्तार्गत लागत मूल्य का 50 प्रतिशत निर्माण एजेन्सी द्वारा वहन किया जाना था, जिसकी वसूली मलिन बस्तीवासियों से की जानी थी एवं भारत सरकार द्वारा अवशेष धनराशि सहायता के रूप में दी जानी थी । योजना के निर्देशों[32] के अनुसार चिन्हित मलिन बस्ती वासियों के आवासों के निर्माण में सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक था ।

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ के अभिलेखों की (फरवरी एवं मार्च 2008) जॉच में यह पाया गया कि लाभार्थियों को चिन्हित किये बिना ही उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2002–03 में ₹ 1.82 करोड़ की लागत से 455 आवासों का निर्माण स्वीकृत किया गया । निर्माण कार्य बरेली विकास प्राधिकरण (200 आवास), बरेली नगर निगम (200 आवास) एवं जिला नगरीय विकास अभिकरण, कौशाम्बी (55 आवास) द्वारा किया जाना था। अभिकरण द्वारा वर्ष 2002–03 में ₹ 96 लाख[33] की सहायता धनराशि आवासों कें निर्माण हेतु अवमुक्त की गयी एवं लाभार्थियों की निर्माण कार्य में सहभागिता सुनिश्चित किये बिना ही ₹ 1.82 करोड़ की लागत से आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया गया (जनवरी 2006)। किन्तु, लाभार्थियों की पहचान एवं आवासों के आबंटन से पूर्व ही राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2008 में मान्यवर कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना भी प्रारम्भ की गयी जिसके अन्तर्गत आवास निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान था। परिणामस्वरूप, 455 निर्मित आवासों में से मात्र 181 आवासों का आबंटन ही हो पाया एवं अवशेष 274 आवास जुलाई 2010 तक अनाबंटित रह गये। 199 आवासों[34] के आबंटन से सम्बन्धित मलिन बस्ती वासियों का चिन्हिकरण निर्माण के चार वर्ष के उपरान्त भी नहीं किया गया एवं 75 चिन्हित मलिन बस्तीवासियों[35] ने निर्माण लागत का 50 प्रतिशत (₹ 20000) वहन करने से इन्कार कर दिया ।

इस प्रकार, विभाग द्वारा मलिन बस्तीवासियों की पहचान न किये जाने एवं निर्माण कार्य में सहभागिता निश्चित न कराये जाने से वैम्बे योजना के अन्तर्गत निर्मित आवास

---

32 लाभार्थियों की यथासंभव सहभागिता आवासों के निर्माण में सुनिश्चित की जानी चाहिए । इस उद्देश्य से लाभार्थियों द्वारा निर्माण सामग्री की व्यवस्था स्वयं की जानी चाहिए, कुशल कारीगरों से कार्य कराना चाहिए एवं पारिवारिक श्रमदान भी किया जाना चाहिए ।

33 बरेली विकास प्राधिकरण ₹ 40 लाख; नगर निगम बरेली : ₹ 45 लाख, एवं जिला नगरीय विकास अभिकरण, कौशाम्बी : ₹ 11 लाख

34 बरेली विकास प्राधिकरण : 59; बरेली नगर निगम 85 : जिला नगरीय विकास अभिकरण, कौशाम्बी : 55

35 बरेली नगर निगम

अनांबटित रहे जिसके कारण 274 आवासों पर किया गया ₹ 54.8 लाख (समानुपाती लागत) का व्यय अलाभकारी रहा। जुलाई 2008 में एक अन्य योजना जिसके अन्तर्गत आवास निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान था, के प्रारम्भ होने के कारण वैम्बे आवासों के आबंटन की सम्भावना काफी कम हो गयी थी।

विभाग के सचिव द्वारा अक्टूबर 2010 में विचार–विमर्श के दौरान तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की गयी एवं 274 आवासों को एक माह के अन्दर आंबटन किये जाने का आश्वासन दिया गया। आवासों के आबंटन का विवरण फरवरी 2011 तक प्रेषित नहीं किया गया था।

3.3 v lko/kkuh@fu;=.k dh deh

राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र में जीवन शैली, अवस्थापनाओं का विकास और उच्चीकरण, लोक सेवा इत्यादि की गुणवत्ता में सुधार लाए। फिर भी, लेखापरीक्षा के संज्ञान में ऐसे प्रकरण आये जिसमें लोक सम्पत्तियों को बनाने हेतु सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशियों का उपभोग नही किया गया था अथवा अवरूद्ध रखा गया था या फिर अलाभकारी/अनुत्पादक व्यय, प्रशासनिक नियंत्रण की कमी और असावधानी, ढुलमुल रहने तथा ठोस निर्णयों का विभिन्न स्तरों पर अभाव रहना था। इनमें से कुछ प्रकरण नीचे दिये जा रहें हैं।

Ñf"k foHkkx

3.3.1 fjokfYox fuf/k lEcfU/kr fu;ek dk vuekfnu u gkus l fuf/k dk fØ;kUo;u u gkuk A

'kklu }kjk fu;ekoyh dk vuekfnu u fd;s tkus ds dkj.k fjokfYox fuf/k dk pkyw u fd;k tk ldk ftlds ifj.kkeLi:i] fjokfYox fuf/k ls df"k lEcfU/kr dk;kk ds lpkyu ds mÌs';ks dh ifrZ u dh tk ldhA

उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ (परिषद) ने रिवाल्विंग निधि संचालन करने के उद्देश्य से मंडी परिषद से ₹ 10 करोड[36] प्राप्त किया। रिवाल्विंग निधि से सम्बन्धित नियमावली का शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् निधि से प्राप्त ब्याज का उपयोग कृषि सम्बन्धित कार्य जैसे कृषि शोध एवं सांख्यिकीय डाटा बेस को सुद्वढ़ किये जाने, इत्यादि के लिए किया जाना था ।

परिषद के अभिलेखों की जाँच (दिसम्बर 2008) में पाया गया कि उनके द्वारा उक्त धनराशि को विगत आठ वर्षों से बैंकों में सावधि जमाओं के रूप में निवेश किया गया था। मार्च 2009 की अवधि तक ₹ 5.93 करोड़ ब्याज के रूप में अर्जित किया गया था जो कि ₹ 10 करोड़ की मूल धनराशि के साथ जोड़कर नौ प्रतिशत एवं 9.25 प्रतिशत की दर से सावधि जमाओं में पुनः विनियोजित किया गया जो फरवरी 2010 से नवम्बर 2011 की अवधि तक परिपक्व होकर ₹ 19.09 करोड़ होना था । परिषद द्वारा रिवाल्विंग निधि के संचालन के उद्देश्य से सम्बन्धित नियमावली नवम्बर 2006 में शासन को प्रेषित की गयी थी जिसका अनुमोदन शासन को प्रेषित करने के चार वर्ष उपरान्त भी प्रतिक्षित था

[36] अगस्त 1997 : ₹ 10 लाख एवं अक्टूबर 2002 : ₹ 9.90 करोड

(जनवरी 2011)। परिणामस्वरूप, अर्जित ब्याज का उपयोग निहित उद्देश्यों पर नहीं किया गया ।

परिषद के सचिव द्वारा मार्च 2010 में यह बताया गया कि नियमावली का कैबिनेट से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जा रही है । उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि परिषद द्वारा धनराशि के प्राप्ति के चार वर्षों के पश्चात् नियमावली प्रेषित की गयी (नवम्बर 2006) एवं अनुमोदन हेतु प्रभावी प्रयास नहीं किये गये । प्रमुख सचिव द्वारा अक्टूबर 2010 में विचार विमर्श के दौरान तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की गयी एवं आश्वासित किया गया कि मार्च 2011 तक नियमावली का अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी से करा लिया जायेगा ।

m|ku foHkkx

3.3.2 ifj;kstuk dk chp es gh fujLr fd, tkus d dkj.k fujFkd O;;A

'kklu }kjk ifj;kstuk dk chp e gh fujLr fd; tku d dkj.k] euijh tuin e ikd d fodkl ij fd;k x;k ₹ 2-76 djkM dk O;; fujFkd FkkA

मुख्यमंत्री की घोषणा (जून 2005) के अनुपालन में मैनपुरी जनपद के जनसामान्य को शुद्ध वातावरण उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा पार्क[37] के विकास के लिए अनुमानित लागत ₹ 3.81 करोड के सापेक्ष रूपये तीन करोड की स्वीकृति प्रदान की गयी (अक्टूबर 2005)। पार्क में मुख्यतः सिंचाई सुविधा, ग्लास हाउस पौधशाला, कलवर्ट्स एवं कार पार्किंग, आदि कार्य शामिल थे। उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यू0पी0आर0एन0 एन0एल0) को निर्माण कार्य मार्च 2007 तक पूर्ण करने हेतु धनराशि अवमुक्त[38] की गयी।

जिला उद्यान अधिकारी, मैनपुरी के अभिलेखों की जाँच में पाया गया (नवंबर 2009) कि यू0पी0आर0एन0एन0एल0 ने ₹ 2.76 करोड व्यय किये, जिसमें स्वीकृत प्राक्कलन में शामिल सिंचाई सुविधा, सजावटी ऊँचे फाटकों जैसे कार्यों पर ₹ 63.52 लाख एवं कैन्टीन, मूर्ति, स्मारक आधार, आदि, ऐसे कार्यों जो प्राक्कलन में नहीं शामिल थे इत्यादि पर ₹ 68.83 लाख का व्यय किया गया। यू0पी0आर0एन0एन0एल0 ने ₹ 36.75 लाख मिट्टी एवं उद्यान कार्यों पर भी अधिक व्यय किया था। अभिलेखों की संवीक्षा में यह भी पाया गया कि पौधरोपण (लागतः ₹ 35.08 लाख) असिंचित पडे थे (वर्ष 2008 से) क्योंकि बकायों का भुगतान न किए जाने से विद्युत–आपूर्ति काट दी गयी थी एवं वहां सिंचाई की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी; यद्यपि यू0पी0आर0एन0एन0एल0 के पास ₹ 24 लाख की धनराशि अवशेष थी।

कार्य को पूर्ण करने तथा प्राक्कलन में शामिल नहीं किये गये कार्यों को नियमित कराने के लिए यू0पी0आर0एन0एन0एल0 ने ₹ 4.75 करोड का एक संशोधित प्राक्कलन शासन को सितम्बर में प्रस्तुत किया जिसे स्वीकृत नहीं किया गया था। शासन ने उत्तर में बताया (सितंबर 2010) कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में प्रारंभ की गयी समस्त अपूर्ण परियोजनाओं को निरस्त कर दिया गया है।

---

37 संचालित सरकारी पौधशाला की 3.727 हेक्टेयर भूमि।

38 दिसंबर 2005 से मार्च 2006 में प्रत्येक रू0 1.50 करोड।

अतः शासन द्वारा पुनरीक्षित अनुमान के अनुमोदन न किए जाने के कारण पार्क के विकास पर किया गया ₹ 2.76 करोड़ का व्यय निरर्थक रहा।

विभाग के प्रमुख सचिव ने वार्ता के दौरान (नवम्बर 2010) परियोजना पूर्ण हुए बगैर निरस्त किए जाने के कारण को बताए ही यह बताया कि बिना स्वीकृति के कार्य सम्पादित करने के लिए यू0पी0आर0एन0एन0एल0 के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

flpkbl foHkkx

3-3-3 ,QyDI ck/k ij vykHkdkjh O;;

nk"kiw.kZ fu;kstu d dkj.k viw.kZ ,QyDI ck/k d fuekZ.k ij ₹ 2-43 djkM+ dk O;; vykHkdkjh jgkA

शासन द्वारा सरयू नहर परियोजना 1982 में स्वीकृत की गयी थी। परियोजना में सरयू नदी के दोनों किनारों पर एफलक्स बांधों का निर्माण किया जाना था। बैराज के निर्माण के कारण नदी के तल के संकरे हो जाने से बाढ़ के दौरान उत्पन्न एफलक्स से सरयू बैराज एवं साइफन की रक्षा के लिए बांध बनाए जाने थे।

अधिशासी अभियंता, सरयू नहर खंड प्रथम, बइराईच के अभिलेखों से यह ज्ञात हुआ (जुलाई 2009) कि बांये एफलक्स बांध के समरेखन में 155.983 एकड़ वन भूमि थी जिसका हस्तान्तरण सिंचाई विभाग को नहीं किया गया था। फलस्वरूप, 1.400 किमी बांध के निर्माण (मार्च 1988) के पश्चात बांया एफलक्स बांध अपूर्ण पड़ा था। बांध के इस भाग पर ₹ 31.07 लाख का व्यय किया गया था। 17 वर्ष के दीर्घ अंतराल के पश्चात मुख्य अभियंता (मु0अ0) सरयू परियोजना प्रथम, फैजाबाद द्वारा किमी 1.400 के आगे संरेखन पुनरीक्षित किये जाने हेतु निर्देशित जनवरी 2005 में किया गया तथा पुनरीक्षित संरेखन को अनुमोदित फरवरी 2005 में किया। बाएं एफलक्स बांध के पुनरीक्षित समरेखन हेतु प्राक्कलन (किमी 1.400 से किमी 10.400) मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृत मई 2007 में किया गया था। बांध के निर्माण के कारण डूब क्षेत्र से प्रभावित किसानों/स्थानीय लोगों की भूमि का अधिग्रहण भी पुनरीक्षित समरेखन में आवश्यक था। फिर भी, प्राक्कलन में विस्थापित लोगों के पुनर्वास का प्रावधान नहीं किया गया था।

किसानों एवं उनके प्रतिनिधियों के कड़े विरोध के कारण एफलक्स बांध का कार्य 500 मीटर (किमी 1.400 से किमी 1.900) के पश्चात जून 2007 में रोक देना पड़ा। कार्य दिसम्बर 2010 तक पुनः आरंभ नहीं हो सका जिसके फलस्वरूप मार्च 2005 एवं जुलाई 2009 के मध्य 500 मीटर बांध के निर्माण पर किया गया ₹ 2.12 करोड़ का व्यय परियोजना में पुनर्वास का प्रावधान न किये जाने के कारण अलाभकारी सिद्ध हुआ।

इन तथ्यों के इंगित किये जाने पर, अधिशासी अभियंता द्वारा यह बताया (जुलाई 2009) गया कि डूब क्षेत्र से प्रभावित किसानों का पुनर्वास जिला प्रशासन द्वारा किया जाना था अतः यह परियोजना में सम्मिलित नहीं किया गया था। विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि डूब क्षेत्र के किसानों के पुनर्वास को शासन द्वारा परियोजना में ही प्राविधानित किया जाना चाहिए था। परिणामस्वरूप, एफलक्स बांध का निर्माण पूर्ण नहीं किया जा सका जिससे उस पर किया गया ₹ 2.43 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

वार्ता के दौरान विभाग के प्रमुख सचिव ने तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकार करते हुए बताया कि 75 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है तथा अवशेष 25 प्रतिशत भूमि मार्च 2011 तक सम्भवतः अधिग्रहीत कर ली जायेगी। हालांकि लेखापरीक्षा को उक्त भूमि अधिग्रहण का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया। तथ्य यही था कि परियोजना लगभग 23 वर्षों तक अपूर्ण रही जबकि इस समयावधि में ₹ 2.43 करोड़ का व्यय किया गया था।

3.3.4 वियर के निर्माण पर निष्फल व्यय

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की के तकनीकी निर्देशों का पालन न किए जाने के कारण रोहिन वियर के निर्माण पर ₹ 2.24 करोड़ का निष्फल व्यय किया गया।

जिला महाराजगंज में रोहिन नदी के ऊपरी प्रवाह से क्षतिग्रस्त वियर के स्थान पर नये वियर के निर्माण हेतु शासन द्वारा अक्टूबर 2007 में ₹ 4.37 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। नये वियर की प्रस्तावित लंबाई 46 मीटर थी। कार्य की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता (गण्डक) द्वारा जनवरी 2008 में दी गयी। अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मंडल प्रथम, गोरखपुर द्वारा कार्य हेतु, गोरखपुर स्थित फर्म से ₹ 4.90 करोड़ का अनुबंध गठित किया गया। ठेकेदार को कार्य की ड्राइंग मार्च 2008 में प्रदान की गयी। अनुबंध के अनुसार, कार्य पूर्ण करने की तिथि 10 अगस्त 2008 निर्धारित थी।

1000 क्यूसेक डिस्चार्ज के लिए रोहिन वियर की डिजाइन आल्टरनेट हाइड्रो एनर्जी सेंटर (ए0एच0ई0सी0), आई0आई0टी0 रुड़की के द्वारा बनायी गयी थी जिसे मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित किया गया था। ढांचे के विभिन्न भागों के निर्माण का अनुक्रम इस प्रकार से था कि सबसे गहरी नींव का निर्माण पहले किया जाना था ताकि ढांचे के नष्ट होने का कोई खतरा न हो। ए0एच0ई0सी0 द्वारा यह भी निर्देशित किया गया था (मार्च 2008) कि कंक्रीटिंग से पूर्व शीट पाइल डाली जानी चाहिए।

अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड–1, महाराजगंज के अभिलेखों से ज्ञात हुआ (सितंबर, 2009) कि फर्म द्वारा निर्माण कार्य फरवरी 2008 में प्रारम्भ कर दिया गया। उसके बाद मई 2008 तक शीट पाईल के बिना 880.38 क्यू0 मी0 कंक्रीट का कार्य संपादित किया गया। आपूर्तिकर्ता द्वारा शीटपाइल की आपूर्ति जून 2008 में ही की जा सकी। नदी तल में शीट पाइलिंग के अभाव में 12/13 अगस्त 2008 की बाढ़ के दौरान बायें भाग के एबेटमेंट तथा एक पीयर को झुकाते हुए तल पर नींव का मैटेरियल खिसक गया था। कुछ ही समय में दो और समीपवर्ती पीयर्स भी झुक गए थे तथा निर्माणाधीन वियर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया था जिससे ₹ 2.24 करोड़ का व्यय निष्फल हुआ।

तथ्यों को इंगित किये जाने पर, अधिशासी अभियंता द्वारा स्वीकार किया गया (सितंबर 2009) कि वियर का निर्माण ए0एच0ई0सी0 द्वारा दिए गए निर्माण अनुक्रम को संज्ञान में लेते हुए नहीं किया गया था। ए0एच0ई0सी0 के तकनीकी निर्देशों का पालन करके वियर को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकता था।

वार्ता के दौरान (सितम्बर 2010) विभाग के प्रमुख सचिव ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जाँच प्रगति में है एवं उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

tsy ç'kklu ,oa lq/kkj foHkkx

3.3.5 LFky p;u esa ,d:irk u gksus ds ifj.kkeLo:i vykHkdkjh O;;

vEcsMdjuxj esa dkjkxkj gsrq LFky p;u esa ,d:irk u gksus ds dkj.k 'kklu dks 14 o"kksZa ls ₹ 10 djksM dk iw.kZ ykHk izkIr ugha gqvk ftlls mlij fd;k x;k O;; vykHkdkjh gksus ds vfrfjDr dkjkxkj ds fuekZ.k esa foyEc gqvkA

वित्तीय अनुशासन एवं प्रबन्ध[39] के सिद्धान्तों के अनुसार राज्य को व्यय की गयी धनराशि का पूर्ण मूल्य प्राप्त होना चाहिए तथा नियंत्रक अधिकारी को भी शासकीय धनराशि के उपयोग करते समय इस सिद्धान्त का पालन करना चाहिए।

अम्बेडकरनगर जनपद में कारागार स्थापित करने के उद्देश्य से, विभाग ने उत्तर प्रदेश राज्य कताई कम्पनी से रूग्ण राज्य कताई मिल, अम्बेडकरनगर[40] की भूमि (51.65 एकड) एवं भवन[41] ₹ 10 करोड की लागत पर नवंबर 1997 में क्रय किया ।

महानिदेशक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, लखनऊ (डी0जी0) के अभिलेखों की जाँच में प्रकाश में आया (अगस्त 2009) कि उपरोक्त मिल की भूमि एवं भवनों के क्रय के पूर्व उसका उपयोग जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा आवासों एवं कार्यालयों के लिए किया जा रहा था। क्रय के पश्चात, फैजाबाद मण्डल के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति कारागार के निर्माण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए गठित की गयी थी। मई 2000 में, इस समिति ने यह पाया कि भवन का ध्वस्तीकरण उपयुक्त नहीं था क्योंकि इस पर ₹ छः करोड़ का अतिरिक्त व्यय होगा। अतः समिति ने, विभिन्न विकल्पों के मूल्यांकन के पश्चात, यह संस्तुति की कि लोक एवं प्रशासनिक सुविधा के लिए मिल के बगल में कारागार के लिए उपयुक्त 10 एकड भूमि अधिग्रहित कर ली जाए। मार्च 2001 में, डी0जी0 ने स्थल निरीक्षण में यह पाया कि परिसर कारागार हेतु उपयुक्त नहीं था। इसके पश्चात, वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, फैजाबाद द्वारा जून 2007 में इस परिसर की स्थल समीक्षा के पश्चात इसी स्थल पर कारागार निर्माण किये जाने की संस्तुति कर दी गयी। इस बीच, मिल की भूमि तथा भवन पर जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इत्यादि का कब्जा बना रहा। फरवरी 2008 के अंत में इसे क्रय किए जाने के 11 वर्ष के पश्चात विभाग को हस्तान्तरण कर दिया गया। शासन द्वारा इसके निर्माण के प्राक्कलन के प्रशासनिक अनुमोदन (फरवरी 2010) कर निर्माण कार्यदायी संस्था[42] को ₹ पाँच करोड़ की धनराशि (फरवरी 2010) अवमुक्त की। फिर भी पुराने भवन के ध्वस्तीकरण का प्राक्कलन नवम्बर 2010 तक नहीं बनाया गया था।

---

39 राज्य बजट मैनुअल के अध्याय XIX

40 राज्य सरकार के निगम

41 ढांचागत मिल क्रय में स्टाफ कालोनी, भण्डार सम्मिलित है

42 उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम

इस प्रकार, स्थल चयन में एकरूपता न होने के कारण, राज्य सरकार को जनवरी 2011 तक 14 वर्षों की अवधि के बाद भी ₹ 10 करोड के व्यय का पूर्ण लाभ नहीं मिला सका, जिससे इस पर किया व्यय अलाभकारी रहा। इससे नये बने जनपद में कारागार के निर्माण में भी देरी हुयी।

विभाग के विशेष सचिव ने अपने उत्तर में बताया कि (अगस्त 2010) कि निर्माण कार्यदायी संस्था को भूमि का भौतिक कब्जा दे दिया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भूमि व भवन, प्राक्कलन की स्वीकृति एवं धनराशि के अंतरण के सात माह पश्चात भी, सितंबर 2010 तक पूर्व की भांति प्रयोग की जा रही थी।

xkE; fodkl foHkkx
lekt dY;k.k foHkkx

3.3.6 cUny[k.M {k= e ty lj{k.k ;ktukvk dk vi;kIr fØ;kUo;u

ljdkj }kjk ifj;ktukvk dk Lohdr u fd; tku ,o ftyk fodkl vf/kdkjh }kjk ty lj{k.k dh ifj;ktukvk dk cuku e vfØ;k'khyrk d dkj.k cUny[k.M {k= e Hkkjr ljdkj dh ;ktuk d v/khu py jg i;ty lj{kk dk fe'ku ₹ 14-15 djkM dh miyC/krk d ckotn Hkh iHkkfor jgkA

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सात जनपदों[43] में पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इन योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार, घटकों के लिये न्यूनतम 25 प्रतिशत का आवंटन[44] व्यय हेतु जलाभाव वाले क्षेत्रों में जल संरक्षण, आदि[45] की परियोजनाओं पर किया जाना था।

शासन द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्यक्रमों के लिये इन जनपदों के जिलाधिकारियों को ₹ 12.31 करोड़ वर्ष 2005–10 की अवधि में अवमुक्त किया गया। जिला विकास अधिकारियों (डी0डी0ओ0) नोडल अधिकारी एवं सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी को उद्देश्यों की प्राप्ति एवं धनराशियों के उपभोग के लिये उत्तरदायी थे।

बुन्देलखण्ड के जिला विकास अधिकारियों के अभिलेखों की जाँच में यह प्रकाश में आया (दिसम्बर 2008 एवं दिसम्बर 2010) कि उपरोक्त वर्णित न्यूनतम 25 प्रतिशत आवंटन (₹ 27.56 करोड़) के सापेक्ष मात्र 11 प्रतिशत (₹ 12.31 करोड़) ही पेयजल घटकों के लिये इन जनपदों को राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त (2005–10) किया गया था। मार्च 2010 की समाप्ति तक उपलब्ध ₹ 17.95 करोड़[46] में से जिला विकास अधिकारियों द्वारा मात्र ₹ 3.80 करोड़ जल संरक्षण, आदि परियोजनाओं पर व्यय किया गया था एवं ₹ 14.15 करोड़ व्यय किए जाने हेतु अवशेष थे। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर एवं ललितपुर जनपदों में धनराशियों के कम उपभोग का कारण जिला विकास अधिकारियों द्वारा शासन को परियोजना के प्रस्तावों को प्रस्तुत न किया जाना था तथा अवशेष जालौन, महोबा एवं

[43] बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर तथा महोबा
[44] 2005–09 के मध्य तथा 20 प्रतिशत 2009–10 में।
[45] वर्षा जल संचयन, भू–जल संरक्षण तथा पेय जल संसाधनों का संरक्षण।
[46] इसमें 2005–06 के प्रारंभिक अवशेष रु. 5.64 करोड़ सम्मिलित थे।

झांसी जनपदों में जिला विकास अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों[47] को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाना था। व्यय न की जा सकी अवशेष धनराशि में से ₹ 13.37 करोड़ जिला विकास अधिकारियों द्वारा, जैसा कि सरकार द्वारा अगस्त 2008 में निर्देश दिये गये थे, प्राप्ति शीर्ष के अन्तर्गत जनवरी 2009 से अक्टूबर 2010 के मध्य जमा कर दिये गये एवं अवशेष ₹ 78 लाख जिला विकास अधिकारियों के पास अप्रयुक्त होकर पड़े रहे।

इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा पेयजल परियोजनाओं की धनराशियों को अवमुक्त न करने एवं जिला विकास अधिकारियों द्वारा प्रस्तावों को बनाने में अक्रियाशीलता से बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने का मिशन निर्धारित स्तर तक क्रियान्वित न हो सका। इसके अतिरिक्त, लेखा खातों में दर्शायी गयी व्यय की धनराशि राजस्व खाते में जमा कर दी गयी जिससे न केवल व्यय की वास्तविक स्थिति गलत हुई बल्कि वर्ष 2009–10 के राजस्व प्राप्तियों को भी बढ़ाकर दर्शाया गया।

विभाग के सचिव द्वारा वार्ता में (नवम्बर 2010) तथ्यों एवं आंकड़ों को तो स्वीकार किया परन्तु प्रस्तर में उठाये गये बिन्दुओं पर कोई उचित उत्तर नहीं दिया गया।

efgyk dY;k.k ,o cky fodkl foHkkx

3.3.7 vi.k Hkouk ij vykHkdkjh 0;;

leUo; ,o vuqJ{k.k dh deh l ₹ 1-12 djkM dh ykxr d 125 Hkouk dk fuek.k vi.k jgu d ifj.kkeLo:i mu ij fd;k x;k 0;; vykHkdkjh jgk ,o 227 Hkouk dk fuek.k dk; Lohdfr d rhu o"kk d mijkUr Hkh ikjEHk ugh gk ldkA

प्राथमिक विद्यालय प्रांगणों के बच्चों एवं किशोरियों को विद्यालय पूर्व शिक्षा एवं पोषण के लिए अलग भवन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्य के 70 जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों में 5000 भवनों[48] के लिए ₹ 75 करोड़[49] (अक्टूबर 2006) स्वीकृत किया गया। निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार, लखनऊ (निदेशक) द्वारा ₹ 74.23 करोड़ (अक्टूबर 2006 एवं जनवरी 2008) ग्रामनिधि खातों, जो कि बैंकों में संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान एवं मुख्यसेविका द्वारा संचालित किया जाता है, में भवनों को तीन माह में पूर्ण करने के लिये अंतरित किया गया।

निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार के अभिलेखों की जाँच में यह प्रकाश में आया (जून 2009) कि 5000 भवनों में से 4,648 भवन (लागत ₹ 69.72 करोड़) पूर्ण किये गये एवं नवम्बर 2010 तक क्रियाशील किये गये थे तथा ग्राम प्रधान एवं मुख्य सेविका में समन्वय की कमी से 125 भवन अपूर्ण थे। इन अपूर्ण भवनों पर ₹ 1.12 करोड़ व्यय किया गया

[47] बांदाः प्रत्येक न्याय पंचायत तथा जूनियर हाईस्कूल की छत पर (2009–10); चित्रकूटः तालब खुदाई (2008–09); हमीरपुरः तालाब खुदाई तथा चैक डैम का निर्माण (2006–07); झांसीः तालाब खुदाई तथा सिल्ट सफाई (2007–08); ललितपुरः छत पर वर्षा जल का संरक्षण तथा महोबाः चेम डेमों का निर्माण (2005–06)।

[48] प्रत्येक रु. 75,000 की दो किस्तों में रु. 1.50 लाख प्रति केंद्र की दर से अंतरित।

[49] एक कमरा, स्टोर/रसोई, बरामदा सम्मिलित था।

था। शेष 227 भवनों के निर्माण कार्य, जिसके लिये ₹ 2.63 करोड़[50] ग्राम निधि में स्थान्तरित किये गये थे, जिला कार्यक्रम अधिकारियों की अक्रियाशीलता, अनुसूचित जाति क्षेत्रों के लिये केन्द्रों के चिन्हीकरण न किए जाने, स्थानीय विवादों एवं ग्राम प्रधानों द्वारा रुचि न लिये जाने से, प्रारम्भ नहीं किया जा सका। ₹ 2.63 करोड़ में से ₹1.82 करोड़ (173 भवनों के सम्बन्ध में) कोषागारों को वापस (मार्च 2009) किया गया एवं शेष ₹ 81 लाख (54 भवनों के सम्बन्ध में) ग्राम निधि लेखों में पड़े (नवम्बर 2010) थे।

इस प्रकार, ग्राम प्रधान एवं मुख्य सेविका के मध्य समन्वय की कमी से 125 भवनों का निर्माण अपूर्ण था, जिसके फलस्वरूप ₹ 1.12 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा। इसके अतिरिक्त, 227 भवनों का निर्माण उसकी स्वीकृत के तीन वर्षों के उपरान्त भी नहीं किया जा सका।

विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा वार्ता में (नवम्बर 2010) स्वीकार किया गया कि ग्राम प्रधान एवं मुख्य सेविकाओं के मध्य समन्वय की कमी थी। प्रमुख सचिव ने यह भी बताया कि अपूर्ण भवनों का निर्माण पूर्ण कर लिया जायेगा एवं ₹ 81 लाख सरकार के खाते में वापस कर दिये जायेंगे। वास्तविकता यह थी कि ग्राम प्रधान एवं मुख्यसेविकाओं के मध्य समन्वय में कमी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारियों के अपर्याप्त अनुरक्षण के परिणामस्वरूप ₹ 1.12 करोड़ का व्यय विगत तीन वर्षों तक अलाभकारी रहा।

;qok dY;k.k foHkkx

3.3.8 fufeZr LVsfM;e ,oa ØhMk lkefxz;ksa ij vykHkdkjh O;;

fufeZr LVsfM;e dk foHkkx dks gLrkUrj.k esa foyEc ,oa izf'k{kdksa dh rSukrh u fd;s tkus ls 50 LVsfM;e ds fuekZ.k ,oa ØhMk lkefxz;ksa ds d; ij fd;k x;k ₹ 18-31 djksM+ dk O;; vykHkdkjh jgkA

ग्रामीण क्षेत्रों के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से, जिससे वह राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके, सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम[51] स्थापित किए जाने की योजना प्रारम्भ (मई 1995) की गयी थी। वर्ष 2004–09 की अवधि में सरकार द्वारा 26 जनपदों[52] में 50 मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए (प्रत्येक तीन एकड़ भूमि पर) ₹18.13 करोड़ स्वीकृत किया गया तथा निर्माण कार्य धनराशि अवमुक्त होने के छः माह के अन्दर पूर्ण करने के लिये तीन कार्यदायी संस्थाओं[53] को स्वीकृत धनराशि दी गयी।

महानिदेशक, प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण, लखनऊ (म0नि0) के अभिलेखों की जाँच (जनवरी 2010) में यह प्रकाश में आया कि कार्यदायी संस्थाओं ने जनवरी 2006 एवं नवंबर 2009 के मध्य ₹ 18.13 करोड़ लागत से 50 मिनी स्टेडियम का निर्माण पूरा किया जिसमें से 31 स्टेडियम को वर्ष 2006–09[54] की अवधि में विभाग को

---

[50] बस्ती (69) को प्रथम किस्त का रु. 77.25 लाख अंतरित एवं उन्नाव (34) तथा अलीगढ़ (1) को प्रथम एवं द्वितीय किस्त का रु. 186 लाख, बदायूं (26), बागपत (4), एटा (67), सहारनपुर (2) तथा सोनभद्र (18)।

[51] खेल मैदान, रनिंग ट्रैक, जिम्नेजियम हाल सम्मिलित था।

[52] सोनभद्र(2), गोण्डा(1), कानपुर देहात(1), मेरठ(2), रायबरेली(3), हरदोई(4), मऊ(3), उन्नाव(3), बाराबंकी(3), फिरोजाबाद(3), लखनऊ(1), कौशाम्बी(2), कानपुर नगर(1), आजमगढ(1), एटा(2), फैजाबाद(2), बुलंदशहर(2), बरेली(1), खीरी(1), बहराईच(2), मैनपुरी(1), शाहजहांपुर(1), बांदा(1), गाजीपुर(6), बलिया(1), गाजियाबाद(1)।

[53] कंसट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, पैक्स फेड तथा उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड।

[54] 2006–07 : 3 स्टेडियम, 2007–08 : 4 स्टेडियम, 2008–09 : 8 स्टेडियम तथा 2009–10 : 16 स्टेडियम।

हस्तान्तरित किया। शेष 19 स्टेडियम को विभाग को हस्तान्तरित (नवंबर 2010) न किये जाने का कारण मुख्य रूप से चल सम्पत्ति के विवरण सहित सूची एवं लघु कार्यों जेसे चहर दिवारी, विद्युतीकरण इत्यादि पूर्ण न होना था। विभाग द्वारा वर्ष 2006–07 की अवधि में ₹ 18.27 लाख का व्यय क्रीडा सामग्रियों के क्रय हेतु किया गया। अभिलेखों की जाँच से यह भी प्रकाश में आया कि महानिदेशक ने इन स्टेडियम को उपयोग में लाने के लिये राज्य सरकार को प्रशिक्षकों, ग्राउण्ड मेन एवं चौकीदारों की नियुक्ति के लिये एक प्रस्ताव (सितम्बर 2002) प्रस्तुत किया था जिसे नवम्बर 2010 तक स्वीकृत नहीं किया गया था

इस प्रकार, विभाग को स्टेडियमों को विलम्ब से हस्तान्तरित करने एवं प्रशिक्षकों, ग्राउण्ड मैन एवं चौकीदारों की नियुक्ति न किये जाने से स्टेडियम के निर्माण पर किया गया व्यय ₹ 18.13 करोड़ एवं क्रीडा सामग्रियों[55] के क्रय पर हुआ ₹18.27 लाख का व्यय अलाभकारी रहा।

प्रमुख सचिव द्वारा वार्ता के दौरान (नवंबर 2010) बताया गया कि नियोजन विभाग द्वारा योजना के अनुमोदन के समय पदों के सृजन का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। फलस्वरूप, क्रीडा गतिविधियों का आयोजन खण्ड स्तर पर क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी एवं व्यायाम निरीक्षक द्वारा किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा नमूना जाँच के सात जनपदों[56] में हस्तान्तरित 31 स्टेडियमों में से 21 स्टेडियमों को 2006–07 तक क्रियाशील नहीं किया जा सका था क्योंकि स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए कोई प्राशिक्षक, आदि नहीं थे।

3.3.9 okMu@lgk;d okMu dh rSukrh u fd;s tkus ls vykHkdkjh O;;

okMu@lgk;d okMu dh rSukrh u fd;s tkus ls y[kuÅ tuin esa ;qok Nk=kokl ds fuekZ.k ij fd;k x;k ₹ 1-39 djksM+ dk O;; vykHkdkjh jgkA

भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने शैक्षिक भ्रमण के समय छात्रावास सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लखनऊ जनपद में युवा छात्रावास के निर्माण का निर्णय मार्च 1998 में लिया। राज्य सरकार को पूर्ण विकसित 2–3 एकड़ का भूखण्ड निशुल्क उपलब्ध कराना एवं छात्रावास के प्रबन्धन के लिये छात्रावास प्रबन्ध समिति का गठन किया जाना था। छात्रावास के निर्माण पर आए व्यय के साथ–साथ भारत सरकार को वार्डन/सहायक वार्डन की नियुक्ति करने, उनके मानदेय एवं आश्रय पर आए व्यय को वहन करना था।

महानिदेशक, प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण, लखनऊ (म0नि0) के अभिलेखों की जाँच (जनवरी 2010) से प्रकाश में आया कि सरकार ने अपेक्षित भूखण्ड को 10 वर्षों विलम्ब के पश्चात अगस्त 1998 में नामित निर्माण कार्यदायी संस्था[57] को उपलब्ध कराया। कार्यदायी संस्था ने भवन का निर्माण ₹ 1.37 करोड़[58] की लागत से पूरा किया और उसे फरवरी 2007 में हस्तान्तरित किया। सरकार ने विभाग को छात्रावास के हस्तांतरण के तीन वर्षों के उपरांत दिसम्बर 2010 में महानिदेशक की अध्यक्षता में

55 29 स्टेडियम के लिये।

56 फिरोजाबाद : 3, गाजीपुर:5, हरदोई : 4, खीरी:1, रायबरेली : 3, सोनभद्र तथा उन्नाव : 3

57 राजकीय निर्माण निगम।

58 इसमें राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्ग तथा सीवर इत्यादि पर व्यय ₹ 36.62 लाख सम्मिलित था।

छात्रावास प्रबन्ध समिति का गठन कर भारत सरकार को वार्डन/सहायक वार्डन के नाम की नियुक्ति की संस्तुति की। संस्तुत किये गये वार्डन/सहायक वार्डन की नियुक्ति अभी तक नहीं की गयी थी क्योंकि स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया (2009) कि वार्डन/सहायक वार्डनों के भर्ती नियमों को संशोधित किया जा रहा था और नियमों की अधिसूचना के पश्चात ही नियुक्ति की जायेगी। इस बीच, छात्रावास दिसम्बर 2010 तक अक्रियाशील रहा। सरकार ने छात्रावास को क्रियाशील बनाने के लिए नीति विकसित करने के स्थान पर ₹ 1.88 लाख भवन की देखभाल पर भी व्यय किये।

इस प्रकार, युवा छात्रावास के निर्माण पर किया गया व्यय ₹ 1.39 करोड़ अलाभकारी रहा। इसके अतिरिक्त, लखनऊ जनपद में युवाओं को शैक्षणिक भ्रमण के लिये छात्रावास सुविधाओं को उपलब्ध कराने का उद्देश्य छात्रावास भवन के हस्तांतरण के चार वर्षों के पश्चात भी पूर्ण नहीं हो सका।

विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा वार्ता में बताया गया (नवंबर 2010) कि भारत सरकार द्वारा भर्ती नियमों में संशोधन के पश्चात वार्डन/सहायक वार्डन की नियुक्ति की जायेगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा इस अवधि में छात्रावास को क्रियाशील बनाने के लिये कोई स्पष्ट नीति नहीं बनायी गयी जो की भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच समन्वय की कमी को ही नहीं दर्शाता, बल्कि राज्य सरकार के ढुलमुल दृष्टिकोण को भी इंगित करता है।

3.4 lrr vkj 0;kid vfu;ferrk,a

यदि अनियमितताएं वर्षानुवर्ष रहती हैं तो वह सत्त अनियमितताएं हैं। इसके सम्पूर्ण तंत्र में रहने के कारण यह व्यापक हो जाती है। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर भी बार–बार अनियमितताओं का होना यह प्रदर्शित करता है कि कार्यपालिका की ओर से ढील बरती गयी तथा प्रभावी अनुश्रवण की कमी थी। यह संकलित रूप से नियमों एवं नियमन के पालन में इच्छापूर्वक विचलन को बढ़ावा देती है जिसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक ढांचा कमजोर होता है। लेखापरीक्षा में इंगित सतत् अनियमितता का प्रकरण को नीचे दिया गया है।

flpkbZ foHkkx

3.4.1 /kujkf'k;ka dk vkgj.k dj 'kkldh; y[k l brj j[kukA

,d l N% o"kk dh vof/k e le;≤ ij ₹ 3-79 djkM+ dh /kujkf'k vfu;fer :i l vkgfjr dj 'kkldh; y[kk l brj j[kh x;h ftld ifj.kkeLo:i 'kklu ij lcaf/kr o"kk e 'kkldh; _.k dh nj ij ₹ 32 yk[k d ifjgk;Z C;kt dk Hkkj iMkA

निधियों के आहरण एवं बैंक ड्राफ्ट के रूप में इन्हें शासकीय लेखे से इतर रखना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2005–06, 2006–07 एवं 2008–09 के प्रस्तर क्रमशः 4.5.4., 4.5.6 एवं 3.1.1 द्वारा संज्ञान में लाया गया था। यह अनियमितता वर्ष 2009–10 में भी थी जिस पर नीचे चर्चा की गयी है।

6 खण्डों[59] के अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि अधिशासी अभियंताओं (अ0अ0) द्वारा 2004–05 से 2009–10 के दौरान कोषागारों से ₹ 3.79 करोड़ का आहरण (**ifjf'k"V 3-16**) भू–स्वामियों को भू–प्रतिकर का भुगतान किये जाने हेतु किया गया। धनराशि 1,222 बैंक ड्राफ्टों के रूप में रखी गयी थी जिसमें से ₹ 1.45 करोड़ धनराशि के 171 बैंक ड्राफ्ट वित्तीय वर्ष 2009–10 से सम्बन्धित थे। तत्कालिक आवश्यकता के बिना धनराशियों का आहरण एवं उसे शासकीय लेखों से एक से छह वर्षों तक इतर रखना वित्तीय नियमों के उल्लंघन के साथ ही साथ संबंधित वर्षों के शासकीय ऋण की दरों पर ₹ 32 लाख (**ifjf'k"V 3-17**) के परिहार्य ब्याज का भार पड़ा।

वार्ता के दौरान (दिसंबर 2010) विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि तीन खण्डों में किसानों को प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है तथा भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है एवं अवशेष तीन खंडों के संदर्भ में कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त यह बताया कि तात्कालिक आवश्यकता के बिना कोषागार से शासकीय धन के आहरण के लिए उत्तरदायी अधिकारियों की पहचान की जा रही है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि तात्कालिक आवश्यकता के बिना कोषागार से धन का आहरण एवं एक से छः वर्ष की अवधि तक शासकीय लेखे से इतर रखना वित्तीय नियमों के प्रतिकूल था तथा वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन था।

---

[59] अ0अ0 सिंचाई खंड–II महराजगंज, अ0अ0 मौदहा बांध निर्माण खंड हमीरपुर, अ0अ0 मध्य गंगा नहर निर्माण खंड–V बिजनौर, अ0अ0 सिंचाई निर्माण खंड माताटीला, अ0अ0 सरयू नहर खंड–II गोंडा, अ0अ0 मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड–15, मुरादाबाद

v/;k; 4
foHkkx dh foHkkx&dsfUnzr ys[kkijh{kk

4-1 i'kqikyu foHkkx dh foHkkx&dsfUnzr ys[kkijh{kk

v/;k;&4

foHkkx dh foHkkx&dsfUnzr ys[kkijh{kk

4-1 i'kqikyu foHkkx dh foHkkx&dsfUnzr ys[kk ijh{kk

dk;Zdkjh lkj

पशुपालन विभाग, पशुओं की उत्पादन क्षमता में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार तथा उनमें बीमारियों पर नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। विभाग का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों की अधिसंख्य आबादी को स्वरोजगार के अवसरों तथा आय में वृद्धि करना भी है। उत्तर प्रदेश की शुद्ध सकल घरेलू आय[1] में पशुपालन विभाग का योगदान नौ प्रतिशत है। विभाग की लेखापरीक्षा में 2007–10 की अवधि का आच्छादन इसके अधिदेश को ध्यान में रखते हुए इसके महत्वपूर्ण कियाकलापों में मितव्ययिता, दक्षता तथा प्रभावकारिता की जाँच हेतु किया गया था। मुख्य आपत्तियां निम्नवत् हैः

- विभाग के विस्तृत उद्देश्यों में से अधिकांश की पूर्ति नहीं की गई थी, क्योंकि पशुओं की बीमारियों की रोकथाम हेतु किये जाने वाले टीकाकरण तथा कृत्रिम गर्भाधान के लक्ष्यों की पूर्ति अपर्याप्त जनशक्ति एवं वित्तीय स्रोतों तथा आधारभूत संरचनाओं में कमी के कारण नहीं किया गया था।
- अपर्याप्त धन तथा वैक्सीनों के विभागीय उत्पादन के वैध लाइसेंस न होने कारण पशुओं के उपचार हेतु आवश्यक दवाओं/रसायनों की पर्याप्त मात्रा पशुचिकित्सालयों पर उपलब्ध नहीं था।
- आवश्यकता का निर्धारण किये बिना उपकरणों का क्रय किया गया था तथा आवश्यक अभिकर्मकों/रसायनों एवं उपकरण संचालन हेतु विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गयी थी।
- स्वरोजगार सृजन तथा गावों से पलायन रोकने हेतु स्वयं सहायता–समूह के गठन की योजना का उचित रूप से क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण नहीं किया गया था।
- उचित नियोजन के अभाव में गरीब अनुसूचित जातियों के जीवन सुधार हेतु बैकयार्ड योजना सफल नहीं थी।

[1] वर्ष 2005–06 में राज्य की जीडीपी में पशुपालन का अंश ₹ 24927.21 करोड़ था (₹ 2,76,969 करोड़ का 9 प्रतिशत)

4-1-1 iLrkouk

पशुगणना के अनुसार वर्ष 2003 में पशुओं की कुल संख्या 581.27 लाख थी जो वर्ष 2007 में 632.25 लाख[2] हो गई ¼**ifjf'k"V&4-1**½। कुक्कुटो की संख्या 107.21 लाख थी। समस्त प्रजनन योग्य पशुओं को संगठित रूप से प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराने एवं स्वदेशी मूल की नस्लों के संरक्षण तथा सम्बर्धन हेतु उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद् (यू0पी0एल0डी0बी0) की स्थापना जनवरी 1999 में की गयी थी।

विभाग द्वारा मुख्यतः गाय[3] एवं भैंस विकास, पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, कुक्कुट, भेड़ बकरी एवं सूअर, विकास कार्यक्रम एवं स्वरोजगार योजनाएं क्रियान्वित की जाती है।

4-1-2 laxBukRed <kpk

सचिव, पशुधन, राज्य स्तर पर समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है एवं उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद (यू0पी0एल0डी0बी0) के अध्यक्ष हैं। निदेशक, पशुपालन, विभाग के अध्यक्ष हैं। राज्य में विभाग की समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता के लिए वित्त नियंत्रक, तीन अपर निदेशक, दस संयुक्त निदेशक एवं 51 उपनिदेशक तथा जनपद स्तर पर 70 मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एवं 2,132 पशु चिकित्साधिकारी हैं। निदेशक, पशुपालन विभाग विभिन्न जनपदों में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली यू0पी0एल0डी0बी0 की योजनाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं कार्यकारी प्राधिकारी भी हैं।

4-1-3 ys[kk ijh{kk mís';

लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह जाँच करना था कि क्या –

- विभाग के पास वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त संस्थागत क्षमता थी;
- विभाग ने अधिदेशित क्रियाकलापों के क्रियान्वयन में आवश्यक नियमों, कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन किया; और
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लागू की गयी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया और प्रदत्त सेवायें सक्षम एवं प्रभावी थी

4-1-4 ys[kk ijh{kk dk dk;Z{ks= ,oa i)fr

सिंपल रैण्डम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेट प्रणाली से चयनित 87 में से 35 इकाइयों (संस्थाओं) की लेखापरीक्षा की गयी। प्रत्येक जनपद में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के साथ संयुक्त भौतिक निरीक्षण के लिए सिम्पल रैण्डम सैम्पलिंग विधि से दो पशु चिकित्सालय चयनित किए गए। सचिव, पशुधन, निदेशक, पशुपालन विभाग, 31 मुख्य

2 गाय : 190.96 लाख, भैस : 261.34, बकरी : 146.44 लाख, भेड़ : 13.73 लाख एवं सूकुर : 19.79 लाख।

3 गाय परिवार

पशु चिकित्साअधिकारी एवं तीन प्रक्षेत्रों के साथ चयनित पशु चिकित्साअधिकारियों की वर्ष 2007–08 से 2009–10 तक के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। ¼ifjf'k"V&4-2½

सचिव, पशुधन के साथ 3 मई 2010 को परिचयात्मक गोष्ठी की गई, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मापदंड एवं आच्छादन पर वार्ता की गई एवं सहमति प्रदान की गई। सचिव, पशुधन के साथ समापन गोष्ठी 10 दिसम्बर 2010 को की गई जिसमें लेखापरीक्षा आपत्तियों एवं संस्तुतियों पर चर्चा की गयी। शासन से प्राप्त उत्तर को समीक्षा प्रतिवेदन में उचित स्थानों पर शामिल किया गया है।

4-1-5 lLFkkxr dfe;k

प्रत्येक संगठन को उसके मूल उद्देश्यों के प्रबन्धन एवं अधिदेश की प्राप्ति के लिए पर्याप्त मूलभूत संरचनाओं, जनशक्ति एवं निधियों की आवश्यकता होती है। यह आन्तरिक प्रणाली की उपयुक्तता एवं औचित्य सुनिश्चित करती है, और क्रियाकलापों के मुख्य क्षेत्रों को नियंत्रित करती है तथा संगठन को इसके उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मितव्ययी, दक्ष एवं प्रभावी तरीके से संचालित करती है। कुछ क्षेत्रों में, जहां क्रियाकलापों के प्रबंधन में कमी पायी गयी उन पर आगे के प्रस्तरों में चर्चा की गयी है।

4-1-5-1 vi;kIr tu'kfDr

foHkkU Lrjk ij fpfdRIdk vkfn d vHkkok d dkj.k fu;kstu] vuJo.k ,o inÙk lok; iHkkfor gbl

राष्ट्रीय कृषि आयोग–1976 (एन0सी0ए0) द्वारा वर्ष 2000 तक प्रत्येक 5000 पशुओं पर एक पशु चिकित्सक का मानक प्राप्त किए जाने की संस्तुति की गयी थी। फिर भी, विभाग द्वारा सीमित वित्तीय स्त्रोतों के कारण 15000 पशुधन[4] पर एक पशु चिकित्सालय के अनुपात का अनुपालन किए जाने का निर्णय सितम्बर 2005 में लिया गया। विभाग के पास 632.25 लाख पशुओं (पशुगणना 2007) पर मात्र 1614 पशु चिकित्साअधिकारी थे अर्थात् प्रति पशु चिकित्साअधिकारी 39,179 पशु थे। विभाग के सेवा केन्द्रों पर सेवाएं मुख्यतः पशुधन प्रसार अधिकारी तथा पशु औषधिक द्वारा प्रदान की जाती है। मार्च 2010 में इन संवर्गो में **lkj.kh 1** के अनुसार कमी थी।

lkj.kh 1 % i'kfpfdRIdk ,o lgk;d i'k fpfdRIk deZpkfj;k dh fLFkfr

inuke	jkT; Lrj			Ukeuk tkp fd; x; tuinks e		
	Lohdr	dk;jr	deh ¼ifr'kr½	Lohdr	dk;jr	deh ¼ifr'kr½
पशुचिकित्साधिकारी	2,227	1,614	613 (28)	893	690	203 (23)
पशु धन प्रसार अधिकारी	3,090	1,769	1,321(43)	1,407	773	634 (45)
पशु औषधिक	2,020	1,737	283 (14)	813	666	147 (18)

¼Lkkr% i'k ikyu foHkkx½

lk'k fpfdRIk vf/kdkfj;k rFkk lk'k/ku iIkj vf/kdkfj;k dh deh d dkj.k 77 lk'k fpfdRIky;@ i'k lok dUn vIpkfyr Fk

पशु चिकित्साअधिकारियों, पशुधन प्रसार अधिकारियों एवं पशु औषधिकों की कमी क्रमशः 28 प्रतिशत, 43 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत थी। मार्च 2010 में उच्च प्रबंधन स्तर पर भी 13 अपर/संयुक्त निदेशकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष 12 एवं क्षेत्रीय स्तर पर उपनिदेशक के 17 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 10 पद रिक्त थे। जनपद स्तर पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों के 70 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 40 पद रिक्त थे।

[4] गाय, भैंस, बकरी, सूअर तथा भेड़

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं पशुपालन विभाग से संकलित सूचना (सितम्बर 2010) में पाया गया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को वर्ष 2005–06 से 2009–10 के मध्य 1,007 पशु चिकित्साअधिकारियों के पदों को भरने के लिए भेजी गयी रिक्तियों के सापेक्ष 698 पशु चिकित्साअधिकारियों का चयन किया गया जिसमें से मात्र 468 पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा योगदान दिया गया। 468 पशु चिकित्सा अधिकारियों के योगदान देने के पश्चात भी सारणी में दर्शायी गई कमियां बनी हुई थी जिससे विभाग का कार्य प्रभावित हो रहा था। पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं पशु धन प्रसार अधिकारियों की कमी के परिणामस्वरूप मार्च 2010 तक निर्मित 138 पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों के भवनों को विभाग द्वारा हस्तगत लेने के बाद भी 77 पशु चिकित्सालय/पशु सेवा केन्द्र[5] असंचालित थे।

यह भी पाया गया कि जिला प्रशासन द्वारा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों, पशु चिकित्सा अधिकारियों और पशु औषधिकों को जनपद में विभिन्न विकास एवं सामाजिक योजनाओं के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो एवं प्रदत्त सेवाओं के सत्यापन के लिए लगाया गया था। यद्यपि भारत के निर्वाचन आयोग ने पशु चिकित्साअधिकारियों एवं पशु औषधिकों को निर्वाचन कार्यो से मुक्त रखा था (अप्रैल 2002) फिर भी, पशु चिकित्साअधिकारियों एवं पशु औषधिकों को निर्वाचन कार्य में लगाया गया था। शासन ने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2010) कि जिला प्रशासन द्वारा कार्यो पर लगाए जाने से कार्य एवं अनुश्रवण प्रभावित होता है, इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

अतः विभिन्न स्तरों पर जनशक्ति की कमी से विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण तथा प्रदत्त सेवाओं का प्रसार भी सीमित था।

4-1-5-2 oDlhu fuek.k d fy, vi;kIr llk/ku

vk"kf/k ,o i lk/ku vf/kfu;e] 1940 d vUrxr o/k ykbl l ugh gku ij Hkh lLFkk }kjk oDlhuk dk fuek.k fd;k tk jgk Fkk

विभाग का पशु जैविक औषधिक संस्थान अपने पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों को आपूर्ति एवं उपभोग के लिए वर्ष 1935 से स्वाइन फीवर (एस0एफ0) शीप पाक्स, फाउल पाक्स, रानीखेत डिजीज, आर.डी. एफ.–1 स्ट्रेन एवं जिवाणु वैक्सीन हिमोरेजिक सेप्टीसेमिया (एच.एस.) एलम, एच.एस.–आयल, इन्टराटाक्सिमिया एवं ब्लैक क्वार्टर वैक्सीनों का उत्पादन कर रहा है। औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 18 (सी) के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस के बिना ही संस्थान संचालित हो रहा था, जोकि अधिनियम की धारा 27 (बी) के अन्तर्गत अपराध है।

औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 की अनुसूची एफ (I) (अ) एवं (ब) के अनुसार, वैक्सीनों के निर्माण के लिए जीवाणु विज्ञान एवं विषाणु विज्ञान में विशेषज्ञ होना आवश्यक है। फिर भी लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा इन वैक्सीनों का निर्माण किया गया था, जोकि इन वैक्सीनों के उत्पादन के लिए अर्ह नहीं थे।

अतः संस्थान में वैक्सीनों का उत्पादन बिना वैध लाइसेंस एवं अर्ह व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा था ।

विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया (दिसम्बर 2010) कि संस्था के लिए लाइसेंस आवश्यक है जिसे प्राप्त किया जाएगा।

---

[5] आगरा–9, इलाहाबाद–5, अम्बेडकरनगर–3, बरेली–2, बिजनौर–5, बुलन्दशहर–10, एटा–4, फैजाबाद–2, फतेहगढ़–10, फतेहपुर–2, फिराजाबाद–2, गाजीपुर–2, महाराजगंज–1, मुरादाबाद–2, रायबरेली–3, रामपुर–1 तथा सहारनपुर–14

4-1-5-3 vi;kZIr i'kq fpfdRlky;k@i'kq lsok dsUnzksa dh la[;k

विभागीय मानक के अनुसार योजनाओं के क्रियान्वयन एवं सेवाओं को प्रदान करने के लिए 15,000 पशुओं पर एक पशुचिकित्सालय आवश्यक था। इसके अनुसार ₹ 632.25 लाख पशुओं के लिए 4,216 पशु चिकित्सालयों की आवश्यकता थी। विभाग के पास मात्र 2200 पशुचिकित्सालय थे अर्थात प्रति पशु चिकित्सा 28,743 पशु थे जो मानक के अनुरूप नहीं था।

विभाग द्वारा वर्ष 2007–10 के मध्य ₹ 77.54 करोड़ की अनुमानित लागत से 314[6] पशु चिकित्सा/पशुसेवा केन्द्र[7] के निर्माण की स्वीकृति, छः माह में निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए प्रदान की गई थी। मार्च 2010 तक ₹ 62.37 करोड़ की लागत से मात्र 184 भवनों का ही निर्माण पूर्ण किया गया। इसके अतिरिक्त, पूर्व में 2004–06 के मध्य स्वीकृत 12 भवनों (लागत ₹ 3.21 करोड़) का निर्माण भी अपूर्ण था। भवनों का निर्माण समय से पूर्ण करने के लिए जिन कार्यदायी संस्थाओं को कार्य सौंपे गये थे उनका पर्याप्त अनुश्रवण नहीं किया गया था।

पर्याप्त मूलभूत संरचनाओं की कमी के कारण पशुओं को प्रदान की जाने वाली सेवाएं प्रभावित थी।

4-1-5-4 vuqJo.k

राज्य स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साअधिकारी, क्षेत्रीय उपनिदेशकों एवं निदेशालय स्तर के अधिकारियों के साथ मासिक बैठक के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रदत्त सेवाओं का अनुश्रवण किया जाता था। क्षेत्रीय स्तर पर पदस्थ उप निदेशक प्रति माह 10 पशु चिकित्सा/पशु सेवा केन्द्र के निरीक्षण के माध्यम से जनपद में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं एवं प्रदत्त सेवाओं के अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी थे। इसी प्रकार, मुख्य पशु चिकित्साअधिकारी को जनपद के कम से कम दस पशु चिकित्सा/पशुसेवा केन्द्रों का निरीक्षण करना था।

{ks=h; rFkk tuin Lrj ij mifuns'kdksa ,oa eq[; i'kq fpfdRlk vf/kdkjh dh deh ds dkj.k vuqJo.k Ik;kIr ugha Fkk

नमूना जाँच जनपदों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 2007–10 के मध्य सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साअधिकारी द्वारा प्रति माह 10 पशु चिकित्सा/पशुसेवा केन्द्र के मानक के सापेक्ष शून्य से छः पशु चिकित्सा/पशुसेवा केन्द्र का निरीक्षण किया गया था। मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, मुरादाबाद द्वारा सूचित किया गया (जून 2010) कि विभागीय वाहन उपलब्ध न होने के कारण पशु चिकित्सा/पशुसेवा केन्द्र का निरीक्षण नहीं किया गया। अतः विभाग, योजनाओं एवं प्रदत्त सेवाओं का पर्याप्त अनुश्रवण सुनिश्चित नहीं कर सका।

उत्तर में निदेशक पशुपालन विभाग ने बताया (जनवरी 2011) कि क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर रिक्त पदों पर अधिकारियों के पदों को भरे जाने की प्रक्रिया जारी है। अतः अधिकारियों की नियुक्ति के पश्चात अनुश्रवण में सुधार होने की संभावना है।

---

[6] 2007–08 : 165; 2008–09 : 11 तथा 2009–10 : 30

[7] पशु सेवा केन्द्र : पशु सेवा केन्द्र, पशुधन प्रसार अधिकारी के नियंत्रण में टीकाकरण तथा कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु

4-1-5-5-vkUrfjd fu;a=.k

ys[kkijh{kk vkifRr;ksa dk vfuLrkfjr jguk

आन्तरिक नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक संगठन अपने उद्देश्यों को प्रभावी तरीके से प्राप्त करने के लिए अपनी गतिविधियों को निर्देशित करता है। पशुपालन विभाग एवं नमूना जाँच की गई इकाईयों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि निदेशालय के आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा विभाग के अन्तर्गत इकाइयों की वार्षिक लेखापरीक्षा की जाती है। दिसम्बर 2010 तक, 1980 से 2010 की अवधि के कुल 5,883 लेखा परीक्षा प्रस्तर (धनराशि ₹ 4.49 करोड़) अनिस्तारित थे।

दिसम्बर 2010 तक प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) द्वारा मार्च 2010 तक निर्गत 157 लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन के 347 प्रस्तर (धनराशि ₹ 173.59 करोड़) भी अनिस्तारित थे। इनमें से 101 प्रस्तर (धनराशि ₹ 51.79 करोड़) पांच वर्षो से अधिक अवधि के थे।

आन्तरिक के साथ–साथ वाह्य लेखापरीक्षा आपत्तियों पर सुधारात्मक कार्यवाही करने में असफल रहने से, बड़ी संख्या में एवं काफी पुरानी आपत्तियाँ अभी भी अनिस्तारित रहने और इन आपत्तियों पर अपर्याप्त कार्यवाही, नियंत्रण एवं प्रभावी अनुश्रवण की कमी का सूचक है।

4-1-6 vuqikyu ls lEcfU/kr ekeys

सही वित्तीय प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आदेशों के अनुरूप हो। यह केवल अनियमितताओं दुर्विनियोजन एवं धोखाधड़ी को ही नहीं रोकता बल्कि अच्छे वित्तीय अनुशासन को बनाये रखने में मदद करता है। नियमों तथा विनियमों का अनुपालन न किये जाने से सम्बंधित आपत्तियां निम्नवत् हैं:

4-1-6-1 foÙkh; fu;a=.k] ctV vkoaVu ,oa O;;

विभाग को आवश्यक क्रियाकलापों हेतु वित्तीय उपलब्धता मुख्यतः लेखा शीर्ष "2403" पशुपालन के अधीन राज्य बजट से की जाती है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा भी राज्य बजट के माध्यम से केन्द्र पोषित योजनाओं हेतु राज्य द्वारा स्वीकृत राज्यांश एवं केन्द्रांश का प्रावधान किया जाता है।

2007–10 की अवधि के कुल बजट प्रावधान, स्वीकृत एवं व्यय धनराशि तथा केन्द्र पोषित योजनाओं के लिये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान एवं जिला योजना को शामिल करते हुये विवरण **lkj.kh 2** में दर्शाया गया है।

lkj.kh 2 % ctV izko/kku ,oa O;; dk foLr`r fooj.k

Ok"kZ	vk;kstukxr			vk;kstuskRrj		
	ctV izko/kku	Lohd`r	O;;	ctV izko/kku	Lohd`r	O;;
1	2	3	4	5	6	7
2007-08	189.29	104.92	96.90	197.75	197.75	196.67
2008-09	167.59	114.80	111.44	254.09	252.73	239.04
2009-10	97.85	75.19	68.62	271.14	271.14	265.36
;ksx	454.73	294.91	276.96	722.98	721.62	701.07

¼Lkzksr% i'kq ikyu foHkkx½

vk;kstukxr ctV iko/kku dk yxkrkj de fd;k x;k Fkk

मूलभूत संरचनाओं के विकास एवं योजनाओं के लागू करने हेतु आवश्यक आयोजनागत अनुदान वर्ष 2007–08 में ₹ 189.29 करोड़ से घटकर वर्ष 2009–10 में ₹ 97.85 करोड़ रह गया। इसके अलावा, प्रदेश सरकार द्वारा 2007–10 की अवधि में कुल बजट प्रावधान ₹ 454.73 करोड़ के सापेक्ष मात्र ₹ 294.91 करोड़ ही स्वीकृत किया गया। जबकि मूलभूत संरचनाओं के विकास एवं योजनाओं को लागू करने हेतु शासन द्वारा आयोजनागत अनुदान को लगातार कम किया गया, वहीं सम्पूर्ण बजट धनराशि को भी अवमुक्त नही किया गया।

dy 0;; dk 44 l 83 ifr'kr ekg ekpl e fd;k x;k Fkk

निदेशक, पशुपालन विभाग के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कुल व्यय का 44 से 83 प्रतिशत 2007–10 की अवधि में प्रत्येक वर्ष के माह मार्च में किया गया था। इसे **lkj.kh 3** में दर्शाया गया है

lkj.kh 3 % 0;; dk ckgqY;

0k"kZ	dy 0;;	ekpl e 0;;	¼2½ dk lkis{k ¼3½ dh ifr'krrk
1	**2**	**3**	**4**
2007-08	96.90	80.77	83
2008-09	111.44	48.99	44
2009-10	68.62	30.51	44
;kx	**276.96**	**160.27**	**58**

¼Lkksr% i'kq ikyu foHkkx½

असमान रूप से धन के प्रवाह के कारण व्यय का बाहुल्य खराब वित्तीय नियंत्रण का सूचक था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुये अवगत कराया (जनवरी 2011) कि राज्य सरकार द्वारा विभाग के प्रस्ताव के अनुरूप बजट नहीं स्वीकृत किया गया था। यह भी बताया गया कि शासन द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास में धन स्वीकृत करने के कारण विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा मार्च माह में व्यय किया गया।

dUnz iksf"kr ;kstukvk dk 0;;

भारत सरकार द्वारा रेन्डर पेस्ट उन्मूलन कार्यक्रम, खुरपका एवं मुंहपका रोग नियंत्रण (एफ0एम0डी0) पशुगणना एवं परती गोचर भूमि के विकास कार्यक्रम के लिए शत प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अन्य योजनाओं जैसे पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एस्कैड) (75:25) जिसमें हेमोरेजिक सेप्टीसीमिया (एच0एस0) के टीकाकरण, उ. प्र. वेटेनरी काउन्सिल (50:50) पशु उत्पाद प्रबन्धन एवं संगठन (50:50), कुक्कुट प्रक्षेत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता (80:20) कार्यक्रम हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा दर्शाये गये अनुपात में व्यय वहन किया जाता है। वर्षवार राज्यांश/केन्द्रांश के अवमुक्त धनराशि एवं इसके सापेक्ष व्यय की धनराशि का विवरण **lkj.kh 4** में दर्शाया गया है।

Lkkj.kh 4 % dsUnz izkf"kr dk;Øeksa dk O;;

Ok"kZ	dsUnz }kjk jkT; ljdkj dks voeqDr /kujkf'k	jkT; ljdkj }kjk voeqDr /kujkf'k			O;;		
		dsUnzka'k ¼dkye&2 dk izfr'kr½	jkT;ka'k	;ksx	dsUnzka'k	jkT;ka'k	;ksx
1	2	3	4	5	6	7	8
2007-08	18.81	14.93 (79)	4.36	19.29	12.10 (81)	3.63	15.73
2008-09	35.56	27.31(77)	4.41	31.72	25.73 (94)	4.24	29.97
2009-10	27.01	25.98 (96)	3.67	29.65	25.09 (97)	3.30	28.39
;ksx	**81.38**	**68.22(84)**	**12.44**	**80.66**	**62.92 (92)**	**11.17**	**74.09**

¼Lkzksr% i'kq ikyu foHkkx½

Hkkjr ljdkj }kjk izkIr iw.kZ /kujkf'k jkT; ljdkj }kjk voeqDr ugha dh xbZ

भारत सरकार से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा मात्र 77 से 96 प्रतिशत ही अवमुक्त की गई एवं राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश का मात्र 81 से 97 प्रतिशत ही उपयोग किया जा सका। इस प्रकार, 2007–10 की अवधि में केन्द्र पुरोनिधानित कार्यक्रम हेतु प्राप्त केन्द्रांश ₹ 81.38 करोड़ में से विभाग द्वारा मात्र ₹ 62.92 करोड़ (77 प्रतिशत) उपयोग किया गया। परिणामस्वरूप, एस्कैड कार्यक्रम तथा कुक्कुट प्रक्षेत्रों के विकास एवं सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

विभाग द्वारा उत्तर दिया (जनवरी 2011) कि भारत सरकार से कम केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण कम धनराशि स्वीकृत की गयी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वह तथ्यों पर आधारित नहीं था। विभाग प्राप्त धनराशियों का पूर्ण उपभोग करने में विफल रहा।

4-1-6-2 vkS"kf/k;ksa ,oa jlk;uksa gsrq =fViw.kZ ctV vkdyu

पशुओ को स्वास्थ प्रदान करने एवं रोगों से बचाव के लिये विभाग द्वारा प्रत्येक पशु चिकित्सालय एवं पशु सेवा केन्द्र पर आवश्यक औषधियों/रसायनों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना था। विभाग की विशेषज्ञ समिति द्वारा पशु चिकित्सा एवं पशु सेवा केन्द्र के लिये प्रत्येक वर्ष औषधियों/रसायनों की दर एवं मात्रा निर्धारित की गयी थी।

फिर भी यद्यपि 2007–10 की अवधि में समिति द्वारा 45 से 62 औषधियों/रसायनों (17 अति महत्वपूर्ण सामान्य औषधि को शामिल कर) की दर का निर्धारण नहीं किया गया था। समिति ने पशु चिकित्सा/पशुसेवा केन्द्र के संचालन हेतु आवश्यक अति महत्वपूर्ण औषधियों/रसायनों का प्राथमिकता के आधार पर धन की उपलब्धता के अनुसार क्रय करने की संस्तुति की थी। वर्षवार औषधियों/रसायनों के लिये धन का आवश्यक बजट प्रावधान, आबंटन एवं व्यय **Lkkj.kh 5** में दर्शाया गया है।

lkj.kh 5 % i'kq fpfdRlk@i'kqlsok dsUnz gsrq vko';d /ku dh fLFkfr
vko';d /ku dh fLFkfr

Ok"kZ	i'kq fpfdRlk gsrq nok,a@jlk;u			i'kqlsok dsUnz gsrq nok,a@jlk;u			i'kq fpfdRlk[8] rFkk i'kq lsok dsUnz ds fy, vko';d /kujkf'k	ctV izko/kku ¼₹ djksM+ esa½
	fu/kkZfjr nokvksa@ jlk;uksa dh la[;k	nokvksa@ jlk;uksa dh la[;k ftudh njsa r; Fkh	2200 i'kq fpfdRlk gsrq nokvksa@ jlk;uksa ds fy, /kujkf'k dk vkadyu	fu/kkZfjr nokvksa@ jlk;uksa dh la[;k	nokvksa@ jlk;uksa dh la[;k ftudh njsa r; Fkh	2559 i'kqlsok dsUnz gsrq nokvksa@jlk;uksa ds fy, /kujkf'k dk vkadyu		
2007-08	130	68	7.93	39	12	0.56	8.49	3.60
2008-09	124	79	7.99	33	10	0.41	8.40	4.98
2009-10	142	97	8.02	36	14	0.39	8.41	3.68
;ksx							**25.30**	**12.26**

¼L=ksr% i'kq ikyu foHkkx½

17 vfr egRoiw.kZ vkS"kf/k;ka i'kq fpfdRlky;ksa ij miyC/k ugha Fkh rFkk foHkkx vkS"kf/k;ksa gsrq vko';d /ku dk okLrfod vkadyu djus esa vlQy jgk

इस प्रकार, विभाग द्वारा 2007—10 में आवश्यक धन ₹ 25.30 करोड़ के सापेक्ष मात्र ₹ 12.26 करोड़ (48 प्रतिशत) का ही प्रावधान किया गया।

777 पशु चिकित्सा के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि वर्ष 2007—08 में 17 अति महत्वपूर्ण औषधियां 59 प्रतिशत से 99 प्रतिशत, वर्ष 2008—09 में 44 से 98 प्रतिशत एवं वर्ष 2009—10 में 31 से 92 प्रतिशत पशु चिकित्सालयों में अनुपलब्ध थी। विवरण **ifjf'k"V&4-3** में दर्शाया गया है।

vkS"kf/k;ksa@foVkfeu@gkjeksUl ,oa fefujy dh xq.koRrk foHkkx }kjk lqfuf'pr ugha dh x;h

31 मुख्य पशु चिकित्साअधिकारियों की केन्द्रीय औषधि भण्डार पंजिकाओं की जाँच में यह भी पाया गया कि पंजिका में औषधियों की बैच संख्या, विनिर्माण तिथि, कालातीत तिथि अंकित नहीं थी। पशु चिकित्सालय असोथर, फतेहपुर एवं सिधौली सहारनपुर में पाया गया कि कालातीत औषधियां उनके भंडार में पड़ी थी।

2007—10 की अवधि में महराजगंज (1 नमूना जुलाई 2008 में) तथा रायबरेली (छः नमूना सितम्बर 2009 में) के अतिरिक्त कहीं भी औषधियों की गुणवता की जाँच के लिए नमूना एकत्र नहीं किया गया । इन नमूनों की जाँच रिपोर्ट अप्राप्त (अगस्त 2010) थी।

उत्तर में निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा बताया गया (जनवरी 2011) कि पर्याप्त बजट की हमेशा मांग की जाती है परन्तु व्यवस्था, स्वीकृत बजट के अनुसार की जाती है। उत्तर से स्पष्ट था कि विभाग, पशुओं की चिकित्सा हेतु पर्याप्त गुणवत्ता की तथा आवश्यक मात्रा में औषधियों एवं रसायनों को उपलब्ध कराने हेतु गम्भीर नहीं था।

4-1-6-3 /kujkf'k;ksa dks 'kkldh; y{[kks lss brj j[kuk

₹ 9-05 djksM+ cSad [kkrksa esa vfu;fer :Ik ls j[kk x;k Fkk

राज्य सरकार ने अगस्त 2008, जून 2009 एवं जनवरी 2010 में अनुपयोगी धनराशि जो बैंक/पोस्ट आफिस/पी.एल.ए. अथवा बैक ड्राफ्ट के रूप में पड़ी थी, को शासकीय खाते में जमा करने का आदेश किया था।

[8] आकलन मे उन औषधियों/रसायनों को शामिल किया गया था जिनकी दर अनुमोदित/उपलब्ध थी

निदेशक, पशुपालन विभाग एवं 31 मुख्य पशु चिकित्साअधिकारियों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उपरोक्त आदेश के विपरीत विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित एवं वेतन तथा भत्ते की कुल धनराशि ₹ 8.98 करोड़ आहरण एवं वितरण अधिकारियों के बचत खाता एवं चालू खाता में रखी गयी थी। इसके अतिरिक्त निम्न प्रकरणों में बैंक ड्राफ्ट/नगद में धनराशि ₹ 7.49 लाख पड़ी थी।

- मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, गाजीपुर के पास दिसम्बर 1997 से जून 1999 की अवधि में बकरे क्रय हेतु तैयार किये गये ₹ 3.00 लाख के चार[9] बैंक ड्राफ्ट पड़े थे।
- मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी के पास जून 2002 एवं अगस्त 2003 में तैयार ₹ 0.32 लाख की दो बैंक ड्राफ्ट एवं 1999–02 के बकरों के क्रय करने हेतु ₹ 0.46 लाख नगद धनराशि पड़ी थी।
- मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ के पास एस्कैड योजना सम्बन्धी वर्ष 2005 के ₹ 3.71 लाख की धनराशि के बैंक ड्राफ्ट पड़े थे।

विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया (जनवरी 2011) कि बैंक खातों/बैंक ड्राफ्टों/नगद धनराशि के निस्तारण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

4-1-6-4 o;fDrd y[kk [kkrk e /kujkf'k;k dk j[kuk

विभाग द्वारा मार्च 2008 में ₹ 3.80 करोड़ पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु विज्ञान तथा शोध संस्थान, मथुरा के पी.एल.ए. में चार[10] पशु चिकित्सालयों के निर्माण और एक बादलपुर गौतमबुद्ध नगर स्थित पालीक्लीनिक निर्माण हेतु धनराशि रखी गयी थी। ₹ 3.80 करोड़ में से ₹ 1.21 करोड़ का उपयोग नहीं किया जा सका और विभाग के राजस्व में जमा करके (मार्च 2009) वापस दिखा दिया गया, अवशेष धनराशि ₹ 2.59 करोड़ बादलपुर स्थित पालीक्लीनिक के निर्माण सम्बन्धित भूमि उपलब्ध न होने के कारण जनवरी 2011 तक अनुपयोगी पड़ी थी। विभाग ने उत्तर में बताया (जनवरी 2011) कि वर्ष 2010–11 में पालीक्लिनिक के लिए भूमि क्रय करने हेतु ₹ 5.56 करोड़ उपलब्ध कराया गया है।

4-1-6-5 ckbukdyj ekbØkLdki dk Ø;

₹ 84-86 yk[k eY; d ckbukdyj ekbdkLdki dh vko';drk vkj bld fy, vko';d jh,tUV l ,o dfedy dk lfuf'pr fd, fcuk d; fd;k x;k

कृत्रिम गर्भाधान के लिये स्ट्रा के नमूनों की जाँच तथा पैथालाजी की जॉच हेतु निदेशक, पशुपालन विभाग ने मार्च 2009 के अंतिम दिवस को 1420 विद्युत चलित बाइनाकुलर माइक्रोस्कोप (क्रय मूल्य : ₹ 84.86 लाख) की आपूर्ति हेतु आदेश दिया तथा प्रत्येक 71 जनपदों मे, पशु चिकित्सालयों की संख्या को ध्यान में रखे बगैर, 20 माइक्रोस्कोप उपलब्ध कराये। परन्तु जाँचों हेतु आवश्यक रीजेन्ट/रसायनों की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गयी।

नमूना जाँच जनपदों के पशु चिकित्सालयों के भौतिक निरीक्षण में पाया गया कि बाइनाकुलर माइक्रोस्कोप अनुपयोगी पड़े थे। अभिलेखों की जाँच में पाया गया :

---

9 ₹ 0.83 लाख के बैक ड्राफ्टः 30.12.96 पुनर्वैधीकरण 17.10.97; ₹ 1.07 लाखः25.9.97; ₹ 0.53 लाखः06.04.98 तथा ₹ 0. 57 लाखः07.06.99

10 एटा में एक, मैनपुरी में दो तथा उन्नाव में एक

- मुख्यपशु चिकित्सा अधिकारी, फिरोजाबाद ने मार्च 2008 में 19 माइक्रोस्कोप जनपद के पशु चिकित्सालय हेतु क्रय किये थे जो अनुपयोगी पड़े थे तथा पशुपालन विभाग द्वारा जून 2009 में आपूर्तिंत 20 बाइनाकुलर माइक्रोस्कोप पशु चिकित्सा सदर फिरोजबाद में पैक अवस्था में पड़े थे।

- मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जौनपुर द्वारा 22 बाइनाकुलर माइक्रोस्कोप वर्ष 2007–08 में क्रय किये गये थे एवं निदेशालय से 20 और बाइनाकुलर माइक्रोस्कोप जून 2009 में आपूर्ति किये गये थे। नमूना जाँच में पशु चिकित्सा कटघर, जौनपुर में छः माइक्रोस्कोप उपलब्ध थे, जिसमें से तीन अक्रियाशील थे।

- मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी ने 15 बाइनाकुलर माइक्रोस्कोप मई 2009 में क्रय किये जो उपयोग में नहीं लाये जा रहे थे। पशु चिकित्सालय, देवा, बाराबंकी के संयुक्त निरीक्षण के दौरान पशु चिकित्सा अधिकारी ने अवगत कराया कि इन बाइनाकुलर माइक्रोस्कोपों को उपयोग न होने के कारण किसी अन्य पशु चिकित्सालय को स्थानान्तरित किया जायेगा।

- मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, एटा ने 'घ' श्रेणी चिकित्सालय में पांच बाइनाकुलर माइक्रोस्कोप निर्गत किये जहाँ केवल एक ड्रेसर एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनात किया गया था जो इन जाँचों को करने हेतु अर्ह नहीं था। कन्नौज जनपद में सात बाइनाकुलर माइक्रोस्कोप केन्द्रीय भण्डार में पैक अवस्था में पड़े थे।

i'kq fpfdRlky; lnj fQjkstkckn esa 20 lhy iSaM ckbukdqyj ekbØksLdksi

इस प्रकार विभाग द्वारा आवश्यकताओं का आकलन एवं आवश्यक रीजेन्टों/रसायनों की उपलब्धता तथा विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये बिना, इन उपकरणों का क्रय किया गया।

विभाग ने उत्तर में बताया (जनवरी 2011) कि गुणवत्ता बढाने के लिये इन विद्युत चलित बाइनाकुलर माइक्रोस्कोपों का क्रय किया गया और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी फिरोजाबाद, बाराबंकी एवं एटा से उनके द्वारा अतिरिक्त क्रय किये जाने हेतु जवाब मांगा गया है। उत्तर अमान्य था क्योंकि उपकरणों का क्रय प्रत्येक जनपद की आवश्यकता का आकलन किये बगैर किया गया था।

4-1-6-6 VªDVjk dk vfu;fer Ø;

16 VªDVjk dk d; 'kklukns'kk ,o foRrh; lhekvk dk mYy?ku djr g, fd;k x;k Fkk

राज्य कृषि उत्पादन आयुक्त ने समस्त विभाग के प्रमुखों को ट्रैक्टरों एवं अन्य कृषि उपकरण/यंत्रों की यू.पी. स्टेट एग्रो उद्योग लिमिटेड से क्रय किये जाने हेतु आदेश निर्गत किया (अप्रैल 2005)। निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा क्रय की क्षमता धनराशि ₹ 10 लाख मूल्य तक सीमित थी तथा ₹ 10 लाख से अधिक मूल्य के क्रय पर शासन की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक था।

उप निदेशक (प्रक्षेत्र), लखनऊ के अभिलेखों की जॉच (मई, जून 2010) में पाया गया कि ₹ 76.38 लाख मूल्य के 16 ट्रैक्टरों का क्रय (दिसम्बर 2007 एंव मार्च 2008) शासन से स्वीकृति प्राप्त किये बिना किया गया।

4-1-6-7 lkekU; Hkfo"; fuf/k vfHkys[kk dk j[k&j[kko

₹ 32-99 yk[k d lkekU; Hkfo"; fuf/k d vfxek dh 52 depkfj;k l lcf/kr iklcdk e ifof"V ugh dh x;h A

कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि अग्रिमों की स्वीकृति की प्रविष्टि सम्बन्धित कर्मचारियों की पास बुक मे की जानी चाहिए। नौ नमूना जॉच जनपदों के समूह 'ग' और समूह 'घ' कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2003–04 से वर्ष 2008–10 के दौरान 52 कर्मचारियों के पक्ष में आहरित ₹ 32.99 लाख के अग्रिमों की प्रविष्टि उनकी सामान्य भविष्य निधि पास बुकों में नही की गई थी। जनपद गोण्डा मे समूह 'घ' के दो कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृति पर ₹ 13,000 अधिक भुगतान किया गया। इसके अलावा, 22 जनपदों में, इसी अवधि में सामान्य भविष्य निधि से आहरित ₹ 16.66 करोड़ के अग्रिमों का सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि सम्बन्धित अभिलेख सम्प्रेक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये।

विभाग द्वारा बताया गया कि (जनवरी 2011) आवश्यक कार्यवाही की जायेगी व आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा को निर्देशित किया जायेगा कि भविष्य में इस तरह की चूक की पुनरावृत्ति न हो।

4-1-7 innÙk lok;

विभाग द्वारा पशुधन के टीकाकरण, चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान और चारा हेतु बीजों की आपूर्ति तथा कुक्कुट विकास योजनाओं का क्रियान्वयन, बैकयार्ड कुक्कुट योजना, एकीकृत सूअर एवं बकरी स्वयं–सहायता समूह योजना सम्बन्धी सेवायें प्रदान की जाती है।

4-1-7-1 i'kq LokLF; ,o fpfdRldh; lok

विभाग द्वारा पशुओं में रोगों की रोकथाम तथा रोगों को फैलने से रोकने हेतु प्रत्येक वर्ष टीकाकरण, चिकित्सा तथा बधियाकरण के लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। 2007–10 के दौरान प्रदेश में टीकाकरण, चिकित्सा और बधियाकरण की स्थिति **lkj.kh 6** में प्रदर्शित है।

lkj.kh 6 % Vhdkdj.k] fpfdRlk vkSj cf/k;kdj.k fLFkfr

en	2007-08		2008-09		2009-10	
	Yk{;	ifrZ ¼ifr'kr½	Yk{;	ifrZ ¼ifr'kr½	Yk{;	ifrZ ¼ifr'kr½
Vhdkdj.k [11]	741.89	488.26 (66)	741.03	386.41 (52)	686.88	472.94 (69)
fpfdRlk	194.36	211.55 (109)	213.80	219.86 (103)	233.71	234.46 (100)
cf/k;kdj.k	9.22	8.15 (88)	9.42	8.28 (88)	10.36	9.22 (89)

¼Lkksr% i'kq ikyu foHkkx½

टीकाकरण लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति 52 प्रतिशत से 69 प्रतिशत तक थी। जाँच में पाया गया कि जनपदों को टीकों की कम एवं असमान आपूर्ति के कारण उपलब्धि कम थी। जनपदवार विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2007–08 में लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि 51 प्रतिशत (फिरोजाबाद) से 385 प्रतिशत तक (कन्नौज), 2008–09 में 50 प्रतिशत (फिरोजाबाद) से 459 प्रतिशत तक (वाराणसी) तथा 2009–10 में 38 प्रतिशत (फिरोजाबाद और गोण्डा) से 199 प्रतिशत तक (वाराणसी) पायी गयी।

चिकित्सा की उपलब्धि लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2007–08 में 41 प्रतिशत (रायबरेली) और 236 प्रतिशत तक (रामपुर), 2008–09 में 49 प्रतिशत (फतेहपुर) से 229 प्रतिशत तक (रामपुर) व 2009–10 में 48 प्रतिशत (एटा) से 210 प्रतिशत तक (रामपुर) थी। उपलब्धि में पॉल्ट्री बर्ड को शामिल किया गया था जबकि निर्धारित लक्ष्य में इनको शामिल नहीं किया गया था। नमूना जाँच में लिए गये जनपदों (अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, बुलन्दशहर, देवरिया, फिरोजाबाद, गोण्डा, एटा, महोबा, मेरठ, मीरजापुर और रामपुर) में पशु चिकित्सा में 43 प्रतिशत से 84 प्रतिशत तक पोल्ट्री बर्ड शामिल थे। चिकित्सीय आंकड़ो में पक्षियों को शामिल किये जाने से विभाग का निष्पादन अत्यधिक बढ़ गया।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009–10 में सम्प्रेक्षा को सूचित किये गये टीकाकरण की उपलब्धि, शासन को प्रतिवेदित उपलब्धि के सापेक्ष 16.10 लाख अधिक थी। इसी प्रकार, वर्ष 2009–10 के लिए चिकित्सा व बधियाकरण के संदर्भ में उपलब्धि क्रमशः 223.19 लाख व 8.75 लाख शासन को सूचित किया गया तथा इसके विपरीत 234.46 लाख और 9.22 लाख सम्प्रेक्षा को सूचित किया गया। रिपोर्ट में भिन्नता का कारण विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

विभाग द्वारा उत्तर दिया गया (दिसम्बर 2010) कि टीकाकरण में कमी टीकों के क्रय हेतु धन की कमी के कारण थी जो यह प्रदर्शित करता है कि पर्याप्त धन की अनुपलब्धता के कारण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

4-1-7-2 fgeksjsftd lSIVhlhfe;k ¼,p,l½ o [kqjidk ,oa eqagidk jksx ¼,Q,eMh½ Vhdkdj.k

प्रदेश के पशुधन को कई तरह के स्थानीय व फैलने वाले रोगों जैसे हिमोरेजिक सेप्टीसेमिया, खुरपका मुंहपका, ब्लैक क्वार्टर (बी.क्यू) एवं *पेस्टी डेज पेटाइटिस रूमिनैन्टस*

[11] पशुओं के टीकाकरण में एफ.एम.डी.–सी.पी. तथा एस्कैड के अन्तर्गत किया गया टीकाकरण शामिल था

(पी.पी.आर.) का सामना करता है। हिमोरेजिक सेप्टीसेमिया और खुरपका मुंहपका के विरूद्ध टीकाकरण हेतु प्रदेश केन्द्रीय सहायता प्राप्त करता है। इन दो महत्वपूर्ण बीमारियों के टीकाकरण की स्थिति निम्नवत् हैः

fgekjftd lsIVhlfe;k dk Vhdkdj.k

हिमोरेजिक सेप्टीसेमिया मुख्यतः वर्षा ऋतु एवं तीव्र मौसमी बदलाव के समय होता है। प्रदेश के 22 जनपदों मे शत् प्रतिशत गोवंशीय व महिषवंशीय पशुओं के टीकाकरण आच्छादन हेतु एस्कैड योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से 75 प्रतिशत वित्तीय सहायता से हिमोरेजिक सेप्टीसेमिया टीकाकरण प्रति वर्ष किया जाता है। शेष जनपदों में टीकाकरण प्रदेश सरकार द्वारा आच्छादित किया जाता है।

fgekjftd lsIVhlfe;k Vhdkdj.k dh miyfC/k vi;kIr Fkh

निदेशक, पशुपालन विभाग के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के दौरान प्रदेश के भारी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के 22 जनपदों में प्रत्येक वर्ष एस्कैड के अन्तर्गत 100 प्रतिशत टीकाकरण हेतु 1.21 करोड़ गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशु लक्षित थे। इन जनपदों में वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के दौरान हिमोरेजिक सेप्टीसेमिया टीकाकरण की सम्पूर्ण उपलब्धि एस्कैड के अन्तर्गत क्रमशः 50 प्रतिशत तथा 35 प्रतिशत थी। **¼ifjf'k"V&4-4½**

शेष जनपदों के 2.94 करोड़ गोवंशीय एवं महिश वंशीय पशुओं के लिये वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में लक्ष्य क्रमशः 1.09 करोड़ एवं 1.19 करोड़ निर्धारित किया गया था। वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के दौरान उपलब्धि क्रमशः 81 प्रतिशत एवं 59 प्रतिशत थी। **¼ifjf'k"V&4-4½**

नमूना जाँच जनपदों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि लक्ष्य के सापेक्ष लक्ष्यपूर्ति में असमानता विभाग द्वारा टीकों की कम एवं अनियमित आपूर्ति के कारण हुई।

विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया (जनवरी 2011) कि निर्माणकर्त्ता/आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा टीकों की आपूर्ति समय से न किये जाने के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। असमान आपूर्ति के मामले में विभाग द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

[kjidk eagidk Vhdkdj.k

de ,oa vleku oSDlhu dh vkiwfrZ ds dkj.k Vhdkdj.k ds y{;ksa dks izkIr ugha fd;k tk ldk

खुर वाले पशुओं के लिए खुरपका मुँहपका व्यापक छुआछूत वाली बीमारी है जो प्रदेश में स्थानीय एंव व्यापकता के साथ फैलती है। प्रदेश के पश्चिमी भाग के 17 जनपदों में गोवंशीय और महिषवंशीय पशुधन की शत् प्रतिशत संख्या के आच्छादन के साथ भारत सरकार सहायतित एफएमडी–सीपी कार्यक्रम चालू किया गया। इसके अतिरिक्त प्रदेश के मध्य केन्द्रीय भाग तथा पूर्वी भाग के सीमांत 28 जनपदों के गोवंशीय व महिषवंशीय पशुओं की संख्या के शत्–प्रतिशत का आच्छाद्न एस्कैड के अन्तर्गत किया गया। राज्य सरकार द्वारा अवशेष 26 जनपदों के 20 प्रतिशत पशुधन संख्या का लक्ष्य प्रतिरक्षक क्षेत्र बनाने एवं रोगों के फैलने से रोकने के उद्देश्य से रखा गया था।

निदेशक, पशुपालन विभाग के अभिलेखों की जाँच में ज्ञात हुआ :

- वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में पश्चिमी भाग के 17 जनपदों में एफएमडी–सीपी कार्यक्रम के अन्तर्गत 116.77 लाख पशु संख्या (गोवंशीय महिषवंशीय) के सापेक्ष 106.31 लाख टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था तथा लक्ष्य पूर्ति क्रमशः 89.83 लाख एवं 116.87 लाख थी। लक्ष्य पूर्ति के जनपदवार विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2008–09 में शून्य प्रतिशत (आगरा एवं एटा) से 100 प्रतिशत (शेष जनपदों में) थी व 2009–10 में 100 प्रतिशत (सात जनपदों में) से 129 प्रतिशत (आगरा) तक पायी गयी। **¼ifjf'k"V&4-5½**

- वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के दौरान प्रदेश के मध्य–केन्द्रीय एवं पूर्वी माग के 28 जनपदों में एस्कैड के अन्तर्गत एफएमडी टीकाकरण लक्ष्य 151.02 लाख पशु संख्या के विरुद्ध वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के दौरान उपलब्धि क्रमशः 62.34 लाख (41 प्रतिशत) तथा 113.67 लाख (75 प्रतिशत) थी। जनपदवार उपलब्धियों के ऑकड़ों के विश्लेषण में ज्ञात हुआ कि वर्ष 2008–09 में उपलब्धि शून्य प्रतिशत (देवरिया) से 100 प्रतिशत तक (बाराबंकी) एवं 2009–10 में 31 प्रतिशत (बाराबंकी) से 111 प्रतिशत तक (फतेहपुर) थी। **¼ifjf'k"V&4-6½**

- शेष जनपदों में कुल पशु संख्या (गोवंशीय एवं महिषवंशीय) 146.87 लाख थी व 29.37 लाख पशु एफएमडी टीकाकरण से आच्छादन के लिए लक्षित थे, जिसके सापेक्ष उपलब्धि वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के दौरान मात्र 1.36 लाख (लक्ष्य का 5 प्रतिशत) एवं 4.67 लाख (लक्ष्य का 16 प्रतिशत) थी। जनपदवार विश्लेषण में ज्ञात हुआ कि वर्ष 2008–09 में 13 जनपदों में एवं 2009–10 में सात जनपदों में टीकारण नहीं किया गया था। **¼ifjf'k"V&4-6½**

चयनित जनपदों के अभिलेखों की नमूना जाँच में ज्ञात हुआ कि कम व अधिक उपलब्धि विभाग द्वारा कम एवं असामान टीकों की आपूर्ति के कारण थी।

उत्तर में विभाग द्वारा बताया गया कि एफएमडी टीकाकरण के प्रकरण में शासन द्वारा धन अवमुक्त नहीं किया गया था। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार उपलब्ध टीकों का वितरण नहीं किया गया था।

4-1-7-3 df=e xHkkZ/kku

उन्नत प्रजनन पद्धति से पशुधन के उत्पादन तथा पोषण में गुणात्मक तथा मात्रात्मक सुधार लाने हेतु प्रदेश में बाबूगढ़ जनपद गाजियाबाद, चकगजरिया जनपद लखनऊ, एवं मझरा, जनपद लखीमपुर–खीरी में तीन अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, वीर्य स्ट्रा उत्पादन हेतु संचालित हैं। 2007–10 के दौरान वीर्य स्ट्रा उत्पादन एवं कृत्रिम गर्भाधान **lkj.kh 7** में दर्शाया गया है।

lkj.kh 7 % oh;! LV'kt dh miyC/krk rFkk df=e xHkk/kku

Ok"k	LkkMk dh Lohd'r l[;k	miyC/k lkMk dh l[;k ¼ifr'kr½	miyC/k lkMk l mRikfnr oh;! LV'k dh vuekfur l[;k	mRikfnr ,o vkifr'r oh;! LV'k dh l[;k	df=e xHkk/kku Yk{;	miyfC/k ¼ifr'kr½	d; LV'k dh l[;k
2007-08	260[12]	120 (46)	10.74	7.48	27.00	26.17 (97)	18.69
2008-09	260	97 (37)	8.80	10.96	37.77	30.13 (80)	19.17
2009-10	260	110 (42)	9.90	10.62	43.15	37.10 (86)	26.48
;kx			**29.44**	**29.06**	**107.92**	**93.40 (87)**	**64.34**

¼Lkkr% i'k ikyu foHkkx½

260 सांड़ों की स्वीकृत क्षमता के सापेक्ष 2007–10 के दौरान मात्र 97 से 120 सांड उपलब्ध थे। मानक के अनुसार वर्ष 2007–08 में 10.74 लाख के सापेक्ष 7.48 लाख स्ट्राज उत्पादित किये गये, जबकि 2008–10 में 2.88 लाख स्ट्राज अधिक उत्पादित किये गये। स्ट्राज के कम/अधिक उत्पादन का कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।

df=e xHkk/kku d y{; dh ikfIr ugh dh x;h

जनपद स्तर पर 64.34 लाख स्ट्राज क्रय किये जाने के बाद भी कृत्रिम गर्भाधान के लक्ष्य 107.92 लाख की पूर्ति नहीं की जा सकी। इस प्रकार 2007–10 के दौरान मात्र 87 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की गयी।

विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया (जनवरी 2011) कि साड़ों के क्रय हेतु कदम उठाये गये हैं।

4-1-7-4 ,dhd'r Lo;&lgk;rk leg

Lo; lgk;rk leg d fd;kUo;u e foHkkxh; ekud dk vuikyu ugh fd;k x;k

सामान्य एवं अनुसूचित जाति श्रेणी के गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) के परिवारों को स्वरोजगार देने एवं गांवों से पलायन रोकने हेतु विभाग द्वारा बकरी एवं सूअर एकीकृत स्वयं–सहायता समूह योजना (2003–05) शुरू की गई। योजनान्तर्गत सूअर क्रय, बीमा तथा बाड़ा निमार्ण हेतु स्वयं सहायता–समूह (स्व0स0स0)के खातों में ₹ 90 हजार जमा किये जाने थे तथा ₹ 10 हजार तक दवाओं का क्रय एंव आपूर्ति सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा की जानी थी। नर सूअर का क्रय जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से मुख्यतः सरकारी प्रक्षेत्रों से किया जाना था।

चयनित जनपदों एवं निदेशक, पशुपालन विभाग के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 2007–10 के दौरान ₹ 8.81 करोड़ व्यय करके 1142 स्वयं सहायता समूह के गठन के लक्ष्य के सापेक्ष 881 स्वयं सहायता समूह (सूअर) का गठन किया गया। स्वयं सहायता समूह (बकरी) के संदर्भ में 2007–09 में 1383 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया तथा ₹ 13.83 करोड़ व्यय कर 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किये गये। वर्ष 2009–10 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।

---

12 बाबूगढ़ जनपद गाजियाबाद तथा चकगजरिया जनपद लखनऊ में 100–100 एवं मझरा, जनपद लखीमपुर–खीरी में 60 की स्वीकृत संख्या

योजनान्तर्गत दो से चार बकरी/सूअर के ऊपर एक बकरा/नर सूअर का प्रावधान किया गया था। बकरी/सूअर की एक अन्य स्वरोजगार योजना में विभाग द्वारा अलग मानक यथा 10 बकरी/सूअर के ऊपर एक बकरा/नर सूअर बनाये गये थे। सरकारी प्रक्षेत्रों में भी दस मादा के ऊपर एक नर का मानक था।

संयुक्त भौतिक निरीक्षण में वाराणसी तथा रायबरेली जनपदों में स्व0स0स0 (बकरी) के सदस्यों द्वारा संयुक्त निरीक्षण दल को अवगत कराया गया कि नैसर्गिक गर्भाधान मात्र 5 से 10 केन्द्रों में उपलब्ध था। इसके अलावा विभाग द्वारा स्वयं पशु चिकित्सालय पर मात्र दो में नैसर्गिक गर्भाधान मुहैया कराया जाता है। स्वयं सहायता समूह के लिए बकरा/नर सूअर का पालन मितव्ययी नहीं था।

ykHkkfFk;ksa dk Lo; lgk;rk lewg ¼lwvj½ ds vUrxZr okafNr ykHk ugha feyk

35 स्वयं सहायता समूह (सूअर) के संयुक्त भौतिक निरीक्षण में पाया गया कि **¼ifjf'k"V&4-7½**

- 31 स्वयं सहायता समूह द्वारा स्थानीय बाजार से कुल 232 नर सूअर तथा 562 मादा सूअर क्रय किये गये जबकि बाराबंकी, बरेली, फतेहपुर एव मुरादाबाद में ही नर सूअर शासकीय प्रक्षेत्र से क्रय किये गये थे। फैजाबाद तथा रायबरेली जनपदों में 2007–10 के दौरान गठित स्वयं सहायता समूह के लिये नर सूअर क्रय नहीं किये गये थे।

- दस स्वयं सहायता समूहों द्वारा सूअरों का बीमा नहीं कराया गया था तथा 794 सूअरों में से केवल 524 सूअर बीमित थे। फिरोजाबाद, जौनपुर एवं कानपुर के तीन स्वयं–सहायता समूह के सभी सूअरों को शामिल करते हुए कुल 177 सुअर मर गये थे केवल 22 सूअरों को बीमा दावा भेजा गया था तथा केवल एक का दावा भुगतान हुआ था।

- जनपद हरदोई में वर्ष 2008–09 में 10 नर एवं 30 मादा सुअरों के साथ गठित स्वयं सहायता समूह के पास निरीक्षण के समय इनकी कुल संख्या 75 थी। वाराणसी में (2008–09) एक स्वयं सहायता समूह (सूअर) द्वारा अवगत कराया गया कि समूह गठन से अब तक ₹ 30 हजार अर्जित किया गया था।

- स्वयं सहायता समूह[13] बिजनौर के दो सदस्य, स्वयं–सहायता समूह जौनपुर[14] के एक सदस्य तथा मेरठ में दो स्वयं–सहायता समूह[15] के दो सदस्य गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) थे।

- छः स्वयं–सहायता समूहों (सूअर) द्वारा अवगत कराया गया कि उनको दवाएं मुहैया नहीं करायी गयी थी जबकि दो द्वारा अवगत कराया गया कि आपूर्तित दवाएं कालातीत हो गयी थी।

चयनित जनपदों के 31 स्वयं सहायता समूह (बकरी) की संयुक्त भौतिक निरीक्षण में पाया गया **¼ifjf'k"V&4-8½**

---

[13] वाल्मिकी सहकारी समिति, शाहनगर, बिजनौर
[14] जगजीवनराम स्व0स0स0,दुधौड़ा, जौनपुर
[15] महर्षि वाल्मिकी स्व0स0स0 तथा अम्बेडकर स्व.स.स.,महलवाला, मेरठ

- 2007–09 के दौरान कुल 1002 बकरी (284 नर एवं 718 मादा) स्थानीय बाजार से क्रय किये गये जबकि फिरोजाबाद, मीरजापुर एव सीतापुर में नर बकरे इटावा स्थित शासकीय बकरा प्रक्षेत्र से प्राप्त किये गये। बाराबंकी में स्व0स0स0 (बकरी) के खातों में ₹ 90 हजार के बदले केवल ₹ 70 हजार जमा किये गये थे। अवशेष ₹ 20 हजार मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के पास रखे गये थे।

- 1002 बकरियों में से मात्र 690 बकरियाँ बीमित थी। कुल 235 बकरियां मर गयी थी। परन्तु इसके सापेक्ष केवल 30 बकरियों के बीमा दावे भेजे गये जिसके विरूद्ध 20 दावों का भुगतान किया गया।

- आगरा के एक स्वयं–सहायता समूह को ₹10,000 मूल्य की दी गयी दवायें बिना उपयोग के कालातीत हो गयी थी, जबकि उस समूह की चार बकरियां मर गयी थी।

- बरेली के एक स्वयं–सहायता समूह [16] का अध्यक्ष, बिजनौर[17] में दो सदस्य, फतेहपुर[18] में एक सदस्य एवं गोण्डा[19] के समूह में सभी सदस्य गरीबी रेखा के ऊपर जीवनयापन करने वाले थे।

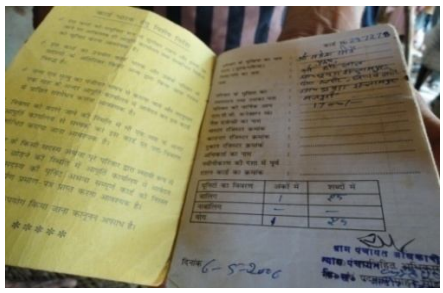

आगरा के स्वय सहायता समूह के पास कालातीत दवायें, बजनौर के एक लाभार्थी के पास ए0पी0एल0 कार्ड

इस प्रकार स्वयं सहायता समूह के गठन एवं अनुश्रवण में सम्बन्धित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण स्वयं सहायता समूह के लाभ को अन्तिम लाभार्थियों तक पहुँचाया नहीं जा सका।

विभाग द्वारा बताया गया (जनवरी 2011) कि लेखापरीक्षा बिन्दुओं के सन्दर्भ में जाँच प्रारम्भ की गयी है, तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

4-1-7-5 dqDdqV fodkl

राज्य में वर्ष 2003 की पशु गणना के अनुसार कुक्कुट संख्या 117.18 लाख थी जो वर्ष 2007 की पशु गणना से कम होकर 107.21 लाख रह गयी थी। राज्य के 11 कुक्कुट प्रक्षेत्रों आगरा, बरेली, इटावा, फैजाबाद, गोण्डा, जौनपुर, झाँसी, लखनऊ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, वाराणसी, एवं लखनऊ के एक बटेर प्रक्षेत्र सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु भारत

16 भगवानशंकर स्व0स0स0 ग्राम पूर्णापुर,बिथारी, चैनपुर, बरेली
17 आर्दश सहकारी समिति, कुकरा इस्लामपुर, हल्दौर, बिजनौर
18 ज्वाला स्व0स0स0,सुजानपुर,बहुआ, फतेहपुर
19 जयगुरुदेव स्व0स0स0,गोलागंज, झझरी, गोण्डा

सरकार द्वारा वित्तीय सहायता (भारत सरकारः 80 प्रतिशत एवं राज्यांश 20 प्रतिशत) प्रदान की गयी थी।

संबंधित मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों के अभिलेखों की जाँच में निम्न ज्ञात हुआ :

- राज्य कुक्कुट प्रक्षेत्र, सिद्दिकीपुर जनपद जौनपुर के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु राज्य सरकार द्वारा ₹ 28.44 लाख (मार्च 2009) अवमुक्त किया गया था। परन्तु प्रक्षेत्र की भूमि को जिलाधिकारी द्वारा *मान्यवर कांशीराम जी शहरी आवास योजना* हेतु अधिगृहीत कर लिये जाने एवं उसके स्थान पर अन्यत्र भूमि आंबटित न करने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका था। उक्त धनराशि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के बचत/चालू खाते में पड़ी हुई थी। निदेशक ने बताया (जनवरी 2011) कि प्रक्षेत्र को जौनपुर के मछलीशहर तहसील में स्थानान्तरित किया जायेगा।

Lkkr jktdh; dDdqV i{k=ksa dk fuekZ.k dk;Z iw.kZ u gksus ds dkj.k fd;k'khy ugha fd;k tk ldk Fkk

- आगरा के कुक्कुट प्रक्षेत्र को विकसित करने हेतु निर्माण कार्य से संबंधित ₹10.23 लाख जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, आगरा के वैयिक्तक लेखा खाते में रखा (मार्च 2009) गया था, जिसे मार्च 2010 में पशुपालन विभाग के प्राप्ति लेखा शीर्ष[20] में जमा कर दिया गया था। विभाग द्वारा बताया (जनवरी 2011) गया कि उप निदेशक, आगरा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रिया में है।

- 12 कुक्कुट/बटेर प्रक्षेत्रों में से केवल पांच प्रक्षेत्रों (बरेली, गाजियाबाद, झाँसी, लखनऊ एवं वाराणसी) में उत्पादन प्रारम्भ हुआ था। पांच कुक्कुट प्रक्षेत्रों का प्रदर्शन **lkj.kh 8** में दिया गया है।

Lkkj.kh 8 % ikap dDdqV i{k=ksa ds izn'kZu dk fooj.k

Ekn	2007-08		2008-09		2009-10	
	Yk{;	miyfC/k	Yk{;	miyfC/k	Yk{;	miyfC/k
प्रक्षेत्र पर पक्षियों की संख्या	11,500	4,236 (37)	11,500	7,923 (69)	11,500	9,089 (79)
अंडों का उत्पादन (लाख)	8.40	3.83 (21)	18.40	6.22 (34)	18.40	4.67 (25)
चूजों का उत्पादन (लाख)	0.50	1.42 (12)	11.50	1.23 (11)	11.50	1.26 (11)
चूजों का वितरण (लाख)	10.93	1.32 (12)	10.93	1.25 (11)	10.93	1.04 (10)

¼Lkksr% i'kq ikyu foHkkx½

उपर्युक्त विवरण का विश्लेषण करने पर पाया गया कि 2007–10 की अवधि में लक्षित कुक्कुट पक्षियों की संख्या का 37 से 79 प्रतिशत पक्षियों को ही रखा गया था। 2007–10 की अवधि मे इन प्रक्षेत्रों पर कुक्कुट की संख्या 4,236 से बढ़कर 9,089 हो गयी थी, जबकि अण्डों एवं चूजों की उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि नही हुई थी। अण्डों एव चूजों के उत्पादन में कमी की वजहों की जाँच नहीं करायी गयी थी।

[20] 0403–पशुपालन राजस्व प्राप्तियां

निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया (जनवरी 2011) कि कुक्कुट अण्डों एवं चूजों की संख्या कम होने का विस्तृत विवरण संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों एवं प्रक्षेत्र अधीक्षकों से मांगा गया है।

4-1-7-6 cd;kM dDdV ;ktuk

विभाग द्वारा निर्धन अनुसूचित जाति के लोगों के जीवन यापन में सुधार लाने हेतु बैकयार्ड कुक्कुट योजना की शुरुआत वर्ष 2007–08 में की गयी थी। विभाग द्वारा लाभार्थियों को 280–300 अण्डे देने की क्षमता वाली 16 सप्ताह के 100 लेयर पुलेट पक्षी दिया जाना था। इसके अतिरिक्त कैलिफोर्निया केज, छप्पर एवं अन्य व्यय हेतु ₹ 2,450 चार हफ्ते हेतु आहार, ₹ 100 मूल्य की दवायें एव चूजों के परिवहन की धनराशि भी दी जानी थी। विभाग द्वारा 2,186 बैकयार्ड इकाइयों (वर्ष 2007–08 में 646 तथा 2008–09 में 1,540) की स्थापना करने की योजना बनायी गई और ₹ 6.13 करोड़ (वर्ष 2007–08 में 2.13 करोड़ और 2008–09 में ₹ 4 करोड़) योजना के लिए स्वीकृत किया गया था। विभाग द्वारा 2007–09 की अवधि में केवल 583 लाभार्थियों को पुलेट आपूर्ति की गयी ।

cd;kM dDdV ;ktuk dk fu;ktu]pt ;k iyV dh miyC/krk lfuf'pr fd, fcuk fd;k x;k

आगे जाँच में पाया गया कि शोध अधिकारी (कुक्कुट) राज्य कुक्कुट प्रक्षेत्र, बाबूगढ़, गाजियाबाद द्वारा 42,000 एक दिवसीय चूजों की आपूर्ति हेतु निदेशक, केन्द्रीय कुक्कुट विकास संस्थान मुम्बई को मई 2008 में आदेश दिया गया, परन्तु उनके द्वारा मात्र 10,725 एक दिवसीय चूजों की आपूर्ति की गयी थी। निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा एक फर्म के साथ 60,000 चूजों की आपूर्ति हेतु एक अनुबन्ध गठित किया गया था जोकि वर्ष 2007–08 की आवश्यकता को भी पूर्ण करने के लिए पर्याप्त नहीं था। वर्ष 2007–08 के 64,600 पुलेट पक्षियों के लक्ष्य के सापेक्ष मार्च 2010 तक मात्र 46,252 पुलेट पक्षियों का वितरण लाभार्थियों को किया गया।

वर्ष 2009–10 हेतु निदेशक, पशुपालन विभाग, लखनऊ द्वारा अक्टूबर 2009 में ₹ 2.75 करोड़ की धनराशि प्रत्येक जिले में 15 इकाइयों की स्थापना हेतु 70 जिलों को ₹ 2.61 करोड़ तथा 16 सप्ताह के पुलेट तैयार करने हेतु पांच कुक्कुट काम्प्लेक्सों (आगरा, अलीगढ़, औरैया, गोण्डा, तथा उन्नाव) को ₹ 14 लाख अवमुक्त किया गया था। आठ जनपदों[21] द्वारा पूर्ण धनराशि, एवं 12 जनपदों[22] द्वारा आंशिक धनराशि का उपभोग कर लिया गया था जबकि निदेशक द्वारा दिसम्बर 2009 में आदेश दिया गया था कि कैलीफोर्निया केजों का क्रय नहीं किया जाये क्योंकि चूजें उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार 50 जनपदों एवं पांच प्रक्षेत्रों द्वारा उपयोग नही की गयी धनराशि ₹ 2.01 करोड़ एवं अवशेष 12 जनपदों द्वारा व्यय नहीं की गयी धनराशि ₹ 22 लाख समर्पित कर दी गयी।

59 लाभार्थियों[23] ***¼ifjf'k"V&4-9½*** के संयुक्त भौतिक सत्यापन में निम्न पाया गया :

- 57 लाभार्थियों के कैलिफोर्नियां केज क्षतिग्रस्त अवस्था में थे जबकि दो लाभार्थियों के पास उपलब्ध ही नहीं थे। इन 57 कैलिफोर्निया केजों में से 17 केज सुल्तानपुर अमेठी में ताला ग्राम के फैक्ट्री परिसर में डम्प किया गया था।

---

[21] आगरा, देवरिया, हाथरस, झांसी, महोबा, मिरजापुर, मुरादाबाद, और सोनभद्र

[22] अलीगढ, अम्बेडकरनगर, बलरामपुर, बांदा, बागपत, चित्रकूट, हमीरपुर, कौशाम्बी, ललितपुर, मैनपुरी, मेरठ, और उन्नाव

[23] 2007–08 : 31 एवं 2008–09 : 28

- 43 लाभार्थियों द्वारा केजों की सुरक्षा हेतु छप्पर की धनराशि (₹0.95 लाख) प्राप्त करने के बावजूद छप्पर का निर्माण नहीं किया गया था। जबकि 16 लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी।
- 28 लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें दवायें उपलब्ध नहीं करायी गयी थीं, जबकि सुल्तानपुर में दवायें पशु चिकित्सालय पर रखी थी।
- 46 लाभार्थियों ने बताया कि उन्हे आहार उपलब्ध नहीं कराया गया था।
- 57 लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें योजना से कोई लाभ नहीं हुआ।

[redacted]

इस प्रकार चूजों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने के कारण योजना, लाभार्थियों को वांछित लाभ देने में सफल नहीं हो सकी।

निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा बताया गया कि चूजों की अनुपलब्धता के कारण योजना के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हो गयी थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2010–11 से 16 सप्ताह के चूजों के स्थान पर एक दिवसीय चूजों की आपूर्ति का योजना की रूप रेखा में परिवर्तन कर दिया गया है।

4-1-7-7 i'kq vkgkj ,oa pkjk

बायोमास उत्पादन तथा चारागाह विकास द्वारा पशु आहार एवं चारा उत्पादन संसाधन में वृद्धि करने हेतु पशु आहार एवं चारा का उत्पादन सरकारी प्रक्षेत्रों पर प्रक्षेत्र के पशुधन हेतु किया जाता है। चारा बीज का उत्पादन करने के बाद जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों को किसानों के बेचने हेतु दिया जाता है। राज्य में दस सरकारी प्रक्षेत्र जिनका सकल क्षेत्रफल 3813.73 हे. है, में से 2135.09 हे. में कृषि की जाती है। हरा चारा, सूखा चारा एवं चारा बीजों का इन प्रक्षेत्रों पर उत्पादन का विवरण **lkj.kh 9** में दिया गया है।

lkj.kh 9 % ljdkjh i{k=k ij mRiknu dk fooj.k

¼{k=Qy gDV;j e ,o ek=k yk[k dUry e½

o"k	gjk pkjk		l[kk pkjk		pkjk cht		l[kk pkjk dk d;	
	y{;	ifr	y{;	ifr	y{;	ifr	ek=k	eY; ¼yk[k e½
2007-08	3.27	2.21	0.31	0.20	0.12	0.05	0.019	4.44
2008-09	2.42	2.19	0.64	0.33	0.19	0.11	0.044	13.80
2009-10	2.59	2.25	0.64	0.16	0.19	0.02	0.002	1.06
;kx	**8.28**	**6.65**	**1.59**	**0.69**	**0.50**	**0.18**	**0.065**	**19.30**

¼Lkkr% i'k ikyu foHkkx½

2007–10 की अवधि में हरा चारा एवं सूखा चारा के लक्ष्य 8.28 लाख कुन्तल एवं 1.59 लाख कुन्तल के सापेक्ष क्रमशः 6.65 एवं 0.69 लाख कुन्तल का उत्पादन हुआ था। चारा बीज का उत्पादन लक्ष्य 0.50 लाख कुन्तल के सापेक्ष 0.18 लाख कुन्तल था। यह भी पाया गया कि सकल कृषि योग्य क्षेत्रफल का केवल 1089.39 हे (51 प्रतिशत) क्षेत्रफल ही सिंचित था। चारे के कम उत्पादन के कारण विभाग को ₹ 19.30 लाख मूल्य का 0.07 लाख कुन्तल चारा क्रय करना पड़ा।

निदेशक, पशुपालन विभाग के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 2007–10 की अवधि में ₹ 3.51 करोड़ धनराशि के चारा बीज की आपूर्ति मुख्य पुश चिकित्सा अधिकारियों को की गयी थी, जिसे कृषकों को विक्रय किया जाना था जिसके सापेक्ष ₹ 3.11 करोड़ जमा हुआ तथा अवशेष ₹ 40.42 लाख मुख्य पुश चिकित्सा अधिकारियों के पास पड़ा हुआ था। नमूना जाँच के अन्तर्गत लिये गये जनपदों (इलाहाबाद, फतेहपुर तथा सुल्तानपुर) में चारा बीज विक्रय की धनराशि ₹ 7.84 लाख उनके बैंक खातों में पड़ी हुई थी।

निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा बताया गया (जनवरी 2011) कि अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति के कारण सिंचाई प्रभावित हुई। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं एवं प्रक्षेत्रों की घेरा बन्दी नहीं होने के कारण उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। उत्पादन हानि को बचाने के लिए विद्युत आपूर्ति में सुधार एवं प्रक्षेत्रों की घेरा बन्दी करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया।

4-1-8 fu"d"k

पशुपालन विभाग, जो राज्य अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है, को राज्य सरकार द्वारा कोई महत्व नहीं दिया गया। विभिन्न स्तरों एवं अस्पतालों पर स्टॉफ की कमी, योजना अनुदान में कमी तथा स्वीकृत बजट प्रावधान के सापेक्ष कम धन अवमुक्त किये जाने के कारण कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्वयन तथा सेवाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा। पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों का आवश्यकता के अनुसार निर्माण नहीं किया गया था तथा निर्मित पशु चिकित्सालय एवं पशु सेवा केन्द्रों को क्रियाशील नहीं बनाया गया था। बिना आवश्यकता के उपकरण क्रय किये गये थे। अस्पतालों पर आवश्यक दवाओं हेतु कम प्रावधान एवं असमान वैक्सीनों के वितरण से पशु सेवाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

4-1-9- lLrfr;k

- मूलभूत संरचनाओं को मजबूत करके और सेवा–प्रदान तंत्र में सुधार करके इस सेक्टर को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।
- पशुओं में उचित रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए आवश्यक वैक्सीनों एंव दवाओं/रसायनों के कय हेतु धन का पर्याप्त आंवटन किया जाना चाहिए।
- विभागीय संस्थान में वैक्सीनों की उपलब्धता में सुधार की दृष्टि से वैक्सीन निर्माण हेतु लाइसेन्स प्राप्त किया जाना चाहिए और निर्धारित योग्य कर्मिकों की तैनाती की जानी चाहिए।
- कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए गहन अनुश्रवण की आवश्यकता है।

bykgkckn — **¼ed'k ih flg½**
fnukd — **i/kku egky[kkdkj ¼flfoy vkfMV½**
mRrj in'k

ifrgLrk{kfjr

ubl fnYyh — **¼foukn jk;½**
fnukd — **Hkkjr d fu;=d ,o egky[kkijh{kd**

ifjf'k"V

Ikfjf'k"V&2-1-1

(lUnHkZ % iSLrj & 2-1-5-2(i"B la[;k 13 ,oa 19)

ikfIr 'kh"kZ esa tek /kujkf'k;k¡

(yk[k ₹ esa)

tuin	Lohd`fr dk o"kZ	dk"kkxkj esa ikfIr 'kh"kZ esa tek /kujkf'k	dk"kkxkj esa tek /kujkf'k dk o"kZ	fo/kk;dx.kksa }kjk viLrkfor /kujkf'k	vi.kZ dk;ksZa dh la[;k	/kujkf'k
मेरठ	2005-07	7.98	2008-09	7.98	--	--
गोरखपुर	2000-07	195.36	2008-09	66.37	226	128.99
श्रावस्ती	2005-08	11.77	2009-10	1.73	3	10.04
वाराणसी	2005-07	95.43	2009-10	77.54	44	17.89
बरेली	2005-07 2007-08	82.56 21.57	2008-09 2009-10	59.10	111	45.03
आगरा	2005-08	124.13	2008-09	16.40	126	107.73
बुलन्दशहर	1998-2008	139.24 46.77	2008-09 2009-10	152.46	79	33.55
सोनभद्र	2005-08	45.27	2008-09	20.99	20	24.28
मुजफ्फरनगर	2005-08	12.55	2009-10	12.55	--	--
इलाहाबाद	2005-07	222.23	2008-09	99.05	389	123.18
एटा	2005-07	116.39	2008-09	7.97	117	108.42
लखनऊ	2005-07	14.88	2008-09	14.88	--	--
;ksx		**1,136.13**		**537.02**	**1,115**	**599.11**

(lzksr % Mh0vkj0Mh0,0 dh vfHkys[kksa ls ladfyr)

Ikfjf'k"V&2-1-2

(lUnHkZ % iSLrj & 2-1-6-1(i"B l[;k 15)

dk;ksa ds iLrkoksa dk iLrqr djus esa foyEc

(djksM+ ₹ esa)

tuin	Lohd`r dk;ksa dh l[;k	foÙkh; o"kZ ds iFke =ekl ds lk'pkr iLrkfor dk;ksa dh l[;k (tqykbZ ls fnlEcj)		foÙkh; o"kZ ds vfre =ekl es iLrkfor dk;ksa dh l[;k (tuojh ls ekpZ)		foÙkh; o"kZ dh lekflr ds lk'pkr iLrkfor dk;ksa dh l[;k	
		dk;ksa dh l[;k	dk;ksa dh ykxr	dk;ksa dh l[;k	dk;ksa dh ykxr	dk;ksa dh l[;k	dk;ksa dh ykxr
बरेली	2,081	970	28.50	275	6.44	85	2.20
बुलन्दशहर	1,881	795	26.71	161	3.51	109	1.28
गोरखपुर	2,203	1,135	34.69	339	8.84	97	2.10
मऊ	714[1]	221	8.31	10	0.87	4	0.15
मुजफ्फरनगर	2,659	1,302	32.26	208	4.08	शून्य	शून्य
सोनभद्र	490	235	8.90	95	3.01	शून्य	शून्य
एटा	1,378	697	11.49	113	5.03	48	1.88
उन्नाव	1,668	1,046	40.12	297	11.73	शून्य	शून्य
सहारनपुर	7,614	3,144	29.27	1,182	5.78	3	0.05
;kx	**20,688**	**9,545**	**220.25**	**2,680**	**49.29**	**346**	**7.66**

(lkzr % MhOvkj0MhO,0 ds vfHkys[kk ls ladfyr)

[1] 2008–09 से 2009–10 तक के ऐसे प्रस्ताव, जिनकी तिथि प्रगति आख्या में अंकित थी।

lkfjf'k"V&2-1-3

(lUnHkZ% iSLrj & 2-1-6-2(i"B la[;k 16)

fo/kk;dx.kksa }kjk Ldwy Hkouksa d s fy;s 40 izfr'kr ls 70 izfr'kr rd Lohd`r /kujkf'k

(yk[k ₹ esa)

tuin	fo/kkulHkk {ks=	o"kZ	dk;ksZa dh la[;k	vkcfVr /kujkf'k	Lohd`r /kujkf'k	izfr'kr
आगरा	एम0एल0सी0	2007-08	7	125	63.00	50%
	दयालबाग	2005-06	10	100	59.70	60%
		2006-07	10	100	54.68	55%
	एम0एल0सी0	2007-08	10	125	64.00	51%
	फतेहाबाद	2005-06	7	100	52.41	52%
		2006-07	8	100	48.75	49%
	एम0एल0सी0	2006-07	7	100	44.50	45%
गोरखपुर	सहजनवां	2005-06	11	100	47.00	47%
		2007-08	7	125	60.21	48%
		2009-10	14	125	63.97	51%
	मानीराम	2006-07	14	100	55.00	55%
	चिल्लूपार	2006-07	4	100	52.00	52%
	कौड़ीराम	2005-06	9	100	55.99	56%
		2009-10	13	125	78.99	63%
	धुरियापार	2008-09	15	125	67.41	54%
	बांसगांव	2006-07	10	100	40.58	41%
	एम0एल0सी0	2009-10	10	125	49.50	40%
वाराणसी	एम0एल0सी0	2008-09	20	125	51.00	41%
	एम0एल0सी0	2005-06	5	100	45.00	45%
मथुरा	गोवर्धन	2006-07	15	100	52.70	53%
	एम0एल0सी0	2005-06	9	100	50.82	51%
मेरठ	एम0एल0सी0	2006-07	37	100	56.15	56%
		2009-10	32	125	65.61	52%
बुलन्दशहर	अनूपशहर	2005-06	33	100	48.92	49%
मऊ	नाथुपुर	2006-07	19	100	59.02	59%
	मोहम्मदाबाद	2005-06	38	100	62.51	62%
		2006-07	28	100	53.78	54%
	एम0एल0सी0	2009-10	8	125	61.00	49%
उन्नाव	एम0एल0सी0	2009-10	15	125	77.00	62%
	सफीपुर	2005-06	16	100	60.52	61%
	बांगरमऊ	2006-07	19	100	44.75	45%
		2009-10	21	125	74.69	60%
	भगवन्तनगर	2006-07	18	100	50.13	50%
		2007-08	6	125	49.55	40%
	हरहा	2008-09	7	125	84.00	67%
		2009-10	7	125	69.00	55%
	हसनगंज	2008-09	12	125	71.00	57%
		2009-10	16	125	84.00	67%
एटा	एटा	2005-06	11	100	46.52	47%
		2006-07	10	100	47.46	47%
	जलेसर	2005-06	14	100	50.43	50%
		2006-07	12	100	51.50	51%
	एम0एल0सी0	2006-07	8	100	42.60	43%
	साकीत	2008-09	6	125	76.00	61%
	एम0एल0सी0	2005-06	9	100	50.00	50%
		2006-07	10	100	50.00	50%
		2007-08	11	125	64.92	52%
		2008-09	10	125	81.50	65%
	सोरांव	2008-09	12	125	78.50	63%
	कासगंज	2007-08	9	125	63.79	51%
	अलीगंज	2007-08	8	125	80.00	64%
बरेली	बरेली कैन्ट	2005-06	12	100	50.80	51%
		2006-07	17	100	51.87	52%
		2007-08	15	125	71.05	57%
		2008-09	20	125	83.86	67%
	काँवर	2007-08	15	125	60.89	49%
		2009-10	12	125	54.68	44%

	आँवला	2008-09	36	125	82.50	66%
इलाहाबाद	इलाहाबाद (पश्चिम)	2007-08	16	125	57.00	46%
		2008-09	14	125	61.00	49%
	झूंसी	2006-07	16	100	46.37	46%
		2008-09	22	125	80.00	64%
	करछना	2009-10	24	125	79.46	64%
	मेजा	2008-09	25	125	53.00	42%
		2009-10	21	125	53.80	43%
	एम0एल0सी0	2005-06	28	100	65.45	65%
		2006-07	20	100	69.52	70%
		2007-08	16	125	50.25	40%
		2008-09	13	125	54.50	44%
	सोरांव	2005-06	23	100	58.71	59%
		2007-08	15	125	56.91	46%
	प्रतापपुर	2009-10	22	125	53.00	42%
	इलाहाबाद	2007-08	36	125	55.00	44%
		2009-10	39	125	84.38	68%
	नवाबगंज	2008-09	25	125	73.00	58%
	एम0एल0सी0	2008-09	17	125	54.00	43%
		2009-10	27	125	54.50	44%
;ksx			**1,223**	**8,775**	**4,627.56**	

(lzksr % Mh0vkj0Mh0,0 ds vfHkys[kksa ls ladfyr)

Ikfjf'k"V&2-1-4

(lUnHkZ % iSLrj & 2-1-6-2(i"B la[;k 16)

fo/kk;dx.kksa }kjk Ldwy Hkouksa ds fy;s 71 izfr'kr ls 100 izfr'kr rd Lohd`r /kujkf'k

(yk[k ₹ esa)

tuin	fo/kkulHkk {ks=	o"kZ	dk;ksZa dh la[;k	vkcafVr /kujkf'k	Lohd`r /kujkf'k	izfr'kr
आगरा	एम0एल0सी0	2009-10	14	125	125.05	100%
	एम0एल0सी0	2009-10	10	125	88.30	71%
	एम0एल0सी0	2008-09	19	125	88.10	71%
		2009-10	27	125	128.48	100%
	आगरा छावनी	2005-06	9	100	88.51	89%
		2006-07	7	100	81.87	82%
	एम0एल0सी0	2005-06	14	100	87.30	87%
गोरखपुर	कौड़ीराम	2006-07	9	100	84.00	84%
	सहजनवा	2006-07	16	100	82.46	82%
मथुरा	गोकुल	2005-06	12	100	81.00	81%
		2006-07	10	100	79.00	79%
मऊ	नाथूपुर	2005-06	29	100	91.79	92%
		2008-09	22	125	122.24	98%
		2009-10	25	125	120.00	96%
	मोहम्मदाबाद	2007-08	29	125	109.92	88%
		2008-09	26	125	92.02	74%
	घोसी	2007-08	19	125	101.50	81%
उन्नाव	भगवन्त नगर	2008-09	16	125	151.89	100%
		2009-10	9	125	114.76	92%
एटा	जलेसर	2008-09	19	125	102.50	82%
	एम0एल0सी0	2005-06	15	100	96.93	94%
		2007-08	22	125	133.00	100%
		2008-09	11	125	108.00	86%
	साकीत	2005-06	15	100	87.20	87%
		2006-07	14	100	84.16	84%
		2007-08	17	125	125.75	100%
	नाथुलिकला	2007-08	14	125	103.41	83%
		2008-09	22	125	125.00	100%
	कासगंज	2008-09	12	125	98.33	79%
	पटियाली	2008-09	10	125	105.63	84%
बरेली	बरेली कैन्ट	2009-10	20	125	91.45	73%
	काँवर	2008-09	20	125	87.74	70%
इलाहाबाद	झूंसी	2009-10	26	125	88.30	71%
	एम0एल0सी0	2009-10	14	125	95.10	76%
	सोराँव	2006-07	25	100	77.50	78%
		2008-09	33	125	134.74	100%
		2009-10	24	125	94.65	76%
	इलाहाबाद	2008-09	53	125	88.25	71%
	नवाबगंज	2009-10	32	125	98.00	78%
;ksx			**740**	**4,575**	**3,943.83**	

(lzksr % Mh0vkj0Mh0,0 ds vfHkys[kksa ls ladfyr)

Ikfjf'k"V&2-1-5

(lUnHk % iLrj & 2-1-6-3(i"B l[;k 17)

dk;k dh Lohdfr e foyEc

(djkM ₹ e)

tuin dk uke	Lohdr dk;k dh l[;k	45 fnuk dh vof/k d i'pkr Lohdr dk;k dh l[;k		45 fnuk dh vof/k d Ik'pkr Lohdr dk;k dh l[;k 1 l 90 fnu		45 fnuk dh vof/k d Ik'pkr Lohdr dk;k dh l[;k 91 fnu ,o vf/kd	
		dk;k dh l[;k	Lohdr /kujkf'k	dk;k dh l[;k	Lohdr /kujkf'k	dk;k dh l[;k	Lohdr /kujkf'k
बरेली	2,081	935	22.95	711	18.70	224	4.25
बुलन्दशहर	1,881	329	9.39	135	4.17	194	5.22
गोरखपुर	2,203	1,069	35.38	865	29.53	204	5.85
मऊ	714[2]	174	5.56	80	2.81	94	2.75
मुजफ्फरनगर	2,659	198	3.41	148	2.58	50	0.83
सोनभद्र	490	57	2.38	45	2.01	12	0.37
एटा	1,378	299	13.98	174	7.58	125	6.40
उन्नाव	1,668	489	14.03	358	10.09	131	3.94
सहारनपुर	7,614	979	10.05	871	7.37	108	2.68
;kx	**20,688**	**4,529**	**117.13**	**3,387**	**84.84**	**1,142**	**32.29**

(lkr % Mh0vkj0Mh0,0 d vfHkys[kk l ladfyr)

[2] 2008–09 से 2009–10 तक के ऐसे प्रस्ताव, जिनकी तिथि प्रगति आख्या में अंकित थी।

lkfj'k"V&2-1-6

(lUnHkZ % iLrj & 2-1-7-1(i"B la[;k 19)

2005&10 dh vof/k esa fuf/k ds vUrxZr vkeUf; dk;ksZa dk p;u

(yk[k ₹ esa)

tuin	ljdkjh dk;kZy;ksa ds ifjlj esa Hkou] iLrdky; ,oa fVu 'kSM dk fuekZ.k ,oa mlds uohuhdj.k bR;kfn		Dyc] lgdkjh lfefr;ksa] futh lLFkkuksa@lxBuksa gsrq iLrdky;] Hkou] dEI;wVjksa dk Ø;		efUnj] vkJe] etkj bR;kfn ds ifjlj esa fuekZ.k dk;Z		fofHkUu iqy@iqfy;k bR;kfn dh ejEer ,oa uohuhdj.k ds dk;Z		fuf/k dh /kujkf'k;ksa ls ifrcaf/kr py lkexzh;ksa dk Ø;		fupys fn;s x;s fooj.k ds vuqlkj fofHkUu izdkj ds fofo/k vkeUf; dk;ksZa dk fuekZ.k			;ksx	
	dk;ksZa dh la[;k	/kujkf'k	dk;ksZa dh la[;k	/kujkf'k	dk;ksZa dh la[;k	/kujkf'k	dk;ksZa dh la[;k	/kujkf'k	dk;ksZa dh la[;k	/kujkf'k	dk;ksZa dh la[;k	/kujkf'k	dk;Z dh idfr	dk;ksZa dh la[;k	/kujkf'k
eÅ	3	4.60	4	10.86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	**7**	**15.46**
cqyUn'kgj	3	8.57	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	**3**	**8.57**
bykgkckn	6	23.10	1	2.94	3	9.39	--	--	--	--	1	2.04	अस्थाई प्रकृति का निर्माण कार्य	**11**	**37.47**
,Vk	6	14.39	2	3.87	1	2.77	--	--	--	--	--	--	--	**09**	**21.03**
mUuko	5	7.38	1	1.00	--	--	--	--	1	3.46	--	--	--	**7**	**11.84**
y[kuÅ	7	27.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	**7**	**27.3**
lkuHknz	5	21.88	--	--	4	8.46	--	--	--	--	2	14.33	अम्बेडकर पार्क के अन्दर कक्ष एवं अम्बेडकर स्मारक की चाहरदीवारी का निर्माण	**11**	**44.67**
JkoLrh	1	6.87	--	--	2	11.52	--	--	--	--	1	3.87	स्मारक के शेड का निर्माण	**4**	**22.26**
cjsyh	1	1.40	--	--	1	1.78	1	5.50	--	--	--	--	--	**3**	**8.68**
esjB	--	--	2	4.73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	**2**	**4.73**
lgkjuiqj	3	11.44	1	5.06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	**4**	**16.50**
xksj[kiqj	12	36.65	--	--	--	--	6	21.91	2	22.00	3	11.82	ग्लो साईन बोर्ड	**23**	**92.38**
pUnkSyh	--	--	2	4.00	1	3.06	1	0.75	--	--	40	61.17	अस्थाई प्रकृति का निर्माण कार्य एवं तालाब का सौन्दर्यीकरण	**44**	**68.98**

okjk.klh	3	27.84	3	28.47	--	--	--	--	2	5.21	5	47.37	संस्थान के अन्तर्गत सड़क, सीवर लाईन का निर्माण एवं स्टेडियम में मिट्टी का काम	**13**	**108.89**
eFkqjk	2	2.91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	**--**	**2**	**2.91**
>kalh	2	7.65	--	--	4	8.77	--	--	--	--	--	--	**--**	**6**	**16.42**
vkxjk	2	9.00	--	--	--	--	--	--	--	--	1	3.29	स्मारक के शेड का निर्माण	**3**	**12.29**
;ksx	**61**	**210.98**	**16**	**60.93**	**16**	**45.75**	**8**	**28.16**	**5**	**30.67**	**53**	**143.89**		**159**	**520.38**

(lzksr % MhOvkj0Mh0,0 ds vfHkys[kksa ls ladfyr)

lkfjf'k"V&2-1-7

(lUnHkZ % izLrj & 2-1-7-3(i"B la[;k 22)

vukf/kd`r dk;Znk;h laLFkkvksa d s p;u ls dk;ksZa dk viw.kZ jguk

(yk[k ₹ esa)

tuin@laLFkk;sa	o"kZ	dqy dk;ksZa dh la[;k	Lohd`r ykxr	voeqDr	0;;	vo'ks"k	vukjEHk dk;Z	Lohd`r	voeqDr	vo'ks"k	viw.kZ dk;Z	Lohd`r	voeqDr	0;;	vo'ks"k
eÅ															
उत्तर प्रदेश श्रम एवं सहकारी संघ	2008-09	28	63.33	59.73	59.73	0	0	0	0	0	16	14.06	10.46	10.46	0
	2009-10	3	8.07	4.84	4.84	0	0	0	0	0	3	8.07	4.84	4.84	0
cyUn'kgj															
उत्तर प्रदेश श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ	2007-08	4	20.50	18.54	18.54	0	0	0	0	0	2	4.88	2.92	2.92	0
	2008-09	1	20.98	11.15	11.15	0	0	0	0	0	1	20.98	11.15	11.15	0
mUuko															
उत्तर प्रदेश सहकारी निर्माण एवं विकास संघ	2008-09	17	104.38	71.36	71.36	0	0	0	0	0	7	43.48	33.02	33.02	0
	2009-10	31	137.16	88.62	88.62	0	0	0	0	0	31	137.16	88.62	88.62	0
xksj[kiqj															
उत्तर प्रदेश श्रम एवं सहकारी संघ लिमिटेड	2007-08	122	317.60	306.50	292.39	14.11	0	0	0	0	29	86.71	75.99	61.88	14.11
	2008-09	86	251.01	232.51	204.21	28.30	0	0	0	0	37	78.36	59.80	31.50	28.30
	2009-10	45	164.10	112.41	64.15	48.26	7	56.40	33.91	33.91	38	107.69	78.50	64.15	14.35
भारतीय कोआपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड	2008-09	86	256.03	234.16	232.66	1.50	0	0	0	0	14	85.13	65.52	64.02	1.50
	2009-10	34	97.86	59.58	56.65	2.93	1	4.56	2.75	2.75	33	93.29	56.83	56.65	0.18
उत्तर प्रदेश सहकारी निर्माण एवं विकास संघ लिमिटेड	2008-09	26	83.91	78.9	69.07	9.83	0	0	0	0	14	61.417	56.574	46.74	9.83
	2009-10	68	178.3	108.8	95.09	13.71	1	7	4.48	4.48	64	166.77	100.25	91.02	9.23
JkoLrh															
उत्तर प्रदेश श्रम एवं निर्माण संघ लिमिटेड	2008-09	17	62.66	56.86	54.82	2.04	0	0	0	0	8	23.18	17.38	15.34	2.04
	2009-10	40	53.22	31.93	31.93	0	0	0	0	0	40	53.22	31.93	31.93	0
उत्तर प्रदेश सहकारी निर्माण एवं विकास संघ लिमिटेड	2008-09	15	74.79	66.9	64.15	2.75	0	0	0	0	5	31.54	23.65	20.9	2.75
	2009-10	34	150.91	92.21	85.49	6.72	1	8.96	6.72	6.72	33	141.94	85.49	85.49	0
>kalh															
उत्तर प्रदेश सहकारी निर्माण एवं विकास संघ लिमिटेड	2008-09	74	272.05	263.4	262.21	1.19	0	0	0	0	8	33.68	25.03	23.84	1.19
	2009-10	38	180.17	108.07	87.73	20.34	0	0	0	0	38	180.17	108.07	87.73	20.34
भारतीय कोआपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड	2007-08	24	59.99	56.51	56.51	0	0	0	0	0	5	13.81	10.33	10.33	0
	2008-09	90	232.64	218.98	218.98	0	0	0	0	0	15	54.49	40.83	40.83	0
	2009-10	38	158.14	94.89	89.68	5.21	0	0	0	0	38	158.14	94.89	89.68	5.21
vkxjk															
उत्तर प्रदेश सहकारी निर्माण एवं विकास संघ लिमिटेड	2008-09	86	145.29	138.33	138.33	0	0	0	0	0	5	3.19	2.40	2.40	0
	2009-10	92	205.05	135.13	115.10	20.03	13	33.5	19.71	19.71	70	155.69	99.57	99.25	0.32
eFkqjk															
उत्तर प्रदेश सहकारी निर्माण एवं विकास संघ लिमिटेड	2007-08	41	152.53	150.2	149.13	1.07	0	0	0	0	12	12.7	10.37	9.30	1.07
	2008-09	17	76.26	72.33	70.53	1.80	0	0	0	0	8	15.73	11.8	10.00	1.80
	2009-10	1	5.32	3.99	3.99	0	0	0	0	0	1	5.32	3.99	3.99	0
;ksx		**1,158**	**3,532.83**	**2,876.83**	**2697.04**	**179.79**	**23**	**110.42**	**67.57**	**67.57**	**575**	**1790.80**	**1210.20**	**1097.98**	**112.22**

(lzksr % Mh0vkj0Mh0,0 ds vfHkys[kksa ls ladfyr)

ifjf'k"V&2-1-8

(lUnHkZ % iLrj & 2-1-7-4(i"B l[;k 22)

ekMy ikDdyu d vk/kkj ij u djk;s x;s fueZk.k dk;kZ dk fooj.k

tuin	o"kZ	dk;Z dh izd`fr	Lohd`r dk;ksZa dh la[;k: dk;ksZa dh la[;k	ykxr (yk[k ₹ esa)	iR;sd dk;Z dh U;wure ,oa vf/kdre ykxr (yk[k ₹ esa)
गोरखपुर	2005-06	बारात घर	14	43.32	0.81 से 8.54
	2006-07		23	53.21	1.92 से 6.02
	2007-08		8	24.64	1.97 से 3.86
	2008-09		4	34.03	3 से 24.97
	2009-10		10	41.95	1.58 से 12.21
	2005-06	रैन बसेरा	5	25.36	3 से 9.58
वाराणसी	2005-06	बारात घर	5	15.94	0.50 से 9.95
	2006-07		2	3.35	1.35 से 2.00
	2009-10		2	16.26	4.13 से 12.13
श्रावस्ती	2009-10	रैन बसेरा	7	47.47	3.77 से 9.89
आगरा	2006-07	बारात घर	11	23.91	1.64 से 4.57
	2007-08		5	16.17	3.23 से 3.25
	2008-09		3	8.94	2.50 से 3.22
	2009-10		14	64.23	3.38 से 5.83
मेरठ	2005-06	यात्री शेड	6	8.22	0.52 से 5.15
	2006-07		14	10.90	0.51 से 0.93
	2008-09		2	1.83	0.90 से 0.93
	2009-10		2	1.91	0.95 से 0.96
	2005-06	बारात घर	2	3.61	1.10 से 2.51
	2006-07		11	18.36	0.94 से 3.50
	2007-08		25	96.12	2.22 से 7.37
	2008-09		4	22.41	3.38 से 7.78
	2009-10		3	22.22	4.66 से 8.94
बुलन्दशहर	2005-06	यात्री शेड	12	5.78	0.35 से 0.59
	2006-07		8	4.14	0.42 से 0.67
	2008-09		4	5.05	0.77 से 1.49
मुजफ्फरनगर	2005-06	बारात घर	3	9.35	3 से 3.33
	2006-07		2	6.51	3.01 से 3.50
	2008-09		2	7.98	3.98 से 4
	2009-10		15	42.18	1.32 से 5.32
एटा	2005-06	बारात घर	13	27.33	1.37 से 4.59
	2006-07		24	40.03	1 से 2.30
	2005-06	यात्री शेड	5	3.36	0.48 से 1
	2006-07		6	3.74	0.52 से 0.73
उन्नाव	2005-06	बारात घर	2	4.37	1.37 से 3
	2006-07		13	19.87	1.22 से 1.61
	2007-08		27	69.20	1.74 से 4.93
	2008-09		7	17.78	1.90 से 3.20
	2009-10		18	52.93	2.61 से 4.62
	2006-07	रैन बसेरा	2	3.63	0.63 से 3
	2007-08	यात्री शेड	2	3.17	0.70 से 2.47
सोनभद्र	2005-06	बारात घर	2	6.18	3 से 3.18
	2006-07		5	25.60	5 से 5.50
	2009-10		3	25.00	5 से 10
	2005-06	यात्री शेड	2	2.76	1.26 से 1.50
;ksx			**359**	**990.30**	

(lzksr % MhOvkj0Mh0,0 ds vfHkys[kksa ls ladfyr)

Ikfjf'k"V&2-1-9

(lUnHkZ % iLrj & 2-1-9(i"B la[;k 24)

dk;ksZa dk i;kZIrk vfHkdj.kksa dks gLrkUrfjr u fd;k tkuk

(djksM+ ₹ esa)

Ø0 la0	tuin	Lohd`r dk;ksZa dh la[;k ¼2005&10½	i.kZ ,oa gLrkarfjr u fd;s x;s dk;ksZa dh la[;k ¼2005&10½		dk;Znk;h laLFkkvksa ds uke
			la[;k	ykxr	
1.	मेरठ	5,642	1,322	38.92	ख0वि0अ0, डूडा, ग्रा0अभि0से0, जि0ग0अ0 एवं पैक्सफेड
2.	वाराणसी	1,426	665	20.94	ख0वि0अ0, ग्रा0अभि0से0, यू0पी0एस0के0एन0एन0, जि0ग0अ0, पैक्सफेड एवं उ0प्र0श्र0 एवं नि0स0लि0
3.	गोरखपुर	2,203	927	28.76	जि0ग0अ0, यू0पी0एस0के0एन0एन0, पैक्सफेड, ख0वि0अ0, उ0प्र0श्र0 एवं स0स0लि0, ग्रा0अभि0से0, भा0को0ग्रा0वि0 एवं नि0लि0 और उ0प्र0स0नि0 एवं वि0स0लि0
4.	झांसी	1,137	640	19.36	ख0वि0अ0, भा0को0ग्रा0वि0 एवं नि0लि0, ग्रा0अभि0से0 और उ0प्र0स0नि0 एवं वि0स0लि0
5.	आगरा	2,232	1,162	34.83	ग्रा0अभि0से0, यू0पी0एस0के0एन0एन0, यू0पी0एस0आई0सी0 ख0वि0अ0, यू0पी0पी0सी0एल0, आवास विकास परिषद और उ0प्र0स0नि0 एवं वि0स0लि0
6.	मथुरा	1,374	560	16.27	यू0पी0पी0सी0एल0, ख0वि0अ0, ग्रा0अभि0से0, उ0प्र0स0नि0 एवं वि0स0लि0 एवं यू0पी0एस0के0एन0एन0
7.	बरेली	2,081	1,153	31.97	ग्रा0अभि0से0, ख0वि0अ0 और यू0पी0एस0आई0सी0, मुरादाबाद
8.	सहारनपुर	7,614	1,553	43.82	ख0वि0अ0, पैक्सफेड, डूडा, जि0ग0अ0 एवं ग्रा0अभि0से0
9.	चन्दौली	1,115	507	12.82	ग्रा0अभि0से0, ख0वि0अ0, पैक्सफेड, उ0प्र0स0नि0 एवं वि0स0लि0 एवं उ0प्र0श्र0 एवं नि0स0लि0
10.	श्रावस्ती	372	185	7.37	उ0प्र0स0नि0 एवं वि0स0लि0, यू0पी0पी0सी0एल0, ग्रा0अभि0से0, उ0प्र0श्र0 एवं नि0स0लि0 एवं पैक्सफेड
11.	इलाहाबाद	3,270	1,033	29.77	ग्रा0अभि0से0, ख0वि0अ0, डूडा एवं यू0पी0सी0सी0एल0,
12.	बुलन्दशहर	1,881	941	30.28	ग्रा0अभि0से0, ख0वि0अ0, उ0प्र0श्र0 एवं स0स0लि0, डूडा, जि0ग0अ0, यू0पी0एस0के0एन0एन0 एवं यू0पी0एस0आई0सी0
13.	सोनभद्र	490	288	15.89	ग्रा0अभि0से0, ख0वि0अ0, पैक्सफेड एवं यू0पी0पी0सी0एल0
14.	उन्नाव	1,668	731	22.18	ग्रा0अभि0से0, ख0वि0अ0, यू0पी0पी0सी0एल0, यू0पी0एस0के0एन0एन0, यू0पी0एस0आई0सी0 एवं यू0पी0आर0एन0एन0
15.	मुजफ्फरनगर	2,659	2,163	60.74	ग्रा0अभि0से0, ख0वि0अ0, पैक्सफेड, डूडा एवं जि0ग0अ0
16.	एटा	1,378	600	17.14	ग्रा0अभि0से0, ख0वि0अ0 एवं यू0पी0एस0के0एन0एन0
17.	लखनऊ	4,850	757	22.73	ग्रा0अभि0से0, ख0वि0अ0, पैक्सफेड, डूडा, यू0पी0एस0के0एन0एन0, यू0पी0एस0आई0सी0, बी0एस0ए0 और उ0प्र0श्र0 एवं नि0स0स0लि0
18.	मऊ	5,514	159	7.92	ग्रा0अभि0से0, ख0वि0अ0 और उ0प्र0श्र0 एवं नि0स0स0लि0
	;kx	**46,906**	**15,346**	**461.71**	

(lzksr % Mh0vkj0Mh0,0 ds vfHkys[kksa ls ladfyr)

ख0वि0अ0	खण्ड विकास अधिकारी
डूडा	जिला शहरी विकास अभिकरण
ग्रा0अभि0से0	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा
जि0ग0अ0	जिला गन्ना अधिकारी
यू0पी0आर0एन0एन0	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
पैक्सफेड	उत्तर प्रदेश सहकारी विधायन एवं शीतगृह संघ लिमिटेड
यू0पी0एस0के0एन0एन0	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम
उ0प्र0श्र0 एवं नि0स0लि0	उत्तर प्रदेश श्रम एवं निर्माण संघ लिमिटेड
उ0प्र0श्र0 एवं नि0स0स0लि0	उत्तर प्रदेश श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड
भा0को0ग्रा0वि0 एवं नि0लि0	भारतीय कोआपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड
उ0प्र0स0नि0 एवं वि0स0लि0	उत्तर प्रदेश सहकारी निर्माण एवं विकास संघ लिमिटेड
उ0प्र0श्र0 एवं स0स0लि0	उत्तर प्रदेश श्रम एवं सहकारी संघ लिमिटेड
यू0पी0एस0आई0सी0	उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम
यू0पी0पी0सी0एल0	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड
बी0एस0ए0	भूमि संरक्षण अधिकारी

lkfjf'k"V&2-1-10

(lUnHk % iLrj & 2-1-7-5(i"B l[;k 24)

gkb ekLV@lseh gkb ekLV ykbVk dk fooj.k

(yk[k ₹ e)

tuin	o"k	ykbVk dh l[;k	Lohdr /kujkf'k	fo/kku lHkk {k=
cjyh	2006-07	7	6.31	1
	2007-08	134	123.38	4
	2008-09	281	297.27	7
xkj[kij	2005-06	5	5.49	1
	2006-07	29	32.83	4
	2007-08	91	127.37	10
	2008-09	102	138.39	7
	2009-10	115	156.05	6
JkoLrh	2005-06	5	6.99	1
	2009-10	26	27.29	2
;kx		795	921.37	43

(lkr % Mh0vkj0Mh0,0 d vfHky[kk l ldfyr)

ifjf'k"V & 2.3.1

¼lanHkZ% iSLrj 2.3.7.1 i`"B la[;k 44½

uohuhdj.k gsrq okfNr ekxZ dh yEckbZ

(fdeh es)

o"kZ	ekxksZ dh yEckbZ					Lkkbfdy ds vuqlkj uohuhdj.k gsrq okfNr ekxZ dh yEckbZ				
	jkT; ekxZ	eq[; ftyk ekxZ	vU; ftyk ekxZ	xzkeh.k ekxZ	;ksx	jkT; ekxZ	eq[; ftyk ekxZ	vU; ftyk ekxZ	xzkeh.k ekxZ	;ksx
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
2005-06	8,552	7,345	29,179	76,462	1,21,538	2,138	1,836	5,836	9,558	19,368
2006-07	8,449	7,344	30,133	82,250	1,28,176	2,112	1,836	6,027	10,281	20,256
2007-08	8,391	7,336	30,924	96,257	1,42,908	2,098	1,834	6,185	12,032	22,149
2008-09	8,739	7,101	31,257	1,08,194	1,55,291	2,185	1,775	6,251	13,524	23,735
2009-10	7,922	7,071	31,238	1,17,199	1,63,430	1,981	1,768	6,248	14,650	24,647

(L=ksr: iseq[k vfHk;ark] yks0fu0fo0]y[kuÅ)

ifjf'k"V & 2.3.2

¼lanHkZ iSLrj 2.3.7.1 i"B l[;k 45½

ekxksZ ds uohuhdj.k esa deh izn'kZr djus okyk fooj.k

o"kZ	ekxksZ dh yEckbZ ¼fdeh eas½	lkbfdy ds vuqlkj uohuhdj.k ds fy, vif{kr ekxksZ dh yEckbZ ¼fdeh eas½	lkbfdy ds vuqlkj uohuhdj.k ds fy, vif{kr ekxksZ dh yEckbZ ds izfr fd0eh0 ujfVo dkLV ¼₹ yk[k eas½	lkbfdy ds vuqlkj uohuhdj.k ds fy, vif{kr ekxksZ dh yEckbZ ds fy, fuf/k dh vko';drk (₹ djksM+ esa)	fu/kkZfjr y{;		fu/kkZfjr y{; ds lkis{k miyfC/k		ctV izLrko ds vuqlkj izkfo/kku	
					jk0 l0fu0 ds vUrxZr uohuhdj.k ¼fdeh eas½	dk;Z&4 ds vuqlkj uohuhdj.k dh ykxr (₹ djksM+ esa)	ekxksZ dh yEckbZ ¼fdeh eas½	dk;Z&4 ds vuqlkj miyfC/k dh ykxr (₹ djksM+ esa)	ekxksZ dh yEckbZ ¼fdeh eas½	ctV izkfo/kku (₹ djksM+ esa)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2007-08	1,42,908	22,149	3.5	775.22	7,910	267.85	5,259	184.07	17,500	451
2008-09	1,55,291	23,735	3.00	712.05	9,012	270.36	6,958	208.74	11,900	350
2009-10	1,63,430	24,647	3.5	862.65	11,029	386.02	8,517	298.10	11,900	416
;ksx	4,61,631	70,534		2,354.92	27,957	931.23	20,742	699.91	41,310	1,228

(L=ksr: izeq[k vfHk;Urk] yks0fu0fo0]y[kuÅ)

ifjf'k"V & 2.3.3

(lnHkZ: iLrj 2.3.7.3; i"B l[;k 46)

dk;ksZ dh rduhdh Lohdfr ls iwoZ 0;; izkIr'kr djus okyk fooj.k

(₹ yk[k esa)

de l0	dk;Z dk uke	Lohd`fr dk fnukad	Lohd`r ykxr	rduhdh Lohd`fr dk fnukad	foyEc ekg esa	rduhdh Lohd`fr ls iwoZ 0;;
1	2	3		4	5	6
	fuekZ.k [k.M&1] yk0fu0fo0] xksj[kiqj (v)					
1.	वर्ष 2008–09 में रा0स0नि0 में डा0अम्बेडकर ग्रा0स0वि0यो0 के अन्तर्गत शहरी संपर्क मार्ग की मरम्मत एवं सुधार कार्य	19-5-08	19.30	4/10 तक तकनीकी स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी	23	19.30
2.	वर्ष 2008–09 में रा0स0नि0 में डा0अम्बेडकर ग्रा0स0वि0यो0 के अन्तर्गत केशवाखोर संपर्क मार्ग की मरम्मत एवं सुधार कार्य	19-5-08	18.10	4/10 तक तकनीकी स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी	23	18.10
3.	वर्ष 2008–09 में रा0स0नि0 में डा0अम्बेडकर ग्रा0स0वि0यो0 के अन्तर्गत पाली संपर्क मार्ग की मरम्मत एवं सुधार कार्य	19-5-08	12.10	4/10 तक तकनीकी स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी	23	12.10
4.	वर्ष 2008–09 में रा0स0नि0 में डा0अम्बेडकर ग्रा0स0वि0यो0 के अन्तर्गत डिहवा संपर्क मार्ग की मरम्मत एवं सुधार कार्य	19-5-08	12.00	4/10 तक तकनीकी स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी	23	12.00
5.	वर्ष 2008–09 में रा0स0नि0 में डा0अम्बेडकर ग्रा0स0वि0यो0 के अन्तर्गत बडी कुरमौल संपर्क मार्ग की मरम्मत एवं सुधार कार्य	19-5-08	17.40	4/10 तक तकनीकी स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी	23	17.40
6.	वर्ष 2008–09 में रा0स0नि0 में डा0अम्बेडकर ग्रा0स0वि0यो0 के अन्तर्गत गोरखपुर रजवाहा संपर्क मार्ग की मरम्मत एवं सुधार कार्य	19-5-08	28.20	4/10 तक तकनीकी स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी	23	28.20
7.	वर्ष 2008–09 में रा0स0नि0 में डा0अम्बेडकर ग्रा0स0वि0यो0 के अन्तर्गत सिरूआपर संपर्क मार्ग की मरम्मत एवं सुधार कार्य	19-5-08	11.80	4/10 तक तकनीकी स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी	23	11.80
8.	वर्ष 2008–09 में रा0स0नि0 में डा0अम्बेडकर ग्रा0स0वि0यो0 के अन्तर्गत चांदपार संपर्क मार्ग की मरम्मत एवं सुधार कार्य	19-5-08	15.00	4/10 तक तकनीकी स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी	23	15.00
9.	वर्ष 2008–09 में रा0स0नि0 में डा0अम्बेडकर ग्रा0स0वि0यो0 के अन्तर्गत घोटवा सरैया संपर्क मार्ग की मरम्मत	19-5-08	11.80	4/10 तक तकनीकी स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी	23	11.80
10.	वर्ष 2008–09 में रा0स0नि0 में डा0अम्बेडकर ग्रा0स0वि0यो0 के अन्तर्गत कोडरी कला संपर्क मार्ग की मरम्मत	19-5-08	14.90	4/10 तक तकनीकी स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी	23	14.90
11.	वर्ष 2008–09 में रा0स0नि0 में डा0अम्बेडकर ग्रा0स0वि0यो0 के अन्तर्गत छपिया संपर्क मार्ग की मरम्मत	19-5-08	6.00	4/10 तक तकनीकी स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी	23	6.00
12.	वर्ष 2008–09 में रा0स0नि0 में डा0अम्बेडकर ग्रा0स0वि0यो0 के अन्तर्गत बनरहा संपर्क मार्ग की मरम्मत	19-5-08	17.60	4/10 तक तकनीकी स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी	23	17.60
13.	वर्ष 2008–09 में रा0स0नि0 में डा0अम्बेडकर ग्रा0स0वि0यो0 के अन्तर्गत बरैयापुर संपर्क मार्ग की मरम्मत	19-5-08	14.30	4/10 तक तकनीकी स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी	23	14.30
14.	वर्ष 2008–09 में रा0स0नि0 में डा0अम्बेडकर ग्रा0स0वि0यो0 के अन्तर्गत लालपुर संपर्क मार्ग की मरम्मत	19-5-08	22.50	4/10 तक तकनीकी स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी	23	22.50
15.	वर्ष 2008–09 में रा0स0नि0 में डा0अम्बेडकर ग्रा0स0वि0यो0 के अन्तर्गत डाहाडीह संपर्क मार्ग की मरम्मत	19-5-08	19.70	4/10 तक तकनीकी स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी	23	19.70
16.	वर्ष 2008–09 में रा0स0नि0 में डा0अम्बेडकर	19-5-08	14.50	4/10 तक	23	14.50

	ग्रा0स0वि0यो0 के अन्तर्गत जमुआर संपर्क मार्ग की मरम्मत			तकनीकी स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी		
17.	वर्ष 2008–09 में रा0स0नि0 में डा0अम्बेडकर ग्रा0स0वि0यो0 के अन्तर्गत शखूखोर संपर्क मार्ग की मरम्मत	19-5-08	28.20	4/10 तक तकनीकी स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी	23	28.20
18.	डा0अम्बेडकर समग्र विकास योजना के अन्तर्गत डुमरी संपर्क मार्ग (वर्ष 2009–10)	21-5-09	10.41	4/10 तक तकनीकी स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी	10	10.40
19.	डा0अम्बेडकर समग्र विकास योजना के अन्तर्गत सुगौना संपर्क मार्ग (वर्ष 2009–10)	21-5-09	16.10	4/10 तक तकनीकी स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी	10	16.44
20.	डा0अम्बेडकर समग्र विकास योजना के अन्तर्गत बारसिहा संपर्क मार्ग (वर्ष 2009–10)	21-5-09	36.10	4/10 तक तकनीकी स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी	10	36.10
21.	डा0अम्बेडकर समग्र विकास योजना के अन्तर्गत ठाकुर नगर हतवा टोंला संपर्क मार्ग (वर्ष 2009–10)	21-5-09	7.50	4/10 तक तकनीकी स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी	10	6.01
	;ksx					**352.35**
	fu0[k0&1]yk0fu0fo0]xksj[kiqj (c)					
22.	डा0अम्बेडकर समग्र विकास योजना के अन्तर्गत जंगल गौरी नं0 2 उर्फ अमहिया संपर्क मार्ग (वर्ष 2009–10)	21-5-09	15.50	30-3-10	10	14.90
23.	डा0अम्बेडकर समग्र विकास योजना के अन्तर्गत अमहिया संपर्क मार्ग (वर्ष 2009–10)	21-5-09	5.30	30-3-10	10	5.17
24.	डा0अम्बेडकर समग्र विकास योजना के अन्तर्गत रानापार संपर्क मार्ग (वर्ष 2009–10)	21-5-09	15.70	30-3-10	10	14.19
25.	डा0अम्बेडकर समग्र विकास योजना के अन्तर्गत रायगंज संपर्क मार्ग (वर्ष 2009–10)	21-5-09	10.30	30-3-10	10	10.30
	;ksx					**44.56**
	प्रा0ख0,बॉदा (स)					
26.	बांदा–बबेरू–कामासिन–राजापुर राष्ट्रीय मार्ग सं0–2 के किमी 2 से 36 का चौड़ीकरण	24-6-09	1769.94	12-02-10	5	45.00
27.	बांदा–बहराइच मार्ग के किमी0 318 से 321 एवं शुकुल कुँआ से बांदा–बबेरू कैनाल किमी 0.00 से 4.050 तक मार्ग का आवश्यकतानुसार चौडीकरण एवं सुदढीकरण का कार्य।	15-01-09	1465.10	30-01-10	11	1432.10
	;ksx					**1477.1**
	fu0[k0&2] ckank (n)					
28.	वर्ष 2009–10 में रा0स0नि0 के अन्तर्गत तिन्दवारी पपरेन्दा तिराहा के किमी0 13 का चौड़ीकरण एवं निर्माण	24-6-09	149.11	16-02-10	5	15.00
	प्रा0ख0,लो0नि0वि0,इटावा (य)					
29.	अमरसीपुर से पैरामेडिकल इस्टीट्यूट में सी0सी0 मार्ग का निर्माण एवं पेवर फिक्सिंग का कार्य	13-02-07		12-01-09	23	94.54
30.	राष्ट्रीय मार्ग सं0 2 से खैरा धौलपुर मार्ग	4-11-04	33.98	12-5-05	5	33.98
31.	इटावा मैनपुरी मार्ग से रूपपुरा बर्रा मार्ग	18-01-05	6.99	3-09-05	7	3.495
32.	इटावा मैनपुरी मार्ग से अमरसीपुरा हावरा डिग्री कालेज वाया कोल्ड स्टोरेज	18-01-05	18.54	01-09-05	7	9.27
33.	इटावा मैनपुरी मार्ग से सैदपुर मार्ग	18-01-05	3.280	24-08-05	7	3.28
34.	जसवंत नगर शहरी भाग में सेन्ट्रल बैंक से राष्ट्रीय मार्ग–2 वाया गुलाबबाड़ी अहीर टोला,	18-01-05	6.33	01-09-05	7	1.583
35.	जसवंत नगर शहरी भाग में केला मंदिर से शिशिहट संपर्क मार्ग वाया ईदगाह,	18-01-05	3.66	01-09-05	7	0.915
36.	इटावा कछौरा घाट से भीखमपुर	02-02-05	3.95	01-09-05	6	0.987
37.	इटावा मैनपुरी मार्ग से अधिआपुर राजमऊ मार्ग	02-02-05	11.08	24-08-05	6	2.27
38.	फर्दपुरा मुन्ज रामपुरा मार्ग से तकीपुरा मार्ग	02-02-05	26.23	3-9-05	6	6.557

39.	नगला जुला से शाहजहांपुरा परसऊ मार्ग वाया अलाई धनुआ	02-02-05	131.32	1-9-05	6	15.509
40.	इटावा मैनपुरी मार्ग से बानामई वाया रेउजा मार्ग	14-10-04	14.00	16-05-05	6	14.00
41.	जसवंत नगर कचौरा घाट से कुमाउली–अन्दावली	16-10-04	7.00	01-09-05	10	7.00
42.	जसवंत नगर से नागला राम सुन्दर	16-10-04	7.00	01-09-05	10	7.00
43.	जसवंत नगर कचौरा घाट मार्ग से ब्रहमाहडी देवी वाया पीहरपुर मार्ग	16-10-04	10.50	01-09-05	10	10.50
44.	जसवंत नगर कचौरा घाट से सिसिहट	16-10-04	7.00	01-09-05	10	7.00
45.	टिजौरा से बीबामऊ	16-10-04	7.00	01-09-05	10	7.00
46.	जसवंत नगर बलरई मार्ग से निजामपुर बहादुरपुर मार्ग	16-10-04	7.00	01-09-05	10	7.00
47.	जसवंतनगर बैदपुरा बसरेहर मार्ग की राइडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य	25-10-04	53.960	03-09-05	9	53.96
48.	करीं छिमारा से नागला तेज कुईयां नम्बर बिहार तक संपर्क मार्ग	30-10-04	23.32	16-06-05	8	23.32
49.	बरेली–इटावा मार्ग से अयारा बजीरपुर	30-10-04	5.630	01-09-05	9	5.63
50.	पराना से फकीरी की माराया	02-02-05	11.28	01-09-05	6	11.28
51.	डोडऊ गोपालपुर	02-02-05	11.28	01-09-05	6	11.28
52.	सैफई संपर्क मार्ग	21-02-06	25.11	27-9-06	6	1.00
53.	अमरसीपुरा हावरा डिग्री कालेज से इटावा मैनपुरी मार्ग के फुटपाथ, पटरी एवं मार्ग का सुधार	2-02-05	25.67	01-09-05	6	1.00
	;kx					**339.356**
	ikUrh; [k.M] e|tQQjuxj (j)					
54.	राज्य मार्ग/मुख्य जिला मार्ग/अन्य जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्ग के सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण	02-02-05	169.00	08.09.06	8	140.85
55.	खटौली मोराना मार्ग की विशेष मरम्मत	01-04-06	160.93	17.11.06	7	130.13
	;kx					**270.98**
	;kx (c+l+n+;+j)=y					**2147.00**
	egk;kx (v+y) =					**₹ 2499.35 yk[k vFkkr ₹ 24.99 djkM**

(L=kr: [k.Mk dh ueuk tkp)

ifjf'k"V & 2.3.4

(lnHk: iLrj l0 2.3.8.1; i"B l[;k 47)

dk;l dk fy, fuxr vYi dkyhu fufonk lpuk dk n'kku okyk fooj.k

(₹ djkM e)

de l0	[k.M dk uke	dk;l dk uke	vuqca/k l0 ,o fnukd	vuqca/k ykxr	vYi dkyhu fufonk lpuk dk fnukd	[kyu dh frfFk	vuqca/k fu"iknu e fy;k x;k le;
1	प्रान्तीय खण्ड,बुलंदशहर	गुलावटी स्याना बुगरसी	12 एसई/07-08 दि0 1.10.2007	2.37	12.6.2007	21.6.2007	तीन माह से अधिक
2	प्रान्तीय खण्ड,बुलंदशहर	स्याना सैदपुर मार्ग	09 ईई/09-10 दि0 1.6.2009	0.18	31.1.2009	21.2.2009	तीन माह से अधिक
3	प्रान्तीय खण्ड,औरैया	मंगलपुर राजवाहा	8/ एसई./07-08 दि0. 15.6.2007	0.96	3.2.2007	24.2.2007	तीन माह से अधिक
4	प्रान्तीय खण्ड,कौशाम्बी	मनौरी सरांय अकिल कौशांबी मार्ग	09/ ईई दि0 29-5-2009	0.20	28.1.2009	13.2.2009	तीन माह से अधिक
5	प्रान्तीय खण्ड,कौशाम्बी	मनौरी सरांय अकिल कौशांबी मार्ग	17/ ईई दि0 8.6.2009	0.20	28.1.2009	13.2.2009	तीन माह से अधिक
6	प्रान्तीय खण्ड,इटावा	करी छिमारा मार्ग किमी0 17 से 22	88/एसई/06-07 दि0 18-12-2006	3.11	11.07.2006	03.08.2006	चार माह से अधिक
		;kx		7.02			

(L=kr: [k.Mk dh ueuk tkp)

ifjf'k"V&2.4.1

(LkanÒ%ÁLrj &2.4.1 i"B l{[;k 52)

b&fty"l e: lfd; Lkok,¡

Ø0 l0	fPkfUgr Lkok,¡	Lkok,¡ lfd;@lekIr / g@YM	foÒkx dk uke
1.	जाति प्रमाणपत्र	सक्रिय	राजस्व
2.	आय प्रमाण पत्र	सक्रिय	
3.	अधिवास प्रमाण पत्र	सक्रिय	
4.	खतौनी का निर्गमन	समाप्त	
5.	वसूली प्रमाणपत्र	सक्रिय	
6.	वसूली की स्थिति	सक्रिय	
7.	मृत्यु प्रमाणपत्र	सक्रिय	मेडिकल, शहरी विकास और पंचायत
8.	जन्म प्रमाणपत्र	सक्रिय	
9.	विकलांग सर्टिफिकेट	सक्रिय	स्वास्थ्य व चिकित्सा
10.	वृद्धावस्था पेंशन	सक्रिय	समाज कल्याण
11.	विधवा पेंशन	सक्रिय	महिला एवं बाल विकास
12.	विकलांग पेंशन	सक्रिय	विकलांग विभाग
13.	रोजगार के लिए पंजीकरण	सक्रिय	श्रम
14.	नरेगा के लिए पंजीकरण	सक्रिय	ग्रामीण विकास
15.	प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिए पंजीकरण	समाप्त	
16.	एस0जी0आर0एस0वाई0 के लिए पंजीकरण	समाप्त	
17.	मामलों की सूची निकालना	सक्रिय	राजस्व न्यायालय
18.	केस ट्रैकिंग	सक्रिय	
19.	अंतिम आदेश निकालना	सक्रिय	
20.	नए राशन कार्ड	सक्रिय	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
21.	राशन कार्ड के उन्नयन	सक्रिय	
22.	राशन कार्ड के समर्पण	सक्रिय	
23.	डुप्लीकेट राशन कार्ड	सक्रिय	
24.	शिकायत दाखिल	सक्रिय	सूचना प्रौद्योगिकी
25.	शिकायतों पर नज़र रखने	सक्रिय	
26.	चरित्र प्रमाण पत्र	समाप्त	पुलिस
27.	एफ0आई0आर0 की स्थिति पर नज़र रखने	समाप्त	
28.	आर0टी0आई0 के तहत आवेदन	समाप्त	प्रशासनिक सुधार
29.	अनुप्रयोग सूची में मतदाता के अलावा के लिए के नाम	समाप्त	चुनाव विभाग
30.	अनुप्रयोग सूची में संशोधन के लिए मतदाता का नाम	समाप्त	
31.	अनुप्रयोग सूची में मतदाता हटाए जाने के लिए के नाम	समाप्त	
32.	स्थानांतरण मतदाता की सूची	समाप्त	

¼l"r& l.Vj Qkj b&xouU l½

ifjf'k"V&2.4.2

(LknÒ%ÁLrj &2.4.8.7 i"B l[;k 63)

ylcr f'kdk;rk dk fooj.k

xÒhjrk Lrj	J.kh	vfÒys[k dh Lk[;k ¼ylcr f'kdk;r½
एसएल 2	बीएसएनएल	1
एसएल 2	जनरेटर	7
एसएल 2	अन्य (विविध)	4
एसएल 2	यूपीएस–ट्रिटोनिक्स	8
एसएल 3	बीएसएनएल	25
एसएल 3	सिस्को हार्डवेयर	5
एसएल 3	नागरिक	4
एसएल 3	एचसीएल डेस्कटॉप	11
एसएल 3	एचपी डेस्कटॉप	2
एसएल 3	जनरेटर	58
एसएल 3	मॉडेम–सीटीसी संघ	111
एसएल 3	मॉडेम–रियलगेन	13
एसएल 3	नेटवर्क	1
एसएल 3	अन्य (विविध)	37
एसएल 3	विद्युत आपूर्ति	13
एसएल 3	यूपीएस–संख्यात्मक	164
एसएल 3	यूपीएस–ट्रिटोनिक्स	104
एसएल 4	जनरेटर	2
एसएल 4	विद्युत आपूर्ति	1
	;kx	**571**

¼lzr& ,u-vkbZ- lh MkVkcsl ½

ifjf'k"V&2.4.3

(LknÒ%ÁLrj &2.4.8.7 i"B l[;k 63)

yfcr f'kdk;r ekey¨ dk vk;okj fo'y"k.k

lr®"k tud Lrj	fnu ¼> ¾½	fnu ¼<½	ekey¨ dh Lk[;k	Áfr'krrk
1	0	30	153	26.8
2	30	60	100	17.51
3	60	90	55	9.63
4	90	120	28	4.9
5	120	150	21	3.68
6	150	180	19	3.33
7		180 दिन से अधिक	195	34.15
		;kx	**571**	**100**

(स्रोत– एन.आई. सी डाटाबेस)

ifjf'k"V&2.4.4

(LknÒ%ÁLrj &2.4.8.7 i"B la[;k 63)

gy ekey¨a dk vk;qokj fo'ys"k.k

lar®"ktud Lrj	fnu ¼> ¾½	fnu ¼<½	ekey¨a dh la[;k	Áfr'krrk
1	0	1	642	16.27
2	1	7	1,087	27.55
3	7	15	511	12.95
4	15	30	587	14.88
5	30	60	463	11.73
6	60	90	213	5.4
7	90	120	148	3.75
8	120	150	91	2.31
9	150	180	68	1.72
	शून्य दिन से कम		1	0.03
	180 दिन से ऊपर		135	3.42
	;ksx		**3,946**	**100**

¼lzksr& ,u-vkbZ- lh MkVkcsl½

ifjf'k"V - 3.1

(lUnHkZ% iLrj 3.1.5; i"B l[;k 77)

fuekZ.k [k.M ¼vkxjk rkt VªSfit;e½] }kjk fufeZr ekxksZ dh i;’kkluhd] foRrh; ,oe rduhdh Lohdfr dk fooj.k

fooj.k	nf{k.kh ckbZikl ekxZ	vkxjk tyslj ekxZ	vR;kniqj [kUnkSyh ekxZ	Qrgkckn fQjkstkckn ekxZ	;ksx
dk;Z dk uke	ckbZikl ekxZ dk fuekZ.k	pkSMhdj.k ,oa lqn<hdj.k	pkSMhdj.k ,oa lqn<hdj.k	pkSMhdj.k ,oa lqn<hdj.k	
लम्बाई (किमी)	24.100	25.500	18.670	10.085	78.355
प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की तिथि	01.03.08	25.03.08	21.10.08	22.09.08	------
धनराशि (₹ करोड. में)	27.07	13.55	13.14	6.63	60.39
तकनीकी स्वीकृति की तिथि	18.03.08	26.03.08	03.01.09	03.01.09	------
₹ करोड़ में	18.77	13.18	13.14	6.63	51.72

(L=ksr % vf/k0 vfHk0] fuekZ.k [k.M I] rkt VªSfit;e] ykd fuekZ.k foHkkx vkxjk)

ifjf'k"V - 3.2

(lnHk : iLrj 3.1.5; i"B l[;k 76)

Bdnkjk d lkFk xfBr vuc/kk dk fooj.k

de l0	dk;l dk uke	vuc/k l[;k	vucf/kr nj
1	आगरा में दक्षिणी बाईपास मार्ग का निर्माण	29/एसई/2007-08 दिनांक.27.03.08	विभागीय दर से 13.25% उच्च दर पर
2	आगरा जलेसर मार्ग के चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	31/एसई/2007-08/ दिनांक.27.03.08	विभागीय दर से 9.85% उच्च दर पर
3	अतयाद पुर खंडौली मार्ग के चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	28/एसई/2007-08/ दिनांक.25.03.08	विभागीय दर से 12.70% उच्च दर पर
4	फतेहाबाद फिरोजाबाद मार्ग के चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	27/एसई/2007-08/ दिनांक 25.03.08	विभागीय दर से 14.50% उच्च दर पर

(L=kr % vf/k0 vfHk0] fuek.k [k.M I] rkt Vikft;e] ykd fuek.k foHkkx vkxjk)

ifjf'k"V - 3.3

(lUnHkZ : iSjk 3.1.5; i"B la[;k 76)

Bdsnkjksa dks vuqfpr ykHk dk fooj.k

la[;k	vuqca/k la[;k	foHkkxh; nj ls tkjh fcyfeu		foHkkxh; nj ls mPp nj ij xf.kr vuqca/k	Bdsnkjksa dks vuqfpr ykHk (₹ esa)
		ek=k ¼,eVh½	/kujkf'k (₹ esa)		
1	29/एसई/2007-08	979.67	31349440.00	13.25%	41,53,801.00
2	31/एसई/2007-08	1111.56	39367350.00	09.85%	38,77,684.00
3	28/एसई/2007-08	652.81	20859240.00	12.70%	26,49,123.00
4	27/एसई /2007-08	532.025	16994660.00	14.50%	24,64,226.00
	;ksx	**3,276.065**	**10,85,70,690.00**		**1,31,44,834.00**

(Lk=ksr % vf/k0 vfHk0] fuekZ.k [k.M I] rkt VsfIit;e] yksd fuekZ.k foHkkx vkxjk)

ifjf'k"V - 3.4

(lnHk : iLrj 3.1.5; i"B l[;k 76)

Bdnkjk dk vufpr ykHk dk fooj.k

de l0	jfux fcy l0	foHkkx l fuxr fcVfeu dh ykxr (₹ में)	fcVfeu dh 5-5 ifr'kr dh nj l Bdnkjk dk vufpr ykHk (₹ में)
1	IV, V एवं VI रनिंग बिल	1,67,35,682.00	9,20,462.00
2	VII रनिंग बिल	13,66,296.00	75,146.00
3	VIII रनिंग बिल	87,92,981.00	4,83,614.00
4	IX रनिंग बिल	44,79,947.00	2,46,397.00
5	X रनिंग बिल	47,25,720.00	2,59,915.00
	;kx	**3,61,00,626.00**	**19,85,534.00**
ठेकेदारों को अनुचित लाभ का योग : 131.44 लाख + 19.86 लाख = ₹ 1.51 करोड़			

(L=kr % vf/k'kklh vfHk;rk] fuek.k [k.M f}rh; yk-fu-fo- lyrkuij)

ifjf'k"V - 3.5

(I anHkZ : iLrj 3.1.6; i"B l[;k 76)

¼v½ vkx.kun eas fy;s x;s fVij ls <qykbZ dk fooj.k

de l0	en	dk;Z th,lch@Ch,e@,lMhch lh	dk;Z MCY;w-,e-,e- (₹ में)
1-	50 किमी के आधार पर हुये टिपर से ढुलाई	450 टन x ₹ 1.74 प्रति टन प्रति किमी. x 50 किमी.= 39150.00	495 टन x ₹ 1.74 प्रति टन प्रति किमी. x 50 किमी = 43065.00
2-	लोडिंग एवं अनलोडिंग हेतु माल की लागत में 10 प्रतिशत जोड़ें	3,915.00	4,306.50
;kx		**43,065.00**	**47,371.50**
3-	5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से सात वर्षों के लिये 35 प्रतिशत जोड़ें	15,072.75	16,580.00
;kx		**58,137.75**	**63,951.50**
4	10 प्रतिशत ओवरहेड चार्जेज	5,813.77	6,395.15
;kx		**63,951.52**	**70,346.65**
5-	10 प्रतिशत ठेकेदार को लाभ	6,395.15	7,034.66
dqy ;kx		**70,346.67**	**77,381.31**

c½ 25 fdeh ds LFkku ij 50 fdeh nwjh ds dkj.k fVij ls <qykbZ esa izfr?ku ehVj vf/kd ykxr dk fooj.k

de l0	dk;Z dk uke	vkmViqV (?ku ehVj)	50 fdeh nwjh ij fVij ls <qykbZ	25 fdeh nwjh ij fVij ls <qykbZ	fVij ls <qykbZ esa vf/kd iko/kku	izfr?ku ehVj vf/kd ykxr
1-	जीएसबी	225	70,346.67	35,173.33	35,173.33	156.32
2-	डब्ल्यू.एम.एम.	225	77,381.31	38,690.65	38,690.65	171.95
3-	बी.एम.	205	70,346.67	35,173.33	35,173.33	171.57
4-	एसडीबीसी	195	70,346.67	35,173.33	35,173.33	180.37

¼Lk½ fu"ikfnr dk;Z ij Bsdsnkj dks vuqfpr ykHk dk fooj.k

de l0	dk;Z dk uke	ekxZ dk uke								
		pkSMhdj.k ekxZ			iapk;r ekxZ			lgknrxat U;k;?kkV		
		3@10 ds 12 o"kZ jfuax fcy ds vuqlkj fu"ikfnr ek=k ¼okmpj u0 125 fnukad 29-3-10½ ¼eh0[3]½	vf/kd nj ¼₹ esa½	ykxr ¼₹ yk[k esa½	3@10 ds 11 o"kZ jfuax fcy ds vuqlkj fu"ikfnr ek=k ¼eh0[3]½	vf/kd nj ¼₹ esa½	ykxr ¼₹ yk[k esa½	3@10 ds 09 o"kZ jfuax fcy ds vuqlkj fu"ikfnr ek=k ¼okmpj u0 125 fnukad 29-3-10½ ¼eh0[3]½	vf/kd nj ¼₹ esa½	ykxr ¼₹ yk[k esa½
1-	जीएसबी	10474.545	156.32	1637381	4495.321	156.32	702709	9115.306	156.32	1424905
2-	डब्ल्यू.एम.एम.	19958.645	171.95	3431889	10058.517	171.95	1729562	7580.296	171.95	1303432
3-	बी.एम.	6412.129	171.57	1100129	3398.225	171.57	583033	5500.157	171.57	943662
4-	एसडीबीसी	129.07	180.37	23280	-	-	-	-	-	-
;kx				**6192679**			**3015304**			**3671999**
dqy vf/kd ykHk ,oa vuqfpr ykHk: ₹ 6192679 + 3015304 + 3671999 = ₹ 1,28,79,982.00 yxHkx ₹ 128.80 yk[k										

(L=ksr vfHkys[kksa ls vfHk;qDr] fuekZ.k [k.M] yks-fu-fo-] Q}tkckn)

ifjf'k"V - 3.6

(lanHkZ : iz.Lrj 3.1.6; i"B la[;k 77)

v½ vkx.ku esa fy;s x;s fVij ls <qykbZ dk foLr`r fooj.k rFkk fVij ls vuqeU; <qykbZ ₹ esa

de la0	en	MCY;w ,e,e		ch,e ,lMhchlh	
		vkx.ku ds vuqlkj (45 x 2 = 90 fdeh½	vuqeU; ,d rjQ ls 45 fdeh	vkx.ku ds vuqlkj (45 x 2 = 90 fdeh ,oa nksxq.kh nj	vuqeU; ,d rjQ ls 45 fdeh
1-	टिपर से ढुलाई	495 X 2 X 45 X 1.74 = 77517.00	495 x 45 x 1.74 = 38758.50	450 X 2 X 45 X 3.45 = 139725.00	450 X 45 X 1.74 = 35235.00
2-	लोडिंग एवं अनलोडिंग हेतु 10% अतिरिक्त	7751.70	3875.85	0.00	0.00
	;ksx	**85268.70**	**42634.35**	**139725.00**	**35235.00**
3	दरों में 20 प्रतिशत वृद्धि	17053.74	8526.87	0.00	0.00
	;ksx	**102322.44**	**51161.22**	**139725.00**	**35235.00**
4-	ठेकेदार का लाभ 10 प्रतिशत	10232.24	5116.12	0.00	0.00
		112554.68	**56277.34**	**139725.00**	**35235.00**

c½ gkV feDl lyka.V ls dk;Z LFky dh okLrfod njh 45 fdeh ds LFkku ij 90 fdeh (45 x 2) yxus ds dkj.k izfr?ku ehVj ij vf/kd 0;; ,oa Bsdsnkj dks vuqfpr ykHk dk fooj.k

de la0	dk;Z dk uke	vkmViqV ?kuehVj	vkx.ku ds vuqlkj 90 fdeh njh ij gk;j pktZt ¼₹ esa½	45 fdeh njh ij vuqeU; gk;j pktZt ¼₹ esa½	vf/kd iko/kku ¼₹ esa½	vf/kd ykxr izfr?ku ehVj ¼₹ esa½
1-	डब्ल्यू.एम.एम.	225	112554.68	56277.34	56277.50	250.10
2-	बी.एम.	205	139725.00	35235.00	104490.00	509.70
3-	एस.डी.बी.सी.	195	139725.00	35235.00	104490.00	535.85
डब्ल्यू.एम.एम.पर अनुचित लाभ [निष्पादित मात्रा 15वें रंनिंग बिल के अनुसार 5/2010 : 16267.99 m^3 x दर ₹ 250.10] = 40,68,624.00						
बी..एम.पर अनुचित लाभ [निष्पादित मात्रा 15वें रंनिंग बिल के अनुसार 5/2010 : 4310.95 m^3 x दर ₹ 509.70] = 21,97,291.00						
Bsdsnkjksa dks dqy vuqfpr ykHk : [40,68,624.00 + 21,97,291.00] = 62,65,915.00 = ₹ 62.66 yk[k						

(L=ksr % vfHkys[kksa ls vfHk;ark] ifj;kstuk [k.M] yks-fu-fo- dkuiqj uxj)

ifjf'k"V – 3.7

(lnHk : iLrj 3.1.6; i"B l[;k 78)

y[kuÅ&ek>h?kkV jkT; jktekx d pqut fdeh 205 l fdeh 240 d pkMhdj.k ,o lqn<hdj.k ij iFke lrg yiu ij fd;k x;k vfrfjDr 0;; dk foLr`r fooj.k

de l0	vuqca/k l[;k	pqut ¼fdeh½	vuqca/k dh /kujkf'k ¼₹ yk[k e½	iFke lrg yiu dh fu"ikfnr ek=k ¼oxeh0½	[kir dh xbZ fcVfeu ¼ehfVªd Vu½	ifr ehfVªd Vu fcVfeu dh nj ¼₹ e½	fcVfeu dh ykxr ¼₹ e½	105 ?kuehVj ifr 100 pxehVj d ekud d vuqlkj [kir gbZ fxV ¼?kuehVj½	ifr?ku ehVj fxV dh nj ¼₹ e½	[kir gbZ fxV dh ykxr ¼₹ e½
1	180/ bb/5.9.06	215-216	27.24	7000	8.40	24250	203700	105.00	1063.50	111667.50
2	143/ ,b-11/6-9-07	218-220	2.00	14000	16.80	24250	407400	210.00	1063.50	223335.00
3	144/,b-11/6-9-07	220-221	1.69	7000	8.40	24250	203700	105.00	1063.50	111667.50
4	263/,b-/30-1-08	221-223	1.44	14000	22.89	23800	544782	210.00	1063.50	223335.00
5	355/,b-11/8-12-06	224-225	0.82	7000	8.40	23220	195048	105.00	1063.50	111667.50
6	189/,b-11/20-9-07	225-226	1.42	7000	8.40	23220	195048	105.00	1063.50	111667.50
7	79/,b-11/24-8-07	226-227	1.30	7000	8.40	23220	203700	105.00	1063.50	111667.50
;kx			**35.91**	**63000**	**81.69**		**1962030**	**945.00**	**1063.50**	**10,05,007.50**

Dy vf/kd 0;;: ₹.19.62 yk[k + ₹.10.05 yk[k = ₹.29.67 yk[k

(L=kr % vf/k'kklh vfHk;rk] fuek.k [k.M] yk-fu-fo-] tkuij)

ifjf'k"V - 3.8

(lnHkZ : iLrj 3.1.7; i"B la[;k 78)

y[kuÅ&eksgku&>h?kkV ds pkuat fdeh 241 ls fdeh 254 ds pkSM+hdj.k ,oa lqn<+hdj.k ij fcVqfeu dh ykxr lfgr iFke lrg ysiu ij fd;s x;s vf/kd O;; dk fooj.k

de l0	pSuat ¼fdeh e½	vuqca/k la[;k ,oa fnukad	vuqca/k dh ykxr ¼yk[k ₹ esa½	fcy la[;k	okmpj l0	fnukad	fxV ds ,d=hdj.k ,oa ifVVx ij O;; ¼₹ esa½	iFke lrg ysiu dh ek=k ¼oxZehVj esa½	pkSM+hdj.k ,oa lqn<+hdj.k ij dqy O;; ¼yk[k ₹ esa½
1	241	57/ई.ई/ 27-9-06	22.66	चौथा/अंतिम	33	3-7-07	199299.66	7126.60	27.88
2	242	100/ ई.ई / 1-12-06	22.84	चौथा/अंतिम	274	31.3.08	196980.00	7035.00	24.51
3	243	70/ ई.ई / 4-10-08	22.59	छठा/अंतिम	98	20.3.08	196000.00	7000.00	25.32
4	244	51/ ई.ई / 23-9-06	22.52	चौथा/अंतिम	18	17.707	196000.00	7000.00	24.50
5	245	75/ ई.ई / 7-10-06	22.43	सातवां/अंतिम	254	31.3.08	187851.40	6789.00	23.58
6	246	39/ ई.ई / 19-9-06	22.38	तीसरा/अंतिम	99	21.8.07	168760.70	6020.00	22.44
7	247	60/ ई.ई / 29-9-06	22.30	सातवां/अंतिम	29	5.7.08	196000.00	7000.00	24.49
8	248	47/ ई.ई / 20-9-06	22.30	पांचवां/अंतिम	97	23.02.08	196000.00	7000.00	24.53
9	249	61/ ई.ई / 30-9-06	22.46	पांचवां /अंतिम	66	20.2.08	196000.00	7000.00	27.36
10	250	59/ ई.ई / 29-9-06	22.09	पांचवा /अंतिम	65	20.2.08	196105.00	7000.00	27.35
11	251	35/ ई.ई / 14-9-06	22.01	पांचवा/अंतिम	51	19.9.07	195422.50	7000.00	28.06
12	252	101/ ई.ई / 8-12-06	21.90	आठवां/अंतिम	1	2.7.08	196525.00	7000.00	23.88
13	253	127/ ई.ई / 14-2-07	21.91	सातवां/अंतिम	191	30.3.08	195103.80	7000.00	23.90
14	254	49/ ई.ई / 20-9-06	21.90	पांचवां/अंतिम	43	13.9.07	194666.50	7000.00	26.86
;ksx			312.36				27,10,714.00	96970.6	354.66

पी 1 की निष्पादित मात्रा = 96970 मी0^2

पी 1 में बिटुमिन की खपत = 1.80 कि0ग्रा0 प्रति मी0^2

बिटुमिन की दर = ₹ 24500 प्रति मी0 टन और 32000 प्रति मी0 टन

पी 1 पर व्यय बिटुमिन की खपत = 89970 मी0^2 x 1.80 x 24500/1000 = ₹ 39,67,677.00

पी 1 पर व्यय बिटुमिन की खपत = 7000 मी0^2 x 1.80 x 32000/ 1000 = ₹ 4,03,200.00

iFke lrg ysiu ij dqy O;; (2710714 + 4370877) ₹ 7081591.00

(L=ksr % vf/k'kklh vfHk;Urk] fuekZ.k [k.M] f}rh;] yks-fu-fo-] tkSuiqj)

ifjf'k"V- 3.9

(lanHkZ % izLrj 3.1.8; i"B la[;k 80)

ukfy;ksa ds fuekZ.k ij yhu dadjhV ¼,y-lh-½ dk vfrfjDr O;;

ftyk	dk;Z dk uke	vkx.ku ds vk/kkj ij						ukyh ,oa lMdksa esa okLrfod fu"ikfnr ,y lh dh ek=k ¼?kueh0½	vkx.ku ds vuqikr esa fu'ikfnr ek=k esa ukyh esa ,y0lh0 dh okLrfod fu'ikfnr ek=k ¼dk0&9 dh ek=k dk0 7 ,oa dk0 8 ds vuqikr esa ?kueh0 esa½	ukyh esa ,ylh dh vuqeU; ek=k ¼dk0&10 dh ek=k dk0 5 ,oa dk0 6 ds vuqikr esa ?kueh0 ½	ukyh esa ,y-lh- dh vfrfjDr ek=k ¼dk0 10&dk0 11½	,y-lh- dh nj ₹ esa	,y lh ij vfrfjDr O;; ₹ esa
		ukyh dh pkSM+kbZ ¼ehVj½	ukyh dh xgjkbZ ¼ehVj½	izfr ehVj vkxf.kr ek=k ¼eh0^{3}½	ekud ds vuqlkj izfr eh0^3 vuqeU; ek=k ¼eh0^{3}½	ukyh esa ,y-lh- dh ek=k ¼?kueh0½	ukyh esa ,y-lh- ds vfrfjDr vU; ek=k ¼?kueh0½						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
हरदोई	वसित नगर	0.80	0.100	0.080	0.060	720.80	892.260	1396.77	624.15	468.11	156.04	1373.80	214364.00
	बधुआमऊ	0.80	0.100	0.080	0.060	616.80	913.500	1008.92	406.65	304.99	101.66	1373.80	139665.00
	रहुला	0.80	0.100	0.080	0.060	544.96	808.120	1257.35	506.40	379.80	126.60	1373.80	173925.00
	लालपालपुर	0.80	0.100	0.080	0.060	465.28	714.210	1327.35	523.61	392.71	130.90	1373.80	179833.00
	काकेंदुआ	0.80	0.100	0.080	0.060	358.00	706.060	542.85	182.64	136.98	45.66	1373.80	62728.00
	तिकराबरार	0.80	0.100	0.080	0.060	579.84	835.490	765.48	313.61	235.20	78.40	1373.80	107708.00
	अत्तादानपुर	0.80	0.100	0.080	0.060	538.08	678.130	1019.60	451.10	338.32	112.77	1373.80	154929.00
	पिंडारी	0.80	0.100	0.080	0.060	406.40	481.710	781.06	357.41	268.06	89.35	1373.80	122754.00
	माझीगांव शिवपुरी	0.80	0.100	0.080	0.060	329.04	677.20	514.62	168.28	126.21	42.07	1376.80	57922.00
												;ksx	**12,13,828.00**
उन्नाव	कटरा दीवानखेड़ा	0.81	0.100	0.081	0.061	297.35	1572.000	1406.26	223.69	167.77	55.92	1425.00	79689.00
	चैनपुर	0.81	0.100	0.081	0.061	366.80	601.500	1099.20	416.39	312.29	104.10	1461.00	152085.00
	सुरसैनी ए	0.75	0.100	0.075	0.056	439.5	270.000	547.78	339.32	254.49	84.83	1407.50	119399.00
	शहरावा	0.70	0.100	0.070	0.053	621.32	784.680	847.23	374.40	280.80	93.60	1424.80	133360.00
	शीर्ष कन्हर	0.60	0.100	0.060	0.045	270.84	448.200	762.38	287.16	215.37	71.79	1546.00	110989.00
	सुरसैनी बी	0.75	0.100	0.075	0.056	478.5	294.020	556.67	344.80	258.60	86.20	1407.50	121327.00
	कुल्हा अतौरा	0.60	0.100	0.060	0.045	361.56	604.450	753.56	282.04	211.53	70.51	1524.60	107501.00
	मकुर ए	0.75	0.100	0.075	0.056	441.9	460.100	478.26	234.30	175.73	58.58	1384.80	81116.00
	गुडवा बिशुनपुर	0.75	0.100	0.075	0.056	570.45	790.55	1330.61	557.71	418.28	139.43	1384.8	193080.00
												;ksx	**10,98,546.00**

नोटः 1. कालम सं0–7 × कालम सं0–9 / (कालम सं0–7+ कालम सं0–8).

2. कालम सं0–10 × कालम सं0–6 / कालम सं0–5

सीतापुर	नबीनगर	0.80	0.100	0.080	0.060	1135.84	2418.030	4386.41	1401.93	1051.44	350.48	1981.80	694584.00
	रामकोट	0.80	0.100	0.080	0.060	1409.9	1591.740	3340.91	1569.26	1176.94	392.31	1973.10	774076.00
	सेवता	0.80	0.100	0.080	0.060	817.43	1951.150	2902.49	856.97	642.73	214.24	2035.70	436132.00
	पंचम पुरवा	0.80	0.100	0.080	0.060	470.83	1526.830	2130.06	502.04	376.53	125.51	1928.00	241981.00
	पुरवा आचार्य	0.80	0.100	0.080	0.060	677.2	893.620	1473.16	635.10	476.32	158.77	2062.10	327409.00
	रिहार	0.80	0.100	0.080	0.060	614.52	767.680	1198.51	532.85	399.64	133.21	2052.10	273367.00
	उरदौली	0.80	0.100	0.080	0.060	465.44	458.350	960.54	483.96	362.97	120.99	1966.10	237876.00
	संदा	0.80	0.100	0.080	0.060	538.48	491.270	988.85	517.09	387.82	129.27	2054.00	265527.00
	सेमरा	0.80	0.100	0.080	0.060	575.52	773.080	1182.78	504.76	378.57	126.19	2029.30	256075.00
												;kx	**35,07,027.00**
लखीमपुर	संसारपुर एवं बोझिया	0.80	0.100	0.080	0.060	1441.6	2035.750	848.83	351.90	263.92	87.97	2047.00	180084.00
		0.80	0.100	0.080	0.060	587.2	462.100	275.34	154.08	115.56	38.52	2412.00	92912.00
	दुल्ही सेमरी एवं रमुआपुर	0.80	0.100	0.080	0.060	1099.36	645.890	532.58	335.48	251.61	83.87	2033.00	170508.00
		0.80	0.100	0.080	0.060	1142.08	658.120	761.39	483.04	362.28	120.76	2055.00	248162.00
		0.80	0.100	0.080	0.060	403.36	252.330	454.10	279.35	209.51	69.84	2425.00	169355.00
	सिसैया कलन	0.80	0.100	0.080	0.060	1207.76	328.080	711.25	559.32	419.49	139.83	2060.00	288048.00
	सिसोरा नाजिर एवं कथीगरा	0.80	0.100	0.080	0.060	114.4	296.530	998.75	278.04	208.53	69.51	1947.00	135338.00
		0.80	0.100	0.080	0.060	593.6	558.350	206.36	106.34	79.75	26.58	1947.00	51759.00
	सिंघा कलन एवं शाहीजाना	0.80	0.100	0.080	0.060	592.64	9.600	298.79	294.03	220.52	73.51	2106.00	154805.00
		0.80	0.100	0.080	0.060	592.64	9.600	107.23	105.52	79.14	26.38	2577.00	67982.00
	हिम्मतपुर	0.80	0.100	0.080	0.060	473.12	308.640	567.29	343.32	257.49	85.83	1970.00	169087.00
	माझीगाव दुल्हापुर चौबे	0.80	0.100	0.080	0.060	336.24	216.780	384.02	233.49	175.12	58.37	1989.00	116101.00
	शहेरूवा	0.80	0.100	0.080	0.060	171.36	193.190	358.07	168.31	126.24	42.08	1928.00	81127.00
		0.80	0.100	0.080	0.060	468.48	572.240	485.91	218.73	164.05	54.68	1947.00	106468.00
	रौलिया	0.80	0.100	0.080	0.060	437.6	257.600	294.04	185.09	138.81	46.27	1983.00	91756.00
												;kx	**21,23,492.00**
												egk;kx	**79,42,893.00**

(L=kr % lcf/kr xzkeh.k vfHk;=.k lsok [k.M)

ifjf'k"V- 3.10

(lnHk % iLrj 3.1.8; i"B l[;k 80)

ukyh e ihlhlh dk;l e vfrfjDr 0;;

tuin	dk;l dk uke	vkx.ku ds vk/kkj ij				lMd e lh lh dk;l dk lEefyr djds okLrfod fu"ikfnr ek=k ¼?kueh0½	ekud ds vuqlkj vuqeU; ek=k ¼dk0 3 x 0-25 pkMkbl x 0-25 Åapkbl ?kueh0 e½	vfrfjDr ek=k ¼dk0 6&dk0 8 ?kueh0 e½	nj ¼₹ e½	vf/kd 0;; ¼₹ e½
		yEckbl ¼ehVj½	pkMkbl ¼ehVj½	¼Åapkbl ehVj½	vkxf.kr ek=k ¼?kueh0½					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
उन्नाव	कटरा दीवानखेड़ा	4589.000	0.810	0.050	185.855	1423.560	28.681	157.173	3967.00	623506.00
	चैनपुर	5660.000	0.810	0.050	229.230	915.700	35.375	193.855	4073.00	789571.00
	सुरसैनी ए	5860.000	0.230	0.050	67.390	238.510	36.625	30.765	3967.00	122045.00
	शहरावा	8876.000	0.700	0.050	310.660	752.850	55.475	255.185	3967.50	1012446.00
	बहदनाग ए	6944.000	0.700	0.050	243.040	857.500	43.400	199.640	3967.40	792052.00
	गुडवा बिशुनपुर	7606.000	0.250	0.050	95.075	1013.470	47.538	47.538	3932.00	186917.00
	सुरसैनी बी	6380.000	0.230	0.050	73.370	392.350	39.875	33.495	3967.00	132875.00
	मकुर ए	5892.000	0.250	0.050	73.650	253.680	36.825	36.825	3932.00	144796.00
									;kx	3,804,208.00
लखीमपुर	दुल्ही	13742.000	0.25	0.05	171.775	64.290	32.145	32.145	4276.00	137452.00
	सिसैया कलन	15097.000	0.25	0.05	188.713	328.340	164.170	164.170	4317.00	708722.00
	सिंघा कलन	7408.000	0.25	0.05	92.600	22.840	11.420	11.420	4259.00	48638.00
									;kx	894,812.00
									egk;kx	4,699,020.00

(L=kr % lcf/kr xkeh.k vfHk;=.k lok [k.M)

ifjf'k"V - 3.11

(lUnHkZ % iLrj 3.1.8; i"B la[;k 80)

iMtk ¼lery bZV½ dk;Z ij vfrfjDr 0;; gkuk

xkao dk uke	ukyh dk lkbt	yEckbZ ¼ehVj½	ihlhlh ds LFkku ij bZV dk;Z esa fu"ikfnr ek=k (0.60*0.075)	ihlhlh ds LFkku ij bZV dk;Z esa fu"ikfnr ek=k (0.70*0.075)	nj ¼₹ esa½	bZV dk;Z ij dqy ykxr ¼₹ esa½	;fn bZV dk;Z fu"ikfnr u fd;k tkrk rks ihlhlh dh ek=k	nj ¼₹ esa½	ihlhlh dk;Z dh ykxr ¼₹ esa½	ihlhlh dk;Z ,oa bZV dk;Z dh ykxr esa vUrj ¼dkW0 7&dkW0 10½ ¼₹ esa½
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
रूस्तमपुर नियावली	9" * 4.5"	6372	286.740		1896	543659.04	39.825	2510	99960.75	1489764.15
	9" * 9"	10509		551.723	1896	1046065.86				
भरताल सिरसी	9" * 4.5"	5023	226.035		1896	428562.36	31.394	2510	78798.31	1101390.59
	9" * 9"	7551		396.428	1896	751626.54				
अकरोली	9" * 4.5"	5044	226.980		1896	430354.08	31.525	2510	79127.75	1065326.29
	9" * 9"	7174		376.635	1896	714099.96				
कुंडारकी	9" * 4.5"	3814	171.630		1896	325410.48	23.838	2510	59832.13	733914.06
	9" * 9"	4705		247.013	1896	468335.70				
भूडा बेगमपुर	9" * 4.5"	3205.5	144.248		1896	273493.26	20.034	2510	50286.28	531382.82
	9" * 9"	3096		162.540	1896	308175.84				
योग		56493.5								**4921777.90**
lykLVj			**ukyh dh yEckbZ**		**pkSMkbZ**	**{ks=Qy**	**nj**	**/kujkf'k**		
			56493.5		0.25	14123.375	46	649675.25		
dqy vf/kd 0;;			**(4921778 + 649675) =**					**5571453.15**		

(L=ksr % lacaf/kr xzkeh.k vfHk;a=.k lsok [k.M)

ifjf'k"V - 3.12

(lnHkZ % iLrj 3.1.8; i"B l[;k 80)

yhu dkdhV dh egxh fof'kf"V;k dk mi;kx djd vfrfjDr 0;;

[k.M	xkao dk uke	cl Lykc dh 1:5:10 dh fu"ikfnr ek=k	cl Lykc dh 1:5:10 dh nj ¼₹ ea½	cl Lykc dh 1:6:12 dh nj ¼₹ ea½	njk ea vUrj ¼₹ ea½	vfrfjDr 0;; ¼₹ ea½
मुरादाबाद	फ्रीदपुर खुशहाल	384.47	2600	1690	910	349867.70
	चौकुनी	885.6	2565	1690	875	774900.00
	नानपुर	1981.24	2412	1690	722	1430455.28
	हजरतनगर गरही	700.34	2450	1690	760	532258.40
	ढकिया पीरू	485.71	2300	1690	610	296283.10
	जयंतीपुर मजरा सेवापुर	75.57	2530	1690	840	63478.80
	रायकुर्द उर्फ बीरपुर	247.87	2530	1690	840	208210.80
	तातरपुर	1154.44	2550	1690	860	992818.40
	रतनपुर कलन	844.88	2460	1690	770	650557.60
	नगला खोखर	693.12	2550	1690	860	596083.20
	बरथाल सिरसी	643.17	2550	1690	860	553126.20
	बटौआ	589.89	2450	1690	760	448316.40
	बीलना	785.2	2650	1690	960	753792.00
	सोनमई	506.93	2550	1690	860	435959.80
	रूस्तमपुर नियावली	853.23	2550	1690	860	733777.80
	अकरोली	140.61	2490	1690	800	112488.00
	भूड़ा बेगमपुर	626.78	2550	1690	860	539030.80
	;kx					**94,71,404.28**
रामपुर	जमालपुर	444.66	2592.00	1647.00	945.00	420203.70
	भूलापुर	256.962	2553.00	1645.00	908.00	233321.50
	अजीतपुर	826.01	2513.00	1645.00	868.00	716976.68
	रसूलपुर	770.44	2663.00	1647.00	1016.00	782767.04
	पटवई	890.38	2552.00	1647.00	905.00	805793.90
	चोकौनी	915.82	2448.00	1647.00	801.00	733571.82
	पैगम्बरपुर	553.92	2429.00	1647.00	782.00	433165.44

	मुबारकपुर	219.45	2429.00	1647.00	782.00	171609.90
	डांडिया नियामतगज	353.83	2429.00	1647.00	782.00	276695.06
	अतैनगर	395.29	2578.00	1647.00	931.00	368014.99
	हमीरपुर	564.79	2592.00	1645.00	947.00	534856.13
	मुबारकपुर रसूला	217.12	2429.00	1647.00	782.00	169787.84
	चौधरपुर	450.97	2592.00	1645.00	947.00	427068.59
	चक गजरौला	501.16	2524.00	1647.00	877.00	439517.32
	मुंशीगंज	417.67	2524.00	1647.00	877.00	366296.59
	बबूरा	269.607	2578.00	1645.00	933.00	251543.33
	ककरावा	458.39	2523.00	1647.00	876.00	401549.64
	;kx					**7532739.47**
	कसमपुर गरही	756.71	2595	1720	875	662121.25
	मोहनपुर	284.74	2753	1720	1033	294136.42
	किशनपुर	187.69	2594	1720	874	164041.06
	राजारामपुर खदर	775.089	2616	1720	896	694479.74
	किशनबास	459.429	2616	1720	896	411648.38
	चंद्रभानपुर	150.97	2615	1720	895	135118.15
	बेगमपुर शादी	1310.87	2500	1720	780	1022478.60
	शेरपुर गधू	2388.49	2511	1720	791	1889295.59
	बस्ता	1401.81	2690	1720	970	1359755.70
	बीबीपुरा	1006.35	2690	1720	970	976159.50
	हाजी मोहम्मदपुर कोट द्वितीय	1355.87	2505	1720	785	1064357.95
					;kx	**8673592.35**
					egk;kx	**2,56,77,736.10**

(L=kr % lcf/kr xkeh.k vfHk;=.k lok [k.M)

ifjf'k"B – 3.13

(lanHkZ % iLrj 3.1.8; i"B la[;k 80)

vkjlhlh dk;Z ij vfrfjDr 0;;

tuin dk vkj-bZ-;w-l-[k.M	dk;Z dk uke	vkj lh lh ¼doj½ dh fu"ikfnr ek=k ¼?kueh0½	fufeZr vkj lh lh doj dh ekVkbZ ¼ehVj½	vkjlhlh doj dh ekVkbZ dk {k=Qy dk0 4 ds vuqlkj	vkjlhlh doj dh 5 lseh- ekVkbZ es vko";d ek=k ¼ehVj½	vkjlhlh doj dh vf/kd ek=k ?kueh0 es ¼dk0 3&dk0 6½	vkjlhlh doj dh nj ¼₹ esa½	vkjlhlh doj ij vf/kd 0;; ¼dk0 7 x dk0 8½ ¼₹ में½	vkjlhlh doj ds fu"ikfnr ek=k es iz;qDr LVhy dh ek=k ¼dqUry½	5 lseh- ekVkbZ dh iz;qDr LVhy dh ek=k dk0 6&dk0 1 izfr'kr dqUry es	LVhy dh vf/kd ek=k dqUry es ¼dk0 10 dk0 11½	LVhy dh nj ¼₹ esa½	LVhy ij vf/kd 0;; ¼₹ esa½	vkjlhlh doj ij dqy vf/kd 0;; ₹ es ¼dk0 9&dk0 14½
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
हरदोई	वसित नगर	422.350	0.100	4223.500	211.175	211.175	3754.40	792835.00	206.770	165.772	40.998	5000.00	204988.00	997823.00
	बधुआमऊ	211.380	0.100	2113.800	105.690	105.690	3754.40	396803.00	136.210	82.967	53.243	5000.00	266217.00	663020.00
	रहुला	399.300	0.100	3993.000	199.650	199.650	3754.40	749566.00	257.160	156.725	100.435	5000.00	502174.00	1251740.00
	लालपालपुर	419.120	0.100	4191.200	209.560	209.560	3754.40	786772.00	262.040	164.505	97.535	5000.00	487677.00	1274449.00
	काकेंदुआ	169.920	0.100	1699.200	84.960	84.960	3754.40	318974.00	108.160	66.694	41.466	5000.00	207332.00	526306.00
	तिकराबरार	216.360	0.100	2163.600	108.180	108.180	3754.40	406151.00	162.000	84.921	77.079	5000.00	385394.00	791545.00
	अत्तादानपुर	338.390	0.100	3383.900	169.195	169.195	3754.40	635226.00	200.380	132.818	67.562	5000.00	337810.00	973036.00
	पिंडारी	218.400	0.100	2184.000	109.200	109.200	3754.40	409980.00	123.070	85.722	37.348	5000.00	186740.00	596720.00
	माझीगांव शिवपुरी	67.220	0.100	672.200	33.610	33.610	3754.40	126185.00	13.200	26.384	0.000	5000.00	0.00	126185.00
							;ksx	4622492.00					2578332.00	7200824.00

उन्नाव	कटरा दीवानखेड़ा	0.000	0.075	0.000	0.000	0.000	4645.00	0.00	0.000	0.000	0.000	5000.00	0.00	0.00
	चैनपुर	153.750	0.075	2050.000	102.500	51.250	4751.00	243489.00	183.000	80.463	102.538	5000.00	512688.00	756177.00
	सुरसौनी ए	312.370	0.075	4164.933	208.247	104.123	4504.00	468971.00	449.190	163.474	285.716	5000.00	1428582.00	1897553.00
	शहरावा	0.000	0.075	0.000	0.000	0.000	4645.50	0.00	0.000	0.000	0.000	5000.00	0.00	0.00
	बहदनाग ए	275.650	0.075	3675.333	183.767	91.883	4640.80	426412.00	161.690	144.257	17.433	5000.00	87166.00	513578.00
	गुडवा बिशुनपुर	392.050	0.075	5227.333	261.367	130.683	4539.00	593172.00	392.920	205.173	187.747	5000.00	938736.00	1531908.00
	शीर्ष कन्हार	173.820	0.075	2317.600	115.880	57.940	4674.00	270812.00	126.310	90.966	35.344	5000.00	176721.00	447533.00
	सुरसैनी बी	316.010	0.075	4213.467	210.673	105.337	4504.00	474436.00	200.000	165.379	34.621	5000.00	173107.00	647543.00
	कुल्हा अतौरा ए	181.200	0.075	2416.000	120.800	60.400	4696.00	283638.00	179.670	94.828	84.842	5000.00	424210.00	707848.00
	मकुर ए	81.750	0.075	1090.000	54.500	27.250	4539.00	123688.00	79.390	42.783	36.608	5000.00	183038.00	306726.00
	रसूलपुर बकिया द्वितीय	67.340	0.075	897.867	44.893	22.447	4526.00	101594.00	53.140	35.241	17.899	5000.00	89494.00	191088.00
	उतरौरा	95.190	0.075	1269.200	63.460	31.730	4750.00	150718.00	188.200	49.816	138.384	5000.00	691920.00	842638.00
	बरूवा	157.290	0.075	2097.200	104.860	52.430	4539.00	237980.00	128.840	82.315	46.525	5000.00	232625.00	470605.00
	कुल्हा अतौरा बी	128.430	0.075	1712.400	85.620	42.810	4696.00	201036.00	128.090	67.212	60.878	5000.00	304392.00	505428.00
							;kx	**3575946.00**					**5242679.00**	**8818625.00**
रायबरेली	विशुनपुर	127.990	0.075	1706.533	85.327	42.663	5130.00	218863.00	83.750	66.981	16.769	5000.00	83843.00	302706.00
	धरई	60.760	0.075	810.133	40.507	20.253	5130.00	103900.00	76.840	31.798	45.042	5000.00	225211.00	329111.00
	बरदर	107.970	0.075	1439.600	71.980	35.990	5130.00	184629.00	76.850	56.504	20.346	5000.00	101729.00	286358.00
	खीरों–1	215.730	0.075	2876.400	143.820	71.910	5130.00	368898.00	180.350	112.899	67.451	5000.00	337257.00	706155.00
	कंदरावां	225.040	0.075	3000.533	150.027	75.013	5130.00	384818.00	220.190	117.771	102.419	5000.00	512095.00	896913.00
	बवानबुर्जुग बल्ला	0.000	0.075	0.000	0.000	0.000	5130.00	0.00	0.000	0.000	0.000	5000.00	0.00	0.00
	खीरों–2	203.420	0.075	2712.267	135.613	67.807	5130.00	347848.00	158.550	106.456	52.094	5000.00	260468.00	608316.00
	ऐहर	167.110	0.075	2228.133	111.407	55.703	5130.00	285758.00	173.890	87.454	86.436	5000.00	432179.00	717937.00
	सनेही	54.390	0.075	725.200	36.260	18.130	5130.00	93007.00	72.120	28.464	43.656	5000.00	218280.00	311287.00
							;kx	**1987721.00**		0.000			**2171062.00**	**4158783.00**
सीतापुर	नबीनगर	771.130	0.075	10281.733	514.087	257.043	4492.80	1154844.00	811.030	403.558	407.472	5000.00	2037360.00	3192204.00
	रामकोट	372.100	0.075	4961.333	248.067	124.033	4453.00	552320.00	315.530	194.732	120.798	5000.00	603988.00	1156308.00
	सेवता	753.270	0.100	7532.700	376.635	376.635	4621.50	1740619.00	390.000	295.658	94.342	5000.00	471708.00	2212327.00
	पंचमपुरवा	373.660	0.100	3736.600	186.830	186.830	4400.00	822052.00	395.000	146.662	248.338	5000.00	1241692.00	2063744.00
	पुरवा आचार्य	273.370	0.050	5467.400	273.370	0.000	4585.50	0.00	218.930	214.595	4.335	5000.00	21673.00	21673.00
	रिहार	436.350	0.050	8727.000	436.350	0.000	4575.50	0.00	401.100	342.535	58.565	5000.00	292826.00	292826.00
	उरदौली	215.150	0.100	2151.500	107.575	107.575	4453.00	479031.00	236.210	84.446	151.764	5000.00	758818.00	1237849.00

	संदा	253.030	0.100	2530.300	126.515	126.515	4588.70	580539.00	373.860	99.314	274.546	5000.00	1372729.00	1953268.00
	आंत	299.660	0.100	2996.600	149.830	149.830	4502.60	674625.00	287.170	117.617	169.553	5000.00	847767.00	1522392.00
	नैपालापुर	408.230	0.100	4082.300	204.115	204.115	4400.00	898106.00	500.000	160.230	339.770	5000.00	1698849.00	2596955.00
	सेमरा	183.900	0.100	1839.000	91.950	91.950	4543.60	417784.00	214.880	72.181	142.699	5000.00	713496.00	1131280.00
	इतौवां	359.890	0.100	3598.900	179.945	179.945	4476.00	805434.00	392.400	141.257	251.143	5000.00	1255716.00	2061150.00
	सीता रसोई	212.740	0.100	2127.400	106.370	106.370	4529.80	481835.00	214.200	83.500	130.700	5000.00	653498.00	1135333.00
	औरंगाबाद	498.280	0.100	4982.800	249.140	249.140	4539.10	1130871.00	356.290	195.575	160.715	5000.00	803576.00	1934447.00
	पकरिया धापूपुर	208.900	0.100	2089.000	104.450	104.450	4466.30	466505.00	134.990	81.993	52.997	5000.00	264984.00	731489.00
							;kx	**10204565.00**					**13038680.00**	**23243245.00**
लखीमपुर	संसारपुर	358.810	0.075	4784.133	239.207	119.603	4986.00	596342.00	358.780	187.777	171.003	5000.00	855014.00	1451356.00
	दुलही	318.150	0.075	4242.000	212.100	106.050	5261.00	557929.00	310.580	166.499	144.082	5000.00	720408.00	1278337.00
	सेमरी	394.350	0.075	5258.000	262.900	131.450	5295.00	696028.00	303.500	206.377	97.124	5000.00	485618.00	1181646.00
	सिसैया कलन (चमारां का पुरवा)	399.310	0.075	5324.133	266.207	133.103	5302.00	705714.00	327.630	208.972	118.658	5000.00	593289.00	1299003.00
	सिसोरा नाजिर	407.800	0.075	5437.333	271.867	135.933	5161.00	701552.00	262.780	213.415	49.365	5000.00	246823.00	948375.00
	सिंघा कलन	173.280	0.075	2310.400	115.520	57.760	5244.00	302893.00	156.170	90.683	65.487	5000.00	327434.00	630327.00
	हिम्मतपुर	182.390	0.075	2431.867	121.593	60.797	5072.00	308361.00	126.000	95.451	30.549	5000.00	152746.00	461107.00
	माझीगांव	168.020	0.075	2240.267	112.013	56.007	5092.00	285186.00	137.470	87.930	49.540	5000.00	247698.00	532884.00
	दुलहापुर चौबे	58.380	0.075	778.400	38.920	19.460	5147.00	100161.00	38.540	30.552	7.988	5000.00	39939.00	140100.00
	शहेरूवा	186.300	0.075	2484.000	124.200	62.100	5168.00	320933.00	263.430	97.497	165.933	5000.00	829665.00	1150598.00
	रौलिया	227.990	0.075	3039.867	151.993	75.997	5206.00	395639.00	179.830	119.315	60.515	5000.00	302576.00	698215.00
							;kx	**4970738.00**					**4801210.00**	**9771948.00**
							egk;kx	**25361462.00**					**27831963.00**	**53193425.00**

(L=kr % lcf/kr xkeh.k vfHk;=.k lok [k.M)

ifjf'k"V - 3.14

(lnHkZ % iLrj 3.1.8; i"B l[;k 80)

vkjlhlh dk;l ij vfrfjDr 0;;

[k.M	xkWo dk uke	vkjlhlh doj dh fu"ikfnr ek=k ¼eh^{3}½	fufelr vkjlhlh doj dh ekVkbl ¼ehVj½	vkjlhlh doj dh ekVkbl dk {k=Qy dk0 4 ds vulkj	5 lseh- ekVkbl dh vkjlhlh doj dh vko';d ek=k ¼ehVj½	vkjlhlh doj dh vf/kd ek=k ?kueh0 es ¼dk0 3&dk0 6½	vkjlhlh dk;l dh nj ₹ es	vkjlhlh doj ij vf/kd 0;; ₹ es ¼dk0 7 x dk0 8½	fu"ikfnr vkjlhlh doj es i;Dr ek=k	5 lseh- ekVkbl dh vko';d LVhy dh ek=k ¼dk0 6 dk 1 ifr'kr dUry es½	vf/kd ekVkbl ds dkj.k vf/kd LVhy dh ek=k ¼dk0 10 & dk0 11½	LVhy dh nj ¼ ₹ es½	LVhy ij vf/kd 0;; ₹ es ¼dk0 11 x dk0 6½	vkjlhlh doj ij dly vf/kd 0;; ₹ es ¼dk0 9 $ dk0 14 ½
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
रामपुर	जमालपुर	82.570	0.075	1100.933	55.047	27.523	4262.00	117304.45	82.300	43.212	39.088	5300.00	207168.34	324472.79
	भूलापुर	52.877	0.075	705.027	35.251	17.626	4225.00	74468.44	55.930	27.672	0.000	5300.00	0.00	74468.44
	अजीतपुर	302.940	0.075	4039.200	201.960	100.980	4186.00	422702.28	307.660	158.539	149.121	5300.00	790343.42	1213045.70
	रसूलपुर	103.960	0.075	1386.133	69.307	34.653	4329.00	150014.28	112.300	54.406	57.893	5300.00	306834.31	456848.59
	पटवई	126.540	0.075	1687.200	84.360	42.180	4224.00	178168.32	122.150	66.223	55.925	5300.00	296404.62	474572.94
	चोकौनी	154.520	0.075	2060.267	103.013	51.507	4126.00	212516.51	153.470	80.865	72.605	5300.00	384804.03	597320.53
	पैगम्बरपुर	29.530	0.075	393.733	19.687	9.843	4109.00	40446.26	21.270	15.454	5.816	5300.00	30824.62	71270.88
	मुबारकपुर	48.320	0.075	644.267	32.213	16.107	4109.00	66182.29	41.700	25.287	16.413	5300.00	86986.43	153168.72
	डांडिया नियामतगंज	43.250	0.075	576.667	28.833	14.417	4109.00	59238.08	38.220	22.634	15.586	5300.00	82604.92	141843.00
	अतैनगर	78.500	0.075	1046.667	52.333	26.167	4252.00	111260.67	68.870	41.082	27.788	5300.00	147278.17	258538.83
	हमीरपुर	251.500	0.075	3353.333	167.667	83.833	4262.00	357297.67	249.020	131.618	117.402	5300.00	622228.83	979526.50
	मुबारकपुर रसूला	18.860	0.075	251.467	12.573	6.287	4109.00	25831.91	17.050	9.870	7.180	5300.00	38053.65	63885.56
	चौधरपुर	125.330	0.075	1671.067	83.553	41.777	4262.00	178052.15	129.250	65.589	63.661	5300.00	337401.36	515453.51
	चक गजरौला	171.880	0.075	2291.733	114.587	57.293	4197.00	240460.12	182.910	89.951	92.959	5300.00	492685.17	733145.29
	मुंशीगंज	116.420	0.075	1552.267	77.613	38.807	4197.00	162871.58	100.490	60.926	39.564	5300.00	209686.73	372558.31
	बबूरा	125.280	0.075	1670.373	83.519	41.759	4252.00	177560.69	107.440	65.562	41.878	5300.00	221952.59	399513.27
	ककरावा	375.240	0.075	5003.200	250.160	125.080	4197.00	524960.76	395.770	196.376	199.391	5300.00	1056774.42	1581735.18
							;kx	**3099336.46**					**5312031.61**	**8411368.04**
बिजनौर	कसमपुर गरही	31.720	0.075	422.933	21.147	10.573	4137.00	43741.88	27.250	16.600	10.650	5300.00	56444.29	100186.17
	मोहनपुर	68.520	0.075	913.600	45.680	22.840	4285.00	97869.40	68.760	35.859	32.901	5300.00	174376.36	272245.76
	किशनपुर	46.680	0.075	622.400	31.120	15.560	4136.00	64356.16	35.960	24.429	11.531	5300.00	61113.24	125469.40
	राजारामपुर खदर	147.720	0.075	1969.640	98.482	49.241	4156.00	204645.60	132.560	77.308	55.251	5300.00	292828.34	497473.94
	किशनबास	94.970	0.075	1266.267	63.313	31.657	4156.00	131565.11	78.664	49.701	28.963	5300.00	153504.08	285069.18
	चंद्रभानपुर	44.560	0.075	594.133	29.707	14.853	4157.00	61745.31	45.640	23.320	22.320	5300.00	118297.41	180042.72
	बेगमपुर शादी	199.920	0.075	2665.600	133.280	66.640	4048.00	269758.72	155.000	104.625	50.375	5300.00	266988.56	536747.28
	शेरपुर गधू	463.600	0.075	6181.333	309.067	154.533	4041.00	624469.20	403.000	242.617	160.383	5300.00	850028.13	1474497.33
	बस्ता	491.180	0.075	6549.067	327.453	163.727	4225.00	691745.17	365.210	257.051	108.159	5300.00	573243.41	1264988.57
	बीबीपुरा	425.430	0.075	5672.400	283.620	141.810	4225.00	599147.25	319.850	222.642	97.208	5300.00	515203.99	1114351.24
	हाजी मो0पुर कोट द्वितीय	225.850	0.075	3011.333	150.567	75.283	4053.00	305123.35	192.110	118.195	73.915	5300.00	391750.38	696873.73
							;kx	**3094167.15**					**3453778.19**	**6547945.32**
							egk;kx	**6193504.00**					**8765810.00**	**14959313.00**

(L=kr % lcf/kr xkeh.k vfHk;=.k lok [k.M)

ifjf'k"V&3-15

¼lUnHkZ½ iSjkxzkQ 3-2-1; i"B la[;k 81½

ifjogu 0;;] bR;kfn dk Hkqxrku

(₹ करोड़ में)

Ø0 l0	ou iHkkx@ ftyk	ikS/kk dk <yku ij 0;;	foyEC 0;;	vkdfLed 0;;	LFkkuh; ifjogu 0;;	ynku@mrjkbZ 0;;	fi.Mh [kknku ,oa vU; 0;;	dqy Hkqxrku fd;k x;k ifjgou 0;;
1	बांदा	1.94	0.11	0.06	0.30	0.05	0.46	**2.92**
2	चित्रकूट	3.20	0.26	0.14	1.00	0.79	0.38	**5.77**
3	महोबा	1.66	0.09	0.05	0.37	0.06	0.30	**2.54**
4	हमीरपुर	3.79	0.26	0.14	0.98	0.26	0.38	**5.80**
5	झांसी	5.28	0.32	0.16	0.69	0.38	1.28	**8.11**
6	ललितपुर	5.96	0.31	0.16	0.43	1.45	0.78	**9.09**
7	उरई(जलौन)	3.10	0.17	0.14	1.86	0.21	0.39	**5.87**
dqy		**24.93**	**1.52**	**0.85**	**5.63**	**3.20**	**3.97**	**40.10**

(स्रोत: बुन्देलखण्ड परिक्षेत्र के सात प्रभागीय वनाधिकारी)

ifjf'k"V 3-16

¼lnHk ½ çLrj 3-4-1(i"B l[;k 97½

Hk çfrdj d Hkxrku gr dk"kkxkjk l vkgfjr /kujkf'k

Øe l[;k	[kM dk uke	o"k	/kujkf'k (₹ e)	cd Mk¶V dh l[;k
1	अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड–द्वितीय महाराजगंज	2007-08	5069280	326
		2008-09	3218982	321
		2009-10	45807	24
		;kx	**8332719**	**669**
2	अधिशासी अभियंता, मौदहा बांध निर्माण खंड हमीरपुर	2004-05	920632	113
		2006-07	201379	1
		2007-08	949398	
		2008-09	101671	7
		;kx	**2173080**	**183**
3	अधिशासी अभियंता, मध्य गंगा नहर निर्माण खंण्ड –5 बिजनौर	2009-10	3138932	26
		;kx	**3138932**	**26**
4	अधिशासी अभियंता, सिचाई निर्माण खंड माताटीला, ललितपुर	2008-09	10660540	161
		2009-10	112701	12
		;kx	**10773241**	**173**
5	अधिशासी अभियंता, सरयू नहर खंड–द्वितीय गोंडा	2007-08	24800	3
		2008-09	924525	46
		2009-10	1898326	37
		;kx	**2847651**	**86**
6	अधिशासी अभियंता, मध्य गंगा नहर निर्माण खंण्ड –15 मुरादाबाद	2008-09	1320224	13
		2009-10	9294291	72
		;kx	**10614515**	**85**
		dy ;kx	**37880138**	**1222**

¼lkr % Nh vf/k'kklh vfHk;rvk d vfHkys[k½

ifjf'k"V 3-17

¼lanHkZ % çLrj 3-4-1(i"B l[;k 97½

ifjgk;Z C;kt dk Hkkj dh x.kuk

¼₹ e½

o"kZ@C;kt		04-05/ 9.47	05-06/ 6.49	06-07/ 6.74	07-08/ 6.43	08-09/ 6.43	09-10/ 6.43	;kx
vf/k'kklh vfHk;ark] flapkbZ [kM&f}rh; egkjktxat								
2007-08	5069280				164612	325955	325955	816522
2008-09	3218982					79176	206981	285157
2009-10	44457						2041	2041
;kx	**8332719**							**1103720**
vf/k'kklh vfHk;ark] ekngk ck/k fuekZ.k [kM gehjiqj								
2004-05	920632	10265	59749	62051	59197	59197	59197	309656
2006-07	201379			1131	12949	12949	12949	39978
2007-08	979398				13955	61046	61046	136047
2008-09	101671					4358	6537	10895
;kx	**2173080**							**496476**
vf/k'kklh vfHk;ark] e/; xaxk ugj fuekZ.k [kM & 5 fctukSj								
2009-10	3138932						133841	133841
;kx	**3138932**							**133841**
vf/k'kklh vfHk;ark] flapkbZ fuekZ.k [kM ekrkVhyk] yfyriqj								
2008-09	10660540					123264	685473	808737
2009-10	112701						6397	6397
;kx	**10773241**							**815134**
vf/k'kklh vfHk;ark] lj;w ugj [kM&f}rh; xksaMk								
2007-08	24800				265	1594	1594	3455
2008-09	924525					8879	59447	68328
2009-10	1898326						80018	80018
;kx	**2847651**							**151799**
vf/k'kklh vfHk;ark] e/; xaxk ugj fuekZ.k [kM&15 eqjknkckn								
2008-09	1320224						84890	84890
2009-10	9294291						396252	396252
;kx	**10614515**							**481142**
dqy ;kx	**37880138**							**3182212**

lkfjf'k"V-4.1

(lUnHkZ: iSjk 4.1.1; i`"B 100)

i'kqx.kuk 2003 rFkk 2007 ds vuqlkj i'kq/ku dh la[;k

(la[;k yk[k esa)

d0la0.	i'kq/ku	i'kqx.kuk 2003	i'kqx.kuk 2007	of) dh izfr'krrk
1	xk; : ladj	16.34	17.69	8.26
	xk;: ns'kh	169.17	173.27	2.42
	xk; ;ksx	185.51	190.96	2.94
2	HkSal	229.14	261.34	14.05
3	HksM+	14.37	13.73	-4.45
4	cdjh	129.41	146.44	13.16
5	lqvj %ladj	1.86	1.68	-9.68
	lqvj%ns'kh	20.98	18.10	-13.73
6	lqvj%;ksx	22.84	19.79	-13.35
7	dqy i'kq	581.27	632.25	8.77
8	dqDdqV	117.18	107.21	-8.51

(स्रोतः पशु पालन विभाग)

ifjf'k"V-4.2

(lanHkZ: iSjkxzkQ *4.1.4;* i"B *101)*

l;Dr fujh{k.k dk fooj.k

d-l-	tuin dk uke	lk'k fpfdRlky;k dk l;Dr fujh{k.k	ldj Lo;a lgk;rk leg dk uke	cdjh Lo;a lgk;rk leg dk uke	cd;kM ykHkkfFk;ka dk uke
1.	मु.प.चि.अ., आगरा	सैयां	1. वैष्णव देवी 2. अति निर्बल	सीता	केशव सिंह
2.	मु.प.चि.अ.,इलाहाबाद	सोरांव	--	स्व.स.स. स्थित सराय गोपाल	भाईलाल
3.	मु.प.चि.अ.,अम्बेदकर नगर	कटहरी तथा टांडा	प्रेम(कटहरी)	आदर्श (टाण्डा)	प्रेम (शीला टांडा)
4.	मु.प.चि.अ.,बाराबंकी	छेवा	ओम् शिव	अम्बेडकर	जय श्रीराम
5.	मु.प.चि.अ., बरेली	बिथानी चैनपुर	बाल्मीकी	भगवान शंकर	सरिता तथा परमेश्वरी
6.	मु.प.चि.अ.,बिजनौर	हल्दौर	बाल्मीकी	आदर्श	--
7.	मु.प.चि.अ., बुलन्दशहर	खुरा	अम्बेदकर	काशी	देवेन्द्र किशोरी, अमर सिंह, प्रमदत, राजपाल एवं अन्य तीन
8.	मु.प.चि.अ., देवरिया	भलुआनी	श्रविदास	सर्वोदय	--
9.	मु.प.चि.अ., एटा	सकेत	सत्यम	अम्बेडकर	चन्द्रपाल
10.	मु.प.चि.अ., फैजाबाद	तरून तथा बीकापुर	स्वागतम तथा सुप्रीया (तरूण)	डा. भीमराव अम्बेडकर (बीकापुर)	महेन्द्र तथा राजेश
11.	मु.प.चि.अ., फतेहगढ़	मोहम्मदाबाद	जय पिराने बाबा	साक्षी	जगन्नाथ तथा रामाश्रय
12.	मु.प.चि.अ., फतेहपुर	असोथर, बहुआ तथा शाह	अश्वथामा(अशोथर)	ज्वाला (बहुआ)	सुशील कुमार (शाह)
13.	मु.प.चि.अ., फिरोजाबाद	प्रतापपुर (खारगढ़)	जय हनुमान	जय भीम	सुरेश चन्द
14.	मु.प.चि.अ., गाजीपुर	मोहम्मदाबाद	--	सरस्वती	तारा देवी
15.	मु.प.चि.अ., गोण्डा	के.वी., गोण्डा	श्री गणेश	जय गुरूदेव	शिवभान तथा रतिभान
16.	मु.प.चि.अ., हरदोई	बवन	डा. अम्बेडकर	जय भगवान	बली राम, रामकुमार
17.	मु.प.चि.अ., जौनपुर	करंजाकलां	जगजीवन राम	डा. भीम राव अम्बेडकर	खर पत्तू
18.	मु.प.चि.अ. कन्नौज	इंदरगढ़	शिवशंकर	जय शंकर	--
19.	मु.प.चि.अ., कानपुर नगर	उत्तरी पुरा तथा शिवराजपुर	गणेश (उतरीपुरा)	उत्तम (शिवराज पुर)	राम सजीवन, शिवचरण, रमेश, सोहन लाल तथा राम शंकर
20.	मु.प.चि.अ., कौशाम्बी	पश्चिम शरीरा	जय अम्बे	नमो बुद्धाय	गरीब दास और पंचम
21.	मु.प.चि.अ., महराजगंज	सदर	मीराबाई	महामाया	किरण कुमार
22.	मु.प.चि.अ., महोबा	पनवारी	अवतार मेहर बाबा	भीमराव अम्बेडकर	दासी
23.	मु.प.चि.अ., मेरठt	शाहजहांपुर	बाल्मीकी तथा अम्बेडकर नगर	लक्ष्य	राजेश
24.	मु.प.चि.अ., मिर्जापुर	राजगढ़	मां लक्ष्मी	जय बजरंग	--
25.	मु.प.चि.अ., मुरादाबाद	नारयण पुर देवा तथा बिलारी	उन्नाती (नारायण पुर देवा)	एकता (बिलारी)	म्गी
26.	मु.प.चि.अ., रायबरेली	अमवा	अम्बेडकर नगर तथा श्री गणेश	बउराहवा बाबा	--
27.	मु.प.चि.अ., रामपुर	सैदनगर	लक्ष्मी स्थित बिलासपुर	कांशी राम	श्री गुलाबी
28.	मु.प.चि.अ., सहारनपुर	सिधौली कादीम तथा मुज्जफराबाद	सुभन्द्रा तथा चांदी (सिधौली कादीम)	आदर्श (मुज्जफराबाद)	सुशील
29.	मु.प.चि.अ., सीतापुर	क्मालपुर	भुइया देवी	सिद्धेश्वर	सत्यनारायण तथा सुरेश
30.	मु.प.चि.अ., सुल्तानपुर	छुबेपुर तथा अमेठी	रीता & सुनीता (दुबेपुर)	गुलाब (अमेठी)	लाल चन्द्र तथा 16 अन्य
31.	मु.प.चि.अ., वाराणसी	बाड़ागांव	शिवम्	राधा	--
	मु.प.चि.अ.प्रभारी, चन्दौली, झांसी तथा वाराणसी स्थित प्रक्षेत्र				

¼Lkzksr% l;Dr Hkkfrd fujh{k.k½

नोटः प्रत्येक जनपदों में सदर, अस्पतालों का संयुक्त निरीक्षण किया गया क्योंकि मु.प.चि.अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय स्टोर तथा भण्डार का रखरखाव किया जा रहा है।

ifjf'k"V-4.3

(lanHkZ: IkSjkxzkQ 4.1.6.2, Ik"B 107)

nokvksa dh vuqiyC/krk

fooj.k	Tkkap fd;s x;s vLirkyksa dh la[;k	exuhf'k;e lYQsV ¼fdxzk½	lksMk ckbdkcZ ¼xzke½	Rkkjy IkSjkQhu ykbV ¼feyh½	vk;ksMhu ¼xzke½	IkksVsf'k;e vk;ksMkbt ¼xzke½	,dhfQykohu ¼xzke½	Lk¶V IkSjkQhu ;qyk@àkbV ¼fdxzk½	ejD;wj&jksdkse ¼xzke½	Vh-cUt kbu dk- ¼feyh½	Vh- QjhIkjDyksj ¼feyh½	IkksVsf'k;e ijesxuV ¼xzke½	Rkkjihu rsy ¼feyh½	Rkkjy vekfu;k QkVZ Ckh- foVk- lh- ¼feyh½	Qjeyhu ¼feyh½	ftad vkDlkbM ¼xzke½	,flM dkckfyd ¼feyh½	lkfM;e Fkk;ks lYQsV ¼xzke½
	(o"k 2007-08)																	
;ksx	777	456	589	706	540	551	582	736	572	638	736	502	597	769	651	522	727	519
vLirkyksa dh ifr'krrk tgka nok,sa miyC/k ugh Fk		59	76	91	69	71	75	95	74	82	95	65	77	99	84	67	94	67
(o"k 2008-09)																		
;ksx	777	341	554	569	474	454	530	692	540	552	666	467	533	761	580	589	666	497
vLirkyksa dh ifr'krrk tgka nok,sa miyC/k ugh Fkh		44	71	73	61	58	68	89	69	71	86	60	69	98	75	76	86	64
(o"k 2009-10)																		
;ksx	777	334	453	489	421	462	449	713	518	471	703	319	502	694	477	584	611	238
vLirkyksa dh la[;k tgka nok,sa miyC/k ugh Fkh		43	58	63	54	59	58	92	67	61	90	41	65	89	61	75	79	31

¼L=ksr% ftyksa dh ueuk tkap½

ifjf'k"V –4.4

¼lnHkZ: iSjkxkQ 4.1.7.2; i"B 112)

,p-,l- dk Vhdkdj.k

d-l-	,LdM ds vUrxZr ,p-,l- Vhdkdj.k ls vkPNkfnr tuin							
	Tkuin dk uke		2008-09			2009-10		
		lk'kqlS[;k yk[k esa	Yk{;	ifrZ	Yk{; dh iwfr' krrk	Yk{;	ifrZ	Yk{; dh iwfr'krrk
		Xkkoa'kh; ,oa efg’koa'kh;	Lk[;k yk[k esa			Lk[;k yk[k esa		
1	vEcsndj uxj	4.66	4.66	1.91	41	4.66	1.59	34
2	vkTkex<+	8.75	8.75	4.31	49	8.76	2.30	26
3	cgjkbp	7.69	7.69	1.94	25	7.69	2.57	33
4	Ckfy;kTk	4.51	4.51	3.02	67	4.50	1.55	34
5	cyjkeiqj	4.41	4.41	1.40	32	4.42	1.18	27
6	ckjkcadh	7.22	7.22	3.38	47	7.21	2.52	35
7	cLrh	3.92	3.92	3.44	88	3.91	1.69	43
8	nofj;kTk	3.45	3.45	1.95	57	3.45	1.51	44
9	,Vk	8.64	8.64	1.43	17	8.64	2.12	25
10	QSt kckn	5.62	5.62	2.78	49	5.63	2.92	52
11	Xkk.Mk	8.11	8.11	4.97	61	8.11	2.31	28
12	Xkksj[kiqj	4.73	4.73	4.12	87	4.73	2.74	58
13	dkS'kkEcxj	3.49	3.49	1.65	47	3.50	1.40	40
14	Ykf[keiqj [khjh	8.45	8.45	6.07	72	8.41	2.96	35
15	egjktxat	3.43	3.43	2.55	74	3.43	1.98	58
16	eÅ	3.28	3.28	1.70	52	3.26	1.73	53
17	ihyhHkhr	3.91	3.91	1.31	34	3.91	1.38	35
18	“kkgtgkaiqj	5.60	5.60	3.38	60	5.60	1.48	26
19	Lkardchj uxj	2.54	2.54	2.33	92	2.53	1.31	52
20	fl)kFkZuxj	4.58	4.58	3.01	66	4.57	1.36	30
21	lhrkiqj	10.34	10.34	2.94	28	10.34	3.01	29
22	JkoLrh	3.43	3.43	1.29	38	3.43	0.96	28
	;ksx	**120.76**	**120.76**	**60.88**	**50**	**120.69**	**42.57**	**35**
	vo'ks"k 48 Tkuin							
1	vkxjk	8.72	2.15	1.72	80	2.36	1.31	56
2	vfyx<+	8.58	3.66	2.16	59	4.02	1.12	28
3	bykgkckn	11.52	3.85	2.99	78	4.23	2.97	70
4	vkSj;k	2.97	1.13	0.96	85	1.24	0.43	35
5	Cknk;w	10.95	2.81	1.84	65	3.09	0.89	29
6	ckxir	4.32	1.40	1.43	102	1.54	1.19	77
7	ckank	6.20	1.68	1.46	87	1.84	1.17	64
8	cjsyh	7.24	2.81	2.83	101	3.09	1.59	51
9	fctukSj	7.87	2.81	2.41	86	3.09	1.81	59
10	cqyUn'kgj	12.75	3.17	1.98	62	3.48	1.14	33
11	pUnkSyh	3.30	1.41	1.24	88	1.55	1.19	77
12	fp=dwV /kke	5.59	1.04	0.83	80	1.14	0.76	67
13	,Vk	3.20	2.07	1.80	87	2.27	1.33	59
14	Q:[kkckn	3.58	1.22	1.43	117	1.34	1.02	76
15	Qrsgiqj	7.03	3.09	1.92	62	3.39	1.89	56
16	fQjkstkckn	5.31	1.97	1.25	63	2.17	0.84	39
17	Tkh-ch- uxj	3.05	1.77	1.24	70	1.94	1.05	54
18	xkftk;kckn	5.68	2.79	1.63	58	3.07	1.68	55
19	xkthiqj	6.99	3.28	2.57	78	3.60	1.67	46
20	gehjiqj	3.99	1.59	1.57	99	1.74	0.97	56
21	gjnksbZ	9.64	3.38	2.32	69	3.71	1.97	53
22	Tks-ih- uxj	4.09	1.12	0.98	88	1.23	0.96	78

23	Tkkyku	4.76	1.68	1.77	105	1.84	1.90	103
24	Tkkuij	8.81	3.18	2.41	76	3.49	2.52	72
25	>kIh	4.89	1.97	1.51	77	2.17	1.89	87
26	dUukt	3.60	1.22	0.93	76	1.34	1.00	75
27	dkuij ngkr	3.72	2.16	2.74	127	2.37	1.73	73
28	dkuij uxj	4.65	2.81	2.63	94	3.09	2.26	73
29	dk'kkEch	3.21	1.22	1.14	93	1.34	1.04	78
30	yfyrij	6.04	1.78	1.27	71	1.95	0.81	42
31	Yk[kuÅ	4.59	2.35	1.80	77	2.58	1.13	44
32	Ekgkek;uxj	4.09	0.93	0.87	94	1.03	0.61	59
33	egkck	3.03	0.85	0.76	89	0.93	0.56	60
34	euijh	3.63	1.41	1.30	92	1.55	1.43	92
35	eFkjk	7.97	1.78	1.44	81	1.97	1.60	81
36	ejB	7.00	2.42	1.84	76	2.64	1.63	62
37	feTkkij	6.50	2.25	1.74	77	2.47	1.76	71
38	ejknkckn	9.10	2.44	1.74	71	2.68	1.10	41
39	eTTkQj uxj	10.12	4.04	3.46	86	4.44	1.64	37
40	Ikrkix<	6.62	4.25	2.58	61	4.67	2.93	63
41	jk;cjyh	8.38	3.47	3.20	92	3.81	2.56	67
42	jkeij	4.80	1.50	1.39	93	1.65	1.41	85
43	Igkjuij	6.39	2.53	2.13	84	2.78	1.64	59
44	Lkr jfo nkI uxj	1.95	0.85	0.84	99	0.93	0.80	86
45	IkuHkn	7.01	1.41	1.27	90	1.55	1.33	86
46	IYrkuij	9.03	4.23	3.59	85	4.65	2.58	55
47	mUuko	8.24	4.22	2.95	70	4.64	2.31	50
48	0kkjk.kIh	3.20	1.41	1.81	128	1.55	0.84	54
	;kx	**293.90**	**108.56**	**87.67**	**81**	**119.24**	**69.96**	**59**

¼Lkkr% i'k ikyu foHkkx½

ifjf'k"V-4.5

(lnHk: ijkxkQ 4.1.7.2; i"B 113)

,Q-,e-Mh-&lh-ih- dk Vhdkdj.k

d-l-	Tkuin dk uke	,Q-,e-Mh-&lh-ih- d vUrxr vkPNkfnr tuin						
		lk'k lI[;k ¼yk[k e½	2008-09			2009-10		
			Yk{;	ifrl	Yk{; dh lkfr'krrk	Yk{;	ifrl	Yk{; dh lkfr'krrk
		Xkkoa'kh; ,o efg'koa'kh;	Lk[;k yk[k e			Lk[;k yk[k e		
1	vkxjk	8.72	7.80	0	0	7.80	10.07	129
2	vfyx<	8.60	8.55	8.55	100	8.55	10.75	126
3	Cknk;w	10.95	9.50	9.50	100	9.50	9.94	105
4	ckxir	4.32	3.60	3.60	100	3.60	4.45	124
5	cyUn'kgj	12.75	10.10	10.10	100	10.10	10.10	100
6	,Vk + dk'khjke uxj	8.63	8.60	0	0	8.60	9.84	114
7	fQjkTkkckn	5.31	4.40	4.40	100	4.40	4.40	100
8	Tkh-ch- uxj	3.05	2.81	2.81	100	2.81	2.81	100
9	xkfTk;kckn	5.68	5.60	5.57	99	5.60	6.10	109
10	gkFkjl	4.09	4.20	4.20	100	4.20	4.20	100
11	Tk-ih- uxj	4.09	5.10	5.10	100	5.10	5.61	110
12	eFkjk	7.97	6.10	6.10	100	6.10	6.10	100
13	ejB	7.00	6.35	6.30	99	6.35	7.60	120
14	ejknkcknj	9.10	7.45	7.45	100	7.45	7.45	100
15	eTtQj uxj	10.12	9.00	9.00	100	9.00	10.30	114
16	lgkjuij	6.39	7.15	7.15	100	7.15	7.15	100
	;kx	**116.77**	**106.31**	**89.83**	**84**	**106.31**	**116.87**	**110**

¼Lkksr% i'kq ikyu foHkkx½

ifjf'k"V –4.6

(lUnHkZ: i`jkxzkQ 4.1.7.2; i"B 113)

,LdsM dk vUrxZr ,Q-,e-Mh- Vhdkdj.k

d-l-	Tkuin dk uke	Ik'kq l[;k ¼yk[k e½	2008-09			2009-10		
			Yk{;	ifr	Yk{; dh Ikfr'kr rk	Yk{;	ifr	Yk{; dh Ikfr'kr rk
1	bykgkckn	11.52	11.51	5.95	52	11.51	7.06	61
2	vkj;k	2.97	2.97	1.48	50	2.97	2.67	90
3	Cfy;k	4.51	4.5	2.5	56	4.5	3.46	77
4	ckjkcdh	7.22	7.21	7.21	100	7.21	2.2	31
5	cjyh	7.24	7.25	2.53	35	7.25	6.45	89
6	fctukSj	7.87	7.89	2.1	27	7.89	7.93	101
7	pUnkSyh	3.3	3.31	1.01	31	3.31	2.54	77
8	nsofj;k	3.45	3.46	0	0	3.46	2.54	73
9	bVkok	3.2	3.19	1.77	55	3.19	2.65	83
10	Q:[kkckn	3.58	3.58	1.74	49	3.58	2.35	66
11	Qrsgiqj	7.03	7.03	2.15	31	7.03	7.82	111
12	xkthiqj	6.99	7	1.04	15	7	7.43	106
13	Xkj[kiqj	4.73	4.73	2.2	47	4.73	3.56	75
14	gjnkbZ	9.64	9.63	2.37	25	9.63	3.35	35
15	dUukSt	3.6	3.6	1.65	46	3.6	3.53	98
16	dkuiqj nsgkr	3.71	3.72	1.27	34	3.72	2.01	54
17	Dkuiqj uxj	4.65	4.65	2.5	54	4.65	3.31	71
18	dq'khuxj	3.49	3.5	1.57	45	3.5	3.58	102
19	Yk[kuÅ	4.59	4.59	1.64	36	4.59	3.49	76
20	Egkjkt xat	3.43	3.43	2.04	59	3.43	1.33	39
21	esuiqjh	3.63	3.64	1.48	41	3.64	3.93	108
22	fetkZiqj	6.5	6.49	2.04	31	6.49	5.81	90
23	jk;cjsyh	8.38	8.4	2.83	34	8.4	7.24	86
24	jkeiqj	4.8	4.8	1.81	38	4.8	3.88	81
25	Lkar dchj uxj	2.54	2.53	0.88	35	2.53	2.74	108
26	lqYrkuiqj	7.01	7.01	2.32	33	7.01	4.11	59
27	mUukko	8.24	8.25	4.82	58	8.25	4.5	55
28	Okkjk.klh	3.2	3.2	1.44	45	3.2	2.2	69
	;ksx	**151.02**	**151.07**	**62.34**	**41**	**151.07**	**113.67**	**75**
	,LdsM dk vUrxZr y{; dk 20 ifr'kr ls vkPNkfnr tuin							
1	vEcsndj uxj	4.66	0.93	0	0	0.93	0.05	5
2	vkTkexÅ	8.75	1.75	0.05	3	1.75	0	0
3	cgjkbp	7.69	1.54	0	0	1.54	0.5	32
4	cyjkeiqj	4.41	0.88	0	0	0.88	0.08	9
5	ckank	6.2	1.24	0.08	6	1.24	0	0
6	cLrh	3.92	0.78	0	0	0.78	0	0
7	fp=dwV	5.59	1.12	0.4	36	1.12	0.04	4
8	QStkckn	5.62	1.12	0	0	1.12	0.2	18
9	Xkksa.Mk	8.11	1.62	0	0	1.62	0.11	7
10	gehjiqj	3.99	0.8	0.09	11	0.8	0	0
11	tkykSu	4.76	0.95	0.19	20	0.95	0.03	3
12	tkSuiqj	8.81	1.76	0	0	1.76	0.08	5
13	>kalh	4.89	0.98	0.11	11	0.98	0.01	1
14	dk'kkEch	3.21	0.64	0	0	0.64	0	0
15	[khjh	8.45	1.69	0	0	1.69	0.49	29
16	yfyriqj	6.04	1.21	0.13	11	1.21	0.02	2
17	egksck	3.03	0.61	0.1	16	0.61	0	0
18	eÅ	3.28	0.65	0.04	6	0.65	0.04	6
19	ihyhHkhr	3.91	0.78	0.05	6	0.78	0.53	68

20	ikrkix<	6.62	1.32	0.01	1	1.32	0.02	2
21	Lkr jfonkl uxj	1.95	0.39	0	0	0.39	0	0
22	'kkgtgkiqj	5.6	1.12	0	0	1.12	0.5	45
23	JkoLrh	3.43	0.69	0	0	0.69	0.5	72
24	fl)kFkuxj	4.58	0.92	0.04	4	0.92	0.92	100
25	lhrkiqj	10.34	2.07	0	0	2.07	0.5	24
26	lqYrkuiqj	9.03	1.81	0.07	4	1.81	0.05	3
	;kx	**146.87**	**29.37**	**1.36**	**5**	**29.37**	**4.67**	**16**

¼Lkzksr% i'kq ikyu foHkkx½

Ikfjf'k"V -4.7
(lnHkZ: iSjkxzkQ: 4.1.7.4; i"B 115)
Lo;a lgk;rk lewg&¼lwvj½

bdkbZ dk uke	Lo;a lgk;rk lewg dk uke	LFkkiuk dk o"kZ	lw'kvksa dh la[;k		chek	Ckhfer lw'kvksa dh la[;k	nok,a iznRr gbZ ;k ugha	Ekr lw'kvksa dh la[;k	EkR;q dk dkj.k	lkf"kr nkoksa dh la[;k	iznRr nkoks dh la[;k	lw'kvksa dh la[;k
			uj	eknk								
मु.प.चि.अ., आगरा	1. वैष्णव देवी	2008-09	10	20	हां	30	हां	0	0	0	0	स्थानीय
	2. अति निर्बल	2009-10	8	20	नहीं	0	नहीं	0	0	0	0	स्थानीय
मु.प.चि.अ.,अम्बेदकर नगर	प्रेम	2009-10	10	20	हां	30	हां	0	0	0	0	स्थानीय 10-5-10
मु.प.चि.अ.,बाराबंकी	ओम् शिव	2009-10	10	20	नहीं	0	प.चि. पर	2	बीमारी	0	0	प्रक्षेत्र से नर
मु.प.चि.अ., बरेली	बाल्मीकी	2009-10	10	20	हां	30	न्हीं	21	र्दूघटना + बीमारी	2	0	प्रक्षेत्र से नर
मु.प.चि.अ.,बिजनौर	बाल्मीकी	2007-08	10	20	हां	30	ळां	0	0	0	0	स्थानीय
मु.प.चि.अ., बुलन्दशहर	अम्बेदकर	2009-10	0	0	नहीं	0	`0	0	0	0	0	-
मु.प.चि.अ., देवरिया	रविदास	2009-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
मु.प.चि.अ., एटा	सत्यम	2009-10	10	40	हां	50	हां लेकिन मृत	3	बीमारी	0	0	स्थानीय
मु.प.चि.अ., फैजाबाद	स्वागतम तथा सुप्रीया	2009-10	0	12	नहीं	0	प.चि. पर	0	0	0	0	स्थानीय
मु.प.चि.अ., फतेहगढ़	जय पिराने बाबा	2009-10	10	20	हां	30	ळां	1	बीमारी	0	0	स्थानीय
मु.प.चि.अ., फतेहपुर	अश्वथामा	2007-08	10	10	हां	20	हां	6	बीमारी	0	0	प्रक्षेत्र से नर
मु.प.चि.अ., फिरोजाबाद	जय हनुमान	2008-09	10	20	हां	30	हां	30	स्वाइन फीबर	0	0	स्थानीय
मु.प.चि.अ., गोण्डा	श्री गणेश	2008-09	10	20	हां	30	हां	0	0	0	0	स्थानीय
मु.प.चि.अ., हरदोई	डा. अम्बेडकर	2008-09	10	30	हां	40	हां	13	बीमारी	13	0	स्थानीय
मु.प.चि.अ., जौनपुर	जगजीवन राम	2007-08	10	20	नहीं	0	हां	30	स्वाइन फीबर	0	0	स्थानीय
मु.प.चि.अ. कन्नौज	शिवशंकर	2008-09	10	20	नहीं	0	हां	0		0	0	स्थानीय
मु.प.चि.अ., कानपुर नगर	गणेश	2007-08	10	20	नहीं	0	ळां	29	स्वाइन फीबर	0	0	स्थानीय बाजार
मु.प.चि.अ., कौशाम्बी	जय अम्बे	2008-09	3	20	हां	23	हां	6	बीमारी	0	0	स्थानीय बाजार
मु.प.चि.अ., महराजगंज	मीराबाई	2008-09	0	0	0	0	हां	0		0	0	स्थानीय बाजार
मु.प.चि.अ., महोबा	अवतार मेहर बाबा	2009-10	10	20	नहीं	0	हां	0	0	0	0	स्थानीय बाजार
मु.प.चि.अ., मेरठ	बाल्मीकी तथा अम्बेडकर नगर	2008-09	10	20	हां	10	हां	0	0	0	0	0
मु.प.चि.अ., मिर्जापुर	मां लक्ष्मी	2009-10	10	10	हां	20	नहीं	3	बीमारी	0	0	स्थानीय बाजार
मु.प.चि.अ., मुरादाबाद	उन्नाती	2008-09	10	30	नहीं	0	नहीं	4	बीमारी	0	0	नर अलीगढ़ से
मु.प.चि.अ., रायबरेली	अम्बेडकर नगर तथा श्री गणेश	2008-09	0	40	हां	40	हां	3	बीमारी	2	1	नर क्रय नहीं किया गया
मु.प.चि.अ., रामपुर	लक्ष्मी स्थित बिलासपुर	2008-09	10	10	हां	20	हां	14	बीमारी	0	0	स्थानीय
मु.प.चि.अ., सहारनपुर	सुभन्द्रा तथा चांदी	2008-09	1	20	हां	21	प.चि.पर	0	0	0	0	स्थानीय
मु.प.चि.अ., सीतापुर	भुइया देवी	09-10	0	20	नहीं	0	नहीं	0	0	0	0	स्थानीय
मु.प.चि.अ., सुल्तानपुर	रीता एवं सुनीता	2007-08	20	20	हां	40	हां लेकिन मृत	7	स्वाइन फीबर	0	0	स्थानीय
मु.प.चि.अ., वाराणसी	शिवम्	2008-09	10	20	हां	30	हां	5	बीमारी	5	0	स्थानीय
परिणाम	35-स्व.स.स.		**232**	**562**	**10-No**	**524**	6- नग & दो मृत	**177**	96 स्वाइन फीबर के कारण	**22**	**1**	

(स्रोतः संयुक्त भौतिक निरीक्षण)

Ikfjf'k"V -4.8

(lUnHkZ: izLrj 4.1.7.4; i"B 115)

Lo;a lgk;rk lewg&¼cdjh½

bdkbZ dk uke	Lo;a lgk;rk lewg dk uke	LFkkiuk dk o'kZ	Ik'kvksa dh la[;k		chek	Ckhfer Ik'kvksa dh la[;k	nok, iklr gbZ ;k ugh			Ekr Ik'kvks dh la[;k	EkR;q dk dkj.k	Ikf'kr nkoks dh la[;k	iklr nkoks dh la[;k	Ik'kvks dh la[;k
			नर	मादा			नर	मादा	योग					
मु.प.चि.अ., आगरा	सीता	2007-08	10	20	0	हां लेकिन मृत	1	3	4	ठंड	0	0	0	स्थानीय
मु.प.चि.अ.,इलाहाबाद	स्व.स.स. स्थित सराय गोपाल	2008-09	10	20	30	हां	0	0	0	0	0	0	0	स्थानीय
मु.प.चि.अ.,अम्बेदकर नगर	आदर्श (टाण्डा)	2008-09	10	20	30	हां	10	6	16	बीमारी	2	0	लेवी जमा नहीं की गई	स्थानीय
मु.प.चि.अ.,बाराबंकी	अम्बेडकर	2008-09	12	28	38	हां	6	30	36	बीमारी	0	0	सूचित नहीं की गई	स्थानीय
मु.प.चि.अ., बरेली	भगवान शंकर	2007-08	10	20	30	हां	4	8	12	न्यूमोनिया	2	2	0	स्थानीय
मु.प.चि.अ.,बिजनौर	आदर्श	2008-09	10	20	30	हां	0	1	1	-	0	0	एक माह के अन्दर मृत्यु	स्थानीय
मु.प.चि.अ., बुलन्दशहर	काशी	2008-09	10	20	0	नही	2	4	6	बीमारी	0	0	0	स्थानीय
मु.प.चि.अ., देवरिया	सर्वोदय	2008-09	10	30	40	हां	2	2	4		0	0		स्थानीय
मु.प.चि.अ., एटा	अम्बेडकर	2008-09	10	40	50	हां	4	1	5	बीमारी	0	0	0	स्थानीय
मु.प.चि.अ., फैजाबाद	सर्वोदय	2007-08	0	20	0	प.चि. पर	0	15	15	बीमारी	0	0	0	स्थानीय
मु.प.चि.अ., फतेहगढ़	साक्षी	2007-08	10	20	30	हां	0	10	10	नहीं	0	0	शव विच्छेदन नहीं किया गया	स्थानीय
मु.प.चि.अ., फतेहपुर	ज्वाला (बहुआ)	2007-08	10	20	10	हां	0	0	0	0	0	0	0	इटावा से नर
मु.प.चि.अ., फिरोजाबाद	जय भीम	2007-08	10	30	40	हां	4	6	10	बीमारी	4	2	2 भेजा नहीं गया सूचित नहीं किया गया	स्थानीय
मु.प.चि.अ., गाजीपुर	सरस्वती	2008-09	10	30	40	हां	0	2	2	ठंड	2	0	0	स्थानीय
मु.प.चि.अ., गोण्डा	जय गुरूदेव	2008-09	10	20	30	हां	6	4	10	पी.पी.आर	0	0	0	स्थानीय
मु.प.चि.अ., हरदोई	जय भगवान	2008-09	10	40	50	हां	3	20	23	बीमारी	10	10	0	स्थानीय
मु.प.चि.अ., जौनपुर	डा. भीम राव अम्बेडकर	2007-08	10	30	0	हां	0	8	8	बीमारी	0	0	बीमा नहीं था	स्थानीय
मु.प.चि.अ. कन्नौज	जय शंकर	2008-09	10	20	0	नही	0	0	0		0	0		स्थानीय
मु.प.चि.अ., कानपुर नगर	उत्तम	2008-09	10	30	0	हां	10	2	12	पोकनी	0	0	बीमा नहीं था	स्थानीय
मु.प.चि.अ., कौशाम्बी	नमो बुद्धाय	2008-09	10	20	30	प.चि. पर	2	8	10	बीमारी	0	0	शव विच्छेदन नहीं किया गया	स्थानीय बाजार
मु.प.चि.अ., महराजगंज	महामाया	2008-09	0	0	0	हां	0	0	0		0	0	0	स्थानीय
मु.प.चि.अ., महोबा	भीमराव अम्बेडकर	2008-09	10	20	30	हां	0	2	2	बीमारी	0	0	0	स्थानीय
मु.प.चि.अ., मेरठ	लक्ष्य	2008-09	10	10	0	हां	0	0	0		0	0	0	स्थानीय
मु.प.चि.अ., मिर्जापुर	जय बजरंग	2008-09	10	20	30	हां	0	3	3	बीमारी	1	0	क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं की गयी	इटावा स्थानीय
मु.प.चि.अ., मुरादाबाद	एकता	2007-08	10	40	0	हां	0	5	5	मौसमी	0	0	बीमा नहीं था	स्थानीय

मु.प.चि.अ., रायबरेली	बउराहवा बाबा	2008-09	10	30	40	हां	4	5	9	बीमारी	6	4	0	स्थानीय
मु.प.चि.अ., रामपुर	कांशी राम	2008-09	10	20	0	हां	0	10	10	बीमारी	0	0	0	स्थानीय
मु.प.चि.अ., सहारनपुर	आदर्श	2008-09	10	20	30	हां	1	2	3	आकस्मिक	2	2	प्राप्त	स्थानीय
मु.प.चि.अ., सीतापुर	सिद्धेश्वर	2008-09	10	30	40	हां	4	8	12	बीमारी	1	0		प्रक्षेत्र से नर
मु.प.चि.अ., सुल्तानपुर	गुलाब	2007-08	10	10	20	मृत	3	1	4	बीमारी	0	0	0	स्थानीय
मु.प.चि.अ., वाराणसी	राधा	2007-08	2	20	22	हां	2	1	3	बीमारी	0	0	बीमा अवधि समाप्त	स्थानीय
परिणाम	31-स्व सहायता समूह		284	718	690	02-प्राप्त नहीं किया गया एवं एक मृत	68	167	235		30	20		दो समूह के नर इटावा के अतिरिक्त सभी स्थानीय तौर पर क्रय

¼Lkksr% l;qDr Hkkfrd fujh{k.k½

Ikfjf'k"V -4.9

(IanHkZ: iSjkxzkQ 4.1.7.6; i"B 118)

cd;kMZ ikYVªh Ldhe dk Ik;Dr fujh{k.k

bdkbZ dk uke	ykHkkFkhZ dk uke	fujh{k.k frfFk	Ldhe dk o"kZ	Nlij ds fy, /kujkf'k dc iklr fd;k	Nlij cuk ;k ugh	nok iklr fd;k ;k ugh	Pkkjk iklr fd;k ;k ugh	dfyQkfu;k dst dh orZeku fLFkfr	Ldhe lS ykHk
मु.प.चि.अ., आगरा	केशव सिंह	29-अप्रैल	2007-08	न्हीं	नहीं	नहीं	हां	खराब	हां
मु.प.चि.अ.,इलाहाबाद	भाईलाल	22-फरवरी	2007-08	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	खराब	नहीं
मु.प.चि.अ.,अम्बेदकर नगर	प्रेम (शीला टांडा)	28-जुलाई	2008-09	हां	हां	नहीं	नहीं	खराब	नहीं
मु.प.चि.अ.,बाराबंकी	जय श्रीराम	22-जुलाइ	2008-09	नहीं	नहीं	हां	हां	खराब	नहीं
मु.प.चि.अ., बरेली	2- सरिता तथा परमेश्वरी	21- जुलाई	2008-09	हां	--	नहीं	नहीं	खराब	नहीं
मु.प.चि.अ., बुलन्दशहर	8-लाभार्थी	15- जुलाई	2008-09	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	खराब	नहीं
मु.प.चि.अ., एटा	चन्द्रपाल	09- जुलाई	2008-09	हां	नहीं	नहीं	नहीं	खराब	नहीं
मु.प.चि.अ., फैजाबाद	महेन्द्र तथा राजेश	27- जुलाई	2008-09	हां	नहीं	नहीं	नहीं	जीर्ण–शीर्ण	नहीं
मु.प.चि.अ., फतेहगढ़	2-लजगन्नाथ, रामाश्रय	28- अप्रैल	2008-09	हां	नहीं	नहीं	नहीं	जीर्ण–शीर्ण तथा अनुपलब्ध	नहीं
मु.प.चि.अ., फतेहपुर	सुशील कुमार	06-मई	2007-08	हां	नहीं	हां	हां	जीर्ण–शीर्ण	हां
मु.प.चि.अ., फिरोजाबाद	सुरेश चन्द	14- जुलाई	2008-09	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	जीर्ण–शीर्ण	नहीं
मु.प.चि.अ., गाजीपुर	तारा देवील	21- अप्रैल	2007-08	हां	नहीं	नहीं	नहीं	खराब	नहीं
मु.प.चि.अ., गोण्डा	2–शिवभान तथा रतिभान	18- जुलाई	2008-09	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	खराब	नहीं
मु.प.चि.अ., हरदोई	2–बली रामल तथा राम कुमार	12- जून	2007-08	हां	हां	हां	हां	खराब	नहीं
मु.प.चि.अ., जौनपुर	खरपत्तु	02-अगस्त	2007-08	हां	नहीं	हां	हां	खराब	नहीं
मु.प.चि.अ., कानपुर नगर	पांच लाभार्थी	11- मई	2008-09	हां	नहीं	हां	नहीं	खराब	नहीं
मु.प.चि.अ., कौशाम्बी	2–गरीब दास तथा पंचम	11- अगस्त	2007-08	हां	नहीं	नहीं	हां	खराब	नहीं
मु.प.चि.अ., महराजगंज	किरण कुमार	04- अगस्त	2007-08	हां	नहीं	हां	हां	खराब	नहीं
मु.प.चि.अ., महोबा	दासी	11- अगस्त	2007-08	हां	हां	हां	हां	अच्छा	नहीं
मु.प.चि.अ., मेरठ	राजेश	04- जुलाई	2008-09	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	खराब	नहीं
मु.प.चि.अ., मुरादाबाद	मंगी	18- जून	2008-09	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	खराब	नहीं
मु.प.चि.अ., रामपुर	गुलाबी	19-08-10	2008-09	हां	हां	नहीं	नहीं	जीर्ण–शीर्ण	नहीं
मु.प.चि.अ., सहारनपुर	सुशील	01- जुलाई	2007-08	हां	नहीं	नहीं	हां	निरीक्षण के समय अनुपलब्ध	नहीं
मु.प.चि.अ., सीतापुर	सत्यनारायण तथा सुरेश	10- जून	2007-08	हां	नहीं	हां	हां	जीर्ण–शीर्ण	नहीं
मु.प.चि.अ., सुल्तानपुर	17 लाभार्थी	14-मइ	2007-08	हां	नहीं	प.चि. पर	नहीं	कबाड़ खाना में	नहीं
Ikfj.kke	**59 ykHkkFkhZ**		**31-(07-08), 28 (08-09)**	**16- /kujkf'k iklr ugh fd;k**	**53- ugh**	**28- ugh RkFkk lYrkuiqj esa i-fp- esa iM=k gqvk**	**46- ugh**	**32- [kjkc] 24& th.kZ&'kh.kZ voLFkk esa ,d vPNh voLFkk esa rFkk 02 fujh{k.k ds le; vuqiyC/k**	**57- ugh**

(स्रोतः संयुक्त भौतिक निरीक्षण)

सर्वाधिकार सुरक्षित

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2011

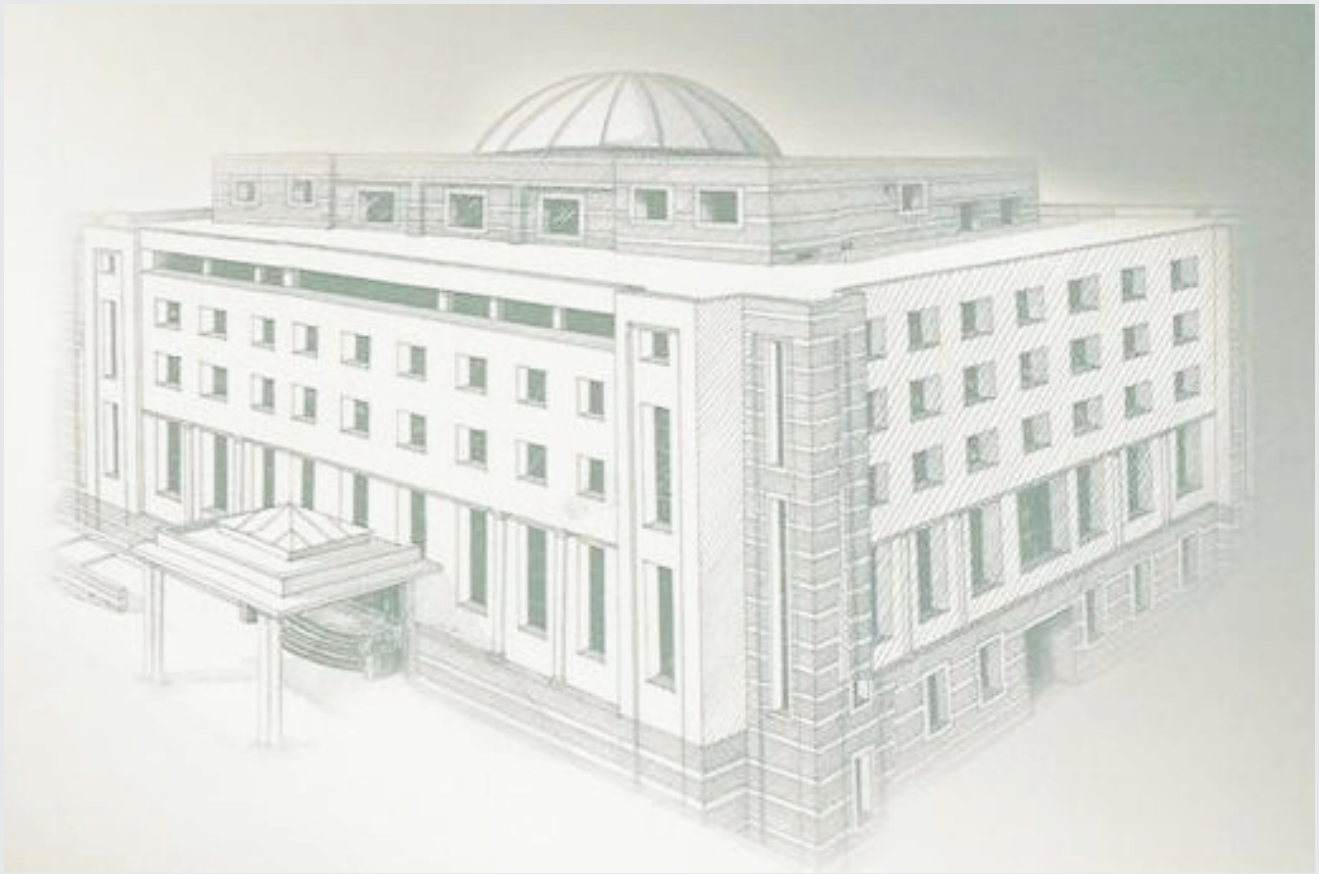

आर्मी प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ से मुद्रित
33, नेहरू रोड, सदर कैन्ट, लखनऊ - 226 002
फोन : 2481164, 6565333